(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] दसवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का इकत्तीसवां दिवस [संख्या : 21

शुक्रवार,

25 मार्च, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 591

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायण।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री भरत सिंह।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक है।

श्री अध्यक्ष : नहीं है। यह तो अनुपस्थित रह गये। प्रश्न-कर्ता ही नहीं हैं यहां।

श्री भरत सिंह।

सांगोद खानपुर बाबा जोलपा मार्ग

592. **श्री भरत सिंह** (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला कोटा की तहसील सांगोद मुख्यालय का झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील मुख्यालय से सबसे कम फासला जोलपा व सूमर ग्रामों के मार्ग से है ? यदि हां, तो यह फासला जोलपा व सूमर ग्रामों के मार्ग से है ? यदि हां, तो यह फासला मौजूदा बयावर मोई कलां, सूमर सड़क रास्ते से कितना कम है ?

(2) दो जिलों के कम फासले वाले सांगोद खानपुर वाया जोलपा मार्ग को कब तक पक्का करवा देने की सरकार की योजना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां, यह फासला वाया वर्णित गांव से होकर 11.5 किलोमीटर कम है।

(2) योजनान्तर्गत सूमर से जोलपा तक 8 किलोमीटर की लम्बाई में डामर की सड़क 57.00 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति पर है। यह कार्य जून, 1995 तक पूर्ण करना प्रस्तावित

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

है। शेष 12 किलोमीटर लम्बाई में निर्माण कार्य निर्धारित प्राथमिकता के मापदण्ड में नहीं आने के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित नहीं है।

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मैं मंत्रीजी का ध्यान इस बात पर दिलाऊंगा कि यह मार्ग 20 किलोमीटर लम्बा है और एक समय था कि इस पर 20 बसें चलती थीं। आज स्थिति यह हो गयी, 8 किलोमीटर तक मार्ग तो आप पक्का करवा रहे हैं, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप उस पर डामर करवा रहे हैं मगर 8 किलोमीटर आने के बाद आदमी जोलपा तक तो आ सकता है, किन्तु जोलपा से सांगोद जो 12 किलोमीटर है उस मार्ग पर विभिन्न स्टेजेज में अकाल राहत के अन्दर कार्य हुआ, कुछ गिट्टी पड़ी और वह सड़क जो पहले कच्ची सड़क थी उस पर तो फिर भी बसें चल सकती थीं, आज स्थिति यह हो गई कि उसमें न तो सही प्रकार से बैलगाड़ी चल पाती है और बसें जो चलती थीं आज एक भी बस इस मार्ग पर नहीं चल रही है। यह सड़क 8 किलोमीटर करवा भी देंगे तो जनता के उस उपयोग में नहीं आ सकेगी जिस प्रकार से उस क्षेत्र की दृष्टि से इसका महत्व है। मेरा आपसे प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि यह सड़क जो 3 विधान सभा क्षेत्र दीगोद, अटरू तथा खानपुर, दो जिले कोटा व झालावाड़, पांच ग्राम पंचायतों के लगभग 40 गांवों को जोड़ती है तथा बरसात के तीन माह इस मार्ग पर आवागमन बंद हो जाता है उसके बाद भी इस मार्ग को जो सांगोद से खानपुर को रास्ता जुड़ता है व साढ़े 11 किलोमीटर वाया बतौर मार्ग से कम है उसे पूर्ण करवाने के कार्य को सरकार प्राथमिकता नहीं देगी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है, मैं स्वयं इस बात को निश्चित रूप से ठीक समझता हूं कि 11.5 किलोमीटर सड़क में रास्ता कम होने के कारण इसको बनाया जाना चाहिए और उसी नाते से प्रथम फेज के रूप में हमने 8 किलोमीटर सड़क डामर रोड से जोड़ने की योजना बना ली है। केवल योजना नहीं बना ली इस पर काम शुरू हो गया है और काम शुरू हो करके हम 22 लाख रुपया इस पर खर्च कर चुके हैं। हम पूरा 55 लाख रुपया व्यय करके जोलप तक जून, 1995 तक उस सड़क को बना देंगे। अब प्रश्न यह आ रहा है कि अकेले एक ही सड़क पर कितना व्यय एक साल में किया जाए। मैं माननीय सदस्य की इस भावना से बिलकुल परिचित हूं और उनके साथ सहमति प्रकट करना चाहता हूं कि 11.5 किलोमीटर सड़क के लिए बचेगी। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, शेष काम को पूरा करने के लिए 68.50 लाख रुपये और चाहिए। इतनी बड़ी धनराशि अभी खर्च करना सम्भव नहीं है। एक बार उस सड़क पर 8 किलोमीटर का कार्य चल रहा है किन्तु मैं आपको कहना चाहता हूं निश्चित रूप से यह इतना ही नहीं है दूसरी तरफ सांगोद से जो सड़क बनी है वह मैटल की एक परत सड़क है उसको ठीक कराने की व्यवस्था मैं करूंगा। बीच

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

में 5 किलोमीटर ऐसा एरिया है जिसके लिए 68 लाख रूपया चाहिए। उसमें बीच में सी. डी. वर्क्स भी बहुत सारे हैं और इसीलिए जो आपके मन की मंशा है उस कार्य में प्रगति करना मैंने प्रारम्भ कर दिया है। उस दिशा में कार्य काफी हो रहा है। आपके साथ सिद्धान्ततः सहमत होने के बाद जल्दी से जल्दी धन जैसे उपलब्ध होगा इस बात को ध्यान में रखकर हम काम को पूरा कराने की मंशा रखते हैं, विचार रखते हैं, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि बाधा है आज कल बसों को चलने की, उस सड़क को ठीक करने की व्यवस्था, जो मैटल है वह ठीक मैटल रहे, उस पर रोड रोलर घूम जाए उसकी चिन्ता में निश्चित रूप से करूंगा।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल (हिण्डौली): एक सप्लीमेन्ट्री मेरा भी था, साहब, प्रश्न 592 में।

श्री अध्यक्ष : वह हो गया। बाद में पूछ लेना। वह सन्तुष्ट हो गये। श्री अमराराम।

कृषि कनेक्शन्स हेतु विचाराधीन प्रकरण

593. **श्री अमरा राम** (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में जिलेवार कृषि कनेक्शन के कितने प्रार्थना पत्र वर्तमान में लम्बित है ?

(2) वर्ष 1994-95 में कितने कृषि कनेक्शन दिये जाने प्रस्तावित हैं ?

(3) क्या यह सही है कि किसानों के प्रार्थना पत्र 10 वर्षों से विचाराधीन हैं जबकि बड़े उद्योगों को प्रार्थना पत्र देते ही शीघ्र कनेक्शन दे दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रघुवीरसिंह कौशल) : (1) राज्य में 31-3-1993 को कृषि कनेक्शन के 2,25,300 प्रार्थना पत्र लम्बित थे। जिलेवार सूची 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1994-95 में 25,000 कृषि कनेक्शन दिये जाने प्रस्तावित हैं।

(3) जी हां, कृषि कनेक्शनों के लिए प्रार्थना पत्र 10 वर्षों तक के लम्बित हैं जबकि औद्योगिक कनेक्शन तुलनात्मक काफी कम समय में दे दिये जाते हैं। हालांकि कई स्थानों पर औद्योगिक कनेक्शन्स भी 3-4 वर्षों के अन्तराल में जारी करना सम्भव हो पाता है। इसका कारण यह है कि कृषि कनेक्शन की मांग अधिक है जबकि औद्योगिक कनेक्शन की मांग तुलनात्मक कम है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम व अन्य स्त्रोतों से उपलब्ध राशि व विद्युत की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए कृषि कनेक्शन के लक्ष्य योजना आयोग में विचार-विमर्श कर निर्धारित किये जाते हैं। राज्य सरकार अपने स्त्रोतों को ध्यान में रखते हुए एवं कृषि को प्राथमिकता देते हुए प्रतिवर्ष कुओं को कनेक्शन देने के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री अमराराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अगले साल जो 25 हजार कनेक्शन दिये जाएंगे वह किस-किस केटेगिरी में दिये जाएंगे ? दूसरा यह कि वर्ष 1994-95 में जो कनेक्शन दिये जाएंगे, इस साल 1993-94 से दिये जा रहे हैं वह पंचायत समितिवाइज दिये जिससे किसी जिले और पंचायत समिति में तो 1993 तक के कनेक्शन आ जाते हैं और कहीं 1983 तक के नहीं आते, तो मेरा अनुरोध है कि क्या उनको आप आगे ईयरवाइज कनेक्शन क्लियर करने के लिए कह देंगे ? दूसरा यह........

श्री अध्यक्ष : दूसरा सप्लीमेन्ट्री और लिया जायेगा, दूसरा पूछ लेना ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, 1994-95 में 25 हजार कनेक्शन इस हिसाब से दिये जाएंगे. एस. सी. तीन हजार, एस. टी. 2 हजार, फौजी ढाई सौ, अपाहिज ढाई सौ और जिन गांवों में एक भी कनेक्शन नहीं हैं, दो कनेक्शन उनको प्रायोरिटी से दिये जाएगे । उनको एक हजार, जनरल 8500 और 10 हजार वन पोल सर्विस कनेक्शन ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । अमरारामजी यह हैं । आप बाद में आये हैं । आपका सवाल थोड़े ही है ।

श्री अमराराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक पूछा था, जो जनरल में कनेक्शन दिये जाएंगे, किसी ईयर को बेस मानकर वहां तक क्लियर सब राजस्थान में हो जाएं । वरना विभेद यह होता है कि कहीं 1983 तक नहीं होते और कहीं 1993 तक हो जाएंगे । और एक यह है कि जीवनधारा में और जो फ्रीडम फाइटर को दिये जाते हैं उनको जनरल में इन्क्लुड किया जाता है जिससे जनरल जो 10 साल से पड़े हुए हैं उनको नुकसान होता है । इसलिए उनको उसमें नहीं शामिल किया जाए ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, जहां विद्युतीकरण पहले हो गया वहां इलेक्ट्रिफाइड कुओं में कनेक्शन भी ज्यादा मिल गये और उनकी एप्लीकेशन पहले से पैंडिंग हैं और यदि ईयरवाइज किया गया तो जो गांव चार साल पहले इलेक्ट्रिफाइड हुआ है उसको इस हिसाब से कनेक्शन मिलेंगे ही नहीं । इसलिए जो लक्ष्य निर्धारित होता है, जितनी एप्लीकेशन पैंडिंग हैं जिस जिले में, जिस पंचायत समिति में उस प्रपोर्शन में उस जिले और पंचायत समिति को अलाटमेण्ट होता है और उस हिसाब से ही इलेक्ट्रिफिकेशन उचित भी है । क्योंकि जो चार साल पहले हुआ और जो बीस साल पहले हो गया, तो ज्यादा एप्लीकेशन बीस साल पहले की होगी, तो यदि हम ईयरवाइज करेंगे तो जो गांव पहले इलेक्ट्रिफाई हो गये उनमें ही कनेक्शन जायेंगे, नये गांव में कनेक्शन नहीं जाएंगे । इसलिए यह पालिसी बनायी है ।

श्री अध्यक्ष : दूसरा सवाल ।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, मैंने आपको पुकारा ही नहीं। आपको मैंने पुकारा नहीं, बिराजिये। श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां राजस्थान में 37 हजार से ज्यादा गांव हैं, और 70–75 हजार छोटे गांव और ढाणियां हैं और कुल 25 हजार यह कनेक्शन एक साल में देंगे तो वह गांव और ढाणियों के एक समूह पर एक कनेक्शन मिलेगा और मंत्रीजी ने कहा है कि दो लाख से ज्यादा एप्लीकेशन पैंडिंग हैं, जब मंत्रीजी सदस्य थे तो आपने इस विधान सभा में इस मुद्दे को बड़े जोरदार तरीके से उठाया था....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये, आप उसकी भूमिका मत बनाइये। बहुत लोग पूछने वाले हैं।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिह शेखावत) : आप भी मंत्री बनोगे तो जवाब यह ही देओगे।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूछने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार लगातार केन्द्र सरकार से धन लेती रहती है। ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर, जैसे रतनगढ़ और सुजानगढ़, यह आपके इलाके से सम्बन्ध रखता है, छह-सात वर्ष पूर्व रतनगढ़ और सुजानगढ़ में आर ई. सी. से 132 के वी. ए. लाइन के लिए काफी धन लिया पर जो दूसरी लाइन खींचनी थी वह अब तक नहीं खींची गयी। तो मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से और मंत्रीजी से यह पूछना है कि जो दो लाख का बैकलाग है यदि आप इसी बैलगाड़ी वाली रफ्तार से चलते रहे तो जो 10 साल की पैंडेंसी है वह, माननीय मुख्य मंत्रीजी, बीस साल की हो जाएगी, तो क्या आपकी कोई ऐसी योजना है कि यह बूंद-बूंद बिजली न टपका कर कम से कम इस बैकलॉग को एक साथ खतम करने के लिए दो-तीन साल का प्रयास करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बिजली की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, मंत्रीजी, यह पहले पूछ लें। परसादीलालजी।(व्यवधान) मैं नाम बोल रहा हूं, मैं सब का नाम बोलूंगा। जिन्होंने पहले मुझे कहा है उनको पहले कहूंगा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानकारी लेना चाहूंगा, क्या यह सही है कि राजस्थान में चार हजार गांवों के करीब ऐसे गांव हैं जिनको आपने इलेक्ट्रिफाइड कर दिया और एक भी कृषि कनेक्शन जारी नहीं किया है ? आपने, मंत्रीजी, इस साल नये गांव के लिए एक हजार का लक्ष्य रखा है, क्या आप सभी चार हजार गांव को दो-दो कनेक्शन के हिसाब से देंगे ? यदि आप देंगे तो आठ हजार का लक्ष्य तो

(श्री परसादीलाल मीणा)

आपका वह हो गया। तो चार हजार गाँव जो विद्युतीकृत कर रखे हैं आपने, क्या इनको देने का विचार आपका नहीं है ? दूसरा मेरा सवाल है कि....

श्री अध्यक्ष : एक ही करिये, दो सवाल मत करिये। श्री भाटीजी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि सिंगल पोल और सर्विस लाइन के जो कनेक्शन हैं उसमें अनरेस्ट्रिक्टेड रूप से दिया जाएगा या उसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन होगा ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री अमरा-राम।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्षजी, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि पूर्व में ग्रीन कार्ड के आधार पर कनेक्शन दिये जाते थे, क्या ग्रीन कार्ड की योजना बंद हो गयी है ? इसमें अभी एक कैटेगिरी आप ग्रीन कार्ड के आधार पर देने की तय करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री राम-स्वरूप।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कृषि कनेक्शन के वास्ते एक तो गुढ़ाचन्द्रजी में और एक टोडाभीम में 132 के. वी. का ट्रांसफार्मर मंजूरशुदा पड़ा हुआ है, क्या मन्त्री महोदय उस मंजूरशुदा को लगाने की कृपा करेंगे ? पहला तो यह है और दूसरा....

श्री अध्यक्ष : एक ही सवाल पूछिये। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पूछोंगे.... (व्यवधान)....श्री हरजीरामजी।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि गत वर्ष 31 मार्च, तक जो डिमाण्ड नोटिस निकल गये थे और डिमाण्ड नोटिस जमा हो गये और कनेक्शन हुए नहीं वह इस साल में ही कनेक्शन दिये हुए मान लिये और इस साल में जो आ गये तब 31 मार्च को जो इतने कनेक्शन रह जायेंगे उनको इसमें भी गिन लेंगे और अगले में भी गिन लेंगे। इस तरह से तो आप 25 हजार नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जैतारण क्षेत्र के कम से कम 65 एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिमाण्ड नोटिस जमा करा रखा है परन्तु ट्रांसफार्मर के अभाव में 25 हार्स पावर, 65 हार्स पावर और 100 हार्स पावर के कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। काश्तकारों ने बीस-बीस, तीस-तीस, पचास-पचास हजार रुपये पिछले दो-ढाई साल से जमा करवा रखे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह ट्रांसफार्मर कब तक भेज दिये जाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, हो गया। श्री हरिसिंह महुग्रा।

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाह रहा हूं कि कृषि कनेक्शन की ग्रापने जो पहले नीति तय की थी, 95 तक सभी को कनेक्शन जारी कर देंगे, किस वर्ष तक के कनेक्शन ग्रब तक ग्राप लोगों को दे चुके हैं ? यानि किस वर्ष तक की एप्लीकेसंस लोगों की है ग्रौर उनमें किस वर्ष तक की एप्लीकेशंस को ग्राप कनेक्शन जारी कर चुके हैं ? क्लियर कर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल, ग्राप सहरिया का पूछ रहे हैं ?

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : ग्रध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : पहले मैंने उनका नाम बोल दिया, मैं नाम बोल चुका हूं। ग्राप सुन रहे हैं, मैं एक-एक को बुला रहा हूं। बीच-बीच में हाथ खड़े क्यों करते हैं, मैं बुला रहा हूं।

श्री हीरालाल (बामनवास) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में....

श्री अध्यक्ष : जितना लम्बा समय होता है, लोग-सोच-सोच कर हाथ उठाते हैं ग्रौर जिसको पूछना होता है वह उठा लेता है। ग्रब ग्राप सोच कर उठा रहे हो।

श्री हीरालाल : शत-प्रतिशत गांव ग्रापने इलेक्ट्रिफाइड दिखा रखे हैं लेकिन.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसलिए जिनको पूछना था उन्होंने हाथ उठा लिये। मुझे ध्यान में है। ग्रब बाद में सोच-सोच कर उठा रहे हैं ग्राप।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : ग्रध्यक्षजी, सोच कर बोलना ठीक रहता है।

श्री हीरालाल : ग्रध्यक्ष महोदय, शत-प्रतिशत गांवों को इलेक्ट्रिफाइड दिखा रखा है जिनमें, कम से कम पांच साल हो गये, ग्राज भी साठ-सत्तर गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली की लाइन काश्तकारों को देने के लिए नहीं खींची गयी है, न डी. पी. लगायी गयी है। दुकानदार दुकान खोलेगा नहीं तो ग्राहक कहां से ग्रायेंगे ? ग्रध्यक्ष महोदय, पहले वह कहते हैं कि हमारे पास प्रार्थना पत्र नहीं ग्राये। तो प्रार्थना पत्र जब बिजली गांव में ग्राएगी तो दें। पहले कहां से काश्तकार....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, ठीक है। श्री टीकमचन्द कांत, ग्राप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री टीकम चन्द कांत (सिवाना) : ग्रध्यक्ष महोदय, जो कनेक्शन सिवाना विधान सभा क्षेत्र में पादरु ग्रौर शिड़ेर में ग्राज से चार साल पूर्व दिये जा सकते थे वह लाइन के ऊपर ज्यादा लोड होने की वजह से नहीं दिये गये। 1993 के ग्रन्दर 9 जी. एस. एस. पादरु ग्रौर शिड़ेर के स्वीकृत हुए, किन्तु फेज प्रोग्राम में नहीं ग्राये

(श्री टीकम चन्द कांत)

तो उन कनेक्शनों को करने के लिए जी. एस. एस. जरूरी है। तो क्या 1993 के अन्दर संक्शन जी. एस. एस. इस साल लगायेंगे और फिर वह कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय धनखड़जी ने बोर्ड की मंद गति की चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस माननीय सदन के सामने एक प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आप इस स्थिति को ठीक मानते हैं कि यह ढाई लाख कनेक्शन जो कुएं के हैं, दे दिये जाएं? क्या आप यह ठीक समझते हैं कि जितने ट्यूबवैल लग रहे हैं जिस हिसाब से, यह अंधाधुन्ध तरीके से जमीन का, प्रकृति का दोहन नहीं हो रहा है? शोषण हो रहा है। यदि पानी जमीन का सूख गया, आज मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूं, उसमें 15 फीट नीचे पानी बैठ रहा है, आपको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि क्या यह कनेक्शन दे दिये जाएं? इस प्रकार से एक बात देखिये कि बोर्ड की वित्तीय स्थिति का प्रश्न एक तरफ है कि आज बोर्ड की वित्तीय स्थिति क्या है। बोर्ड का जो खर्चा हो रहा है, एक रुपये 57 पैसे प्रति यूनिट बोर्ड की पड़ती है जब कंज़ूमर के पाइण्ट पर देते हैं। तो वित्तीय स्थिति तो एक तरफ है लेकिन मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूं कि क्या यह अंधाधुन्ध कनेक्शन देना उचित है? मैंने जैसा आप से कहा कि आज मेरे क्षेत्र में भी स्थिति यह हो गयी है कि जो पानी भण्डार है.... (व्यवधान) एक मिनिट बैठिये आप....

श्री परसादीलाल मीणा : चार हजार गांवों को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया आपने, वहां कनेक्शन नहीं दिये। चार हजार गांवों में आप कनेक्शन दे रहे हो कि नहीं दे रहे? (व्यवधान)।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : आप तो हमारे रामस्वरूपजी की तरह मेरे क्षेत्र-मेरे क्षेत्र करने लग गये (व्यवधान) आप तो पूरे राजस्थान के मंत्री हैं।

श्री टीकम चन्द कांत : सही बात तो सुनें (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप चार हजार गांव में कनेक्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? प्रश्न इतना-सा है। प्रश्न इतनासा है कि आप तो यह बताइये, पहले जिनको इलेक्ट्रिफाइड कर रखा है आपने उनको कनेक्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? (व्यवधान) आप इसका जवाब दें पहले।

श्री टीकमचन्द कांत : सुनने वाली बात है उसको सुनते क्यों नहीं आप लोग?

श्री परसादीलाल मीणा : आज ऐसी बात बोलने लग गये, जब माननीय सदस्य थे तब क्या कहते थे? (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : यह बात सुनें, इसके अन्दर वास्तविकता आयी है........ (व्यवधान) जवाब सुनें आप बैठ करके (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं नैक्स्ट प्रश्न ले रहा हूं। (व्यवधान) श्री परसराम मदेरणा, नैक्स्ट प्रश्न । (व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष जी, किसानों के हितों की रक्षा आप कीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते ।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, हम सुनेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आप सुनना नहीं चाहते हैं....(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 594

श्री परसराम मदेरणा

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।)

श्री गोपीराम जाट ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष जी, किसान के हित का मामला है ।

श्री अध्यक्ष : अब आप सुनना ही नहीं चाहते किसान के हित का । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मन्त्री, चिकित्सा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा कर दी जाए फिर । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो बात नहीं हो सकती । आप मंत्री जी को सुनना भी नहीं चाहते । नहीं-नहीं, ऐसा नहीं होगा । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : एक दिन की चर्चा करवा दें, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : हां, करा देंगे, यह बात ठीक है । (व्यवधान)

करा दूंगा, इस पर चर्चा हो जायेगी ।

जिला जयपुर की मार्केटिंग सोसायटीज में गबन के प्रकरण

595. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में मार्केटिंग सोसायटीज पंजीकृत की गयी हैं ? यदि हां, तो कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि काफी मार्केटिंग सोसायटीज में गबन हुआ है ? यदि हां, तो ऐसी समितियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार इन समितियों के विरुद्ध एवं गबन प्रकरण के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सहकारिता मंत्री (श्री सुजान सिंह यादव) : (1) जी हां । इनकी संख्या नौ है । सूची परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) जी हां । जयपुर जिले की सूची

(श्री सुजानसिंह यादव)

परिशिष्ट "ब" में सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(3) जिन संस्थाओं में ऑडिट अथवा जांच अथवा निरीक्षण में गबन एवं धन के दुरुपयोग के मामले पाये जाने उल्लिखित हैं, के लिए आरोपितों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत अधिभार निश्चित करने हेतु परिशिष्ठ "ब" के अनुसार 69 आरोपितों के विरुद्ध 22·43 लाख के 26 प्रकरण दर्ज किये गये हैं जिनमें से 9 मामले 8.11 लाख राशि के निर्णित हो गये हैं जिनमें लिप्त 17 व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ठ-2 देखें ।)

श्री गोपीराम जाट : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि इसमें 8 लाख 11 हजार रुपये का निर्णय हो चुका है । उसकी वसूली अब तक क्यों नहीं की गयी ? इसमें कौन अधिकारी दोषी है, कौन विलम्ब कर रहा है । दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जयपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष, जगदीश सामरिया के खिलाफ डिक्री हो चुकी है और डिक्री होने के बाद में उस रकम की वसूली क्यों नहीं की गयी ? आज स्थिति यह है कि जगदीश सामरिया की मृत्यु हो चुकी है । इसलिए इस पैसे को वसूल करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा ? दूसरा प्रश्न मेरा....

श्री अध्यक्ष : हो गया, दूसरा सप्लीमेंट्री बाद में कर लेना ।

श्री गोपीराम जाट : एक और है, साहब ।

श्री अध्यक्ष : बाद में सप्लीमेन्ट्री करोगे न आप ।

श्री गोपीराम जाट : नहीं, साहब, मेरा तो यही एक है ।

श्री अध्यक्ष : इतना ही है ?

श्री गोपीराम जाट : दूसरा, इस जयपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति की प्लेज लिमिट 9 लाख रुपये है और नियमानुसार उसके हाईपोथेकेशन के साढ़े चार लाख रुपये मिलने चाहिए लेकिन जयपुर सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक द्वारा इसको 9 लाख रुपये की प्लेज के अगेंस्ट में हाइपोथेकेशन का भी 9 लाख रुपया दिया गया है, क्या यह नियमों के विरुद्ध नहीं हैं ? इसी तरह से यह समिति जो खाद का क्रय करती है वह इफको से नहीं करके बाजार से सीधे खरीदती है, तो क्या यह नियमों के विरुद्ध नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जयपुर में दो सहकारी समितियां हैं । एक तो जयपुर फल सब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति है, दूसरी जयपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति है । तो माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि किसके सम्बन्ध में आप प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री गोपीराम जाट : जयपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति का ।

श्री अध्यक्ष : क्रय-विक्रय ।

श्री सुजानसिंह यादव : इसमें जो नाम आपने उल्लेखित किया उनका नाम तो है नहीं । रामजीलाल, बन्शीधर, दौलतविजय सिंह, देवीलाल, ये चार आदमी हैं, इनके नाम केस, प्रकरण रखे गये हैं ।

श्री गोपीराम जाट : ये तो पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, कोषाध्यक्ष भी रहे, जगदीशजी सामरिया वाले जिनके खिलाफ डिक्री भी हो चुकी है । रिपोर्ट में है सारी बात ।

श्री सुजानसिंह यादव : यही तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, जगदीश प्रसाद है जयपुर फल सब्जी क्रय-विक्रय सहकारी समिति में । (व्यवधान) इनका केस था, दोषमुक्त हो गये ।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : 65 लाख का गबन बताया था उत्तर में विभाग ने । 65 लाख का गबन था, कैसे नहीं थे ।

श्री सुजानसिंह यादव : 74(2) के अन्तर्गत केस मीट आउट हुआ था उसके सम्बन्ध में ये दोषमुक्त हो चुके हैं अदालत से ।

श्री कन्हैयालाल मीणा : कैसे नहीं है, 65 लाख का गबन था ।

श्री सुजानसिंह यादव : माननीय सदस्य, मेरे पास जो सूचनाएं हैं उसी के अनुसार तो मैं बताऊं ।

श्री गोपीराम जाट : लेकिन सूचनाएं, साहब, गलत भी तो हो सकती है । गलत दी है यह सूचना । यही है कि जगदीशजी श्रीपाल अध्यक्ष जो अभी सेन्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक का है वह पहले मार्केटिंग सोसायटी का अध्यक्ष था ।

श्री अध्यक्ष : वसूली कैसे करोगे यही पूछ रहे हो ?

श्री गोपीराम जाट : हां, अब तक क्यों नहीं हुई ?

श्री सुजानसिंह यादव : मैंने आपसे निवेदन किया दो सहकारी समितियां हैं, एक तो फल सब्जी वालों की है, एक जयपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति है ।

श्री गोपीराम जाट : जयपुर क्रय-विक्रय का ही है ।

श्री सुजानसिंह यादव : इसमें वह दोषी नहीं हैं । एक तो रामजीलाल व्यवस्थापक है, बंशीधर जी सेगपाल है, दौलत विजय है केशियर, देवीलाल विक्रेता है । इस बात की मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है ।

श्री गोपीराम जाट : लेकिन, साहब, यह चीज दबायी गयी है और श्रीपाल वहां का अध्यक्ष है और उसके पिता थे, उसका जवाब उन्होंने मैनीपुलेट करके गलत बनवाया ।

श्री अध्यक्ष : कहीं न कहीं आपसे नाम में गलती हो रही है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमन्त्री) : दबाया हुआ है उसको निकाल दो ।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात बतलायी है, मैं उसको दिखवा लूंगा, मालूम कर लूंगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री समर्थलाल मीणा, नेक्स्ट। (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक दुकान का मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आप बैठ जाइये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : एक दुकान का मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, कौनसी दुकान ?

एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में अनुसूचित जाति/जनजाति के चिकित्सकों का चयन

596. श्री समर्थलाल मीणा (राजगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में सी.ए.एस., पी.जी. डिग्री कोर्स में अनुसूचित जाति/जनजाति के चिकित्सकों का चयन वरिष्ठता एवं रोस्टर के आधार पर किया जाता है ? यदि हां, तो इस वर्ष अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने चिकित्सकों को सी. ए. एस., पी. जी. डिग्री कोर्स हेतु चयनित किया गया ? चयनितों के नाम सदन की मेज पर रखें और यदि चयनित नहीं किया गया, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त संवर्ग के अधिकारियों का रोस्टर रजिस्टर का संधारण किया जाता है ? यदि हां, तो रोस्टर रजिस्टर की छाया प्रति (वर्ष 1990 से अब तक) सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, चिकित्सा (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी हां। राजकीय सेवारत सी.ए.एस. चिकित्सकों, जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के होते हैं, को पी.जी. हेतु डिग्री/डिप्लोमा कोर्सों में चयन वरिष्ठता-सह-प्राथमिकता एवं रोस्टर प्रणाली के आधार पर किया जाता है। राज्य के समस्त मेडिकल कालेजों में चयन संयोजक, स्नातकोत्तर प्रवेश मण्डल द्वारा 100 बिन्दु रोस्टर प्रणाली से किया जाता है। इस वर्ष एस.सी. के 13 एवं एस.टी. के 7 चिकित्सकों को प्रवेश दिया गया है (मात्र 1993-94 में)। अनुसूचित जाति/जनजाति के चयनित सी.ए.एस., पी जी. की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं। हर वर्ष राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्री.पी.जी. प्रवेश परीक्षा हर संवर्ग के चिकित्सक/अभ्यर्थी के लिए आयोजित की जाती है तथा सफल अभ्यर्थी की मेरिट सूची संयोजक, प्रवेश मण्डल को भेजी जाती है जिसके आधार पर हर वर्ष स्वीकृत सीटों पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा कोर्सेज के अध्ययन के लिए चिकित्सकों को विभिन्न विषयों और विभिन्न मेडिकल कालेजों में तीन व दो वर्ष के लिए भर्ती किया जाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति के चिकित्सकों का चयन वरिष्ठता एवं रोस्टर के आधार पर किया जाता है। चूंकि यह नियमित नियुक्ति नहीं है इसलिए रोस्टर रजिस्टर का संधारण किया जाना आवश्यक नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—3 देखें।)

जिला राजसमन्द के अकालग्रस्त क्षेत्रों में सस्ती दर पर घास की व्यवस्था

597. **श्री शान्तिलाल खोईवाल** (राजसमंद) : क्या अकाल सहायता राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार राजसमन्द जिले के अकालग्रस्त क्षेत्रों में सस्ती दर पर घास उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्यमंत्री, अकाल सहायता (श्री सांवर लाल) : (1) जी हां।

(2) राजसमन्द सहित सभी सम्बन्धित जिला कलक्टर्स को चारा परिवहन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं। सहकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चारा डिपो चलाने के लिए बिना ब्याज ऋण राशि उपलब्ध कराने के लिए जिला कलक्टर, राजसमन्द को 5.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है।

जिले में राज्य के अन्य जिलों से तथा राज्य के बाहर से चारा लाने के लिए चारा परिवहन अनुदान की दरें निर्धारित की गयी हैं तथा चारा परिवहन अनुदान के लिए राजसमन्द जिले को 8.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है।

श्री शान्तिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में घास के प्रावधान करने की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनके निर्देशन पर जिला अधिकारियों ने घास की व्यवस्था कर दी है। मुझे आज टेलिफोनिक मैसेज मिला है इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं व मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री अर्जुनदास मदान, नेक्स्ट। (व्यवधान) नहीं नहीं, हो गये। प्रश्नकर्ता सन्तुष्ट हैं, फिर आप क्या सप्लीमेंट्री कर रहे हैं। हो गया लेकिन वे सन्तुष्ट हैं, वे खुश हैं, वे धन्यवाद दे रहे हैं और आप सवाल पूछ रहे हैं।

इंडियन मेडिसिन बोर्ड के लिपिक का भ्रष्टाचार प्रकरण

598. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने दिनांक 14.7.1993 या इसके आसपास इण्डियन मेडिसन बोर्ड के बाबू, श्री जगदीश प्रसाद को गंगानगर के एक वैद्य श्री गुरजटसिंह से रुपये 1,500/- की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस व्यक्ति के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा सरकार अब कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) इस व्यक्ति को किस अधिकारी की मेहरबानी से बचाया गया ? इसे बचाने के पीछे क्या कारण थे ?

(श्री अर्जुनदास मदान)

(3) क्या जिस अधिकारी ने इस भ्रष्ट कर्मचारी को बचाया, उस अधिकारी के विरुद्ध भी सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री अचलाराम): (1) जी हाँ। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति बोर्ड को प्राप्त होने पर श्री जगदीश प्रसाद शर्मा को निलम्बित किया गया था। राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उक्त प्रकरण में अन्तिम प्रतिवेदन देने के निर्णय लेने की सूचना प्राप्त होने पर श्री जगदीश प्रसाद शर्मा को बहाल कर दिया गया है। श्री शर्मा के विरूद्ध अब उक्त प्रकरण सम्बन्धी कोई कार्यवारी किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(2) श्री शर्मा को किसी अधिकारी की मेहरबानी से नहीं बचाया गया है। इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही की गयी है वह नियमों के अन्तर्गत ही की गयी है। जिन कारणों से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा श्री जगदीश प्रसाद शर्मा को पकड़ा था उसके यथेष्ट कारण नहीं पाये गये।

(3) श्री शर्मा को किसी अधिकारी ने नहीं बचाया बल्कि जो कार्यवाही की गयी है वह नियमों के अन्तर्गत की गयी है। अतः किसी भी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब मेरा प्रश्न उनके पास पहुंचा होगा निश्चित रूप से उन्होंने इसका अध्ययन किया होगा और यदि आप सन्तुष्ट हैं. मैं तो इतना ही जानना चाहता हूं कि आप सन्तुष्ट हैं ?

श्री अचलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पहुंचने के बाद में यह सारी पत्रावली मैंने पढ़ी है, निश्चित रूप से इस कार्यवाही से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं और प्रशासनिक जांच के लिए आज ही दे दूंगा। प्रशासनिक जांच को देखकर अग्रिम कार्यवाही सख्त से सख्त करनी होगी तो निश्चित रूप से करूंगा।

प्रश्न संख्या-599

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डा. हरिसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)
नेक्स्ट श्री ओम प्रकाश शर्मा।

जनजाति क्षेत्रों में माड़ा योजनान्तर्गत सड़क निर्माण

600. **श्री ओम प्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आदिवासी जनजाति क्षेत्र में माडा योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कराया जाता है ? यदि हां, तो बूंदी तहसील में कौन-कौनसे गांवों में सड़कों का निर्माण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि माडा योजना में एक किलोमीटर सड़क पर केवल एक लाख रुपये खर्च किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या एक लाख रुपये में एक किलोमीटर सड़क बन सकती है या नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि बून्दी तहसील

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

एवं जिले में कई ऐसे गांव हैं, जो जनजाति के होते हुए भी इस योजना में शामिल नहीं किये गये ? यदि हां, तो कौन-कौनसे गांव ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री नन्दलाल मीणा) : (1) जी हां, यह सही है कि आदिवासी जनजाति क्षेत्र में माडा योजना के अन्तर्गत सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराया जाता है। बूंदी तहसील में इन योजनाओं के अन्तर्गत किसी सम्पर्क सड़का का निर्माण पर्याप्त बजट आवंटन उपलब्ध न होने के कारण नहीं कराया जा सका है।

(2) जी हां। यह सही है कि माडा योजना में एक किलोमीटर ग्रेवल रोड हेतु बजट प्रावधान 1.00 लाख रुपये का ही रखा गया था। तकनीकी राय के अनुसार यदि पहले से ही ग्रेवल रोड बनी हुई हो तो रुपये 1.00 लाख में एक किलोमीटर रोड बन सकती है।

(3) जी हां। यह सही है कि बून्दी तहसील एवं जिले में 1981 की जनगणना के अनुसार ऐसे 27 गांव हैं जिनमें जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक होते हुए भी उन्हें माडा योजना में चयन हेतु निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत नहीं आने के कारण सम्मिलित नहीं किया जा सका है। ये गांव बिखरी आबादी कार्यक्रम में लिए गये हैं। ऐसे गावों की सूची तहसील-वार सलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या यह सही है कि माडा के लिए केन्द्र सरकार पैसा देती है ? केवल बूंदी जिले के लिए ही पैसा नहीं है या अन्य जिलों के लिए भी पैसा नहीं है ? बूंदी तहसील में जहाँ अनुसूचित जनजाति के गांव हैं, उनको सड़क से जोड़ने के लिए बजट कब तक आ जावेगा ?

दूसरा प्रश्न है जहाँ पूर्व में ग्रेवल रोड नहीं है वहाँ क्या एक किलोमीटर सड़क का बजट और बढ़ाया जाएगा या एक लाख में ही सड़क का कार्य होगा ?

तीसरा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि 50 प्रतिशत से अधिक आबादी होते हुए भी उन्हें माडा योजना में निर्धारित मानदण्डों में होते हुए भी चयन नहीं किया गया। जैसे साथेली, सेन्दड़ी, चान्दहेली, धनेश्वर- सांवरपुरा, रघुनाथपुरा, कंवरपुरा, पलका, ओलासपुरा आदि इनका चयन कब तक किया जाएगा।

चौथा, अन्तिम प्रश्न है, क्या यह सही है कि वृहद क्षेत्र में माडा में नया हॉस्टल आदिवासी छात्रों के लिए सरकार खोलने जा रही है ?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आदिवासियों के विकास के लिए चार तरह की योजनाएं चल रही हैं। एक वह क्षेत्र है जो आदिवासी उप योजना क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। उसमें 16 जिले राजस्थान के हैं। जहाँ पर माडा योजना के अन्तर्गत कार्य चल रहे हैं। माननीय सदस्य के बूंदी जिले में तीन मिनी ब्लॉक्स हैं और जो गांव माननीय सदस्य ने अभी

(16)

(श्री नन्दलाल मीणा)

अपने प्रश्न में वर्णित किये हैं, वह गाँव, अध्यक्ष महोदय, माडा कलस्टर योजना के अन्तर्गत भी नहीं आते हैं। जो मानदण्ड निर्धारित हैं उनके अनुसार दस हजार तक की आबादी एक समूह के रूप में हो या एक तहसील में हो और उसमें पचास प्रतिशत की आबादी अनुसूचित जनजाति की हो तो वह माडा योजना के अन्तर्गत लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, पाँच हजार तक की आबादी और जिसमें पचास प्रतिशत आदिवासी निवास करते हैं, वह माडा कलस्टर में सम्मिलित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, जिन गाँवों के नाम उन्होंने दर्शाये हैं, वह माडा कलस्टर में भी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सम्मिलित नहीं किये जा सकते। इन गाँवों को बिखरी जनजाति के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इनको नहीं लेने का कारण, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह गांव जो बूंदी तहसील में हैं, संख्या में आठ हैं—भंवरदा, लालपुरा, सांवरपुरा, बरताबावडी गांगोस, रघुनाथपुरा और घुरिया, इनकी कुल आबादी 1981 की जनगणना के अनुसार 3,904 है और जनजाति की आबादी इसमें 3,904 में 2,377 है। अध्यक्ष महोदय, यदि आबादी पांच हजार होती तो माडा स्कीम में इनको सम्मिलित किया जा सकता था। मैं केवल माननीय सदस्य को इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि 1991 की जनसंख्या के आधार पर इस सारे आदिवासी इलाके का हम पुनर्गठन करना चाहते हैं, यदि उसकी आबादी पांच हजार की होगी तो माडा कलस्टर स्कीम के अन्तर्गत इनको सम्मिलित कर लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़क का सवाल है, यह राशि राजस्थान की राज्य योजना के अन्तर्गत इन इलाकों में भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता के अनुसार प्राप्त होती है। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी इलाके में जहां भी आश्रम छात्रावास चलते है, वह मुख्य सड़क से जुड़े हुए नहीं होते हैं, उन आश्रम छात्रावासों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए यदि अकाल राहत के माध्यम से वहां कभी काम चला हो या किसी और राज्य योजना मद से वहां पर मिट्टी का काम किया गया हो, तो एक लाख रुपये से एक किलोमीटर तक का ग्रेवल रोड बन सकता है। वह केवल अप्रोच रोड की दृष्टि से है। बूंदी जिले में, अध्यक्ष महोदय, पूर्व में। 1988-89 में और 1989-90 में लगभग चार किलोमीटर की अप्रोच रोड बनायी है और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हू कि माडा क्षेत्र में 1994-95 के लिए इस तरह की अप्रोच सड़कों के लिए 23.38 लाख का प्रावधान किया है। माननीय सदस्य को इस मामले में खुश होना चाहिए कि यह पहली बार इतना प्रावधान बढ़ा है, निश्चित रूप से उनके इलाके को इसका फायदा होगा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। आपने बताया कि आबादी कम है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा बीस हजार की आबादी है आदिवासी और मीणाओं की। इसलिए यह जवाब गलत है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपके माध्यम से आबादी बढ़ाने का प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानकारी करना चाहूंगा। आपने कहा कि पहले भी सड़क बनायी गयी है। पहले भी आपने माड़ा योजना में सड़क बनायी है चार किलोमीटर, उन सड़कों के बारे में क्या आपके डिपार्टमेंट ने पूरा ध्यान दिया है ? यदि दिया है, तो सतूर में सड़क बनायी गयी है, उस मौहल्ले में सड़क बनाई गयी है जहां दस आदमी भी, जीरो, जीरो, जीरो प्रतिशत आदमी भी शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नहीं रहते हैं। वहां सड़क बनायी गयी है। और यदि बनायी गयी है तो किसने बनायी है, उसकी जांच करेंगे ? दूसरा, एक मैं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, एक ही। एक ही।

श्री रामनारायण : उसमें सड़क का ही है यह।

श्री अध्यक्ष : एक ही सप्लीमेंट्री।

श्री रामनारायण : लीलदा में आपने जो सड़क बनायी है आपने वह सड़क का पैसा दो लाख रुपया तो दे दिया और दो लाख देने के बाद वह अधूरी पड़ी है, किसी काम नहीं आ रही है, सरकार की राशि का दुरुपयोग हो रहा है, क्या, कृपया, आप उस सड़क को पूरी करने की बात करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री नन्दलाल मीणा : जहां तक सड़क का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, यहां मुद्दा सड़क का नहीं है। यह मुद्दा है, आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को सीधे लाभ की योजना मिले। यह सड़क का प्रावधान तो केवल इसलिए किया गया है कि जहां आश्रम छात्रावास है, जहां आदिवासियों के बच्चे रहकर पढ़ते हैं उसे स्कूल तक और मैन सड़क तक अप्रोच रोड बने। इसके हिसाब से प्रावधान है। जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है, 1988-89 में यह योजना चली तब से जो-जो भी स्वीकृतियां जारी की हैं, उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च को, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां सदन में घोषणा भी की है, प्राप्त हो चुके हैं और अगर मान लो किसी प्रकार की गलती है, मुझे तो लगता नहीं है किसी प्रकार की कोई गलती है परन्तु अभी आपके ध्यान में कोई गलती आती हो तो कृपया आप मुझको लिखकर दे दें, उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी।

प्रश्न संख्या 601

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री कालूलाल गुर्जर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री कन्हैयालाल मीणा।

निर्वाचन क्षेत्र बस्सी के देशी व विदेशी मदिरा के ठेके

602. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बस्सी में कितने देशी शराब के ठेके कहां-कहां स्वीकृत हैं ?

(2) उक्त के अलावा क्षेत्र में अवैध ठेके कहां-कहां खुले हुए हैं ?

(3) क्या सरकार इन अवैध शराब के ठेकों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार पंजीकृत शराब की ऐसी दुकानें जो स्कूलों, मंदिरों एवं अनुसूचित जाति की बस्तियों के 50 गज से भी कम दूरी पर हो, उन्हें हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) शराब की दुकानें जो विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के कारण अवैध चल रही हैं, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, आबकारी (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बस्सी में कुल आठ देशी मदिरा की दुकानें स्वीकृत हैं, जो लवाण, बनियाना, कानोता, बस्सी, कोटखावदा, तूंगा, बांसखो तथा माली की कोठी में नियमानुसार स्वीकृत होकर संचालित हैं ।

(2) उपरोक्त स्वीकृत दुकानों के अलावा कोई अवैध शराब की दुकान संचालित नहीं हैं ।

(3) क्षेत्र में कोई दुकान अवैध संचालित नहीं की जा रही है, अतः हटाने का प्रश्न ही नहीं होता है ।

(4) उपरोक्त शराब की दुकानें आबकारी नियमों व शर्तों के अनुरूप होने पर स्वीकृत हैं ।

(5) विभागीय अधिकारियों की अनदेखी से कोई अवैध शराब की दुकान संचालित नहीं की जा रही है । अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

श्री कन्हैया लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है कि आठ दुकानें वहां पर स्वीकृत हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि अगर आठ दुकानों के अलावा दुकानें लगी हुई हों तो वह किस श्रेणी में मानी जाएंगी और इन गांवों में जो मैं सूची दे रहा हूं आपको, यह किस श्रेणी में आती है ?

दूसरा प्रश्न यह करना चाहूंगा, ग्राम बगराना, चुंगी का नाका, हीरावाला, गीला की नांगल, कानड़वास, बूरथल, भटेरी, भटेसरी, फालियावास, सामरिया, काशीपुरा, गरुड़वास, ठीकरिया, गूजरान, ठीकरिया मीणा, कोहल्या, झोपयाकला, महादेवपुरा, खेड़ा रानिवास, रामनगर, हरिनारायणपुरा, रूपाहेड़ी, भटेरी, पाटन, जटवाड़ा, टेटड़ा, बड़वा, पोतली, टोडाभाटा, दूधली झर, राठ, बांसखो फाटक, मितोडी, गढ़ पांडयावाला में, पिलिया (खतेपुरा), देवगांव गुढ़ा चक, रेलवे स्टेशन, बैनाड़ा धाम, भावपुरा, खेड़ी, पालावाला जाटान, खिडररिया, ब्राह्मणान, मनोहरपुरा, बांसखो रेलवे स्टेशन, चैनपुरा, सांवालियावाला, पोलट्री

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

फार्म, पालड़ी मीणा, गोनेर मोड, कच्ची बस्ती, खामियां, इसके अलावा और भी अन्य हैं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो दुकानें बतायी हैं, आठ दुकानों की सूची दी है उसमें भी तीन मेरे विधान सभा क्षेत्र की नहीं हैं वह दौसा की ले लीं, वैसे पांच ही स्वीकृत हैं और बाकी सारी अवैध चल रही हैं सारे गांव में, तो क्या इस बारे में कोई एक्शन लेंगे, माननीय मंत्रीजी ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने आठ दुकानों की सूची दी है यह तो विभाग द्वारा स्वीकृत हैं और माननीय सदस्य ने जो लिस्ट अभी बोली है, चूंकि मैंने विभाग से इस बारे में पूरी जानकारी की थी क्योंकि इस प्रश्न का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि कहीं अवैध शराब की दुकानें तो नहीं चल रही हैं, तो विशेष रूप से यहां के डी. ई. ओ. को भेज कर भी तलाश करवायी गयी हैं....

श्री अध्यक्ष : अब आपके पास नाम आ गये हैं जांच करवा लें।

श्री अनंग कुमार जैन : आपने अभी जो लिस्ट बतायी है वह लिस्ट मैं, माननीय सदस्य, अभी ले लेता हूं और निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : इनको बन्द करवाइये सबको।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : अवैध शराब की दुकानें चल रही हैं....

श्री अनंग कुमार जैन : अवैध शराब की दुकानें चल रही हैं तो....(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा :....50 मीटर की दूरी पर लगी हुई हैं। जैसे बस्सी में लगी हुई है, यह चतुर्भुज मन्दिर के पास लगी हुई है, बिलकुल उसके सटी हुई है। सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल वहीं पर है और रैगरों की बस्ती है वहां। बस्सी में एक जगह स्वीकृत है और वह रैगरों की बस्ती में लगी हुई है। एक बांसखो में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल और कोली मौहल्ले के बिलकुल बीच में लगी हुई है। तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो बड़े कस्बों में लगी हुई हैं इनको तो कम से कम दूर किया जाए, जो स्वीकृत हुई हैं उनको।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल 75 में प्रावधान है, पूजास्थल, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, कालेज—इनके 200 मीटर की दूरी में कोई दुकान स्वीकृत नहीं की जाती है। जो दुकानें विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी हैं वह 200 मीटर की दूरी में एक भी नहीं है जिसकी माननीय सदस्य मुझे लिस्ट दे रहे हैं और माननीय सदस्य ने मुझे बताया है उसकी निश्चित रूप से सक्षम अधिकारी से जांच करवा ली जाएगी और यदि कोई दुकान नियमों के विपरीत 200 मीटर की कम की दूरी में होगी तो उसको निश्चित रूप से हटाया जाएगा। तो यह जो मैंने सूचना आज सदन में दी है अगर कोई मुझे गलत सूचना विभाग द्वारा दी गयी है तो सम्ब-

(28)

(श्री अनग कुमार जैन)

न्धित अधिकारी के खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री किशन मोटवानी।

राजकीय महाविद्यालयों के अस्थायी व्याख्याता

603. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों में किस-किस विषयों के कितने-कितने अस्थायी व्याख्याता वर्तमान में कार्यरत है।

(2) सरकार इन अस्थायी व्याख्याताओं को कब तक स्थायी करने का विचार रखती है?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राजस्थान के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में आवश्यक अस्थायी आधार पर विभिन्न विषयों में कुल 535 व्याख्याता कार्यरत है। विषयवार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) सरकार ने व्याख्याताओं के नियमित चयन हेतु दिनांक 17-7-93 को अर्थनाएं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवा दी हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री किशन मोटवानी : माननीय अध्यक्ष जी, यह तो सदन की भी चिन्ता है और यह व्याख्याता आज सड़क पर हैं। शिक्षा के अनुदान के दिन भी यह इच्छा थी सदन की कि माननीय मंत्रीजी इस पर कुछ बात करेंगे। वह प्रश्न के जवाब में आपने एक रुटीन का जबाव दे दिया। इससे, मैं समझता हूं, सदन सन्तुष्ट नहीं होगा। इसमें प्रक्रिया साफ है। अस्थायी आखिर कितने वर्षों तक चलेंगे ? आपने एक शब्द जरूर जोड़ दिया, आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति दी है। क्या 13 साल, 10 साल, 8 साल भी आवश्यक अस्थायी मुद्दा रहता है ? इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज हम टेम्प्रेरी जिनको 60 दिन भी काम पर लगा देते हैं तो उसको हम अन्यत्र कहीं न कहीं स्थायी पद दे देते हैं। वर्कचार्ज की पोस्ट हमने अभी बन्द कर दी लेकिन वर्कचार्ज को भी हमने अस्थायी नियुक्ति दे दी है। क्या आज इनका इस तरह से अधिकार नहीं बनता है ? यह पहला सवाल है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इतना जरूर हो गया कि 1986 के पश्चात् इनका नियमित चयन लोक सेवा आयोग में नहीं हो सका। परम्परा यह थी कि आवश्यकता के अनुसार जो अस्थायी प्राध्यापक लगाये जाते थे, सत्र के अंत में उनको मुक्त कर दिया जाता था और अगले वर्ष में जिन-जिन की आवश्यकता होती थी उनकी एप्लीकेशन इन्वाइट करके मेरिट बनती थी और मेरिट के आधार पर उनको पुनः अस्थायी लगा दिया जाता था, नयी लिस्ट बना कर मेरिट के आधार पर। किन्तु बीच में अस्थायी प्राध्यापक कोर्ट में चले गये। कोर्ट ने यह आदेश दिया कि या तो आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

द्वारा इनका चयन कराओ वरना इनको निकालो मत और जिस समय राजस्थान लोक सेवा आयोग का चयन करवा लेंगे और जो जो चयनित हो जाएंगे उसके बाद जो चयनित नहीं होते हों उनको निकाल सकते हो। इसलिए प्रश्न के दूसरे क्रमांक में मैंने आपसे बात कही है कि अब हमने निवेदन कर दिया राजस्थान लोक सेवा आयोग से और वह स्क्रूटनिंग कर रहे हैं इनकी। आपने यह बात कही है उसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष की आवश्यकता अनुसार मेरिट सूची बनती थी और जिन-जिन का उपयोग होता था उनको लगा दिया जाता था। अब कोर्ट ने यह बात कही तो हम उस समय तक का इन्तजार कर रहे हैं और जैसे ही लोक सेवा आयोग से सलेक्शन हो जाएगा, ले लेंगे। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : सिर्फ एक सवाल, It will be for the record. He may not commit anything. वेकेशन पीरियड की तनख्वाह आप उनको देते थे कि नहीं देते थे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आठ महीने पूरे जिनके हो जाते थे, नियम से उनको वेकेशन की तनख्वाह पहले देनी होती थी। अब हाई कोर्ट के निर्णय के बाद तो वह लगातार लगे हुए हैं इसलिए वेकेशन की तनख्वाह दी जाती है।

अनेक माननीय सदस्य : हमें भी मौका दें, एक सवाल करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैंने सबको देख लिया है, सबको चांस दे दूंगा। श्री रामस्वरूप।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पिछली बार इस सदन के अन्दर यह मामला उठा था और सदन के अन्दर माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि अस्थायी व्याख्याताओं को स्थायी कर दिया जाएगा। यह पूर्व में इस प्रकार की घोषणा सदन में हुई थी। क्या मंत्री महोदय पूर्व में की हुई घोषणा आज यहां स्वीकार करने को तैयार है कि उनको स्थायी कर दिया जाएगा ? यह मेरा पहला क्वेश्चन है।

दूसरा मेरा...

श्री अध्यक्ष : एक-एक ही पूछें। बहुत लोग पूछने वाले हैं। माननीय शिवकिशोर।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यह बताये कि यदि उसी समय रिक्वीशियन पी. एस. सी. को भेज दिया गया होता, हर साल कोर्ट का बहाना ले करके इस बात को टालना ठीक नहीं है, और उस समय इन लोगों का चयन करा दिया गया होता तो यह इतने समय तक नहीं रहते। इनको योग्यता के आधार पर जैसा आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वह योग्य थे उनकी मेरिट बनती थी और उनको रखा जाता था। आज उनको खुले काम्पीटिशन में आप ला रहे हैं तो क्या उनके साथ अन्याय नहीं है ? सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन लेबर्स के बारे में हुआ, बैंक के बारे में हुआ कि अगर उनकी

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

कन्टीन्यूटी नहीं रही सर्विस में तो भी उनको रखें। इन पढ़े लिखे लोगों के साथ आप यह अन्याय क्यों करना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में किया है, उत्तर प्रदेश में किया है, उन्होंने अध्यादेश से सब को कर दिया है तो आप भी मेहरबानी इन पर करो। और इस सदन में आपने यह आश्वासन भी दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पूछना चाहूंगा कि जब 77 में यह सरकार बनी थी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आर्डिनेंस के जरिये अस्थायी प्राध्यापकों को स्थायी किया था और पिछली बार 1992 में सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि इस प्रकार से सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको स्थायी किया जायेगा। तो क्या सरकार की यह मंशा है कि इनको अध्यादेश के जरिये स्थायी करेगी?

श्री अध्यक्ष : माननीय जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्षजी, अस्थायी व्याख्याताओं की समस्या का एकमुश्त समाधान माननीय मुख्य मंत्रीजी अध्यादेश जारी करके ही करवा सकते हैं। अन्य प्रान्तों में माननीय अध्यक्षजी, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अस्थायी व्याख्याताओं की समस्या का स्थायी निराकरण करने के लिए एक अध्यादेश लायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन दास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि चाहे अपन फैक्ट्री एक्ट, ईण्डस्ट्रियल एक्ट ले लें, उनमें नियम है कि इतने दिनों बाद आप इनको स्थायी कर देंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो 1982 से चल रहे हैं, 1983 से भी चल रहे हैं और आज वे ओवर एज भी हो गये हैं, अगर वे पी. एस. सी. से सलेक्ट भी हो जाएंगे तो उनको नहीं लेंगे? मेरा निवेदन यह था कि यदि चयन किया गया था तब उनकी क्वालीफिकेशन को और इनके मापदण्डों को आधार मान कर किया गया था और आज 8 साल तक पी. एस. सी. नहीं बैठी तो उनका कोई दोष नहीं है जिनका इन्टरव्यू नहीं लिया गया। तो मेरे पाप की सजा आप दूसरे को दें, यह कहां तक न्यायसंगत है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कोर्ट का फैसला सुनाया और उसके अनुसार सरकार ने भी आचरण किया। मेरा यह सवाल है कि आर. पी. एस. सी. से अगर यह सलेक्ट नहीं होते तो क्या सरकार इनको आजीवन अस्थायी ही चलायेगी? निकालना तो है नहीं। तो फिर अस्थायी चलायेगी। तो उनका क्या हल है।

श्री अध्यक्ष : मोटवानी जी, आप क्या पूछ रहे हैं?

श्री किशन मोटवानी : मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं । जब सवाल आ रहा था तो माननीय मंत्री जी बार बार उधर जा रहे थे । मैं सोच रहा था इनकी कोशिश तो है नहीं । मेरी तरफ से इसमें कोई इन्ट्रीग्यूज नहीं है, न इन्ट्रीकेसीज है, न कानून के मुद्दे मैंने उठाये हैं । मैंने साफ मानवीय दृष्टिकोण से बात की है । जैसा बहन जी ने कहा कि अगर वह सलक्ट नहीं होते हैं तो उनको निकाल सकते हैं क्या आप ? इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी जैसा आपने 92 में कहा, वैसा का वैसा दृष्टिकोण आज भी अपनायें ।

श्री अध्यक्ष : बात यह है, यह सवाल बहुत एजीटेट कर रहा है सदस्यों को । देखिये मैंने अनेक लोगों से सवाल इसीलिए पुछवाया है कि जो प्राब्लम मंत्रीजी ने रखी उसमें कोई रास्ता आपमें से सजेस्ट करता कि किस तरह से हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद कौन सा रास्ता निकल सकता है कि जिससे उनकी मदद होती है । मुझे तो किसी ने पूछा नहीं । अब मंत्रीजी सोचेंगे इस बारे में ।

श्री जगदीप धनखड़ : एक अध्यादेश जारी कर दो माननीय मुख्य मंत्रीजी इस पर । अध्यादेश जारी करवाइये ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । मत्रीजी बोलें ।

श्री परसादीलाल मीणा : आर्डिनेंस ले आइये आप । अगर आप इनका भला चाहते हो तो आर्डिनेंस जारी कर दीजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यादेश जारी कर दीजिये ।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को जवाब तो देने दीजिये । मंत्रीजी ।

श्री कालीचरण सराफ : अध्यादेश जारी करायें । पहले भी अध्यादेश के जरिये हुआ है, अब भी अध्यादेश के जरिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब दो ना (व्यवधान) उनका जवाब तो सुनो ।

श्री किशन मोटवानी : छोड़ें उनके विवेक पर । हम आपके विवेक पर ही छोड़ रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बोलिये । आप सुनिये, सुनिये ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, इसमें तो सम्पूर्ण सदन एकमत है कि यह अध्यादेश लागू करके....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : हम नहीं हैं ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आप तो पहले ही कह चुके हैं इस बात को और आप निश्चित रूप से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये, मंत्रीजी । (व्यवधान) सदन की भावनाओं को देखते हुए मंत्रीजी जवाब देंगे । आप बैठिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : उनको तो स्थायी कीजिये ।

श्री अध्यक्ष : करो हिम्मत । हिम्मत करो मंत्रीजी । कर जाओ हिम्मत और क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ उन बातों की ओर चर्चा करना चाहूंगा जो सवाल यहां पर उठाये गये हैं। सवाई माधोपुर से आने वाले, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य और अजमेर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस घोषणा की चर्चा की है, वे शब्द मैंने पढ़े हैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के। उन्होंने यह कहा कि अस्थायी प्राध्यापकों के विषय में जो विचार यहां प्रकट किये गये हैं, हम इन विचारों के सन्दर्भ में अपना निर्णय जल्दी से जल्दी कर देंगे। तीन महीने की बात कही है। यह बात सच है कि स्थायीकरण कर देंगे, ऐसी चर्चा कभी नहीं की गई। मैं ऑन रिकार्ड लाना चाहता हूं इन बातों को। इसी प्रकार जिस अध्यादेश की चर्चा की गई है यहां, गवर्नमेंट के जो राजकीय महाविद्यालय में अस्थायी शिक्षक हैं उनको अगर स्थायी करना होगा तो उसके लिए ऑर्डिनेंस की कोई जरूरत नहीं होती। मैं भी शिक्षक हूं, प्राध्यापक रहा हूं।........

श्रीमती तारा भण्डारी : अब नहीं है ना।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : होली का मौका है, कर दीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : निश्चित रूप से एक शिक्षक के नाते, एक प्राध्यापक के नाते मेरी भी सहानुभूति अस्थायी शिक्षकों से हैं किन्तु जो बाधाएं आयी हैं और इसलिए जैसा आपने ठीक कहा है कि इस प्रश्न को आपने माननीय सदस्यों को

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें दो बाधाएं हैं जो आप बोल नहीं रहे हैं। एक बाधा तो यू. जी. सी. में जो क्वालीफिकेशन अन्तर है, वह है और दूसरी बाधा यह है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह कहा गया कि 1986 के बाद आर. पी. एस. सी. ने सलेक्शन नहीं किया। वरना सम्भव भी नहीं था। यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन ने 1986 में यह घोषणा कर दी थी कि हम अपनी नयी क्वालीफिकेशन एवं प्रेस्क्राइब्ड लागू कर रहे हैं। तो यह जो बाधाएं आ रही हैं, अवरोध आ रहे हैं–यू. जी. सी. को क्वालीफिकेशन बाधा नम्बर एक, हाई कोर्ट का जो स्पेसिफिक निर्णय हो गया बाधा नम्बर दो, इन दोनों चीजों को सामने ध्यान में रखकर एक शिक्षक के नाते मेरी इस दृष्टि से सहानुभूति होने के कारण अगर अच्छा होता कि माननीय सदस्य कोई इस प्रकार की राय, मशविरा देते....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, मैं भी इसीलिए पूछ रहा था कोई राय देते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लीगल दृष्टि से कि जिनको क्रोस-अप करके मैं उनको सहयोग कर सकता। फिर भी मैं लगातार इस नाते से प्रयत्नशील हूं। रुकावटों को दूर करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं, अभी तो इतना ही कह सकता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है। मतलब सदन विश्वास करता है कि आप सिन्सियरली व्यवहार करें (व्यवधान) नैक्स्ट, श्री विष्णु मोदी।

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि मुख्य मंत्रीजी

(श्री कालीचरण सराफ)

अपने अधिकारों का प्रयोग करके यहां घोषणा करें कि अध्यादेश के द्वारा उनको हम करेंगे(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी। श्री रामेश्वर भाटी। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर तो आया, सदस्यों की भावनाओं का उत्तर नहीं आया।

विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु विभिन्न देशी/विदेशी संस्थानों से प्राप्त प्रस्ताव

604. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर), **श्री रामेश्वर लाल भाटी** (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में योगदान करने के लिए कौन-कौनसीदेशी एवं विदेशी कम्पनियों ने अपनी रुचि दिखायी है और किस-किस कम्पनी ने राज्य सरकार के समक्ष विद्युत उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ?

(2) विभिन्न देशी एवं विदेशी कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य सरकार ने क्या-क्या निर्णय लिये हैं ?

(3) किन-किन देशी एवं विदेशी कम्पनियों के प्रस्ताव राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिये हैं और किस आधार पर ? किन किन देशी एवं विदेशी कम्पनियों के प्रस्तावों को राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं किया और किन किन कारणों से ?

(4) राज्य में देशी एवं विदेशी निजी कम्पनियों से विद्युत उत्पादन में सहयोग प्राप्त करने की राज्य सरकार की नीति व योजना क्या है ?

(5) वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष कौन-कौनसी देशी एवं विदेशी कम्पनियों के प्रस्ताव किस स्टेज पर विचाराधीन हैं और कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

(6) क्या यह भी सही है कि विद्युत उत्पादन को बढ़ाने हेतु गैस आधारित उत्पादन तथा लिग्नाइट के भण्डारों का भी उपयोग किया जा सकेगा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रघुवीर सिंह कौशल) : (1) राज्य में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में योगदान करने के लिए निम्नलिखित देशी/विदेशी कम्पनियों ने रुचि दिखाई है तथा उनके सम्मुख अंकित परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं:–

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव
1.	सैन्चुरी टेक्सटाइल एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., बम्बई	500 मेगावाट तापीय विद्युत परियोजना, चित्तौड़गढ़

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

1	2	3
2.	मै. आर. पी. जी. एण्टरप्राइजेज, कलकत्ता	700/750 मेगावाट धौलपुर तापीय पावर स्टेशन
3.	मै हिन्दुस्तान डवलपमेंट कारपोरेशन लि., नई दिल्ली	लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत परियोजना, बीकानेर
4.	मै. कोलमैन एसोसियेट प्रा. लि., आस्ट्रेलिया	240 मेगावाट बरसिंहसर पावर प्रोजेक्ट, बीकानेर
5.	मै.इलेक्ट्रीम, पौलेण्ड	,, ,,

(2) मैसर्स सैन्चुरी टैक्सटाइल एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., बम्बई को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22-4-88 को चित्तौड़गढ़ निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन हेतु लाइसेंस जारी किया गया। इस सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा 500 मेगावाट विद्युत गृह की स्थापना हेतु तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार के तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। धौलपुर में मैसर्स आर. पी. जी. एण्टरप्राइजेज, कलकत्ता को 700/750 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा समझौता (एम. ओ. यू.) दिनांक 17-2-94 को किया गया है। टास्क फोर्स कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कोलमैन एसोसियेट के प्रस्तावों को निरस्त कर दिया गया तथा आर. एस. एम. एम. एल. को नोडल एजेंसी बनाते हुए बरसिंहसर में लिग्नाइट ताप विद्युत गृह स्थापना के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः अन्य प्रस्ताव पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(3) मै. सेन्चुरी टैक्सटाइल एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., बम्बई को चित्तौड़गढ़ में विद्युत गृह स्थापना हेतु लाइसेंस जारी कर दिया गया है। धौलपुर में मैसर्स आर. पी. जी. कलकत्ता को विद्युत गृह की स्थापना के लिए सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु अधिकृत किया गया है। साथ ही राज्य में लिग्नाइट पर आधारित विद्युत गृहों की स्थापना करने हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स कमेटी के निर्णय के अन्तर्गत खुली निविदाएं आमंत्रित करने के आधार पर निविदा प्राप्त होने पर शेष प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(4) राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जावेगा। इस हेतु राज्य सरकार देशी/विदेशी कम्पनियों से उनके चयन हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

(5) राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं करना है क्योंकि इस सम्बन्ध में खुली निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

(6) जी हां। रामगढ़ जिला जैसलमेर में उपलब्ध होने वाली गैस से विद्युत

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

उत्पादन हेतु 3 मेगावाट व 160 मेगावाट की दो विद्युत परियोजना रिपोर्ट बनाई हैं जिनमें से 3 मेगावाट व 160 मेगावाट की प्रथम इकाई यानी 35.5 मेगावाट की स्वीकृति प्राप्त होने से कार्य प्रगति पर है। राज्य में स्थित लिग्नाइट भण्डारों का उपयोग करने के लिए निम्न स्वीकृत परियोजनाएं हैं :—

1. नरसिंहसर लिग्नाइट विद्युत परियोजना 2 योजना=120 मेगावाट

2. पलाना लिग्नाइट विद्युत परियोजना 2×60 मेगावाट

इसके अतिरिक्त बीकानेर जिले में गुढ़ा व बिथनोक, बाड़मेर जिले में जालीपा एवं कपूरड़ी में पाये गये लिग्नाइट भण्डारों पर आधारित विद्युत उत्पादन के लिए परियोजना प्रतिवेदन बनाये जा रहे हैं। इन स्थानों पर नागौर जिले में किशनाऊ इग्यार लिग्नाइट भण्डारों पर निजी क्षेत्र में एकीकृत लिग्नाइट खनन व विद्युत गृह लगाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बहुत महत्वपूर्ण है एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त हो गया, बाद में पूछ लीजिए। बहुत लम्बा प्रश्न है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

(12.00)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

दी जयपुर उद्योग लि. सवाईमाधोपुर

591 **श्री हरिनारायण** (खण्डार) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या दी जयपुर उद्योग लिमिटेड (सीमेन्ट फैक्ट्री) सवाई माधोपुर को आरम्भ करने की योजना है ? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

दी जयपुर उद्योग लिमिटेड (सीमेन्ट फैक्ट्री) को आरम्भ करने हेतु बी. आई. एफ. आर. द्वारा दिनांक 21-4-1992 को स्वीकृत पुनर्चलान पेकेज (योजना) के अन्तर्गत नये प्रवर्तक (मैसर्स गेनन डकरले एण्ड कम्पनी लिमिटेड. बम्बई) द्वारा अपेक्षित योगदान एवं राज्य सरकार से अपेक्षित रियायतें/सुविधाओं के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र की भूमि पर अवैध कब्जे

594. **श्री परसराम मदेरणा** (गुढ़ामालानी) : उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र जिला-जैसलमेर में विशेष एवं साधारण आवंटन सरकार ने बन्द कर दिए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के कुख्यात तस्कर और हिस्ट्रीसीटर

(28)

(श्री परसराम मदेरणा)

एवं अन्य ने पिछले दो महीनों में नहरी क्षेत्र में सैकड़ों मुरब्बों पर अवैध अतिक्रमण किया है ? यदि हां, तो ऐसे अतिक्रमियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र-जिला जैसलमेर में विशेष आवंटन पर राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक प. 3(58) उप/92 दिनांक 27-1-94 द्वारा अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है परन्तु साधारण आवंटन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है । विशेष आवंटन के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की कई शिकायतें प्राप्त होने से आवंटन पर रोक लगाई गई थी ।

(2) जी नहीं । पिछले 2 महीनों में जिला जैसलमेर के उपनिवेशन क्षेत्र में बाड़मेर जिले के किसी कुख्यात तस्कर और हिस्ट्रीशीटर ने अवैध रूप से सैकड़ों मुरब्बों भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है ।

अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण

599. डा. हरीसिंह (फुलेरा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है दि. 16 दिसम्बर 1989 से पूर्व अध्यापकों की कमी के कारण अप्रशिक्षित अध्यापकों की विभिन्न पंचायत समितियों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी गई थी ? यदि हां, तो कुल कितने अध्यापकों को ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त अध्यापकों में से कुछ को प्रशिक्षत दिया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है अथवा दिया जा रहा है ?

(3) उक्त प्रशिक्षण के क्या मानदण्ड तय किये गये ?

(4) क्या यह सही है कि औसियां पंचायत समिति के एक भी अध्यापक को प्रशिक्षण हेतु चयन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार शेष अध्यापकों को प्रशिक्षण दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक एवं नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 16-12-89 से पूर्व प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी के कारण विभिन्न पंचायत समितियों में अप्रशिक्षित अध्यापकों को अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी गई थी । जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसे अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या 4983 थी ।

(2) जी हां, वर्ष 93-94 में 1116 अप्रशिक्षित अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

(3) दिनांक 16-12-89 को पंचायत समितियों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को ही वरीयता अनुसार प्रशिक्षण का खर्च प्रत्याशी को स्वयं वहन करना होगा ।

(4) जी हां । पंचायत समिति, औसिया में दिनांक 16-12-89 से पूर्व ही सभी अप्रशिक्षित अध्यापकों की सेवायें समाप्त कर दी गई थी एवं प्रशिक्षण हेतु चयन केवल उन्हीं प्रत्याशियों का किया था जो दिनांक 16-12-89 को कार्यरत थे ।

(पंचायतीराज राज्यमंत्री)

(5) जी नहीं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार दिनांक 16-12-89 को कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को ही प्रशिक्षण दिया जाना है।

मांडल (भीलवाड़ा) की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां

601. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील में कितनी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां चल रही हैं और कितना-कितना दुग्ध इन समितियों से मिल रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भीलवाड़ा जिले में महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां चल रही है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें। महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के विस्तार हेतु क्या-क्या प्रयास चल रहे हैं ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील में वर्तमान में 34 कार्यशील समितियां है। समितिवार दुग्ध संकलन की सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां, भीलवाड़ा जिले में कार्यशील महिला समितियों की सूचना परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के विस्तार हेतु वर्ष 1994-95 तक कुल 75 महिला समितियां बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम बना लिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मंत्रीमण्डल के सदस्यों द्वारा टेलीफोन यात्रा पर व्यय

894. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या मंत्रिमण्डल सचिवालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) राज्य मंत्री मण्डल की शपथ लेने के पश्चात् मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा 28 फरवरी, 1994 तक टेलीफोन पर कितना व्यय किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा इस दौरान कितना यात्रा भत्ता उठाया गया ?

उत्तर

(1) विवरण संलग्न है। परिशिष्ट (क)

(2) विवरण संलग्न है। परिशिष्ट (ख)

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में लम्बित प्रकरण

895. **श्रीमती तारा भण्डारी**(सिरोही): क्या राज्य अन्वेषण ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि 17-8-1990 को राज्य के महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरो-

(श्रीमती तारा भण्डारी)

धक विभाग के कार्यालय में एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत हुआ था कि श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री सूरजमल निवासी श्यामगढ़ ने सहायक कलक्टर नावां के न्यायालय में राजस्व मुकदमा सं. 97/87 राजकीय सिवाय चक भूमि गत खसरा नं. मिन 4 के 229½ बीघा में 18 बीघा कीमत 5 लाख को एक वर्ष बाद उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर अपने यानी वादी गण के पक्ष में दिनांक 2-12-1988 को निर्णय कराया था ?

(2) क्या यह सही है कि नावां ए. सी. एम. न्यायालय के राजस्व वाद सं 97/8 में 25 बीघा भूमि पर सुनवाई दौरान प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार नावां ने अपने जवाब दिनांक 14-10-1988 में सरकारी रेकार्ड की अनदेखी की जाकर राजकीय रेकार्ड में वादी का कहीं भी खातेदार कृषक नाम नहीं होते हुए भी असप्त जवाब पेश किया गया और वादी हनुमानप्रसाद अग्रवाल को अनुचित लाभ पहुंचाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम जाबदी नगर के मिन 4 के खसरा की 25 बीघा सिवाय चक भूमि का अतिक्रमण करने वालों पर हल्का पटवारी गोविन्दी ने धारा 91 की एल. आर. एक्ट की रिपोर्ट तहसीलदार न्यायालय नावां में 2-12-1987 को प्रस्तुत की गई थी जिस पर राजस्व मु. नं. 8/88 दर्ज होकर फैसला किया गया है ?

(4) पटवारी हल्का ने वादी के पक्ष में बयान दिनांक 7-8-1988 में सिवाय चक भूमिवादी को बताने पर वादी को अनुचित लाभ दिलाने पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो, अब क्या कार्यवाही करने का इरादा है ?

(5) परिवाद की जांच सी. आई. डी., सी. बी. रेन्ज प्रकोष्ठ अजमेर द्वारा दिनांक 20-9-1990 को कर उसका क्या नतीजा दिया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(1) जी नहीं। वास्तव में उक्त वाद सर्व श्री रामूराम जयराम पुत्र धन्नाराम कुम्हार द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसमें श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल का नाम सम्मिलित नहीं था। बाद में तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाबदावे में वादीगण को राजस्व रेकार्ड यथा जमाबन्दी, खसरा गिर्दावरी व खसरा परिवर्तनशील के अनुसार अतिक्रमी होना बताया गया है। इस प्रकार तहसीलदार नावां द्वारा सरकारी रेकार्ड की अनदेखी करके असत्त जवाबदावा पेश कर वादी हनुमान प्रसाद अग्रवाल को अनुचित लाभ पहुंचाने का आक्षेप निराधार है।

(3) ग्राम जाबदी नगर के खसरा नं. 4 की सिवाय चक भूमि पर हल्का पटवारी गोविन्दी द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अनुसार अन्तर्गत अतिक्रमियों के विरुद्ध रिपोर्ट किये जाने पर मुकदमा तहसीलदार नावां द्वारा निर्णित किया गया है।

(4) जी नहीं। वास्तव में तहसीलदार

(राज्य अन्वेषण ब्यूरो मन्त्री)

नावां के समक्ष प्रश्न के भाग सं. 3 में वर्णित अतिक्रमण के सम्बन्ध में कार्रवाई में मौके की स्थिति के अनुसार पटवारी द्वारा बयान दिये गये हैं और सहायक कलक्टर नावां के समक्ष विचाराधीन बाद में नहीं अतः पटवारी के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(5) सी. आई. डी. (सीबी) सैल अजमेर द्वारा इस परिवाद के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई है, अतः विवरण प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

जिला झालावाड़ के रीको औद्योगिक क्षेत्र

896. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र कहां-कहां निर्मित किये गये हैं? उनमें अब तक कितने-कितने प्लाट उद्योग हेतु आवंटित किये गये हैं?

(2) आवंटित प्लाट में से कितने प्लाटों पर उद्योग लग चुके हैं जिन प्लाट्स पर उद्योग नहीं लगे हैं क्या सरकार उनका आवंटन रद्द करने तथा उन्हें दूसरों को आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व यदि नहीं, तो क्यों?

(3) झालावाड़ जिले में रीको में कौन कौन से पद सृजित है? इनमें से कौन-कौन से पद कब से व क्यों रिक्त हैं? रिक्त पदों को भरने की सरकार क्या योजना रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में रीको द्वारा कुल 10 स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र निर्मित किये गये हैं। पूर्ण विवरण की सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) आवंटित भूखण्डों पर उत्पादनरत /निर्माणाधीन उद्योगों का विवरण परिशिष्ट "अ" में ही उपलब्ध है। रीको के नियमानुसार भूखण्डों पर उद्योग स्थापित करने हेतु रीको के भू-निपटान नियम, 1979 के अन्तर्गत उद्यमियों के पक्ष में लीज डीड निष्पादन के पश्चात् निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये एक वर्ष का समय एवं उत्पादन कार्य आरम्भ करने के लिये तीन वर्ष का समय प्रदान किया जाता है। कभी परिस्थितिवश अगर उद्यमी 3 वर्ष में उद्योग नहीं लगा सके एवं रीको से उद्यमी समयावधि बढ़ाने के लिए अनुरोध करें तो ऐसी स्थिति में गुण-दोषों के आधार पर समयावधि भी रीको द्वारा बढ़ाई जाती है। फिर भी यदि उद्यमी द्वारा उद्योग नहीं लगाये जाते हैं तो आवंटन रद्द करके दूसरे उद्यमियों को भूखण्ड आवंटित किये जाते हैं। जो एक निरन्तर प्रक्रिया है। झालावाड़ के औद्योगिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी रीको द्वारा यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

(3) झालावाड़ जिले में रीको के कार्यालय में वर्तमान में निम्नलिखित पद सृजित है :-

(1) सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक —1
(2) सहायक स्थल अभियन्ता —1

(उद्योग मन्त्री)

(3) कनिष्ठ सहायक —1
(4) सहायक कम चौकीदार —1

इन सभी सृजित पदों पर पदस्थापन किया जा चुका है एवं वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम को जारी डाइरेक्टिव्ज आदेश/निदेश

897. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान वित्त निगम को गत तीन वर्षों में कोई डाइरेक्टिव्ज, आदेश अथवा निदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो किस-किस विषय में ? विवरण सदन की मेज रखें।

(2) क्या निगम ने सरकार द्वारा दिए गए डाइरेक्टिव्ज, आदेश एवं निदेशों का पालन किया ? यदि हाँ, तो किस-किस रूप में ? यदि नहीं, तो किस-किस डाइरेक्टिव्ज, आदेश अथवा निदेश का पालन नहीं किया और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार ने निगम द्वारा पालना नहीं किये जाने के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम को दिनांक 5 फरवरी, 1991 को राज्य सरकार द्वारा अनु. जाति/जनजाति के उद्यमियों की इकाइयों के विरुद्ध राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति लेने के निर्देश दिये गये थे। तत्तश्चात् दिनांक 12 मार्च, 92 को राज्य सरकार ने उक्त निर्देशों को वापिस ले लिया एवं निगम को निर्देश दिये कि उपरोक्त प्रकरणों में राज्य सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि ऐसे प्रकरणों में प्रबन्ध निदेशक की अनुमति आवश्यकता है।

(2) जी हां। राजस्थान वित्त निगम द्वारा राज्य सरकार के निर्देश जारी होने के पश्चात एवं निर्देश वापस लिये जाने के मध्य अनुसूचित जाति/जनजाति की इकाइयों के अधिग्रहण के पूर्व राज्य सरकार से अनुमति ली जाती थी। वर्तमान में राज्य सरकार के निर्देशानुसार इन उद्यमियों की इकाईयों के अधिग्रहण की कार्यवाही निगम के प्रबन्ध निदेशक की अनुमति के पश्चात् ही की जाती है।

(3) जी, नहीं।

लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा

898. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा 15

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

फरवरी 1993 के विज्ञापन संख्या 8/परीक्षा/क/92–93 के द्वाराराज्य तथा अधीनस्थ सेवाओं के लिए 333 के रिक्तियों के वास्ते "राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 1993" के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे ? यदि हां, तो कुल कितने आवेदन पत्र यथानियम प्राप्त हुए ?

(2) क्या यह सही है कि विज्ञापन में यह लिखा हुआ था कि राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं/पदों की रिक्तियों की लगभग पन्द्रह गुना आवेदकों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा ? यदि हां, तो यह संख्या कितनी होनी चाहिए थी ?

(3) क्या सम्पन्न प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 10 अक्टूबर, 1993 का परीक्षा परिणाम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 4 फरवरी, 1994 को घोषित किया गया ? घोषित परिणाम कुल कितने रहे और क्या आयोग के नियमानुसार 15 गुना चयन किया गया ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहे ?

(4) क्या यह सही है कि घोषित परिणाम से केवल 4458 के लगभग परीक्षार्थियों को ही मुख्य परीक्षा में लिया गया और इस तरह 537 परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा से वंचित रह गये ? यदि हां, तो इसके कारण क्यों नहीं प्रकाशित कराये और क्या अब कम लिये गये परीक्षार्थीगण मुख्य परीक्षा के लिए वरीयतानुसार योग्य घोषित नहीं किये जाने चाहिए ? यदि ऐसा है तो कब तक इन्हें मुख्य परीक्षा में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 8/परीक्षा/क/92–93 दिनांक 15.2.93 के अन्तर्गत राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के कुल 333 पद विज्ञापित किये गये थे परन्तु कार्मिक (क--4) के पत्र दिनांक 20.5.93 द्वारा पदों की संख्या में कमी कर कुल पद 327 होने की सूचना भिजवाई ।

विज्ञापन के तहत कुल 95753 आवेदन पत्र-प्राप्त हुए ।

(2) यह सही है कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1962 के अनुसार राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं की रिक्तियों की लगभग कुल संख्या के पन्द्रह गुना आवेदकों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जावेगा । मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्य घोषित किये जाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित उनके लिए जनजाति के आवेदकों की संख्या यदि पर्याप्त नहीं होगी तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अर्हक अंकों की अपेक्षा पाँच प्रतिशत अंकों की कमी जा सकती है । तद्नुसार मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए सफल अभ्यर्थियों की संख्या 4465 है ।

(3) आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 10.10.93 को आयोजित की गई थी जिसका परिणाम दिनांक 4.2.94 को

(34)

(कार्मिक मंत्री)

विद्यमान सेवा नियमों के अनुसार घोषित किया गया, जो इस प्रकार है।

"मुख्य परीक्षा में प्रवेश अभ्यर्थियों की संख्या, विभिन्न सेवाओं तथा पदों के लिए वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या की पन्द्रह गुनी होगी; बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी अन्यथा पात्र हों, किन्तु उक्त रेंज के उन सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा जिन्होंने उतने प्रतिशत अंक प्राप्त किये जो जितने आयोग द्वारा किसी निम्नतम रेंज के लिए नियत किये जायें।"

परन्तु यह और कि यदि मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्ह घोषित किये जाने वाले अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो तो आयोग स्वविवेक से सामान्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा 5 (पांच) प्रतिशत तक कम कटऑफ अंक रख सकेगा।

प्रारम्भिक परीक्षा, 1993 में सफल घोषित अभ्यर्थियों की कुल संख्या 4465 है। यह सही है कि यह संख्या रिक्त पदों की संख्या के 15 गुना से कम है लेकिन यह ऊपर वर्णित सेवा नियमों के अनुसार ही है। विद्यमान सेवा नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंकों की अपेक्षा पांच प्रतिशत अंकों की कमी करते हुए सफल घोषित किया गया है।

(4) प्रारम्भिक परीक्षा, 1993 में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संख्या 4465 है, जिसका कारण सहित विस्तृत विवरण बिन्दु संख्या 3 के अनुसार है।

श्री एल. एन. शाह, आई. ए. एस. का प्रकरण

899. **श्री महेन्द्रकुमार मीणा** (सिकराय) **श्री हरिसिंह** (महुआ) : एवं (3) **श्री उदयलाल आजंना** (निम्बाहेड़ा) : क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री एल. एन. शाह, आई. ए. एस. के खिलाफ रोडवेज व झन्झुनूं, कलक्टर के पद पर कार्य करने के दौरान शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच हो रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री शाह को अभी अतिरिक्त खाद्य आयुक्त लगाया गया था पर खाद्य सचिव द्वारा इन्हें अनियमित आचरण के कारण अपने पास लगाने से राज्य सरकार को मना कर दिया था ? यदि हां, तो इनके उक्त भ्रष्ट आचरण को देखते हुए क्या राज्य सरकार इन्हें निलम्बित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 900
(स्थगित)
प्रदेश के वित्तीय स्रोत

901. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वित्तीय स्रोतों को बढ़ाने के लिए गत दस वर्षों में क्या-क्या उपाय किये गये ?

(2) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वित्तीय संसाधन बढ़ाने हेतु क्या-क्या कदम उठाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में वित्तीय स्रोतों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :-

(1) बिक्री कर की दरों में वृद्धि

(2) आबकारी शुल्क आदि में वृद्धि

(3) वाहन करों में वृद्धि

(4) स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क में वृद्धि

(5) मनोरंजन कर में वृद्धि

(6) विद्युत निरीक्षण फीस में वृद्धि

(7) भूमि एवं भवन कर की दरों में वृद्धि

(8) भूमि पर उप कर की वसूली

(9) खनिज रायल्टी में वृद्धि

(10) पीने के पानी की दरों में वृद्धि

[11) भूमि का विक्रय

(12) विद्युत कर में वृद्धि

(13) विद्युत दरों में वृद्धि

(14) बस किरायें में वृद्धि

(15) राज्य कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई राशि को प्रावधायी निधि में जमा करना ।

(16) राज्य बीमा प्रावधायी निधि की कटौती की दरों में वृद्धि

(2) भाग 1 में उल्लिखित उठाये गये कदमों की समय समय पर समीक्षा की जावेगी एवं जिन क्षेत्रों में दरों की वृद्धि की गुजाइश होगी तदानुसार ऐसे क्षेत्रों की दरों में वृद्धि कर अतिरिक्त ससाधन जुटाने के प्रयास किये जायेंगे ।

खाट खानियों, आगरा रोड, जयपुर की चैक-पोस्ट का प्रकरण

902. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही कि राष्ट्रीय सहारा दैनिक ने दिनांक 9-1-1994 को खनिज एवं भू-विज्ञान के प्रति कुछ भ्रष्टाचार के बारे में प्रकाशित किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहती है ?

(2) क्या यह सही है कि खनिज अभियन्ता श्री आर. के. जैन ने ईंट भट्टा मालिकों से 5 लाख रुपये लेकर आगरा रोड, खाट खानियों पर विभाग द्वारा पूर्व में चल रही चैक पोस्ट बन्द कर दी है ?

(श्री फतेह सिंह)

(3) क्या चैक पोस्ट बन्द करने से अवैध खनन को प्रोत्साहित नहीं मिलेगा ? एवं क्या सरकार को मिलने वाली रायल्टी का भी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा ये चैक पोस्ट क्यों बन्द की गई ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय सहारा दैनिक में खान एवं भू-विज्ञान विभाग से सम्बन्धित समाचार दिनांक 9-1-94 को प्रकाशित न होकर दिनांक 10-1-94 को प्रकाशित हुआ है। जांच की जा रही है।

(2) श्री आर. के. जैन, अभियन्ता द्वारा ईंट भट्टा मालिकों से 5 लाख रुपये लेने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। चैक पोस्ट प्रशासनिक दृष्टि से अनुपयोगी होने के कारण बन्द की गई है।

(3) जी नहीं। इससे मिलने वाली रॉयल्टी का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उक्त चैक पोस्ट पर रॉयल्टी वसूली का कार्य नहीं होता था।

रामगंज मण्डी क्षेत्र की खानों का आवंटन

903. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा क्या करेंगे :—

(1) रामगंज मण्डी क्षेत्र में पिछले पांच सालों से कितनी खानें किन-किन को कब-कब व कितने-कितने क्षेत्रफल की आवंटित की गई ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त खानों के आवंटन में कोई अनियमितता हुयी है ? यदि हां तो किन-किन में किस-किस प्रकार की अनियमितता हुई ?

(3) क्या सरकार रामगंज मण्डी क्षेत्र में खानों से निकलने वाले मलवे को डालने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) रामगंज मण्डी क्षेत्र में पिछले "5" वर्षों में "32" खननपट्टे स्वीकृत किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ठ "अ" के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, राज्य सरकार उक्त खनन-पट्टा क्षेत्रों से निकलने वाले मलबे को पट्टेधारियों को खुद की खुदी हुई खानों में डालने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रयत्नशील है। इसके अलावा राज्य सरकार ने मलबा डालने हेतु निम्न "3" स्थान निश्चित कर जिला कलक्टर, कोटा को उक्त क्षेत्र में डम्पिग ग्राऊण्ड घोषित करने के निर्देश दिये हैं, जिस पर कार्यवाही जारी है—

1. ग्राम तेलिया खेड़ी एवं ढ़ब्बादेह के बीच का क्षेत्र जो पूर्व में ए. एस. आई. के पक्ष में धारित रहा।

(खनिज मन्त्री)

2. ग्राम सुकेत एवं डिंगमी के बीच का क्षेत्र जो पूर्व में ए. एस. आई. के पक्ष में धारित रहा ।

3. खसरा नं. 304 में 15 बीघा 5 बिस्वा का क्षेत्र ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें) ।

मैसर्स लक्की मीनीमेट, नीम का थाना को लाइम स्टोन खनन क्षेत्र का आवंटन

904. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स लक्की मीनीनेट, नीम का थाना को प्रधान खनिज नियमावली 1960 के अन्तर्गत 1000 हैक्टेयर का लाइम स्टोन का खनन क्षेत्र सरकार के आदेश क्रमांक-पं. 4/347/खान/ग्रुप-2/82 दिनांक 1-7-1983 के द्वारा स्वीकृत किया गया ?

(2) क्या उक्त खनन क्षेत्र पूर्व में मैसर्स केशोराम सीमेन्ट को सरकार के आदेश 24/24/खान/70 दिनांक 12-8-1970 के द्वारा स्वीकृत किया गया था ?

(3) क्या उक्त क्षेत्र को लक्की मीनीमेट को आवंटित किये जाने से पूर्व राजस्थान राजपत्र में अधिसूचित किया जाना आवश्यक था ? यदि हां, तो इसे कब अधिसूचित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । मैसर्स केशोराम सीमेंट लि. के पक्ष में 2063·27 हैक्टेयर क्षेत्र जिसमें मैसर्स लक्की मिनीमेट, नीम का थाना को स्वीकृत 1000 हैक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है, शासन के आदेश दिनांक 12-8-70 द्वारा स्वीकृत किया गया था ।

(3) मैसर्स केशोराम सीमेन्ट लि. के पक्ष में प्रधान खनिज रियायत नियमावली 1960 के अन्तर्गत स्वीकृत 2063·27 हैक्टेयर क्षेत्र में से 1036 हैक्टेयर क्षेत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1959 के अन्तर्गत सर्वश्री मोदी मिनरल ग्राईंडिंग मिल्स प्रा. लि. के पक्ष में शासन के आदेश क्रमांक प. 24 (8) खान/ग्रुप-4/69 दिनांक 5-6-76 द्वारा स्वीकृत किया गया था । इस स्वीकृति के लिये राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना आवश्यक नहीं थी । उक्त पट्टा क्षेत्र को शासन के आदेश क्रमांक प. 5 (26) खान/ग्रुप-4/75 दिनांक 11-11-76 के द्वारा सर्वश्री लक्की मिनमेन्ट प्रा. लि. के पक्ष में हस्तान्तरण किया गया । तत्पश्चात् शासन के आदेश क्र. प. 4 (347) खान/ग्रुप-2/82 दिनांक 1-7-83 के द्वारा उक्त 1036 हैक्टेयर में से 1000 हैक्टेयर क्षेत्र खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अन्तर्गत मैसर्स लक्की मिनमेट के पक्ष में स्वीकृत किया गया । चूंकि यह क्षेत्र अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1959 के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत-धृत था, अतः इस क्षेत्र को राजस्थान राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की आवश्यकता नहीं थी ।

जिला अजमेर में मार्बल भण्डार

905. **श्री कालूलाल गूर्जर** (मांडल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में मार्बल के नये भण्डार कहां पर पाये गये हैं और उसमें किस क्वालिटी का संगमरमर है ?

(2) उक्त जिले में मार्बल के कितने भंडार होने का अनुमान हैं ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में विभागीय प्रारम्भिक सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण के आधार पर निम्न क्षेत्रों में मार्बल के भण्डार पाये गये ।

(अ) सावर-घटियाली-मोड़ी-वासटा क्षेत्रों तहसील केकड़ी जिला अजमेर । यहां मार्बल मुख्य रूप से भूरा, स्लेटी व गुलाबी रंग का पाया जाता है ।

(ब) ब्यावर तहसील जिला अजमेर सराधना रूपनगर क्षेत्र । यहां का मार्बल घूसर सफेद व गुलाबी रंगत लिये हुए है ।

(स) हटूण्डी मियापुरा क्षेत्र तहसील व जिला अजमेर । इस क्षेत्र में मार्वल मटमैला सफेद रंग का पाया जाता है ।

(4) किशनगढ़ तहसील जिला अजमेर । मार्बल मुख्य रूप से कायमपुरा, गेगल, अरड़का, कुचिल, सलेमाबाद के निकट पाया जाता है । यहां पर मार्बल मटमैला, सफेद, गुलाबी व हल्का सफेद आदि रंगों में उपलब्ध है ।

(2) (अ) सावर, घटियाल, मोडी, बास्टा क्षेत्र में करीब 3.85 मिलियन टन भंडार प्रारम्भिक सर्वेक्षण के आधार पर उपलब्ध होने का अनुमान है ।

(ब) तहसील ब्यावर जिला अजमेर के सराधना रूपनगर क्षेत्र में प्रारम्भिक सर्वेक्षण के आधार पर 3.5 मिलीयन टन मार्बल के भण्डार होने का अनुमान है ।

(स) हटूडी-मियापुर क्षेत्र तहसील व जिला अजमेर में प्रारम्भिक सर्वेक्षण के आधार पर करीब 2.62 मिलियन टन के मार्बल भण्डार होने का अनुमान है ।

(द) किशनगढ़ तहसील जिला अजमेर मार्बल भण्डारों की क्षेत्र में गणना नहीं की गई है ।

वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋण प्रकरण

906. **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा श्री गोड़ प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर को वर्ष 1982 में प्रेस के लिये स्थानान्तरण कर ऋण स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो किस-किस मशीनरी पर ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रेस मालिक ने प्रेस को चालू करने के लिए पूंजी का विनियोजन किया तथा ऋण चुकाने की सहमति दी ?

(3) क्या यह सही है कि ऋणी राकेश प्रिन्टर्स, गंगापोल, जयपुर का शेष पूरा

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

ऋण मय दण्डनीय ब्याज के श्री गौड़ प्रिंटिंग प्रेस से वसूली के लिए कार्यवाही की और प्रेस को ताला लगाया गया ? यदि हां, तो कितनी बार और कितनी-कितनी राशि के लिये ? बकाया में ऋणी ने कितनी-कितनी राशि कब-कब जमा करायी ?

(4) वर्तमान में कितनी राशि उक्त प्रेस के विरुद्ध बकाया है, मूलधन व ब्याज मय दण्डनीय ब्याज के राशि पृथक्-पृथक अंकित करें ?

(5) मूलधन से कई गुना अधिक ब्याज मय दण्डनीय ब्याज को क्या राज्य सरकार/निगम माफ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी राशि ?

(6) निगम द्वारा बार-बार तालाबन्दी से ऋणी को हुए आर्थिक नुकसान व कठिनाईयों की क्षतिपूर्ति किस प्रकार से की जावेगी ? क्या राज्य सरकार बकाया ऋण को सुविधाजनक किश्तों में वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कितनी ऋण राशि कितनी किश्तों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान वित्त निगम द्वारा मैसर्स राकेश प्रिन्टर्स एवं श्री गौड़ प्रिन्टर्स की आपसी सहमति के आधार पर मशीनों का स्थानान्तरण मैसर्स गौड़ प्रिंटर्स, जयपुर को दिनांक 21-6-84 को किया गया। मशीनों की सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। गौड़ प्रिन्टर्स को मैसर्स राकेश प्रिन्टर्स की मशीनों का स्थानान्तरण (मैसर्स राकेश प्रिन्टर्स एवं मैसर्स गौड़ प्रिटर्न्स) आपसी सहमति के आधार पर किया गया एवं नये अनुबन्ध के अनुसार मैसर्स राकेश प्रिन्टर्स की बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान मैसर्स गौड़ प्रिन्टर्स द्वारा वित्त निगम को किया गया एव बकाया राशि का भुगतान करना भी स्वीकार किया।

(3) जी नहीं। मैसर्स गौड़ प्रिन्टर्स द्वारा निगम को समय पर भुगतान न किये जाने पर वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये, इसके उपरान्त भी ऋणी द्वारा भुगतान नहीं किया गया। अन्त में निगम द्वारा राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत दिनांक 15-10-88 एवं 18-2-91 को नोटिस जारी किया गया कि अगर नोटिस में अंकित तारीख तक भुगतान नहीं किया गया तो निगम द्वारा इकाई की परिसम्पत्तियों का धारा-29 के अन्तर्गत अधिग्रहण कर लिया जावेगा। निगम द्वारा नोटिस समय के बाद इकाई की परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण में लेने का निर्णय लिया गया, परन्तु निगम के अधिकारियों द्वारा अधिग्रहण लिये जाने के समय मशीनें खुले स्थान पर थी। अतः अधिग्रहण नहीं किया जा सका। निगम के अधिकारियों द्वारा पुनः तत्स्थानीय निरीक्षण किया गया तथा मशीनें गायब पायी गई, इस मैसर्स गौड़ प्रिन्टर्स के मालिक एवं जमानतदार रजिस्टर्ड पत्र दिनांक, 22-12-93 द्वारा सूचित किया गया कि निगम को मशीनों का निरीक्षण कराया जावे। दिनांक 27-1-94 को निगम के अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण किये जाने पर मशीनें गायब पायी गई। निगम के अधिकारियों द्वारा

(उद्योग मंत्री)

प्रवर्तक से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया। प्रवर्तक का बाहर जाना बताया गया, प्रवर्तक अभी तक निगम के कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए।

(4) वर्तमान में इकाई के मालिक श्री मुकुट बिहारी द्वारा मशीनें कहीं अन्यत्र स्थानान्तरण कर दी गई है एवं इस प्रकरण में अभी भी मशीनें उपलब्ध नहीं होने के कारण निगम द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं की गई। इस संदर्भ में निगम अग्रिम कार्यवाही कर रहा है। इकाई के स्थानान्तरण के पश्चात् उद्यमी ने दिनांक 5.9.86 को 3000/- रु. एवं 22.4.88 को 1000/- रू. जमा करवाये हैं।

(5) वर्तमान में उक्त प्रेस के विरूद्ध निगम की बकाया निम्न प्रकार है :—

मूलधन	28,022.00
ब्याज, मय दण्डनीय ब्याज	1,11,341.00
अन्य राशि	433.12
कुल बकाया	1,39,796.12

निगम द्वारा किसी भी स्थिति में मूलधन की माफी नहीं की जाती है। ब्याज और दण्डनीय ब्याज में छूट/माफी निगम अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत समय-समय पर देता है। वर्तमान में निगम ने 31-3-94 तक के लिए 50,000/- रू. तक के ऋणों के लिए एक योजना घोषित कर रखी है जिसके अन्तर्गत अगर ऋणी समस्त बकाया मूलधन का भुगतान करता है तो उससे केवल मात्र साधारण ब्याज दर वसूल की जाती है।

(6) निगम अपनी बकाया राशि की वसूली निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करता है। तालाबंदी निगम द्वारा अन्तिम अस्त्र के रूप में की जाती है। जबकि ऋणी द्वारा निगम की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। उपरोक्त प्रकरण में उद्यमी के असहयोग एवं अवैधानिक कार्यवाही करने के फलस्वरूप निगम तालाबंदी करने में असमर्थ रहा। ऋणी द्वारा निगम की घोषित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्ताव रखने के पश्चात् उस पर ऋण की किश्तों के निर्धारण पर विचार किया जा सकता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

कोटा खुला विश्वविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति

907. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा खुला विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र भारत सरकार की ओर से देय छात्रवृत्ति के पात्र हैं? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी की छात्रवृत्तियां दी जा रही है तथा किस श्रेणी की छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है?

(2) क्या शारीरिक रूप से विकलांग छात्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्र भी छात्रवृत्ति के पात्र हैं?

(श्री रामनारायण)

यदि हां, तो क्या इस वर्ष इस श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करके वितरित की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा छात्रवृत्ति के मामलों में शिकायतें की जाती रही है ? यदि हां, तो शिकायतों बाबत की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हाँ। कोटा खुला विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति नियम 1989 के उप-नियम 9 के अनुसार नॉन रिफण्डेबल फीस के रूप में छात्रवृत्ति देने का प्रावधान हैं। इन नियमों के अन्तर्गत मासिक छात्रवृत्ति देय नहीं है।

(2) जी हाँ। शारिरिक रूप से विकलांग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र भी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति नियम 1989 के उप नियम 9 के अनुसार नॉन रिफण्डेबल फीस के रूप में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र है। चालू वित्तीय वर्ष 1993-94 में अनुसूचित जाति के 31 तथा अनुसूचित जनजाति के 49 कुल 80 छात्रों को 23,425-00 रू. की राशि वितरित की जा चुकी है। कोटा खुला विश्वविद्यालय में 7 विकलाँग छात्र पंजीकृत है, समाज कल्याण विभाग से धन राशि प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति वितरित कर दी जायेगी।

(3) विभाग को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

विधान सभा क्षेत्र वैर की सड़कों का निर्माण

908. **श्री रेवती प्रसाद कोली (वैर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वैर से हलैना के लिये डामर शुदा सड़क पूरी हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी हुए हैं ? यदि हाँ, तो अब तक क्रियान्विति क्यों नहीं की गई ?

(2) क्या वैर से झील की सड़क डामर शुदा पूरी हो गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या छोकरवाड़ा से वाया वीजवारी, नैवाड़ा, पथैना के लिए डामर शुदा सड़क पूरी हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में क्या आदेशों की पालना की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) छोकरवाड़ा से बयाना को सड़क क्या डबलरोड की हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या इस सम्बन्धी आदेश हुए हैं ? यदि हाँ, तो कब और उनकी पालना क्यों नहीं की गई ?

(5) क्या वैर से बल्लभगढ़ वाया रायपुर, सीता, हाथौड़ी की सड़क पूरी हो गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ? यदि कुछ अंश हुआ है तो वह पूरी क्यों नहीं हुई ?

(6) क्या वैर से हन्तरा वाया बरसोनी की सड़क पूरी हो चुकी है, यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार इसको पूरा कराने का कब तक विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हाँ। वैर से हलैना डामर सड़क का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। परन्तु सड़क के बीच में आ रही बाण गंगा नदी पर पुल निर्माण वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण सम्भव नहीं हो पाया है।

(2) जी नहीं। इस सड़क निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। छोकरवाड़ा से वाया बिजवारी नैवारा पथैना डामर सड़क बनाने की कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है। किन्तु पथैना से नेवाड़ा सड़क का निर्माण विश्व बैंक परियोजना के तहत तृतीय चरण में प्रस्तावित है।

(4) जी नहीं। यह कार्य किसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है किन्तु सरकार के अन्य साधनों के अनुसार समय-समय पर धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। स्वीकृत लम्बाई में कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

(5) जी नहीं। संवेदक की धीमी गति के कारण कार्य में विलम्ब हुआ। अब कार्य प्रगति पर है तथा शेष 2 किमी. लम्बाई में डामर का कार्य मई, 94 तक पूरा होना सम्भावित है।

(6) जी नहीं। सड़क निर्माण कार्य शेष एक कि.मी. लम्बाई में प्रगति पर है जो जून, 94 तक पूरा करा लिया जावेगा। परन्तु सड़क के बीच में आ रही बाणगंगा नदी पर पुल निर्माण वित्तीय संसाधनों के अभाव में प्रस्तावित नहीं है।

पीपल्दा से मिथपुरा रोड़ [बामनवास] सड़क निर्माण

909. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बामनवास विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पीपल्दा से मिथपुरा रोड़ पर पीपल्दा से पुरा तक 5 कि.मी. का मिट्टी एवं रोड़ी के कार्य पर कितनी-कितनी राशि कब-कब खर्च की गई है ?

(2) क्या सरकार पीपल्दा से मिथपुरा रोड़ का कार्य चालू कर पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बामनवास विधान सभा क्षेत्र तहसील में पीपल्दा से मित्रपुरा रोड़ पर पीपल्दा से पुरा तक 5 किमी. में मिट्टी एवं रोड़ी के कार्य पर राशि निम्न प्रकार व्यय की गई है :–

क्र.सं.	योजना का नाम	व्यय वर्ष	व्यय राशि
1.	आर.एल.ई.जी.पी.	1988	1.95 लाख
2.	" "	1989	0·43 लाख
3.	जवाहर रोजगार योजना	1991	0.72 लाख

(2) वर्तमान में पीपल्दा से मित्रपुरा रोड़ का निर्माण निर्धारित प्राथमिकताओं में न आने के कारण प्रस्तावित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की सड़कों का निर्माण

910. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सड़कों से कम दूरी पर स्थित छोटे गाँवों को सरकार डामर की सड़कों से जोड़ने का इरादा रखती है ?

(2) यदि हाँ, तो बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में (1) बिजासनी से बिलाड़ा, (2) खारिया, मीठापुर से बीजवाड़िया (3) बिरावास से रामपुरिया (4) बोरून्दा से पटेलनगर वाया माखरों की ढाणी (5) लवारी से मादलिया (6) कलाऊना से रामपुरिया (7) सरगिया खुर्द (मोलाया) से सरगिया कलां (8) मिरासिया से खांगटा (9) बासनी (खारिया) से खांगटा (10) बाडा कलां से रियां (11) पातलियावास (बिलाड़ा) से जैतिवास (12) मावी से मालकोसनी (13) मुरकासनी जाटियों की ढाणी (14) खसीगाँव से डीगलों की ढाणी वाया परिहारों की ढाणी, फड़ाकों की ढाणी, वडियारों की ढाणी, सोभराण्डों की ढाणी, (15) हरिमाड़ा से चौपड़ा (पाली सीमा तक) (16) खारिया मिठापुर से बेड पाली सीमा तक) वाया गूजरों की ढाणी (17) भागासनी से भाक (18) सम्माड़िया से मुरकासनी (19) कागल से डूडियों की ढाणी (20) भूण्डाणा से सेवरों की ढाणी (21) खांगटा से जोधों की ढाणी (22) खारिया खंगार से डूड़ियों की ढाणी आदि कम दूरी के गांव एवं ढाणियों को सड़कों से जोड़ने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कब तक निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । जिन गांवों की जनसंख्या 1000 (1971) से ज्यादा है आठवीं पंच-वर्षीय योजना में डामर सड़कों से जोड़ना प्रस्तावित है ।

(2) प्रश्न में वर्णित सभी गांवों की जनसंख्या 1000 (1971) से कम होने के कारण योजना की प्राथमिकता में नहीं आते हैं । तथा वर्तमान में इनको डामर सड़क से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जिला नागौर में सड़कों का निर्माण

911 **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना), **श्री चैनाराम** (डीडवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में दिसम्बर, 1993 तक निर्मित विभिन्न प्रकार की सड़कों की कुल लम्बाई कितनी है ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सड़कों की मरम्मत हेतु नागौर जिले में केवल 10,000 रू. की राशि प्रति किलो मीटर की दर से स्वीकृत की जाती है, जबकि अन्य जिलों में यह राशि 25,000/- रू. से 30,000/– रू. प्रति किलो मीटर की दर से स्वीकृत की जाती है ? यदि हां, तो स्वीकृति में ऐसा अन्तर क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि सड़क मरम्मत कार्यों में नागौर जिले में कम राशि

(श्री रिछपाल सिंह)

आवंटित किये जाने से जिले की सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार का सड़कों के मरम्मत कार्य में स्वीकृत की गई राशि में बढ़ोतरी करने का विचार हैं ?

उत्तर

(1) नागौर जिले के माह दिसम्बर, 93 तक निर्मित सड़कों की कुल लम्बाई 4021.5 कि.मी. है जिनका तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम तहसील	सा. नि. वि की मरम्मत की सड़कों का प्रकार एव लम्बाई (किमी. में)			
		डामर	मेटल	ग्रेवल	योग
1.	नागौर	537.5	83	122.5	743.0
2.	जायल	147	29	73	249
3.	मेड़ता	360	73	91	524.0
4.	डेगाना	276.5	23	119	418.5
5.	डीडवाना	271	29	246	546
6.	लाडनूं	147	8	367	522
7.	नावां	168	28	205	401
8.	परबतसर	273	13	332	618
		2180	286	1555.5	4021.5

(2) जी नहीं। सड़कों के संधारण हेतु प्रति कि.मी. के हिसाब से राशि आवंटन नहीं की जाती है। इसके लिये निर्धारित मापदण्डानुसार राशि का आवंटन किया जाता है।

(3) जी नहीं। नागौर जिले में वर्ष 93–94 में सड़कों के रख-रखाव के लिए कुल 399.5 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है जो अन्य जिलों के अनुसार डामर की सड़क की लम्बाई के अनुपात में है।

केलामेला से घण्टाली (घाटोल) सड़क निर्माण

912. **श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र घाटोल में केलामेला से घण्टाली रोड़ की सड़क को सरकार कब तक पक्का बनवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र घाटोल में केलामेला से घण्टाली रोड़ योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं में नहीं आने के कारण पक्की बनवाना विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 913

(माननीय अध्यक्ष द्वारा अग्राह्य)

ग्राम गोढ़ का बास (जयपुर) की सिवायचक भूमि

914. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने सिवायचक भूमि के आवंटन/नियमन करने के अधिकार अलाटमेंट कमेटी से हटाकर तहसीलदार/सहायक आफिस कानूनगो को दिये हैं ? यदि नहीं, तो ग्राम गोढ़ का बास तहसील चाकसू के खसरा नं. 263/1 रकबा 21 बीघा 17 बिस्वा में से 8 बीघा का आवंटन/नियमन 30-12-1988 को दोनों ने मिलकर कैसे कर दिया ?

(2) यदि अलाटमेंट कमेटी अथवा उसके चेयरमैन द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया गया है तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि आदेश नहीं हुआ है तो आवंटन/नियमन कैसे किया गया ?

(3) क्या इस संबंध में कोई जांच विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, यह सही नहीं है कि राज्य सरकार ने सिवायचक भूमि आवंटन/नियमन का अधिकार तहसीलदार/आफिस कानूनगो को दिया गया हैं।

ग्राम गोढ़ का बास की राजकीय भूमि ख. नं. 263/1 में से 8 बीघा भूमि का आवंटन दि. 30-12-88 को नहीं किया गया। अपितु राजस्व अभियान के दौरान प्रभारी अधिकारी, सहायक कलक्टर, चाकसू द्वारा नायब तहसीलदार, कोटखावदा व तहसीलदार, चाकसू की सिफारिश पर एकीकरण से पूर्व की खातेदारी के आधार पर ख. नं. 63/1 में 8 बीघा भूमि के लिये दि. 29-12-88 को इन्द्राज दुरुस्ती का निर्णय पारित किया गया था।

(2) जी नहीं। अलाटमेंट कमेटी द्वारा किसी प्रकार के आवंटन/नियमन के आदेश पारित नहीं किये गये। राजस्व शिविर प्रभारी की अधिकारिकता के रूप में आदेश-पारित किये गये हैं। प्रश्न के भाग 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई हैं।

(3) जी नहीं, उपरोक्तानुसार इंद्राज दुरुस्ती के निर्णय पारित किये जाने बाबत कोई जांच विचाराधीन नहीं हैं।

ग्राम चकचेनपुरा व सूरवाल के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि का आवंटन

915. **श्री हरिनारायण** (खण्डार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला व तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम चकचेनपुरा ग्राम सूरवाल को अत्याचार से ग्रसित अनुसूचित जाति के बैरवा जाति के व्यक्तियों ने आकर बसाया और जिन्हें सन् 1944 में तत्कालीन जयपुर राज्य ने चार आना प्रति बीघा लगान की दर से सरकारी पड़त भूमि कृषि हेतु दे दी थी, जिसे वे तभी से निरंतर काश्त करते आ रहे हैं ? यदि हां तो उनमें अभी तक कितने व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार दिये गये है तथा कितने व्यक्तियों

(श्री हरिनारायण)

को खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है ?

(2) जिन व्यक्तियों का 50 वर्ष से इस भूमि पर निरंतर कब्जा काश्त है उनमें से कितने व्यक्ति शास्ती संदाय कर रहे हैं ? क्या उन्हें अभी तक खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि जिला व तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम चकचेनपुरा ग्राम सूरवाल को अनुसूचित जाति बैरवा जाति के व्यक्तियों ने आकर बसाया। यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि 1944 में किन्हीं व्यक्तियों को चार आना बीघा की लगान की दर से सरकारी भूमि कृषि हेतु दी गई। अभिलेख से यह जाहिर होता है कि संवत् 2009 अर्थात् सन् 1953 के भू-प्रबन्ध की मिसल बन्दोबस्त के अनुसार ग्राम चकचेनपुरा में 8 खातेदार दर्ज हैं जिसमें से 6 गूजर और 2 माली जाति के है, गैर खातेदार कोई नहीं था। संवत् 2012 अर्थात् सन् 1956 की जमाबन्दी में इन 8 खातेदारों के अलावा 43 बैरवा जाति के गैर खातेदार दर्ज हैं इन सभी को खातेदारी अधिकार पूर्व में ही दिये जा चुके हैं।

(2) रिकार्ड के अनुसार गत 50 वर्षों से किसी भी व्यक्ति का निरन्तर रूप से कब्जा काश्त नहीं हैं।

ग्राम मावल (सिरोही) का भूमि स्वामित्व प्रकरण

916. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम मावल तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही के पटवार हल्का की भूमि खसरा नम्बर 625 का मालिक कौन है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त खसरा नम्बर 625 भूमि किसी असम्बद्ध व्यक्ति ने प्रार्थना-पत्र देकर वाणिज्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवा ली है ?

(3) क्या उक्त भूमि को रूपान्तरित करने के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो आवेदक के हस्ताक्षर किसने प्रमाणित किये तथा क्या प्रमाणितकर्ता आवेदक को पहचानता था ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूमि के रूपान्तरण के पट्टा विलेख में बिना किसी सबूत जानकारी के असम्बद्ध व्यक्ति को फर्म का निदेशक बना कर पट्टा दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या रूपान्तरण निरस्त किया गया एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) ग्राम मावल तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही में स्थित खसरा नं. 625 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा किस्म बा. सो. मै. चन्द्रा रिजोर्टस प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर भैरोंसिह पुत्र रामचन्द्र कौम गूजर साकिन मारवाड़ जं. सुनील पुत्र आर. के.

(राजस्व मंत्री)

धींगडा, गौतम पुत्र डी. आर. तनेजा साकिन रीको एरिया, आबूरोड़ दर्ज है ।

(2) रेकार्ड के अनुसार खसरा नं. 625 को स्थानान्तरित करने हेतु श्री बी. एस. गूजर का प्रार्थना पत्र रेकार्ड पर है। रूपान्तरण आदेश 10.9.90 से मै. चन्द्रा रिजोटर्स प्रा. लि. डायरेक्टर श्री विक्रमसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह, निवासी आबूरोड़ के नाम रूपान्तरित हुई हैं ।

(3) जी हां, आवेदन पत्र में प्रार्थी के हस्ताक्षर के कालम में बी. एम. गूजर के हस्ताक्षर है जो किसी के द्वारा प्रमाणित नहीं है इसके साथ संलग्न समर्पण पत्र में में भी बी. एस गुर्जर के हस्ताक्षर हैं जिन्हें तहसीलदार आबूरोड़ ने प्रमाणित किया है । यह जांच का विषय है कि हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला बी एस. गूजर को जानता था या नहीं ?

(4) यह सही है कि राजस्व रेकार्ड में मै. चन्द्रा रिजोर्टस् प्रा. लि. की खातेदारी के इन्द्राज में जरिये जिस डायरेक्टरों के नाम दिये हुये है उसमें प्रार्थी विक्रमसिंह का नाम नहीं है । रूपान्तरण आदेश निरस्त नहीं किया गया है । जिला कलक्टर सिरोही की इस प्रकरण से संबंधित पत्रावली सं. 12[3]/22/रेवे/88/ मै. चन्द्रा रिजोटर्स प्रा. लि. अपर पुलिस अधीक्षक, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, विशिष्ठ अनुसंधान इकाई, जयपुर को उनके चाहने पर प्राथमिक जांच संख्या 34/93 विरुद्ध श्री जी. एस. नरवानी तत्कालीन जिला कलक्टर, सिरोही के सिलसिले में प्राथमिक जांच हेतु भेजी गई जहां इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गई तथा अनुसंधान जारी है ।

ग्राम नेतड़ो की ढाणी (नागौर) को राजस्व गांव बनाना

917. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नेतड़ी की ढाणी पंचायत ललासरी तहसील डीडवाना, जिला नागौर के निवासियों ने तहसीलदार, डीडवाना को एक प्रार्थना पत्र उक्त ग्राम को राजस्व गांव घोषित करने का प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि 250 की आबादी वाले क्षेत्र को अलग राजस्व गांव घोषित किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या इस गांव की आबादी 250 से अधिक है ? यदि हां, तो इस गांव को कब तक राजस्व गांव घोषित किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि ग्राम नेतडो की ढाणी पंचायत ललासरी तहसील डीडवाना, जिला नागौर के निवासियों ने दिनांक 11-2-94 को तहसीलदार, डीडवाना को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नेतडो की ढाणी को राजस्व गांव घोषित करने हेतु अनुरोध किया था । उक्त आवेदन पत्र पर हल्का पटवारी से जांच कराई जाने पर इस ढाणी की आबादी 250 से कम पाई गई, इस कारण इस ढाणी को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करना उचित नहीं पाया गया ।

(2) जिन ढाणियों की आबादी 250 या इससे अधिक होती है उन ढाणियों को

(राजस्व मंत्री)

नये राजस्व गांव घोषित करने की राज्य सरकार की नीति है। नेतडो की ढाणी की आबादी 250 से कम होने के कारण इसे नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया जाना सम्भव नहीं है ।

मण्डोल व पच्याणपुरा बांधों की डूब में आई भूमि के प्रकरण

918. **श्री बद्री प्रसाद गुरुजी** (माण्डलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या माण्डलगढ़ तहसील की सलावटीया तिलस्वा, मकरेडी, गोपालपुरा छोटी बिजोलिया पंचायतों में विगत तीन वर्षों में ऊपरमाल क्षेत्र के मण्डोल व पच्याण पुरा बांधों में आई डूब की जमीन के बदले अन्य क्षेत्रों में जमीन आवंटित की गई है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को, कहां-कहां कितने बीघा भूमि दी गई और वे वर्तमान में चल रही खनन सीमाओं से कितनी दूर हैं ?

(2) क्या उपरोक्त पंचायतों के क्षेत्राधिकार में आने वाली चारागृह भूमि को बिलानाम किया गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां कितने बीघा ?

(3) क्या चारागाह से बिलानाम होने के बाद उस जमीन से खनन पट्टे आवंटित हुए हैं ? यदि हां, तो किनको व कहां ? यदि अन्य के नाम दर्ज हुई है तो कहां-कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या विगत तीन वर्षों में उक्त पंचायत क्षेत्रों में भूमि के विक्रय व क्रय के प्रकरण पंजीकृत हुए हैं यदि हां तो किन-किन व्यक्तियों के व कहां-कहां कितनी राशि के ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या उपरोक्त पंचायतों में न्यायालय में वाद चलते रहने के बावजूद भी नामांतरण खोले गये ? यदि हां, तो किन किन में कहां-कहां ?

उत्तर

(1) तहसील माण्डलगढ़ में विगत तीन वर्षों में केवल पंचानपुरा बांध के प्रभावित काश्तकारों को भूमि के बदले भूमि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1991 में निम्न काश्तकारों को भूमि दी गई हैं ।

क्र. सं.	नाम काश्तकार	ग्राम	ख्रा. नं.	रकबा	खनन से दूरी
1.	रूपचन्द/दल्ला धाकड़ लक्ष्मीनिवास	केरखेड़ा	644 मी.	4.13	9 जरीब
2.	कजोड़/घीसा धाकड़ ,,	,,	,,	3.09	6 जरीब
3.	घीसा, दौलतराम/बालू धाकड़	,,	208	10.07	20 जरीब
4.	कन्हैयालाल/मोडा एवं देवीलाल	,,	3	6.06	8 जरीब
5.	जीतमल/मोडा धाकड़	,,	1	14.05	15 जरीब

(राजस्व मंत्री)

1	2	3	4	5	6
6.	मोती/देवीचन्द्र धाकड़	केरखेड़ा	637 मी 644	22.00 1.17	20 जरीब
7.	बरदा (मृतक) वारा, नारायण	,,	644	2.10	12 जरीब
8.	पन्ना, कन्हैयालाल/बरदा धाकड़ लक्ष्मी निवास				
9.	मु. मांगी बेवा घीसा धाकड़ नया नगर	,,	662	3.00	200 फीट
10.	प्रभू/पन्ना धाकड़ चांदजी की खेड़ी	,,	483/1	3.01	,,

(2) तहसील मांडलगढ़ के पंचायत सबावटिया के ग्राम सुखपुरा स्थित आराजी नम्बर 230 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा भूमि चरागाह से बिलानाम में वर्ष 1993 में दर्ज की गई हैं।

(3) खनन विभाग बिजौलिया से प्राप्त सूचना से चरागाह भूमि बिलाना होने पर खदान क्षेत्र सुखपुरा "डी" में 2 व्यक्तियों को गेप–फेट की नीति (पोलिसी) के तहत स्वीकृत क्षेत्र के आगे की गेप स्वीकृत की (1) बरदा पिता लादू निवासी जालरीया (मीणा) (2) श्रीमती घीसीबाई पत्नी भंवरलाल जैन, निवासी बिजौलिया।

(4) हां विगत तीन वर्षों में उक्त पंचायत क्षेत्र के भूमि के क्रय विक्रय हेतु दस्तावेज उप पंजीयक, बिजौलिया (अतिरिक्त तहसीलदार बिजौलिया) के यहां पंजीबद्ध हुए हैं। जिनकी वर्ष 1991–1992 एवं 1993 की सूची संलग्न हैं।

(5) उक्त पंचायतों में ऐसा कोई नामान्तरकरण अतिरिक्त तहसीलदार, बिजौलिया द्वारा पारित नहीं किया जिससे संबंधित वाद किसी न्यायालय में चल रहा हो।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय पद को निजी सहायक व निजी सहायक पद को निजी सचिव में क्रमोन्नति

919. **श्री एमादुद्दीन अहमद खां** (तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शासन उप सचिव, राजस्व ग्रुप-2 विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प. 7(12) राज 2/91 जयपुर, दिनांक 11-11-1991 के द्वारा आशुलिपिक ग्रेड-II के पद को निजी सहायक में निजी सहायक के पद को क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग के पदों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा कितने पदों को क्रमोन्नत किया जा चुका है ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निर्णय के तहत सम्भागीय आयुक्त कार्यालयों एवं जिला कलक्टर कार्यालयों के समस्त पदों को क्रमोन्नत किया जा चुका है ? यदि हां, तो

(श्री एमादुद्दीन अहमद खां)

किस-किस कार्यालय के कितने पदों को क्रमोन्नत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि इस विभाग के पत्रांक प-7(12) राज/ग्रुप-2/92 दिनांक 11-11-91 के द्वारा आशुलिपिक ग्रेड-II के पद को निजी सहायक में व निजी सहायक के पद को निजी सचिव में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया था। अतः इस संबंध में उक्त पदों को क्रमोन्नत करने की कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है।

(2) जी नहीं।

हनुमानगढ़ जंक्शन मण्डी विकास भूमि का आवंटन

920. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जंक्शन मण्डी विकास की भूमि को टिब्बी तहसील के बिस्वेदारान को भूमिहीन मानकर आवंटित की गई है ? यदि हां, कितने परिवारों ने कब प्रार्थना पत्र दिये तथा कितनी भूमि किन लोगों को आवंटित की गई व कितने प्रार्थना पत्र विचाराधीन है ?

(2) इन बिस्वेदारान के पास कुल कितनी भूमि थी तथा जमींदारी बिस्वेदारी आबूलेशन एक्ट कब लागू हुआ तथा इन बिस्वेदारान ने इस कानून से बचने के लिए कितने बीघा भूमि का बेचान किया तथा बेचान से पूर्व उपरोक्त भूमि की जमाबन्दी में काश्तकार कौन था ?

(3) क्या यह सही है कि इन बिस्वेदारान के पास जिला सिरसा (हरियाणा) में भी हजारों एकड़ भूमि है तथा इनका पेशा खेती नहीं है ?

(4) क्या यह सही है कि इन जमींदारों व बिस्वेदारों ने जो भूमि बेची है वह भूमि बटाईदारों (गैर दखलकारों) के नाम थी ? यदि हां, तो इन जमीनों की रजिस्ट्रीयां कैसे मान्य हुई ?

(5) बिस्वेदारान द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जंक्शन में जो भूमि उपरोक्त बिस्वेदारान को आवंटित की गई है यह भूमि मण्डी विकास हेतु सतीपुरा व नवां गांव के किसानों की भूमि अवाप्त की गई थी यदि हां, तो हनुमानगढ़ जंक्शन मण्डी के विकास के लिए कुल कितनी भूमि इन गांवों के किसानों से ली गई ?

(7) क्या यह सही है कि इस आवंटन में अनियमितताएँ हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस भूमि घोटाले में लिप्त अधिकारियों की जांच करवायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह भूमि राजस्व रिकार्ड में रकबा राज दर्ज होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में तहसील टी. बी. के. बिस्वेदारान को आवंटित की गई है। 22 बिस्वेदारान ने सन् 1983, 1984 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे जिनमें से 15 बिस्वेदारों को 800 बीघा भूमि आवंटित की गई है तथा 7 प्रार्थना पत्र विचाराधीन है।

(2) इन बिस्वेदारान के पास कुल 7106 बीघा भूमि थी। जमीदारी एवं बिस्वेदारी अबूलेशन एक्ट 1959 दिनांक 15-11-59 को लागू हुआ था। इन बिस्वेदारो ने 2234-00 बीघा भूमि का बेचान किया। बेचान से पूर्व जमाबन्दी में (1) हरीराम पुत्र श्रीराम, (2) श्यामसुन्दर पुत्र रामलाल, (3) दयाराम पुत्र राम पमेश्वर, (4) रामस्वरूप पुत्र मु. रामकुमार (5) आत्मा राम पुत्र सीताराम, (6) ओम-करण पुत्र हनुमान बक्स, (7) प्रेमसुखदास पुत्र राम किशोर गोबिन्दराम पि. किशन लाल, (8) राम प्रकाश, गंगाराम, राममनोहर, दयाराम, ओंकारप्रसाद पि. रामनाथ, (9) राम पुरुषोतम पुत्र मनीराम, (10) ब्रज-मोहन, श्याममुरारी पि. परसाराम महाजन अग्रवाल साकिन सिरसा का नाम अंकित है।

(3) बिस्वेदारान के पास जिला सिरसा (हरियाणा) में कितनी भूमि है तथा इनका पेशा क्या है। इस बाबात सूचना जिला कलक्टर सिरसा (हरियाणा) से प्राप्त की जा रही है।

(4) जी नहीं। बेचान किया गया रकबा बिस्वेदारान के नाम था।

(5) बिस्वेदारान द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) जी हां, मण्डी विकास समिति हनुमानगढ़ जं. हेतु सन् 1958-59 में काश्तकारी की व सरकारी कस्टोडियन विभाग की भूमि अवाप्त की गई थी। जिसमें से ग्राम नवां के काश्तकारों की 444 बीघा भूमि अवाप्त की गई थी तथा रेकार्ड उपलब्ध न होने से ग्राम सतीपुरा के किसानों से अवाप्त की गई भूमि का खुलासा किया जाना सम्भव नहीं है।

(7) इस आवंटन में उच्च अदालतों में भ्रष्टाचार सम्बन्धी जानकारी राज्य सर-कार को नहीं है। भूमि का आवंटन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

भू-अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति

921. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा): क्या **राजस्व मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल, अजमेर ने भू-अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति नियमों में संशोधन करने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो कब और उस पर सरकार

52

(श्री दयाराम परमार)

ने आज तक क्या कार्यवाही की हैं ? सिफारिश की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि भू-प्रबन्ध विभाग के निरीक्षक जो कि सेवा अवधि तथा वरिष्ठता में भू-अभिलेख निरीक्षकों की अपेक्षा कनिष्ट थे, उनको पदोन्नत कर नायब तहसीलदार बनाया गया हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार से नायब तहसीलदारों के कितने पदों पर कब-कब पदोन्नतियां दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1977 की वरीयता वाले भू-अभिलेख निरीक्षक पदोन्नति से वंचित हैं जबकि सन् 1985 की वरीयता वाले भू-प्रबन्ध विभाग के निरीक्षक पदोन्नत हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या भू-अभिलेख निरीक्षकों को पदोन्नति करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) भू-प्रबन्ध विभाग एवं भू-अभिलेख निरीक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग-अलग किया जाता है। दोनों विभागों के निरीक्षकों की वरिष्ठता को सम्मिलित (इन्टरलेस) कर पदोन्नति देने का नियमों में प्रावधान नहीं है। दोनों विभागों के निरीक्षकों के लिए पदोन्नति का अनुपात नियमों में निर्धारित है, जिसके आधार पर ही पदोन्नति दी जाती है। चूंकि पदोन्नति उपरोक्त अनुसार निर्धारित अनुपात के अनुसार नियमों के प्रावधानुसार दी जाती है, इसमें पारस्परिक वरिष्ठता के बन्धन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) दिनांक 1-11-77 तक के नियुक्त भू-अभिलेख निरीक्षकों के आवश्यक/अस्थाई आधार पर नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है तथा दिनांक 30–7–79 तक के नियुक्त भू-प्रबन्ध विभाग के निरीक्षकों को इसी आधार पर ही नायब तहसीलदार पद पर उनके लिए निर्धारित अनुपात के अनुसार पदोन्नति दी गई है।

उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र) विभाग के राजस्व आय लेखे

922. **श्री रेवत राम पंवार (नोखा) :** क्या राजस्व (उपनिवेशन) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उपनिवेशन इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र विभाग में आन्तरिक लेखा जांच राजस्व आय तथा खर्च के लिए पृथक-पृथक कितने दल गठित किये हुए हैं ?

(2) उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 में बताये गये जांच दलों के कार्यक्षेत्र एवं इन दलों में गठन का क्या आधार है ?

(3) क्या यह सही है कि आन्तरिक लेखा जांच दल (खर्च) से आयुक्त उपनिवेशन इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर

(श्री रेवत राम पंवार)

ने राजस्व आय लेखों की जाच करने के हाल ही में आदेश प्रसारित किए है? यदि हां, तो क्यों तथा राज्य सरकार इस प्रकार के आदेशों को कब तक अपास्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान उपनिवेशन विभाग में आंतरिक लेखा जांच हेतु दो दलगठित किये हुए हैं, एक खर्च के अंकेक्षण हेतु तथा दूसरा राजस्व आय की जांच हेतु आंतरिक जांच दल।

(2) इनका कार्य क्षेत्र विभाग के अधीन समस्त क्षेत्र है। जांच दलों के गठन का आधार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम और राजस्व मैन्यूअल में वर्णित है।

(3) जी नहीं। ऐसा कोई स्थाई आदेश नहीं दिया गया है। तहसीलदार, उपनिवेशन छत्तरगढ़ द्वारा राजस्व लेखाकारों द्वारा अनियमितता बरतने की शिकायत पर विशेष जांच दल भेजा गया था।

वन विभाग, जोधपुर की नर्सरीज

923. **श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वन विभाग, जोधपुर में कितनी नर्सरी हैं। तथा सन् 1990–91 से 1993-94 तक इन नर्सरियों में कितने पौधे तैयार किये गये ? कितने बिके एवं इनसे कितनी आय हुई ?

(2) इन नर्सरियों पर कितना-कितना खर्चा पौधों पर, मकानों पर व इनके पानी के स्रोतों पर आया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर वन विभाग पंचायत समितिवार भोपालगढ़ एवं ओसियां में कहां-कहां नर्सरी लगवाना चाहती हैं ?

(4) क्या यह सही है कि भोपालगढ़ एवं बुचेटी की नर्सरियों को बन्द कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में वन विभाग की स्थाई एवं अस्थाई 60 नर्सरियां हैं। 90-91 से 93-94 तक इन नर्सरियों में 99.23 लाख पौधे तैयार किये गये। जिसमें से 11.37 लाख पौधे विक्रय किये जाने से 2.53 लाख रुपये को आय हुई।

(2) विवरण सदन को मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दिया गया है।

(3) विभाग द्वारा वर्ष 93-94 में पंचायत समिति ओसियां व भोपालगढ़ से क्रमश:नोसर एवं बिराई में नई नर्सरी स्थापित किया जाना स्वीकृत है। ट्यूब वैल की खुदाई नहीं हो सकने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(4) भोपालगढ़ व बुचेटी में पानी की व्यवस्था नहीं होने से पौधशाला प्रारम्भ नहीं हो सकी। भोपालगढ़ में ट्यूब वैल खुदाई का कार्य वर्ष 86–87 में हुआ।

(वन मन्त्री)

लेकिन सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा विद्युत कनेक्शन देने के मामले में एतराज करने के कारण ट्यूब वैल पर अब तक विद्युत कनेक्शन नहीं हो पाया है। जिससे पानी के अभाव में इस पौधशाला में पौधे तैयार नहीं किये जा सकते। इसी तरह बुचेटी पौधशाला में भी पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से यहां पौधे तैयार करना प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इस पौधशाला का सृजन वर्ष 84–85 में हुआ था। तथा यहां जलदाय विभाग से पानी का कनेक्शन लिया जाना था। लेकिन इस क्षेत्र में पानी की कमी होने से जलदाय विभाग द्वारा कनेक्शन नहीं दिया बुचेटी में भू-जल खारा होने से यहां कोई ट्यूब वैल भी नहीं खोदा जा सकता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

तहसील फलौदी व शेरगढ़ में वन विभाग की नर्सरियाँ

924. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वन विभाग कि तहसील फलौदी व शेरगढ़ में कितनी नर्सरियां हैं उनमें कितने-कितने पौधे तैयार किये जा रहे हैं ? गत वर्ष इन नर्सरियों से कितने पौधे कहां-कहां लगाये गये ? और उनमें से कितने पौधे जीवित है ?

(2) क्या यह सही कि फलौदी और शेरगढ़ तहसीलों में वन विभाग का कार्य नगण्य है ? यदि नहीं, तो कहां-कहां कितना काम किया गया और उसके क्या नतीजे रहे ?

(3) खिवसरिया की नर्सरी के बन्द करने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट–"क" के अनुसार रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। गत पांच वर्षों में इन तहसीलों में कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट–"ख" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) खिवसरिया नर्सरी को निम्न कारणों से बन्द किया गया :—

इस नर्सरी में पौधों को पानी पिलाने के लिए कोई राजकीय जल स्रोत न होने के कारण पास के निजी ट्यूब वेल से रुपये 600/–प्रतिमाह की दर से पानी खरीदना पड़ता था। पौधशाला में तैयार किये जाने वाले पौधों की संख्या कम होने पर भी इसी दर से किराया देना पड़ता था।

इस पौधशाला के समीप (लगभग $1\frac{1}{2}$–2 कि. मी. दूरी पर) चोरड़िया ग्राम में नई पौधशाला का सृजन किया गया था जिसमें सरकारी ट्यूब वैल था, तथा स्थल भी उपयुक्त था। अतः खिवसरिया नर्सरी को चालू रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया था।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के ग्राम नादिया, नापाला की लिफ्टों को विद्युत कनेक्शन

925. **श्री दलीचन्द** (दानपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर के ग्राम नादिया, नापाला में लिफ्ट योजना दो वर्षों पूर्व तैयार हो जाने पर भी इन लिफ्टों को विद्युत कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार इन लिफ्टों को विद्युत कनेक्शन देना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गांव नदिया, नावला विधान सभा क्षेत्र दानपुर, पंचायत समिति, पीपलखूट का अविद्युतिकृत गांव है। जिला विकास अभिकरण बांसवाड़ा द्वारा नदिया नावला की लिफ्ट योजनाएं विद्युत मण्डल बांसवाड़ा की बिना सहमति से तैयार की गई हैं। इन लिफ्ट योजनाओं को विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र विद्युत मण्डल के सहायक अभियन्ता, घाटोल के कार्यालय में जनवरी, 1994 में जमा हुआ था जिसका मांग पत्र 21 जनवरी, 1994 को ही जारी कर दिया गया था। मांग पत्र की राशि 18.3.1994 को जमा कराई गई है।

(2) जी हां। फिटिंग कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके जो फिटिंग कार्य पूरा होते ही दे दिये जायेंगे।

जिला नागौर में 132 के.वी, जी. एस. एस. के प्रस्ताव

926. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) एवं **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में जिला नागौर में कितने 132 के. वी., जी. एस. एस. कार्यरत हैं ? पूर्ण विवरण तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खिवसर (नागौर) हेतु 132 के. वी., जी. एस. एस. के प्रस्ताव राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कब तक खिवसर में 132 के. वी., जी. एस. एस. बनाने की स्वीकृति सरकार द्वारा जारी कर दी जायेगी ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त जी. एस. एस. के अलावा क्या राज्य सरकार के पास नागौर जिले से 220 के. वी., जी. एस. एस. के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर 220 के. वी., जी. एस. एस. बनाने की स्वीकृति राज्य सरकार देने जा रही है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में वर्तमान में कुल 8 नं. 132 के. वी., जी. एस. एस. निम्नलिखित स्थानों में चालू हैं :—

1. नागौर
2. कुचेरा
3. गोटन

(56)

(ऊर्जा मंत्री)

4. मेड़तासिटी
5. मैंरूंदा
6. मकराना
7. कुचामन
8. डीडवाना

(2) जी नहीं। वर्तमान में खिवसर (नागौर) पर 132 के. वी., जी. एस. एस. बनाने का प्रस्ताव राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में विचाराधीन है।

(3) नागौर जिले में वर्तमान में मेड़ता पर 220 के. वी., जी. एस. एस. बनाने का कार्य प्रगति पर है व उसके वर्ष 1995-96 में पूर्ण होने की संभावना है। नागौर में भी 220 के.वी., जी.एस.एस. बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

भिनाय व केकड़ी क्षेत्र के गांवों में विद्युतीकरण

927.**श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

भिनाय व केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से गांव विद्युतीकृत नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। सरकार इन गांवों को कब तक विद्युतीकृत करने का विचार रखती है।

उत्तर

भिनाय व केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के क्रमशः 8 व 12 ग्राम वर्तमान में अविद्युतीकृत हैं जिनकी सूची "अ" संलग्न है। इन ग्रामों का योजना मद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित वित्त एव राज्य सरकार द्वारा घोषित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लक्ष्यानुसार विद्युतीकरण कर पाना सम्भव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

नैनवा तहसील में अनुसूचित जनजाति के किसानों को विद्युत कनेक्शन

928. **श्री रामनारायण** (नैनवां): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नैनवां तहसील में अनुसूचित जनजाति के कितने किसानों द्वारा कृषि कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन लेने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस वर्ष उक्त श्रेणी के व्यक्तियों में से कुल कितने कनेक्शन किस-किस व्यक्ति को दिये जाने हैं? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के कृषकों की संख्या करीब 24 प्रतिशत होते हुए भी उनके पक्ष में बहुत कम प्रतिशत कनेक्शन दिये जा रहे है? यदि हां, तो क्या सरकार अनुसूचित जनजाति के कृषकों को दिये जाने वाले कनेक्शनों का कोटा बढ़ाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) नैनवां तहसील में 28 फरवरी, 1994 तक 152 अनुसूचित जनजाति के

(ऊर्जा मंत्री)

किसानों ने कृषि कार्य हेतु आवेदन कर रखा है, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं. वर्ष	विचाराधीन प्रार्थना पत्र
1. 1991-92	40
2. 1992-93	69
3. 1993-94 (फरवरी 94 तक)	43

(2) उक्त प्रार्थना पत्रों में से इस वर्ष 1993-94 में जिन व्यक्तियों को कनेक्शन दिये जाने हैं उनकी सूची "अ" संलग्न है।

(3) राज्य में 1.4.1993 तक लम्बित आवेदन पत्रों के अनुपात में ही लक्ष्यों का आवंटन किया जाता है। अतः अतिरिक्त लक्ष्यों के आवंटन किया जाता है। अतः अतिरिक्त लक्ष्यों के आवंटन का मामला वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें।)

सहायक अभियन्ता, मूण्डवा के अधीन कार्यरत तकनीकी कर्मचारी

929. **श्री हबीबुर रहमान** (मूण्डवा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहायक अभियन्ता मूण्डवा, के अधीन कितने ग्राम विद्युतीकृत है? इन ग्रामों में कितने कृषि कनेक्शन है व कितने 33 के.वी. स्टेशन कार्यरत है व कितने 33 33 के. वी. सब स्टेशन निर्माणाधीन है? विवरण मय नाम ग्राम के सदन की मेज पर रखें।

(2) सहायक अभियन्ता मूण्डवा के अधीन कितने विद्युत के तकनीकी कर्मचारी कार्यरत है? क्या यह पर्याप्त है? यदि नहीं, तो सरकार नये कर्मचारी कब तक लगाये जाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता, मूण्डवा के अधीन 60 ग्राम विद्युतिकृत हैं। इन ग्रामों में 1584 कृषि कनेक्शन दिये हुए हैं। इस खण्ड में 33/11 के. वी. के 7 सब स्टेशन कार्यरत हैं जिनका विवरण नीचे दिये अनुसार है एवं एक 33/11 के.वी. सब स्टेशन ग्राम रूण में निर्माणाधीन है :—

1.	मूण्डवा	1 × 3.15 एमवीए एवं 1 × 1.6 एमवीए
2.	खजवाना	2 × 3.15 एमवीए
3.	सखवास	2 × 3.15 "
4.	लालाप	1 × 3.15 "
5.	गाजू	1 × 3.15 " एवं 1.1.6 एमवीए

(ऊर्जा मंत्री)

6.	कुचेरा	3 × 3.15 एमवीए एवं 1.1.6 एमवीए
7.	अड़वड़	1 × 3.15 "

(2) वर्तमान में सहायक अभियन्ता, मूण्डवा के अधीन 92 तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान परिस्थितियों में कार्यभार को देखते हुए उक्त कर्मचारी पर्याप्त हैं।

ग्राम खटवा के काश्तकारों को कृषि विद्युत कनेक्शन

930. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लालसोट तहसील के गांव खटवा के काश्तकारों के कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु कितने प्रार्थना पत्र कब-कब से विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। इनका निस्तारण कब तक करा दिया जावेगा ?

(2) क्या इस गांव में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के काश्तकारों के कृषि कनेक्शन देने के मामले भी विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ? विवरण काश्तकारों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों को विद्युत कनेक्शन देने में प्राथमिकता देती हैं ? यदि हां, तो इन लोगों को कब तक कनेक्शन दे दिया जायेगा।

उत्तर

(1) लालसोट तहसील के ग्राम खटवा के काश्तकारों के कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु 46 प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं। इनको वर्षवार आवंटित लक्ष्यों एवं मण्डल नीति अनुसार कनेक्शन दिये जाना सम्भव होगा। ग्रामवार सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां। इस गांव में अनुसूचित जाति के 4 एवं अनुसूचित जनजाति के 20 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं, जो कि संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शाये गये हैं।

(3) वर्तमान कृषि नीति के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के काश्तकारों को अलग से लक्ष्य आवंटित कर कृषि कनेक्शन दिये जाते हैं। विचाराधीन आवेदन पत्रों का निस्तारण वर्षवार आवंटित लक्ष्यों के अनुसार करना सम्भव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें।)

बीकानेर जिले में कृषि कुओं को विद्युत संयोजन में अनियमिततायें

931. **श्री नन्दलाल व्यास** (बीकानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में कृषि कुओं को विद्युत संयोजन प्रदान करने में अनियमिततायें हो रही है ? यदि नहीं, तो उस पर निगरानी की क्या प्रक्रिया है तथा इस वर्ष में वरीयता का

(श्री नन्दलाल व्यास)

उल्लंघन करके कितने कृषि संयोजन जारी किये गये हैं ? कृषि कुओं की आवश्यकता को देखते हुए कितना कोटा बीकानेर जिले के लिए बढ़ाया जा रहा है ?

(2) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की बढ़ती हुई बकाया राशि को प्रभावी ढंग से वसूल करने हेतु कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देकर वसूली को प्रभावी बनाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्या बकाया राशि को इस प्रकार से बढ़ने देना उचित है ? क्या इसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में कृषि कुओं पर विद्युत संयोजन करने के मामले में किसी प्रकार की अनियमितता/शिकायत की जानकारी प्रकाश में नहीं आई है। आवेदकों को कृषि कार्यों हेतु विद्युत सम्बन्ध देने के मामले में अनियमितताओं को रोकने/निगरानी रखने के लिये उपखण्ड स्तर की वरीयता सूची खण्ड कार्यालय के मार्फत जारी करवाई जाती है, जिसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित तहसील/पंचायत समिति, जिलाधीश आदि को प्रेषित की जाती है तथा उपखण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगाये जाने का प्रावधान है। बीकानेर जिले में वर्ष 1993–94 में 82 कृषि कुओं को ऊर्जाकृत करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। तत्पश्चात् जिन आवेदकों द्वारा मार्च, 1993 तक मांग की राशि जमा कराई गई उनको भी कनेक्शन दिये जाने के आदेश प्रसारित है। तत्पश्चात् 234 आवेदकों की मांग पत्र की राशि दिनांक 30.4.1993 तक जमा करवाई गई थी उन्हें भी कृषि कनेक्शन इसी वर्ष दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त लक्ष्यों के सापेक्ष 130 आवेदकों को कृषि कनेक्शन माह फरवरी, 1994 तक दिये जा चुके हैं। शेष बचे हुये आवेदकों को कृषि कनेक्शन दिये जाने की प्रक्रिया जारी है।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में बकाया राशि को प्रभावी ढंग से वसूल करने हेतु कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने की योजना वर्तमान में प्रचलित नहीं है, परन्तु कर्मचारियों द्वारा बकाया राशि को कम करने के लिये प्रभावी ढंग से वसूली के अथक प्रयास किये जाते हैं।

बीकानेर शहर क्षेत्र में विद्युत मण्डल की बकाया

932. **श्री नन्दलाल व्यास (बीकानेर) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर शहर के क्षेत्र में विद्युत मंडल की बकाया राशि गत मार्च, 93 से दिसम्बर, 1993 तक कितनी बढ़ गई है ? क्या राजस्व वसूली में भेदभाव पूर्ण कार्यवाही की जाती है ? यदि नहीं, तो क्या 1000/- रुपये से अधिक बकाया राशि वाले दोषी उपभोक्ताओं के संयोजन दिसम्बर, 1993 तक विच्छेद कर दिये गये है ? यदि नहीं, तो 1000/– रुपये से कम राशि के दोषी उपभोक्ताओं के संयोजन विच्छेद करके भेदभाव पूर्ण कार्यवाही क्यों की गई ?

उत्तर

विद्युत मण्डल के बीकानेर वृत के क्षेत्रान्तर्गत बीकानेर शहर में मार्च, 1,93

(68)

(ऊर्जा मंत्री)

के मुकाबले दिसम्बर, 1993 तक लगभग 57.17 लाख रुपयों की विद्युत उपभोग की बकाया राशि में वृद्धि हुई है। बकाया वसूली हेतु मण्डल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है तथा अथक प्रयासों के बाद भी उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराने पर विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किये जाते है। विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने के मामले में किसी भी उपभोक्ता के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है चाहे किसी उपभोक्ता की बकाया राशि 1000/- रु. से कम हो या अधिक हो।

व्यवस्थापक, क्रय-विक्रय सहकारी समिति मारवाड़ जंक्शन (पाली) के विरुद्ध शिकायतें

933. **श्री हंसराम** (करौली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के व्यवस्थापक श्री खेताराम चौधरी के विरुद्ध गबन घोटाले व धन के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्री खेताराम चौधरी ने स्वयं के पुत्र को ही क्रय-विक्रय सहकारी समिति मारवाड़ जंक्शन में नियुक्त कर लिया है ? यदि हां, तो नियुक्ति किस अधिकारी ने की ?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व विधानसभा सदस्य श्री भैरूसिंह गुर्जर ने 10-9-91 को एक शिकायत माननीय मुख्यमंत्रीजी को की थी। शिकायत में वर्णित बिंदुओं पर संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट परिशिष्ठ "अ" में सदन की मेज पर रख दी गई है। संस्था की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1991-92 में 7,275.13/ राशि के गबन करने का मामला राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के तहत दर्ज किया गया था। आचरण की जांच के दौरान उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पाली ने आरोप प्रमाणित नहीं माना एवं श्री चौधरी को आरोपमुक्त घोषित किया। जांच आदेश परिशिष्ठ "ब" में सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। संस्था के संचालक मंडल के प्रस्ताव दिनांक 9-1-93 के अनुसार दैनिक वेतन पर एक कर्मचारी रखने की स्वीकृति दी गई थी। श्री खेताराम ने अपने पुत्र श्री महेन्द्र चौधरी को प्रथमतः 11-1-93 से एवं पुनः 17-1-94 को समिति की सेवा में रखा था जिसे 19-3-94 से हटाया जा चुका है।

(जांच रिपोर्ट एवं आदेश के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें।)

केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अकृषि ऋण

934. **श्री किशनाराम नाई** (डूंगरपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला चूरू एवं जयपुर के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा (एन. एफ. एस.) अकृषि ऋण वितरित

(श्री किशनाराम नाई)

किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1990 से आज तक कितनी-कितनी राशि के ऋण किन-किन सदस्यों को और कब-कब वितरित किये गये ?

(2) क्या सदस्यों से वसूली में अवधिपार (ओवर ड्यू) हो गया है ? यदि हां, तो क्यों और किन-किन अधिकारियों से वसूली नहीं हुई ? क्या सरकार उक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 के नियम 41 के अन्तर्गत दिनांक 9-2-1990 से प्रतिवर्ष नववर्ष उपहार तथा दीपावली के उपलक्ष में मिठाइयों आदि का वितरण अधिकारी/कर्मचारियों को किया जाता है ? यदि हां, तो 1990 में किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों को कितनी-कितनी राशि के उपहार दिये गये ?

(4) क्या उक्त दोनों बैंकों के लाभ-हानि खातों में नववर्ष उपहार की रकम दिखाई गई है ? यदि हां, तो कब कब, कितनी-कितनी ?

(5) आदेशों की पालना नहीं करने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 1990 से आज तक जो अकृषि ऋण दोनों बैंकों द्वारा वितरित किये गये हैं, की सदस्यवार सूचना, ऋण वितरण का वर्ष, राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

(2) जी हां । जिन सदस्यों पर अवधिपार ऋण बकाया है का विवरण भी परिशिष्ट-1 में दे दिया गया है । अवधिपार ऋण के मामलों में समस्त संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गए हैं ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।

(5) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें ।)

आदेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जोधपुर का रजिस्ट्रेशन

935. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आदेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जोधपुर का रजिस्ट्रेशन कब हुआ तथा इनका रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या है ?

(2) इस समिति में कौन-कौन सदस्य तथा पदाधिकारी है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) इस गृह निर्माण समिति ने जोधपुर की किन-किन खसरों की भूमियां कब-कब खरीदी एवं बेची ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(62)

उत्तर

(1) आदेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जोधपुर का रजिस्ट्रेशन 28-4-82 को हुआ था। इसका रजिस्ट्रेशन नम्बर "1898 क्यू" है।

(2) इस समिति में वर्तमान में 171 सदस्य हैं, सदस्यों की सूची संलग्न परिशिष्ठ-1 एवं पदाधिकारियों की सूची संलग्न परिशिष्ठ-2 में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) इस गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा क्रय की गई भूमि का विवरण परिशिष्ठ-3 में एवं समिति द्वारा आवंटित भू-खण्डों का विवरण परिशिष्ठ-4 में सदन के पटल पर रख दिया गया है। समिति द्वारा भू-खण्डों के आवंटन के अलावा अन्य किसी को भूमि का बेचान नहीं किया गया है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत खादी संस्थाओं के पंजीयन पर रोक

936. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग ने सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत खादी संस्थाओं के पंजीयन पर रोक लगा रखी है? यदि हां, तो किन कारणोवश ?

(2) क्या यह सही है कि इन संस्थाओं का उद्देश्य नफा कमाना नहीं है अपितु "न लाभ न हानि" के आधार पर जनसेवा करना है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 में वर्णित प्रयोजनों में खादी संस्थाएं नहीं आने के कारण उनका पंजीयन इस अधिनियम के अन्तर्गत किया जाना संभव नहीं है।

(2) जी नहीं। खादी की उत्पादन संस्थाएं सामान्यत: औद्योगिक तथा व्यवसायिक कार्य भी करती है जो वर्तमान राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत मान्य नहीं हैं।

प्रदेश के पूर्व सरपंचों में बकाया राशि

937. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के कितने पूर्व सरपंचों ने कबसे अपने कार्यकाल का चार्ज नहीं सम्भलवाया है? सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में प्रदेश के किन-किन सरपंचों द्वारा अभी तक आडिट नहीं करवाई गई? पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत दस वर्षों में प्रदेश के किन-किन सरपंचों में कितनी-कितनी राशि बकाया चल रही है? पंचायत समिति वार

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

सूची सदन की मेज पर रखें। इस अवधि में बकाया राशि की वसूली हेतु क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) प्रदेश के 242 पूर्व सरपंचों ने अभी तक अपने कार्यकाल का चार्ज नहीं सम्भलाया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) गत दो वर्षों में जिन सरपंचों ने आडिट नहीं कराई है। उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) प्रदेश के कुल 1702 पूर्व सरपंचों में 2,86,33,617=68 पैसे की राशि बकाया चल रही है। नामवाइज सूचना विस्तृत होने से रखा जाना सम्भव नहीं है। जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। जिन सरपंचों पर राशि बकाया है उनके विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 17(4) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है तथा राशि वसूली हेतु जिला कलक्टर को निर्देश दिये जा रहे हैं।

(सूचियां एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पूर्व सरपंचों के लम्बित जांच प्रकरण

938 **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को पूर्व सरपंचों के विरुद्ध जांच करके चालान की स्वीकृति के लिए मामले भेज रखे हैं, यदि हां, तो कौन-कौन से मामले कब-कब से विभाग के पास विचाराधीन हैं विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लम्बे समय तक मामले विचाराधीन पड़े रहने के कारण मामलों में सबूत गायब होने की आशंका बढ़ जाती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों में शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व सरपंचों के विरुद्ध पुलिस विभाग ने जांच करके चालान की स्वीकृति हेतु मामले विभाग को भिजवाते हैं। विभाग में विचाराधीन प्रकरणों की सूची व प्राप्त होने की दिनांक सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। सबूत गायब होने का तथ्य अभी तक ध्यान में नहीं आया है। चालान स्वीकृति की प्रक्रिया में अन्वेषण अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, पूर्व सरपंचों से स्पष्टीकरण प्राप्त किये जा रहे हैं व राज्य स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट--18देखें।)

राजस्व ग्रामों में प्राथमिक पाठशालायें

939. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

की कृपा करेंगे—

(1) क्या प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु 250 की आबादी वाले वर्तमान मजरों एवं राजस्व ग्रामों में सरकार द्वारा प्राथमिक पाठशालाएं खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र जैतारण के उपरोक्त आबादी वाले राजस्व ग्रामों में भी प्राथमिक पाठशालाएं खोली जानी हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां तथा कब तक ?

(3) क्या उक्त क्षेत्र की ग्रामीण आबादी जो शिक्षा एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, में प्राथमिक पाठशालाएं खोलने में प्राथमिकता दी जाएगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 250 व इससे अधिक, मरुस्थलीय क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र में 150 व इससे अधिक की आबादी वाले विद्यालय विहीन राजस्व ग्रामों में प्राथमिक शाला खोलने के प्रस्ताव हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैतारण मरुस्थलीय होने से 150 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में प्राथमिक शाला खोलने के वर्ष 94-95 में प्रस्ताव हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में उक्त निर्धारित मापदण्ड में जो विद्यालय विहीन राजस्व ग्राम आवेंगे उनमें प्राथमिक विद्यालय वर्ष 94-95 में खोलना प्रस्तावित है।

खानपुर पंचायत समिति में विकास कार्य

940. **श्री भरत सिंह (खानपुर)** : क्या ग्रामीण विकास व पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत व्यवस्था के तहत चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने पद से हटाये जाने के बाद से खानपुर पंचायत समिति में विकास कार्य हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और उसे किन-किन स्थानों पर व्यय किया गया है ?

(2) क्या खर्च की गई राशि के बाद विभाग के उच्च पधिकारियों द्वारा काम का जायजा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें करवाये गये काम से सन्तोष है ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, खानपुर में वर्ष 91-92 से वर्ष 93-94 तक 87.526 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई तथा विभिन्न विकास कार्यों में 69.406 लाख रुपये व्यय किये गये। विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। संबंधित प्रभारी अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया गया जो कार्य निर्धारित मापदडों के अनुसार नहीं पाये गये उनमें वसूली की कार्यवाही प्रस्तावित है। विवरण संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

बस्सी में भवन निर्माण हेतु हुड़को योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण

941. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 1980 से 1987-88 तक हुड़को योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत कर सैंकड़ों मकान बनाए गए हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक व्यक्ति को गांव के अनुसार स्वीकृत राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त व्यक्तियों के मकान अभी भी अधूरे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ लोगों में अभी भी राशि बकाया है ? यदि हां, तो बकाया राशि की व्यक्तिवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । प्रति व्यक्ति 3000/- ऋण 500 व्यक्तियों को इस अवधि में हुडको योजना के तहत आवासीय मकान निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया था । व्यक्तिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) उक्त 500 व्यक्तियों में से 428 व्यक्तियों के भवन पूर्ण हो गये हैं । शेष 72 व्यक्तियों के मकान अधूरे रहे हैं । भवनों के निर्माण में लाभार्थियों को स्वयं द्वारा भी वित्तीय सहयोग करना था, जिसके अभाव में यह भवन अपूर्ण रहे हैं । अपूर्ण भवनों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) जी हां । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । भाग संख्या 1 व 2 के उत्तर में समाविष्ट है ।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं ।)

ग्राम पंचायत जोजावर (मारवाड़ जंक्शन) के सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें

942. **श्री हरी सिंह** (महुवा) ; क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1984 से 1990 के दौरान ग्राम पंचायत जोजावर, धनला, बासनी जोजावर, बारसा व जाणुदा (पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन) के सरपंचों के विरुद्ध पट्टे आवंटन, निःशुल्क पट्टे आवंटन निर्माण कार्यों राहत कार्यों व धन के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो इन सरपंचों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अब इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत धनला, बासनी जोजावर तथा आड़सा के सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें जिला कलक्टर, पाली को प्राप्त हुई जिनकी जांच जिला स्तर पर विचाराधीन है । ग्राम पंचायत धनला के पूर्व

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री)

सरपंच द्वारा जारी किये गये पट्टे जिला-स्तर पर निरस्त कर दिये गये हैं।

(2) जांच में दोषी पाये जाने पर अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

जिला परिषद, जयपुर में अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति

943. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद जयपुर में चालू वित्तीय वर्ष हेतु तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिए एक वरीयता सूची तैयार की गई है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वरीयता सूची में राजस्थान विकलांग रोजगार नियम, 1976 के नियम 4 व नियम 4 (7) की पालना नहीं की गयी है ? यदि हां, तो नियम 4 (7) के तहत 67वां पद व 167वां पद किस विकलांग-बधिर को रोस्टर के अनुसार वरीयता सूची में स्थान दिया गया ?

(3) क्या सरकार नियमों की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। राजस्थान विकलांग रोजगार नियम 4 व नियम 4 (7) की पालना कर वरीयता सूची में 3% विकलांग पृथकता से दर्शाएं हैं। 183 पुरुषों में से 6 विकलांग आशार्थी व 55 में से 2 विकलांग महिलाओं को सूची में पृथक से प्रदर्शित किया गया है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पंचायत समिति, टोडाभीम का घोटाला जांच प्रकरण

944. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति टोडाभीम में किशनसिंह सेंगर के विरुद्ध विकास अधिकारी के समक्ष घोटालों की जांच चल रही हैं ?

(2) यदि इसके विरुद्ध जांच चल रही है और प्रमाण मिल गये हैं तो उसे अब तक मुअत्तिल क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। जीवनधारा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कुओं की जांच जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर के स्तर पर करवाई गई थी, जो एकीकृत

(ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री)

ग्रामीण विकास विभाग को भेजी गई थी। उक्त विभाग के द्वारा कुछ और बिन्दुओं पर अतिरिक्त जांच करने हेतु निर्देश भेजे हैं। उक्त जांच अभी विचाराधीन है।

(2) जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को निवेदन किया जावेगा। चूंकि ये वर्तमान में विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत नहीं हैं, इसलिए विकास विभाग द्वारा निर्णय शेष नहीं हैं।

नैनवां रैफरल चिकित्सालय में दन्त चिकित्सक का पद

945. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि उपखण्ड मुख्यालय नैनवां के रैफरल चिकित्सालय में दन्त चिकित्सक का पद सृजित नहीं है? यदि हां, तो, अब कब तक यह पद सृजित कर दिया जावेगा?

उत्तर

जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ रैफरल चिकित्सालय में दन्त चिकित्सक का पद सृजित किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के मापदण्ड

946. **श्री राजेन्द्र चौधरी** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार का प्रदेश में चिकित्सा के लिए जन साधारण हेतु नये हास्पिटल, डिस्पेन्सरी, ऐडपोस्ट, सब-सेन्टर खोलने का विचार है ?

(2) यदि हां, तो इन्हें खोलने के क्या मापदण्ड हैं ?

(3) जोधपुर जिले एव बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं में विस्तार के कौन-कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में ग्राम भाक में डिस्पेन्सरी खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रत्येक पंचायत समिति में लगभग एक लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामान्य क्षेत्र में प्रति 30,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रति 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मापदण्ड है। इसके अतिरिक्त सामान्य क्षेत्र में प्रति 5000 की ग्रामीण आबादी पर तथा जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों से प्रति 3000 को ग्रामीण जनसंख्या पर एक उप-केन्द्र खोलने का मापदण्ड है। वर्ष 1993-94 से राज्य में एडपोस्ट (उच्चीकृत उप-केन्द्र) स्थापित किये जाने का प्रावधान नहीं है। भारत सरकार से वित्तीय संसाधन

(68)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण वर्ष 1989-90 के पश्चात् राज्य में उपकेन्द्र स्थापित नहीं किये जा सके हैं।

(3) जोधपुर जिले में चोपासनी, बौरुन्दा व पावटा की रोगी शैयाओं की संख्या में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हैं। बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सीडेन्टल यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(4) जी नहीं। पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही इस प्रस्ताव पर विचार सम्भव हो सकेगा।

टोडाभीम व नादोती तहसील के चिकित्सालय

947. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) टोडाभीम एवं नादोती तहसील में कुल कितने चिकित्सालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) टोडाभीम एवं नादोती में अन्य नये अस्पताल खोलने के लिये क्या सरकार में कोई प्रस्ताव पर कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोडाभीम एवं नादोती तहसील में विभिन्न प्रकार के दस चिकित्सालय संस्थान है, जिनकी सूची नीचे दी गई हैं :–

(क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(ख) उच्चीकृत ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(ग) ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(ङ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(च) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(छ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(ज) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(झ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(ञ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(2) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छीपा बड़ौद रेफरल अस्पताल में एम्बुलेंस

948. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी** (छबड़ा), **श्री रंगजी** (सपोटरा) एवं **श्री फूलचन्द** (सलूम्बर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या छीपा बड़ौद रेफरल अस्पताल को विभाग द्वारा एम्बुलेन्स गाड़ी आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या एम्बुलेन्स गाड़ी पर स्थाई ड्राईवर की व्यवस्था है ? यदि हां, तो कब से, नहीं तो कब तक यह व्यवस्था कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 5.7.91 को।

(2) उक्त रोगी वाहन हेतु एक वाहन चालक का पद दिनांक 9.8.91 से सृजित किया हुआ है। राज्य में विभिन्न संस्थानों के वाहन चालकों के रिक्त पदों को स्थायी रूप से भरे जाने के समय, छीपाबड़ौद में भी वाहन चालक के रिक्त पद को भरा जाना संभव हो सकेगा।

माडा योजनान्तर्गत आने वाले गांवों में विकास कार्य

949. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति बेगूं और भैंसरोडगढ़ में कितने-कितने और कौन-कौन से गांव माडा योजना में आते हैं ?

(2) उक्त गांवों की अन्तिम गणनानुसार कितनी-कितनी जनसंख्या है ? कोड नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त गांवों में माडा योजनान्तर्गत पिछले 5 सालों में ग्रामीण विकास, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, यातायात सुविधा व सम्पर्क सड़कों के निर्माण आदि के क्या-क्या कार्य किये गये ? कार्यों का ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार निकट भविष्य में कोई विकास के कार्य उक्त गांवों में कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस गांव में क्या-क्या कार्य कब तक कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में माडा योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति बेगूं में 38 गांव व भैंसरोडगढ़ में 111 गांव सम्मिलित हैं। सूची परिशिष्ट (1) पर उपलब्ध है।

(2) बेगूं एवं भैंसरोडगढ़ में सम्मिलित ग्रामों की अन्तिम गणनानुसार जनसंख्या व कोड नं. परिशिष्ट (1) में दिया गया है।

(3) कार्यवार एवं ग्रामवार सूची परिशिष्ट "2" पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। वर्ष 94-95 में माडा प्लान में चित्तौड़गढ़ जिले में 3 माडा लघु खण्ड हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता मद में 53.36 लाख रु. का प्रावधान किया गया है। उक्त सीमा में रहते हुए अनुमोदित कार्यक्रमानुसार विकास के कार्य बेगूं एवं भैंसरोडगढ़ ब्लोकों में भी क्रियान्वित किये जायेंगे। ग्रामवार योजना जिला स्तर पर अभी बनना शेष है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

ग्राम आभानेरी (दौसा) में आयुर्वेदिक औषधालय

950. श्री रघुवीर सिंह (सिराड़ी) : क्या

(श्री रघुवीर सिंह)

आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम आभानेरी (दौसा) में आयुर्वेदिक औषधालय भवन का निर्माण हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या औषधालय उक्त भवन में ही चल रहा है या किसी धर्मशाला के कमरे में ? क्या उक्त धर्मशाला को खाली कर विभागीय भवन में औषधालय चलाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 1984 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा ग्राम आभानेरी में आयुर्वेदिक औषधालय के लिये भवन का निर्माण कराया गया हैं ।

(2) आयुर्वेद औषधालय, आभानेरी वर्तमान में ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा निर्मित भवन में ही चल रहा है । वर्ष 1984 के पूर्व यह औषधालय वहां स्थित एक धर्मशाला के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध दो कक्षों में चल रहा था । उन्हें स्टाफ को निवास सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से रिक्त नहीं किये जा सके है । धर्मशाला के प्रबन्धकों से सम्पर्क कर रिक्त कराने की कार्यवाही तुरन्त प्रभाव से की जावेगी ।

आयुर्वेदिक औषधि निर्माण में सांभर सींग का क्रय

951. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या आयुर्वेद औषधियां निर्माण हेतु कच्चा माल क्रय किया जाता है ? यदि हां, तो किस-किस किस्म की औषधिया निर्माण हेतु कच्चा माल क्रय किया जाता है ? क्या कच्चे माल में सांभर सींग का आइटम भी निविदा में शामिल किया जाता हैं ? यदि हां, तो पिछले 3 वर्षों से कितना कच्चा माल सांभर सींग क्रय किया गया ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण रहा ?

(2) उक्त अवधि में यदि सांभर सींग की भस्म क्रय की गई तो उसकी शुद्धता का क्या मापदण्ड रहा ?

(3) क्या सांभर सींग पिछले 3 वर्षों में निविदा में दर आने के बावजूद व कच्चा माल उपलब्ध होने के बावजूद भी नहीं खरीदा गया है, जिससे रसायन शाला के कर्मचारी व मशीनरी फालतू रही है । उससे सरकार को उक्त वित्तीय वर्षों में कितना नुकसान हुआ और क्यों ?

(4) क्या आयुर्वेद विभाग आई. पी. बी. पी. की निविदा अलग से आमन्त्रण करती है ? यदि आई. बी. पी. अनुज्ञाधारियों से कच्चा माल क्रय करते है तो सांभर सींग अनुज्ञाधारियों से क्रय क्यों नही किया जाता है ?

(5) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग सांभर सींग की भस्म बनी बनाई जिस संस्था या फार्मेसी से क्रय करती है वह संस्था या फार्मेसी अन्य औषधि भी निर्माण करती है ?

उत्तर

(1) जी हां । चूर्ण, वटी, अवलेह, क्वाथ, अर्क, रस, पर्पटी, भस्म, मरहम-लेप आदि औषधियों के निर्माण हेतु कच्चे घटक द्रव्य क्रय किये जाते हैं । इसमें सांभर सींग का आइटम भी क्रय करने के लिये भी निविदा में सम्मिलित किया जाता हैं गत तीन वर्षों में सांभर सींग का कोई क्रय नहीं किया गया, जिसके निम्न कारण रहे हैं–

वर्ष 1990–91

केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति की बैठक में सांभर-सींग क्रय करने के लिये निविदा-दाताओं से दर निर्धारण हेतु नेगोशिएशन करने का निर्णय लिया गया । निर्धारित दिनांक को कोई निविदादाता उपस्थित नहीं होने से दर अनुमोदित नहीं की जा सकी ।

वर्ष 1991–92

वर्ष 1991-92 में केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति द्वारा मैसर्स दीनदयाल औषधालय, ग्वालियर के पत्र में नियमानुसार वाइल्ड लाइफ लाइसेन्स प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने से क्रय सम्भव नहीं हो सका ।

वर्ष 1992–93

वर्ष 1992–93 में केवल मात्र एक निविदादाता के पास ही वाइल्ड लाइफ लाइसेन्स उपलब्ध होने के फलस्वरूप तुलनात्मक दरें प्राप्त नहीं होने से केन्द्रीय भण्डार क्रय समिमि के निर्णयानुसार क्रय नहीं किया जा सका ।

(2) उक्त अवधि में सांभर सींग की भस्म इण्डियन मेडिसिन फार्मेस्युटिकल्स कारपोरेशन, मोहान (यू. पी.) से ही क्रय की गई है । यह संस्था भारत सरकार का संस्थान है एवं इसमें शास्त्रीय विधि से औषध निर्माण में विशेषज्ञ तकनीकी अधिकारी कार्यरत है । इसके अतिरित स्थानीय क्रय समिति द्वारा भौतिक परीक्षण उपरान्त माल स्वीकार किया गया है ।

(3) गत तीन वर्षों में सांभर सींग का क्रय नहीं करने के कारण उपरोक्त भाग संख्या–1 के उत्तर में प्रस्तुत कर दिये गये हैं ।

सांभर सींग का क्रय नहीं करने से कोई कर्मचारी अथवा मशीनें फालतू नहीं रही है एवं राज्य सरकार को कोई हानि नहीं हुई है ।

(4) जी हां । आई. पी. बी. पी. औषधियों हेतु पृथक से निविदायें आमन्त्रित की जाती है । आई. पी. बी. पी. औषध विक्रेता के पास ड्रग लाइसेन्स होना तथा सांभर सींग विक्रेता के पास वाइल्ड लाइफ लाइसेंस होना आवश्यक है । सांभर सींग आई. पी. बी. पी. आईटम नहीं हैं ।

सांभर सींग अनुज्ञाधारी अर्थात् वाइल्ड लाइफ लाइसेन्सधारी निविदादाता से गत तीन वर्षों में सांभर सींग क्रय नहीं करने के कारण प्रश्न के भाग संख्या 1 के उत्तर में प्रस्तुत कर दिये गये हैं ।

(5) जी हां ।

वर्ष 1993 में कराये गये अकाल राहत कार्य

952. **श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1993 में राजस्थान के कौन-कौनसे जिलों के कितने कितने ग्रामों में 50%–74% तथा 75%–100 फसल के नष्ट होने की सूचना सरकार को जिलाधीश द्वारा प्राप्त हुई थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त जिलों में दि. 1-3-1994 तक कितनी-कितनी श्रमिक संख्या अकाल राहत कार्यों पर लगाने हेतु सरकार ने स्वीकृति जारी की है ?

(3) उक्त जिलों में से किन-किन जिलों में घास हेतु परिवहन अनुदान देने के आदेश किये गये है ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिलों के अलावा अन्य जिलों को यह सुविधा क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

(1) राज्य के बांरा, भरतपुर, झालावाड़, कोटा एवं सीकर जिलों को छोड़कर शेष 25 जिलों से 7705 ग्रामों में 50% से 74% तथा 14881 ग्रामों में 75% से 100% फसल खराब की गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

जिलेवार एवं तहसीलवार फसल खराबे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राहत कार्यों पर माह मार्च, 1994 के लिये सभी अभावग्रस्त जिलों के लिये 2 लाख 49 हजार श्रमिक सीमा 28.2.94 को निर्धारित की गई थी। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जिला कलक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर जिला अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, जालोर, जोधपुर, पाली, उदयपुर, राजसमन्द व जयपुर जिले में चारा परिवहन अनुदान न दिये जाने की स्वीकृति जारी की गई है। जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) उपरोक्त 11 जिलों के अतिरिक्त अन्य जिला कलक्टर्स ने उनके जिले में उपलब्ध चारे के अलावा अतिरिक्त चारे की आवश्यकता नहीं बताई है।

(सूची एवं प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

विधान सभा क्षेत्र माण्डल के गांवों में अकाल राहत कार्य

953. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या सहायता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माण्डल विधान सभा क्षेत्र जिला भीलवाड़ा में कितने ग्राम अभाव ग्रस्त घोषित हैं और उनमें कितने प्रतिशत खराब है ?

(2) माण्डल विधान सभा क्षेत्र में अब

(श्री कालूलाल गुर्जर)

तक कितने गांवों में राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं और कितने शेष हैं ?

(3) शेष बचे ग्रामों में कब तक राहत कार्य चालू हो जायेंगे ?

(4) क्या जहां राहत कार्य चल रहे है वहां मजदूर पर्याप्त लगे हुये हैं ? यदि नहीं तो कार्यों पर पर्याप्त मजदूर कब तब लगा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) माण्डल विधान सभा क्षेत्र के 20 गांवों में 50% से 74% तथा 191 गांवों में 75% से 100% फसल खराबा आंका गया था। सभी 211 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

(2) माण्डल विधान सभा क्षेत्र में 125 गांवों में राहत कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं तथा 86 गांवों में राहत कार्य प्रारम्भ किया जाना शेष है।

(3) शेष गांवों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य चालू किये जावेगें।

(4) जी हां। दिनांक 19.3.94 तक माण्डल विधान सभा क्षेत्र में 5749 श्रमिक स्वीकृत किये गये थे जिनके विरुद्ध 5322 श्रमिक कार्यरत थे भविष्य में भी आवश्यकतानुसार श्रमिक लगाये जावेंगे।

राजस्थान राज्य भेड़ व ऊन फैडरेशन द्वारा एअर कण्डीश्नर की खरीद

954. **श्री खेत सिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य भेड़ व ऊन फैडरेशन द्वारा राजकीय नियमों के विरुद्ध एयर कण्डीशनर की खरीद की गई थी ? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या वित्त विभाग द्वारा इस खरीद की स्वीकृति ली गई है ?

(3) क्या राजकीय नियम राजस्थान राज्य भेड़ व ऊन फैडरेशन पर भी लागू होते हैं या नहीं ?

(4) राज्य सरकार द्वारा नियमों के विपरीत खरीद करने पर अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन द्वारा एयर कंडीशनर क्रय नहीं किया गया।

(2) एयर कंडीशनर क्रय ही नहीं किया गया अत: आवश्यकता नहीं थी।

(3) राजकीय नियम राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन फैडरेशन पर लागू है।

(4) एयर कंडीशनर क्रय ही नहीं किया गया अत: आवश्यकता ही नहीं हुई।

बेरोजगार युवक के बूथ आवंटन प्रकरण

955. **श्री नारायण सिंह** (दांताराम-

(74)

(श्री नारायण सिंह)

गढ़) : एवं **श्री महादेव सिंह** (खण्डेला) : क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर डेयरी में बूथ आवंटन हेतु माह 1 अगस्त, 90 से लेकर दिसम्बर, 1993 तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये ? प्रार्थियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस अवधि में एक बेरोजगार युवक के आवेदन पर बूथ नम्बर 180 उसे आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो इस आवंटन को कब और क्यों निरस्त किया गया ?

(3) उपरोक्त स्थल पर बूथ नम्बर 180 का आवंटन निरस्तीकरण के पश्चात् उक्त बूथ किस व्यक्ति के नाम किस आधार पर किया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि जयपुर डेयरी ने इस बेरोजगार युवक से बूथ आवंटन के आदेश व स्थल की आड़ में 3000/- रुपये गत साढ़े तीन वर्षों से नहीं लौटाये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार इस आवंटन में हुई अनियमितता की जांच कराकर दोषी अधिकारी को सजा देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार अब इस बेरोजगार युवक को हुई हानि मय ब्याज की रकम का भुगतान कराते हुए आवंटित बूथ व स्थल उपलब्ध कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर डेयरी में माह अगस्त, 90 से दिसम्बर, 1993 तक बूथ एवं शॉप ऐजेन्सी के आवंटन हेतु कुल 484 आवेदन प्राप्त हुये थे। आवेदकों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां, श्री विष्णुकुमार रावत को बूथ नं. 180 आदेश क्रमांक 26166–72 दिनांक 11.10.90 के द्वारा मानसिंह होटल के सामने संसार चन्द्र रोड पर आवंटन किया गया था। श्री रावत के नाम पर उक्त आवंटन अभी तक निरस्त नहीं किया गया है।

(3) संसार चन्द्र रोड पर श्री विष्णु कुमार रावत को नगर परिषद द्वारा स्वीकृति नहीं दिये जाने एवं श्री सुरेश कुमार को नगर परिषद द्वारा स्वीकृति दिये जाने के कारण बूथ का आवंटन किया गया है। बूथ नम्बर 180 का निरस्तीकरण नहीं किया गया है वर्तमान में यह बूथ डेयरी परिसर में दुग्ध उत्पाद बेचने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है।

(4) जी हां, क्योंकि इन्होंने अपनी जमानत राशि लौटाने हेतु अभी तक कोई आवेदन नहीं किया है। जब भी ये आवेदन करेंगे इनकी राशि लौटा दी जावेगी।

(5) जी नहीं, इस आवंटन में कोई अनियमितता नहीं हुई है।

(6) जयपुर दुग्ध संघ के नियमानुसार जमा अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है जहां तक बूथ आवंटन का प्रश्न है जब भी इनके द्वारा चाहे गये स्थल के लिए

(दुग्ध विकास मंत्री)

नगर परिषद द्वारा स्वीकृति दी जाती है तो इन्हें प्राथमिकता के आधार पर बूथ आवंटित कर दिया जावेगा। वर्तमान में संघ द्वारा नये बूथ केबिन का निर्माण नहीं किया जा रहा है, केवल आवेदक के मकान अथवा दुकान पर शॉप एजेन्सी आवंटित की जा रही है। यदि आवेदक इसमें रुचि रखते हो तो इन्हें शॉप एजेन्सी तुरन्त आवंटित की जा सकती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित प्रश्न

(शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 1994)

राज्य के रासायनिक कारखानें

289. **श्री रामेश्वर लाल भाटी** (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में कितने रासायनिक कारखाने वर्तमान में कहां-कहां कार्यरत हैं ? उनके नाम दर्शाते हुए क्षमता व उत्पादन सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूची संलग्न है,

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

(1) श्री हरिसिंह कुम्हेर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा-जयपुर पर ढूंढ एवं बाण गंगा नदी पर बने हुए पुलों पर वसूले जा रहे टोल टैक्स को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हीरालाल (बामनवास), सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम दिवाड़ा, तहसील बौंली, जिला सवाई माधोपुर में दिनांक 10-3-1994 को दिन के तीन बजे सरसों के खलिहान में हुए भीषण अग्निकाण्ड के पीड़ितों को राहत प्रदान करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल सिंचाई परियोजना की एवरा माइनर से हुए भूमि कटाव के कारण आवागमन में हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया

(76)

(श्री अध्यक्ष)

है कि चम्बल सिंचाई विभाग की एवरा माइनर बाजड़ राजबाह की सहायक नहर अंवासा माइनर से निकलती है। इस नहर के साथ दायी ओर सर्विस रोड बनी हुई है, जिससे ग्राम एवरा के ग्रामवासी बाजड़ ग्राम की ओर आते हैं। इस नहर की लम्बाई लगभग 3·78 किलोमीटर हैं। इस नहर के टेल पर रेवाईंस (खालें) आते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा के पानी के कारण इन खालों में कटाव होता रहता है और अब यह कटाव होता रहता है और अब यह कटाव नहर की सर्विस रोड के समीप तक आ गया है एवं सर्विस रोड़ का कुछ भाग भी क्षतिग्रस्त हो चुका है इस कारण आवागमनों में कठिनाई आती है।

तलाई से पानी निकालना एवं तलाई में ग्रामवासियों द्वारा पानी नहीं जाने दिया जाना, वह पंचायतों के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है।

जहां तक रैवाईंस रोकने का कार्य है वह सिंचित क्षेत्र विकास विभाग का कार्य क्षेत्र नहीं है। शायद यह कार्य कृषि विभाग द्वारा किया जाता है, किन्तु समस्त रेवाईंस के कटाव को रोकना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य होगा। इसके लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा जांच कर तकमीना बनाने का प्रयास किया जा सकता है।

(2) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका नैनवां में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित वेतन श्रृंखला नहीं दिये जाने से उनमें व्याप्त असंतोष के बारे में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि नगरपालिका नैनवां में वर्तमान में 13 सफाई कर्मचारी नियमित वेतन श्रृंखला में कार्य कर रहे हैं तथा नगर पालिका, नैनवां में सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से की जा रही है इस कारण 13 सफाई कर्मचारियों को और दैनिक वेतन पर लगाया है।

नगरपालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। नगर पालिका में नियमित कर्मचारियों का वेतन भी करीब चार माह से बकाया चला आ रहा है। इसके अलावा पी. एफ. आदि करीब गत 3 वर्षों से बकाया चला आ रहा है, इसलिए नगरपालिका ऐसे अस्थायी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित वेतन श्रृंखला देकर व्यय भार वहन करने में अभी समर्थ नहीं है। अभी नगरपालिका उन्हें दैनिक मजदूरी ही दे रही है एवं पूरे मस्टररोल रिकार्ड में सुरक्षित हुए हैं जिनमें वांछित विवरण अंकित है। भविष्य के लिए इन दैनिक वेतन सफाई कर्मचारियों को नियमित वेतन श्रृंखला एवं भत्ते नियमानुसार दे दिये जायेंगे।

(3) श्री भीमसेन चौधरी एवं 6 सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर द्वारा नवम्बर, 92 व मई, 93 में कुछ पदों पर नियुक्तियों हेतु आवेदन पत्र मांगे जाने तथा उनमें से कुछेक को बिना साक्षात्कार नियुक्ति दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर में नवम्बर, 1992 एवं मई, 93 में क्रमशः 44 एवं 10 पदों के लिए आवेदन हेतु विज्ञापन जारी किये थे, जिनके अनुसरण में 15,067 आवेदन पत्र प्राप्त हुए एवं इन आवेदन पत्रों के साथ करीब दो लाख रुपये के पोस्टल आर्डर प्राप्त हुए। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 20 पदों पर अस्थायी नियुक्तियां 4 माह के लिए की गयी हैं।

बोर्ड के संचालक मण्डल के निर्णय के क्रम में बोर्ड की योजना मद के अन्तर्गत 28-2-94 तक स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्णित नियुक्तियां चार माह के लिए बोर्ड द्वारा की गयी हैं। इन नियुक्तियों के बारे में राजस्थान सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। राजस्थान सरकार ने इन सभी नियुक्तियों को प्रसुप्तावस्था में रखे जाने बाबत बोर्ड को निर्देश दे दिये हैं।

बोर्ड के अध्यक्ष को राजस्थान या राजस्थान से बाहर यात्रा करने का अधिकार होने से दौरे किये गये हैं।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीम का थाना, उप-खण्ड अधिकारी कार्यालय द्वारा अदालत की सैंकड़ों फाइलों में फर्जी निर्णय व डिक्रियां बनाकर लूट-खसोट के सिद्ध प्रकरणों की जांच करवाकर विभागीय कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की खराब व अधूरी पड़ी सड़कों को ठीक करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती कमला, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाईजी की कोठी, झालाना डूंगरी, जयपुर में वायु प्रदूषण से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले के वन खण्ड लिवाली संख्या-9 रेंज लालसोट के ग्राम गुडला की भूमि के वन बन्दोबस्त आदेश फर्जी बनाकर खातेदारी प्राप्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि व अन्य विद्युत कनेक्शनों के एस्टीमेट में पोल से मीटर तक के केवल आदि का पैसा लेने के उपरान्त भी उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरि सिंह महुआ, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र महुआ तथा टोडाभीम पंचायत समिति की 11 ग्राम पंचायतों के गांवों को विद्युतीकृत घोषित करने के उपरान्त भी विद्युत

(78)

(श्री अध्यक्ष)

कनेक्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री महेन्द्र कुमार मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की तहसील सिकराय के भूतपूर्व तहसीलदार की मृत्यु होने की जांच पुलिस द्वारा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री बनवारी लाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई तहसील में माधोलाल व जयसिंहपुरा बांध का निर्माण कराकर काश्तकारों को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले के बिलाड़ा कस्बे में डाक बंगले का निर्माण जनहित में करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण की तहसील जमवारामगढ़ के गांव नरपतियाबास में हुए भयंकर अग्निकाण्ड के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीम का थाना के महाविद्यालय में स्नोकोत्तर कक्षाएं इसी वर्ष से शुरू करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले की नैनवां तहसील के ग्राम कनकपुरा में निर्माणाधीन एनीकट का कार्य पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री हरिसिंह कुम्हेर, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले में कुम्हेर से तालफरा रोड तथा सोगरउबार होते हुए गुनसारा रोड के निर्माण में कृषकों की अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर के लाडनूं में पीने के पानी की भयंकर समस्या होने के सम्बन्ध में।

(15) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद, बोरावड़, मगलाना व परबतसर में मार्बल के पाण्डू से फैल रही बीमारियों से आम जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(16) श्री रामचन्द्र रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम चेचीपुरा में विद्युतीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र के डोजा एवं मेताली पुलों का निर्माण नहीं होने से लोगों को एवं पशुओं को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि आज मुखवृन्द का

(श्री अध्यक्ष)

समय साढ़े चार बजे है और कल होली है। बहुत से माननीय सदस्य मेरे पास आये, वह दिल्ली जाना भी चाहते हैं इसलिए आज शून्यकाल को स्थगित करके और यदि आप लोगों की राय हो तो इन सबको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। तो अब इनको पढ़ा हुआ माना जायेगा। कापियां, प्रतियां दे दी जायेगी मैं कॉल अटेन्शन ले लेता हूं, उसके बाद (व्यवधान)।

(नियम 295 के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें।)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति बोलनी में एक भयंकर अग्निकाण्ड हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आ गया वह तो।

श्री परसादी लाल मीणा : दस मार्च को हुआ है और उस पर सरकार ने अब तक उनकी कोई मदद नहीं की है। सारे किसान अनुसूचित जनजाति के हैं और कलक्टर ने या किसी ने भी वहां जाकर आज तक कोई एक पैसे की भी मदद नहीं की है। तो हमारा निवेदन है कि किसान की पकी पकाई फसल खलिहान में लाने के बाद यह भयंकर अग्निकाण्ड हुआ है, यह भयंकर उनके साथ एक दुर्घटना है और इस पर सरकार को बयान देना चाहिए। सरकार ने अब तक क्या मदद दी? सरकार अब क्या देने जा रही है? इस पर मुख्य मन्त्री जी से निवेदन है उनकी हालत ऐसी खराब हो रही है कि आप उसमें सहायता की घोषणा करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि यह अग्निकांड बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ है और लाखों रुपयों का काश्तकारों का नुकसान हो गया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : इसकी मैं जानकारी कर लूंगा कि क्या सहायता दी जा सकती है। उसके सम्बन्ध में मैं आपको बता दूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सहायता तो ऐसा है कि आपके नियमों के अनुसार तो आप खाने-पीने की और ऐसी ही सहायता देंगे तो वह कोई सहायता नहीं हुई। उनका 8 लाख का नुकसान हुआ है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो नियम आपके बनाये हुए हैं उनकी पालना करूं या नहीं करूं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने कई नियम बदले हैं, इन नियमों को भी बदल लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपने बनाये हुए नियमों में तो आपको भरोसा नहीं है.... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो अभी जानकारी दी है, मैं जानकारी प्राप्त करूंगा और जहां तक सम्भव हो सकता है उनको तुरन्त सहायता पहुंचाने की कोशिश करूंगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

एसोसियेटेड लाइम स्टोन लिमिटेड में आर. एस. एम. डी. सी. के अधिकारियों को बेनामी भागीदारी।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री जीतराम जी ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री जीतराम (मालपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की एक भागीदारी कम्पनी मैसर्स एसोसियेटेड लाइम स्टोन लिमिटेड में निगम के अधिकारियों की बेनामी भागीदारी के सम्बन्ध में जांच आयोग द्वारा की गयी कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बाहरी जांच कमेटी के प्रतिवेदन में निगम में कार्यरत मुख्य खनिज अभियन्ता, श्री आर. के. मूंदड़ा तथा उप प्रबन्धक (विपणन), श्री ओ. पी. शर्मा को प्राथमिक रूप से दोषी पाया गया है। इन अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा गया था व निदेशक मण्डल ने इनके विरुद्ध नियमित संयुक्त विभागीय जांच करवाने का अक्टूबर, 1992 में निर्णय लिया इस निर्णय पर अभी तक कार्यवाही लम्बित रही है क्योंकि श्री मूंदड़ा दिनांक 9-10-92 से दिनांक 10-11-92 तक हृदय रोग से पीड़ित रहे। अतः प्रबन्ध मण्डल ने यह निर्णय लिया कि इन अधिकारियों को आरोप-पत्र श्री मूंदड़ा के स्वस्थ होने के पश्चात् ही दिया जाए, नगर करीब 7 माह तक कार्यकारी निदेशक का कार्य भी श्री मूंदड़ा द्वारा अपने पद के कार्य के अतिरिक्त देखा गया अतः उन्हें यह जांच कार्य नहीं सौंपा गया। समय-समय पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के स्थानान्तरण भी अल्पावधि में होते रहे। निगम के निर्णयानुसार उपरोक्त दोषी पाये गये अधिकारियों को शीघ्र आरोप पत्र दिये जाकर वांछित कार्यवाही की जाएगी।

यह सही नहीं है कि एसोसियेटेड लाइम स्टोन लिमिटेड में निगम की ओर से मनोनीत निदेशक उपरोक्त एसोसियेटेड के प्रमोटर्स से सम्बन्धित अन्य कम्पनी मैसर्स एसोसियेटेड मिनरल्स लिमिटेड का भुगतान गलत जांच कर रुकवा दिया गया था। वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक 27-5-1991 को सचिव, राजस्थान राज्य खनिज कर्मचारी एवं श्रमिक संघ से एक शिकायत इस आशय की प्राप्त हुई थी कि यह कम्पनी निगम में तुलाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण जिप्सम की ट्रकों द्वारा ढुलाई करने में माल का कम वजन बताकर वास्तव में अधिक वजन का माल ले जा रही है व अन्य कारणों से भी निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है। शिकायतों की विस्तृत जांच के लिए निगम के आंतरिक अंकेक्षण के प्रभारी अधिकारी द्वारा जांच करवाई गयी एवं प्रबंध निदेशक ने दिनांक 28-10-1991 को यह निर्णय लिया कि रिपोर्ट के आधार पर तुरन्त कार्यवाही की जाए तथा जब तक पार्टी इस सम्बन्ध में वास्तविक माल के वजन से सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर दे तब तक इसे कोई भुगतान नहीं किया

(श्री कैलाश मेघवाल)

जाए। इस पार्टी ने बकाया राशि के मामले को निपटाने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिस पर दिनांक 28-1-94 को यह आदेश दिये गये हैं कि मामला निगम के चार वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी द्वारा विचार कर निर्णय प्रस्तावित किये जाएं।

दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के बारे में निदेशक मण्डल की नीति स्पष्ट रही है लेकिन इसकी अनुपालना में प्रशासनिक परिस्थिति-जन्य विलम्ब हुआ है। निगम ने मैसर्स एसोसियेटेड लाइम स्टोन लिमिटेड के प्रबन्ध मण्डल में निगम के पूर्व मनोनीत निदेशकों को बदल दिया है तथा अब इन दोषी अधिकारियों में से कोई भी कम्पनी के निदेशक मण्डल के सदस्य नहीं हैं। निगम की सम्पूर्ण साधारण अंश पूंजी भी निगम के पास सुरक्षित है।

(12.15)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

श्री जोतराम : माननीय सभापति महोदय, इस जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूं। इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को तुरन्त सस्पैण्ड किया जाये क्योंकि राज्य सरकार के निगम की जांच रिपोर्ट के अनुसार मुख्य अभियन्ता, श्री आर. के. मून्दड़ा और उप-प्रबन्धक, श्री ओ.पी. शर्मा दोषी पाये गये। दोषी पाये गये तो उनको क्यों नहीं सस्पैण्ड किया गया ? सरकार जबाव दे। इसके अलावा यह भी बताये कि श्री ओ.पी. शर्मा की कब नियुक्ति हुई, क्या क्वालीफिकेशन थी और उनकी जन्म तिथि क्या है ?

श्री कालीचरण सराफ (जौहरीबाजार): माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने जबाब में बताया है कि जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह दोनों अधिकारी दोषी पाये गये और अधिकारियों ने स्पष्टीकरण दिया है उसके बाद निदेशक मण्डल ने अधिकारियों के विरूद्ध संयुक्त विभागीय जांच करवाने का निर्णय अक्टूबर, 1992 को ले लिया। परन्तु अभी तक कार्यवाही नहीं हुई उसका कारण दिया है कि मूंदड़ा जी दिनांक 9.10.92 से 10.11.92 तक हृदय रोग से पीड़ित थे ओर फिर कारण दिया है कि 12.1.93 को कार्यकारी निदेशक का स्थानान्तरण हो गया। यानि दो महीने मिले तो दो महीने में कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद आगे कहा है कि दिनांक 20.8.93 को एक अन्य प्रशासनिक अधिकारी को निगम में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया किन्तु उनका स्थानान्तरण भी 22.2.94 को हो गया। यानि 8 महीने के बाद। तो 8 महीने में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो इससे यह साफ परिलक्षित होता है कि वहां के जो अधिकारी हैं वह इनको बचाना चाहते हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या अब सरकार की नीयत है कि इनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। और कार्यवाही करेगी तो कितने दिन में कार्यवाही करके उनको दण्डित कर दिया जाएगा ? इसका जवाब माननीय मंत्री जी दें।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभापति महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने अपने जबाब में कहा कि जांच रिपोर्ट सरकार के पास प्राप्त हुई। उसके बाद इतना लम्बा समय होने के बाद भी कार्य-

(श्री हरजीराम बुरड़क)

वाही नहीं करना, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, मेरा इसमें यह निवेदन था कि जिस प्रकार का यह दोष जांच रिपोर्ट में आया है कि निगम की भागीदारी की कम्पनी थी और उस कम्पनी में यह संचालक मण्डल में सदस्य थे और संचालक मण्डल में सदस्य होते हुए कम्पनी से मिलकर जो दोष किया है वह बड़ा भयंकर दोष है। क्योंकि निगम की और भी कई कम्पनियां हैं और यह प्रोसिजर हमेशा से चला आ रहा है कि दूसरी कम्पनी जो भागीदारी में काम करेगी उसमें निगम की ओर से वह लोग वहां संचालक मण्डल में रहें। अगर इस प्रकार से उन लोगों को यह घोटाला करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तो दूसरी कम्पनियों में जो भी निगम की भागीदारी है उनके संचालकों पर भी असर पड़ेगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के मामलों में विशेष रूप से रूचि लेकर आप आज ही कोई घोषणा करें कि हमने इस सम्बन्ध में यह कार्यवाही की है।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय सभापति जी, यह इतना बहुत गम्भीर मामला है। अक्टूबर, 1992 में एक निर्णायक स्थिति में पहुंचे। प्रश्न यह नहीं है कि कब किसका शासन था, राष्ट्रपति शासन था या क्या था। एक बहुत अहम् मुद्दा, माननीय मुख्य मंत्री जी, यह उठता है कि जब अक्टूबर, 1992 में एक निर्णायक स्थिति में पहुंच गये और जोइन्ट इन्क्वायरी का फैसला कर दिया, अब मानलो आप शीघ्रता से इन्क्वायरी भी करवा देंगे तो वह दोषी अधिकारी कौन हैं जिन्होंने जोइन्ट इन्क्वायरी को शुरू नहीं होने दिया? वह निश्चित रूप से इन दोनों अधिकारियों से सीनियर हैं। जिन अधिकारियों ने इन दोनों अधिकारियों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला रखा और जोइन्ट इन्क्वायरी को शुरू होने से रोक दिया, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का मानस है और वह कार्यवाही कब तक सरकार कर देगी।

श्री सभापति : श्री गहलोत। एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत (जोधपुर) : माननीय सभापति जी, यह जांच रिपोर्ट आने के बाद उस समय चेयरमैन थे श्री एस.पी. विश्नोई, वे सेवानिवृत्त हो गये। उसके बाद तीन-तीन मुख्य सचिव इसके चेयरमैन रहे। उस समय वहां से यह फाइल जिस पर जांच हुई थी, जिस पर टिप्पणी लिखने वाले थे, गायब हो चुकी थी। वह फाइल जनवरी में मिली कार्यवाही करने के बाद। मेरा यह निवेदन है कि जिन्होंने यह फाइल गायब कराके यह मामला दबाने की कोशिश की उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। फाइल मिली, उस पर जो टिप्पणी की गई है उसमें स्पष्ट लिखा है कि इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। उसके ऊपर चूंकि हस्ताक्षर नहीं हुए, आज की तारीख में कौन उस पर हस्ताक्षर करेगा, उसके विरुद्ध कौन कार्यवाही करेगा, यह एक बड़ा गम्भीर मामला है। किसी अधिकारी का भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाए, उसकी टिप्पणी लिखी जाए उसके बाद उस पर हस्ताक्षर नहीं हों, इससे बड़ी गम्भीर बात कोई हो नहीं सकती। माननीय मंत्री जी बतायें कि वह फाइल क्यों गायब

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

हो गयी और उस पर टिप्पणी लिखे जाने के बाद उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं हुए ? राष्ट्रपति शासन में कार्यवाही नहीं हुई, यह बात समझ में आ सकती है पर अब तक यह कार्यवाही क्यों नहीं हुई, यह बात समझ में नहीं आ रही है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री सभापति : मैं सभापति हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो आपका प्रमोशन कर रहा हूं ।

श्री सभापति : कृपा न करें मेरे पर ।

श्री शिवनाथ सिंह : भामड़ा जी तक सन्देश पहुंचा देंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहुंच गया वह तो । इनके मन में भी पहुंच गया ।

सभापति महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित कर एक अच्छा कार्य किया है । मैं यह समझता हूं कि इसमें अनावश्यक रूप से विलम्ब हुआ है । अभी मैंने पत्रावली देखी है, इससे मुझे लगता है कि दोषी अधिकारी को बचाने का अटेम्प्ट किया गया है । मैं इस स्थिति को देखूंगा । यह बात भी सही है, जैसा जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि फाइल कई दिनों तक गायब रही । इस सारे प्रकरण को देखकर कहीं भी कोई दोषी पाया गया जिसने प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला देने की कोशिश की, फाइल गायब करने में जिनका हाथ था, इसको चार्ज शीट देने में जिन्होंने विलम्ब किया उन सब के खिलाफ तो कार्यवाही होगी, लेकिन साथ ही दोषी अधिकारी भी बच नहीं पायेंगे, इतना ही मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री रामनारायण वर्मा : सभापति महोदय, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन । परिस्थिति यह आ रही है कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से कि नहरी इलाके में टेल में पानी नहीं दिया जा रहा है ।

श्री सभापति : इस पर बाद में बात करेंगे । रामनारायण जी, बिराजें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वहां हड़ताल है ही नहीं ।

श्री रामनारायण वर्मा : मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, इन्फार्मेशन आयी है कि नीचे के अधिकारी बड़े अधिकारियों से कागज नहीं ले रहे हैं ।

श्री सभापति : मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं । बाद में बात करेंगे, आप बिराजें ।

श्री रामनारायण वर्मा : आपके रिकार्ड में नहीं होगी हड़ताल लेकिन वास्तव में हड़ताल में हैं, इसकी जांच करायें आप ।

श्री सभापति : नियम 131 के अन्तर्गत श्री रामस्वरूप मीणा ध्यान आकर्षित करेंगे चिकित्सा मंत्री जी का ।

स्वास्थ्य निरीक्षकों की नियुक्ति

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के दु:खी, बेरोजगार, ट्रेनिंग-शुदा उन स्वास्थ्य निरीक्षकों की ओर चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो 20 फरवरी, 1991 से बेरोजगार हैं।

श्री सभापति : ध्यान आकर्षित करें, फिर बाद में प्रश्न पूछें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : मैं आकर्षित हो गया।

सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कुल 1362 स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद सृजित थे। इनमें से 538 पदों पर ही स्वास्थ्य निरीक्षक कार्यरत थे। विभाग स्वास्थ्य निरीक्षकों के 824 पद काफी समय से रिक्त चले आ रहे थे। इनमें से वर्ष 1989 में राज्य स्तर पर आयोजना भिन्न व्यय के अन्तर्गत पांच प्रतिशत कटौती की जानी थी। इसलिए दिनांक 24.11.1989 को राज्य सरकार ने एक आदेश प्रसारित कर स्वास्थ्य निरीक्षकों के 71 पद इकानामिक कट में समाप्त कर दिये।

दिनांक 25.11.1989 को विभाग में स्वास्थ्य निरीक्षकों के कुल 753 पद रिक्त थे। इसके बाद राज्य सरकार ने इन पदों के बारे में एक एक्सपर्ट समिति का गठन किया जिसमें निम्न सदस्य थे :—

1. डा. वी. एन. शर्मा, अध्यक्ष
2. डा. रामेश्वर शर्मा, सदस्य
3. डा. चरणजीत सिंह अहलूवालिया, सदस्य तथा 4. डा. के. बी. सक्सेना, सदस्य सचिव।

उक्त समिति ने दिनांक 20.6.1990 के बाद कई बैठकों में विस्तारपूर्वक इनकी सेवाओं का कैसे सदुपयोग किया जाए, इस पर विचार-विमर्श किया एवं सदस्यों के गहन अध्ययन पर यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान स्थिति में स्वास्थ्य निरीक्षकों के पदों की ब्लाक एव नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपादेयता नहीं रही है क्योंकि यह समस्त कार्य विभाग में कार्यरत बहुद्देश्यीय कार्यकर्त्ता द्वारा सम्पन्न किया जाता है। अत: नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलते समय भविष्य में इन पदों का सृजन नहीं किया जाए। उक्त समिति ने 426 पद इकानामिक कटौती में समाप्त करने की सिफारिश की। परन्तु इन पदों को समाप्त करने के आदेश उस समय नहीं किये गये तथा पदों को रिक्त रखा गया।

स्वास्थ्य निरीक्षकों के पदों को भरने अथवा नहीं भरने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26.8.1992 को एक बैठक हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे :—

1. स्वास्थ्य मंत्री जी
2. मुख्य सचिव महोदय
3. सचिव, मुख्य मंत्री
4. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
5. शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, एवं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

6. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 327 पद जो वर्तमान में रिक्त हैं उन पर नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज की परिस्थितियों में स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों को अन्य बहुद्देश्यीय कार्यकर्त्ताओं द्वारा किया जा रहा है एवं भविष्य में स्वास्थ्य निरीक्षकों के पदों का सृजन चिकित्सा विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। अतः विभाग के आदेश दिनांक 22.1.1993 द्वारा 327 स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद समाप्त कर दिये गये।

महालेखाकार ने भी यह टिप्पणी की थी कि स्वास्थ्य निरीक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए गठित समिति ने यह सिफारिश की थी कि इन पदों की मिनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोई उपादेयता नहीं है, इसलिए इन पदों को समाप्त कर दिया जाए। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश एवं महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के आक्षेप के कारण आदेश दिनांक 22.1.1994 द्वारा स्वास्थ्य निरीक्षकों के 426 पदों को समाप्त कर दिया गया।

इस प्रकार चिकित्सा विभाग ने स्वास्थ्य निरीक्षकों के कुल 824 पद निम्न आदेशों द्वारा समाप्त कर दिये :—

1. प. 1 (168) चिकि. स्वा.–2/89 दिनांक 24.11.1989 इकानामिक कट के कारण।

2. प. 2 (107) चिकि. स्वा.–3/87 दिनांक 22.1.1993 मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर।

3. प. 2 (107) चिकि. स्वा.–3/87 दिनांक 22.1.1994 एक्सपर्ट समिति की सिफारिश एवं महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के आक्षेपों के आधार पर।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी, इसमें कुछ बचा नहीं है अब। आप पूछ लें प्रश्न, बाकी कुछ बचा नहीं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे दो प्रश्न हैं सीधे। 20 मार्च, 1992 के दिन यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन किया गया था। 28 मार्च को रात्रि 11.30 बजे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जूस पिलाकर उसका अनशन तुड़वाया था और यह कहा था कि दो महीने में इन पदों को भर दिया जाएगा, आपको रोजगार दे दिया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : जूस पिलाया था लेकिन यह नहीं कहा था।

श्री सभापति : जूस पिलाकर तो ठीक ही किया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं हां कर रहे हैं इस बात की कि मैंने उनको जूस पिलाया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कह रहा हूं, जूस पिलाया था। यह बात सही है लेकिन यह आश्वासन नहीं दिया था।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : जूस पिलाकर मारने वाली तरकीब अच्छी निकाली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जूस पिलाकर जिन्दा किया उसको, आप लोग मारने का षडयन्त्र कर रहे थे।

श्री सभापति : आडिट आक्षेप आ गया है, इतने उच्च स्तर पर फैसला हो गया है और बहुद्देश्यीय कार्यकर्त्ता जब उस काम को कर रहे हैं तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा दूसरा निवेदन है, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, इनके यहां भी इनके पद खाली पड़े हुए हैं। जब उनके पद खाली पड़े हुए हैं तो आपको इनको रोजगार देने में क्या दिक्कत आ रही है ?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : प्रति वर्ष कितने स्वास्थ्य निरीक्षक शिक्षित होते हैं ?

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपयोगिता नहीं, रखें ही नहीं तो वह ट्रेनिंग तो बन्द कराओ ताकि दूसरे तो और खराब नहीं हों।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका सुझाव ठीक है, इस पर गवर्नमेण्ट विचार कर लेगी।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : विचार करेंगे, कोई निर्णय यहां नहीं बतायेंगे ? विचार करेंगे, देख लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आखिर सरकार में आप भी रहे हो, सरकार में जो भी निर्णय होते हैं वे मन्त्रिमण्डल से होते हैं। आप मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं रहे इसलिए आपको शायद अनुभव नहीं है।

श्री सभापति : बिना विचारे कुछ करना भी नहीं चाहिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी यहां विराजमान हैं, पूर्व में भी धरना हुआ, सारी बातें हुई और यहां भी इस प्रकार की घोषणा हुई थी।

श्री सभापति : उनका अलग से ध्यान आकर्षित करिये, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : कि इनको भर दिया जाएगा।

श्री सभापति : चिकित्सा मंत्री जी ने जवाब दे दिया।

श्री रामस्वरूप मीणा : इस बारे में मैंने लिखी थी ध्यानाकर्षण में ही बात। स्वायत्त शासन मंत्री जी बिराजमान हैं, वे कृपा करके कम से कम कुछ बतायें।

श्री सभापति : विराजमान होने से मैं अलाऊ नहीं करता, जिसका ध्यानाकर्षण है उसी पर अलाउ करूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप इन खाली पदों को कब तक भर देंगे ?

श्री सभापति : जो ध्यानाकर्षण का है उसको ही अलाउ करूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, रामस्वरूपजी बहुत सक्रिय हो गये हैं यह बात सही है।

श्री रामस्वरूप मीणा : लेकिन आप तो सक्रिय नहीं हुए हैं। इसकी घोषणा कर दो तो बेड़ा पार हो जाए गरीबों का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बहुत सक्रिय हैं और पुराने मामले आपको याद हैं और सबको उठाते रहते हैं। इस सक्रियता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपका भी ध्यान बना रहे।

श्री सभापति : धन्यवाद। बिराजिये। चर्चा समाप्त हुई।

याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अमरा रामजी।

श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : सभापति महोदय, आपकी, मैंने अध्यक्ष महोदय से भी इजाजत ले ली है।

श्री सभापति : आप विराजें, मैं अभी पुकारता हूं, आपको बुलाऊंगा....(व्यवधान) मुख्य मन्त्री जी को मैं बाध्य नहीं करता। विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह मामला राष्ट्रीय पक्षी मोर का है। राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या का मामला है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरा निवेदन है, मैंने अध्यक्ष महोदय से भी इजाजत ले ली है....

श्री सभापति : आपको इजाजत दूंगा, माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : सभापति महोदय, झालावाड़ में झालावाड़ महोत्सव 18 मार्च को शुरू हुआ....

श्री सभापति : मैं इजाजत दे रहा हूं आपको। आप बिराजें तो सही। उपस्थापन करते ही आपको इजाजत दूंगा। श्री अमरारामजी चार याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

याचिकाओं का उपस्थापन

आसोतरा से ब्रह्माजी के मन्दिर तक मैटल सड़क का डामरीकरण

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सभापति महोदय, मैं बाड़मेर जिले के पचपदरा तहसील के आसोतरा से ब्रह्माजी के मन्दिर तक 4 किलोमीटर की मैटल सड़क का डामरीकरण करने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

ग्राम परेऊ (तहसील बायतू) से खोमसर मैटल सड़क का डामरीकरण

(2) ग्राम परेऊ (तहसील बायतू) से खोमसर मैटल सड़क का डामरीकरण करने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

ग्राम बागुण्डी तहसील पचपदरा से ग्राम सणतरा वाया खारापारा ग्रेवल सड़क का डामरीकरण

(3) ग्राम बागुण्डी तहसील पचपदरा से ग्राम सणतरा वाया खारापार ग्रेवल सड़क का डामरीकरण करने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों में पेयजल उपलब्ध करवाने बाबत

(4) अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों में पेयजल उपलब्ध करवाने बाबत तीन व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उप-स्थापित करता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह जी ।

झुंझनूं जिले की उदयपुर वाटी तहसील के गुढ़ा में सब तहसील खोलने के सम्बन्ध में

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापतिजी, मैं झुन्झुनूं जिले की उदयपुर-वाटी तहसील के गुढ़ा में सब तहसील खोलने के सम्बन्ध में एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं ।

श्री सभापति : श्री नाथूराम अहारी ।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं डूंगरपुर नगर पालिका क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

श्री सभापति : श्री शांतिकुमार धारीवाल ।

सूचना

झालावाड़ महोत्सव में मोर के मांस का रात्रि भोज में वितरण

श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डौली) : सभापति महोदय, हर साल की भांति झालावाड़ ने + + + इस वर्ष भी 18 मार्च, 19 मार्च और शायद 20 मार्च, को तीन रोज का एक प्रोग्राम रखा और यह प्रोग्राम इसलिए रखती हैं कि झालावाड़ को टूरिज्म के मैप पर लाया जाए, बहुत अच्छी बात है । लेकिन समस्या यह हुई कि एक रोज डिनर जब हुआ तो डिनर का जो मीनू छपा उस मीनू में राष्ट्रीय पक्षी मोर का मांस सर्व किया जाएगा, इस बात का उल्लेख था । यह उल्लेख इसलिए था कि जो इन्वाइटीज थे उनका बराबर हमेशा से यह आग्रह रहा है कि उनको मोर का मांस खिलाया जाए । चूंकि यह मोर का मांस जितने भी दूसरे बर्ड्स हैं उनके गोश्त से बिलकुल अलग तरीके का माना जाता है और यह स्टेटस सिम्बल बन चुका है । जिसने मोर का मांस खा लिया, वह नॉन वेजेटेरियन आदमी पचासों जगह इसका जिक्र करता है और इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है कि मोर का मांस खाने से यह-यह गुण होते हैं । मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि यह घटना बराबर होती आ रही है । सन् 1991 में घटना हुई, सन् 1993 में घटना हुई । घटनाएं तो पता नहीं कितनी रोज होती हैं लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नॉलेज में आ गया था यह फैक्ट । तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पक्षी मोर को मार देना और फिर एक आयोजित डिनर में, एक समारोह करके डिनर में उसका गोश्त सरेआम खाना, क्या कानून में प्रतिबन्धित नहीं है ? इस महोत्सव के टाइम पर पूरा जिला प्रशासन ही नहीं बल्कि संम्भागीय स्तर के लोग वहां पर मौजूद थे और हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े डिग्निट्रीज और फौरेन डिग्निट्रीज भी वहां पर कहते हैं कि मौजूद थे, उसके सामने यह घटना घट जाना और इस घटना से

+ + + नाम अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

बार-बार इस तरीके से मांस खिलाने को प्रोत्साहित करना, यह बहुत बड़ा जुल्म है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात की जानकारी लेगी कि वह डिनर किसके द्वारा आयोजित किया गया था, किसने उसका खर्चा उठाया और वे लोग कौन-कौन थे जो उस डिनर में इन्वाइटेड थे।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारना ही बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए खास तौर से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ने इसके बारे में बहुत सारे इस प्रकार के प्रचार भी किये हैं कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण नहीं मारा जाए और इस प्रकार से खुले डिनर के अन्दर एक मोर नहीं था, कई मोर मार कर के यह डिनर दिया गया।

श्री शांति कुमार धारीवाल : 150 मोर थे।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, आबकारी) : यह असत्य खबर है बिलकुल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री)। यह आपने जानकारी ली है या अखबार में छपी हुई खबर से कह रहे हैं?

श्री शांति कुमार धारीवाल : अखबार में छपी हुई है और कुछ जानकारी टेलीफोन पर मुझे प्राप्त हुई।

श्री खेतसिंह राठौड़ : टेलीफोन पर अगर प्राप्त हुई....

श्री सभापति : मैं इसको खुली चर्चा का विषय नहीं बनने दूंगा। अब आप बिराजें....(व्यवधान) पाटीदारजी, बिराजिये ....(व्यवधान)।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार : वह मीनू नहीं है, सारी असत्य बातें हैं।

श्री सभापति : माननीय अनंगकुमारजी जैन। पाटीदार साहब, मैंने अनंग कुमारजी जैन को इजाजत दी है....(व्यवधान)।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, आबकारी) : माननीय हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया, यह एक अखबार में छपी खबर के माध्यम से इन्होंने यहां उठाया है। माननीय सभापति महोदय, वहां पर 18-19 मार्च को झालावाड़ हैरिटेज फाउण्डेशन एक संस्था है जिसके द्वारा यह कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया था। विशेष रूप से उसमें वहां की+++का भी आपने नाम लिया। लेकिन इस संस्था के

+++ नाम अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अनंग कुमार जैन)

द्वारा फंक्शन आयोजित कराया गया था और डिनर वगैरह सारा कार्यक्रम संस्था के माध्यम से आयोजित हुआ था और यह खबर बिलकुल असत्य है। यह खबर जब मैंने भी अखबारों में पढ़ी तो इसके बारे में मैंने मालूमात की, निश्चित रूप से यह बिलकुल असत्य खबर है। वहां कोई पीकॉक मीट सर्व नहीं किया गया था, न इस तरह का कोई मीनू छपा है, न इस प्रकार का कोई सर्व किया गया है। माननीय सदस्य सिर्फ एक अखबार की खबर के आधार पर कह रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना तरीके से। यह सारा जो आपने प्रश्न उठाया, असत्य हैं। इनकी कहीं सत्यता नहीं है और न इस प्रकार का वहां पर सर्व किया गया है।

श्री सभापति : श्री जगदीप धनखड़। माननीय मुख्य मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कल सुबह....

श्री सभापति : मैं बार-बार क्षमा चाह रहा हूं, साहब, आपसे, मैं सभापति हूं। (व्यवधान)।

श्री जगदीप धनखड़ : आप अध्यक्ष बन जाएंगे तो माभड़ाजी का क्या होगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप कुछ संदेह कर रहे हो, कई बार जुबान से निकली हुई बात सही भी हो सकती है। सभापति महोदय....(व्यवधान)।

श्री सभापति : बिराज जाएं, श्री रामस्वरूपजी, बिराजें।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, कल सायंकाल मैंने भी अखबार पढ़ा था और पढ़ते ही मैंने जिलाधिकारियों से, डी. आई. जी. से, एस. पी. से और कलक्टर से, सबसे यह जानकारी की है। उस अखबार की खबर को पढ़कर अब खेतसिंह जी बोल गये। आपने मीनू देखा है क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने तो देखा नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : देखा नहीं तो बोले क्यों ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इन्होंने कहा कि मैंने टेलीफोन से मालूम कर लिया है। वहां के बहुत मजबूत विधायक हैं और इन्होंने सब मालूम करने बाद कही है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप दावत में नहीं गये, आपने मीनू नहीं देखा और माननीय सदस्य ने भी मीनू नहीं देखा है। स्वाद तो कोई-कोई चख रहे हैं। खेतसिहजी के सिवाय वे तो चखते नहीं हैं। लेकिन आजकल संगत खराब है तो शायद हो सकता है कि चखने लग गये।

श्री सभापति : वे, माननीय मुख्य मंत्री जी, प्रगतिशील हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा हूं अभी मेरे पास कोई 15 मिनट पहले ही पूरी डिटेल रिपोर्ट आयी है, मोर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मारने की घटनाएं वहां हुई हैं, मैं उसको पढ़कर ही हाउस के सामने सुना देता हूं, सब लोगों को जानकारी हो जाए, किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहे।

राष्ट्रीय पक्षी मोर के मांस बाबत (शिकार), आपके टेलीफोन वार्ता के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं टेलीफोन वार्ता के संदर्भ में निवेदन है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार के क्रम में जिला झालावाड़ थाना रायपुर में दिनांक 26-8-91 को श्री कृष्ण चन्द पाटीदार आत्मज नाथूराम निवासी तीतलखेड़ा, थाना रायपुर ने पर्चा बयान किया कि आज रात्रि करीब 12.30 बजे मुझे रामलाल पाटीदार ने घर से बुलाकर कहा कि तलाई की तरफ बन्दूकें चली हैं इस पर हम गांव वाले तलाई की तरफ गये तो तीन मोर मरे पड़े मिले तथा 4 व्यक्ति नजर आये। उनमें से एक के पास बन्दूक थी व बाकी के पास लट्ठ थे। जिन्हें घेरा देकर पकड़ना चाहा तो बन्दूक धारी इश्हाक आ. अहमद खां ने रामलाल पाटीदार की कनपटी पर गोली मार दी जो मौके पर मर गया। रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 93/91 धारा 302-34 ता. हि. व 27 आर्म्स एक्ट तथा धारा 4 पी. सी. ए. एक्ट दर्ज कर मुलजिमान इश्हाक आ. अहमद खां (2) अहमद आ. नन्हे खां (3) इब्राहीम आ. शमशुद्दीन (4) शब्बीर खां आ. शमशुद्दीन, जाति मेवाती मुसलमान, निवासी कोटडी के खिलाफ जुर्म धारा 302–325/34 ता. हि. धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, धारा 4 पी. सी. ए. एक्ट के तहत मुकद्मा दर्ज किया जाकर इन्वेस्टीगेशन किया और चालान पेश किया गया। पहला मामला तो यह है।

दिनांक 2-10-1992 को एस. एच. ओ. मानवेन्द्रसिंह, तत्कालीन एस. एच. ओ. कोतवाली झालावाड़, बाद गश्त के दौरान गश्त मुलजिम अब्दुल गनी आ. कल्लू मुसलमान, निवासी झालावाड़ को मय एक मरे हुए मोर के गिरफ्तार कर लाये। वापसी पर मुकदमा नम्बर 192/92 धारा 4 पी. सी. ए. एक्ट में दर्ज कर चालान दिनांक 31-10-1992 को अदालत में पेश कर दिया।

दिनांक 26–3–93 को थाना डग, प्रार्थी शंकर लाल आ. रोडजी, निवासी क्यासरा की रिपोर्ट पर........दर्ज हो गया, यह साफ पढ़ाई में नहीं आ रहा है इसलिए माफी चाहूंगा। मारने पर मुकदमा इलजाम नम्बर 39/93 अज्ञात में दर्ज कर तफतीश की गयी। दौरान तफतीश मुलजिम अब्दुल सईद आ. अब्दुल अबीद एवं फरीद खां अमानुउल्ला खां निवासी डग को गिरफ्तार कर चालान मय चार्ज शीट नम्बर 27 दिनांक 23–12–1993 को पेश अदालत किया गया।

दिनांक 8 दिसम्बर, 1993 को राजस्थान पत्रिका के अंक में छपी खबर राष्ट्रीय पक्षी के मौत का बढ़ता चाव प्रकाशित हुई। इस पर सी. ओ. झालावाड़ व थानाधिकारी, झालावाड़ व थानाधिकारी झालरापाटन को मय जाब्ते के इलाके में भेजा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाकर डेरा कंजरान मौजा रतायता, कलमण्डी, नारायणपुरा, तीतरी, तीतरवासा, रूण्डलाव, दीवयाखेड़ी, जरेल, चांदाखेड़ी, के समस्त डेरों में तलाशी की गयी तथा कंजरों के गांव व आस-पास के गांव में काफी छानबीन की। कहीं भी मोर मारने के कोई प्रकरण या अवशेष नहीं मिले। मवेशी चराने वाले ग्वालों व अन्य गांव के लोगों से भी पूछताछ की लेकिन इस सम्बन्ध में कोई घटना होना नहीं मालूम हुआ जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह खबर सही है।

दिनांक 10–12–1993 को सी. ओ. झालावाड़ द्वारा कंजरानों के डेरों में मोर के शिकार के सम्बन्ध में तलाशी ली गयी एवं थानाधिकारी झालावाड़ व झालरापाटन को उनके क्षेत्र में इस सम्बन्ध में जांच व तलाश हेतु भेजा गया, परन्तु मोर मारने का मामला अभी तक कोई प्रकाश में नहीं आया। उक्त दिनांक को झालावाड़ के दैनिक समाचार पत्र "देश की धरती" में खबर छपी, जिसमें झालावाड़ व उनके व उसके आस-पास मोर का शिकार नहीं होना बताया।

दिनांक 24–1–1994 को थानाधिकारी झालरापाटन व वृताधिकारी झालावाड़ को मय स्टाफ के डेरा कंजरान मौजा तीतरवासा, रूण्डलाव आदि गांव के इलाके में भेजा गया। इस इलाके के गांव व बंगलों की तलाशी ली गयी, कंजरों के डेरों में व अन्य लोगों से पूछताछ की गयी तो मोर का शिकार सम्बन्धी कोई मामला सामने नहीं आया। इस सम्बन्ध में मौजा रूण्डलाव के गांव के लोगों को एकत्रित कर मुखियाओं के सम्मुख पूछताछ की गयी तो बताया कि हमारे गांव के आस-पास काफी तादाद में मोर हैं और हमारे यहां किसी प्रकार की ऐसी घटना नहीं है।

अतः मोर के शिकार के बारे में समय-समय पर लगातार इस जिले में विशेष समुदाय व लोगों पर दबिशें डाली गयीं व कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

अब इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस प्रकार का प्रश्न उठता है तो माननीय सदस्यों को जानकारी पहले दी जाती है। यह तो हमने अपनी सतर्कता से, कल अखबार में पढ़ते ही मैं समझता था कि कोई न कोई सदस्य इस मामले को उठायेगा इसलिए हम तैयार होकर आये हैं। मोर को मारा जाए, यह सरकार इसके पक्ष में नहीं है। मोर को मारने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए, इसके पक्ष में है। मैं आज आपको विश्वास से कह सकता हूं कि और भी कोई दोषी इसमें बचे हुए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी लेकिन इस प्रकार + + + पार्टी बनाकर उन पर आरोप लगाना किसी प्रकार से उचित नहीं है।

+ + + नाम अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : कोई प्रश्न नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : सभापति जी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरी बात रह गयी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि कल उनके नोटिस में यह खबर आ गयी थी और आने के बाद ही आपने सारी सूचनाएं जिला प्रशासन से मंगवाई इसको पढ़ते हीं। पहला सेन्टेन्स जो इस अखबार का है, हिन्दुस्तान टाइम्स को, उसमें साफ लिखा गया है, 'As mentioned in menu' मेन्शन्ड और यह "मीनू" शब्द भी आपने जरूर पढ़ा होगा और जब पढ़ा होगा तो आपने वह "मीनू" मंगवाने की कोशिश क्यों नहीं की ? जिला प्रशासन से आपको "मीनू" की कापी यहां पर मंगवानी चाहिए थी।

श्री सभापति : श्री वी. पी. सिंह जी। हो गया आपका। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : और मंगवा कर इसको गलत साबित करना चाहिए था।

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपको यह साबित करना चाहिये था कि मीनू में पीकाक के मीट के बारे में कोई जिक्र नहीं है।

श्री सभापति : विराजें। वी. पी. सिंह जी क्या कह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था रही है....

श्री सभापति : श्री वी. पी. सिंहजी कुछ कह रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई भी माननीय सदस्य अपनी पर्सनल जिम्मेदारी पर कोई मामला उठा रहा है, केवल अखबार के आधार पर....(व्यवधान)

श्री सभापति : अखबार के आधार पर नहीं माना जायेगा, मीनू वहां का........ (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : टेलीफोन और कई तरह से सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह खबर तो मेरे नोटिस में कल ही सुबह आ चुकी थी।

श्री सभापति : अखबार की बात छोड़िये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसके बाद भी मैं दिन भर जानकारी प्राप्त करता रहा हूं।

श्री सभापति : आपका कहना ही महत्वपूर्ण है। आप बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि....

श्री सभापति : मेरे माध्यम से ही यह बतलाया गया है ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक उस मीनू की कापी राज्य सरकार ने क्यों नहीं मंगवाई ?

श्री सभापति : आप बिराजिए । श्री विजयेन्द्रपालसिंहजी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) ; माननीय सभापति, आन ए पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि फाइव स्टार होटल्स के अन्दर टर्कीसर्व किया जाता है और बहुत से यह सोचते हैं कि टर्की मोर होता है, क्योंकि हिन्दी का वर्ड टर्की के लिए नहीं होता है । वह भी ह्वाइट मीट होता है और टर्की बाहर से आता है और फाइव स्टार वाले लेकर आते हैं इसलिए यह कन्फ्यूजन नहीं करे अगर आप नहीं समझते हैं । क्योंकि टर्की, माननीय सदस्य....(व्यवधान) ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : माननीय सदस्य टर्की एक अलग चीज है ।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : टर्की यहां नहीं है इसलिए आपने हिन्दी के अन्दर मोर कह दिया होगा । टर्की बाहर से आता है, यहां से मंगाते भी नहीं हैं ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह हिन्दी का अखबार नहीं है, अंग्रेजी का अखबार है ।

श्री सभापति : स्पष्टीकरण हो गया । माननीय सदस्य, बिराजें । श्री जगदीप धनखड़ । श्री वी: पी. सिंहजी, आपको धन्यवाद ।....(व्यवधान)....

श्री जुबेर खान : क्या सरकार इस पर मुकदमा करेगी जो इस तरह के समाचार छापते हैं, इस पर अंकुश लगायें ।....(व्यवधान).... ।

श्री सभापति : आप बिराजें । श्री जुबेर खान जी ।

श्री जुबेर खान : देखिये, अगर यह समाचार गलत छपा है तो क्या सरकार मुकदमा चलायेगी ?

श्री सभापति : इस प्रश्न पर चर्चा नहीं होगी । प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : श्री धनखड़ साहब को ह्वाइट मीट ज्यादा पसंद है ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) **:** माननीय सभापति महोदय, मैं तो वेजेटेरियन हूं, +++के साथ मैं सांसद रहा हूं इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

श्री सभापति : माननीय+++का नाम बार बार मत घसीटें इस मामले में ।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं दूसरी बात के लिए कह रहा हूं । माननीय सभापति महोदय, उपभोक्ता आन्दोलन विश्वव्यापी

+++ नाम अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री जगदीप धनखड़)

हो चुका है । देश में भी कन्जूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 के बाद हर स्तर पर उपभोक्ता के संकट निवारण की व्यवस्था की गई है । 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस भी मनाया गया । मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी से..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसकी कम्प्लाइन्स कर दूंगा ।

श्री जगदीप धनखड़ : दोनों सदस्यों की ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों सदस्यों की ।

श्री जगदीप धनखड़ : महिला सदस्या की भी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : महिला भी कर दूंगा और पुरुष की भी कर दूंगा ।

श्री सभापति : और कोई तीसरा हो तो बता दें । बिराजें । श्री शिवनाथसिंह जी । (व्यवधान)

आज समय बहुत कम है, आपको भी मालूम होगा । बिराज जाइये, शान्ति रखिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मुख्यमंत्रीजी एक दूसरी बात और कहता हूं । जो स्टेट कंजूमर फोरम है, क्योंकि जब आप इतने जेनेरस हो रहे हैं तो मैं समझता हूं कि बहती गंगा में हाथ धो लिए जाएं, स्टेट कंजूमर फोरम सेक्रेटेरिएट में स्थित है, सचिवालय में है । उसका जो सभा कक्ष है वह आपके सचिवालय में है और सचिवालय में आम आदमी जाते नहीं हैं....

श्री सभापति : नहीं, नहीं, यह अलाउ नहीं कर रहा हूं, जवाब नहीं देंगे ।

श्री जगदीप धनखड़ : स्टेट कन्जूमर फोरम को आप दूसरी जगह स्थापित कर दे ताकि जनता सुलभ तरीके से न्याय प्राप्त कर सके । इस पर भी कुछ कहिये ।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंहजी । नहीं, हर बात का जवाब आना जरूरी नहीं है ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापतिजी, झुन्झुनूं शहर की दो रोज पहले की घटना है, खुले बाजार में एक व्यापारी को छुरा मार कर घायल किया गया, लूटने की चेष्टा की गई और वह स्थान झुंझुनूं कोतवाली से मुश्किल से 300-400 गज के फासले पर है, मैं अखबार के आधार पर नहीं कहता । अखबार में कल खबर छपी है लेकिन आज के दिन पौने ग्यारह बजे मैंने टेलीफोन करके इस बात का पता लगाया है तो पीड़ा हुई । मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि 300-400 गज के पास में घटना हो रही है और पुलिस कोतवाली सक्रिय नहीं हो रही है । यह एक ही घटना होती तो मैं कह सकता था, केवल यह एक ही घटना है । जब से हमारे झुंझुनूं में यह कोतवाल साहब आये हैं लगातार हर महीने में 4-5-6 घटनाएं ऐसी होती रहती हैं । 4-5 रोज पहले एक फल-सब्जी वाले व्यापारी को लूट लिया गया । ऐसा कोई महीना नहीं होता जिसमें 4-5 घटनाएं नहीं हों । वहां पर गाड़ियां चोरी जाती हैं । प्रतिपक्ष के माननीय नेता के समधी की नयी जीप चोरी चली गई ।

96

(श्री शिवनाथ सिंह)

कोई प्रयत्न नहीं हुआ, कोई बरामदगी नहीं हुई है। झुंझुनूं शहर में इस प्रकार से अराजकता बढ़ी हुई है मानो वहां पर जैसे पुलिस प्रशासन कोई है ही नहीं और यदि कोई हायर अथोरिटी के ध्यान में लाया जाता है तो कहते हैं, थोड़ा इन्तजाम करो। क्यों नहीं करते हो, आप सोये क्यों रहते हो? माननीय सभापति महोदय, रात तो सोने के लिए ही होती है तो सोयेंगे लेकिन वे दिन-दहाड़े की बात है इस प्रकार व्यापारी को लूटा गया, लूटने की चेष्टा की गई, उसके बाद में पुलिस कोतवाली एक्शन में नहीं आई। गांव के लोगों ने उनका पीछा किया और कोई 10-12 किलोमीटर दूर जाकर वे एक गांव में चले गये। पुलिस कोतवाली को फिर उन्होंने कहा कि फलां-फलां जगह तक हम खोज पहुंचाकर आये हैं, अब आप उसका पीछा कीजिये। अब तक तीन रोज हो गये। जब उन्हें पता लग गया, किस गांव में गये हैं, क्या हुआ है, उसके बाद में वहां की पुलिस कोई सक्रिय नहीं है। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसका तो आप इन्तजाम कीजिये लेकिन एक बात की जांच आप फिर कीजिये कि वर्तमान कोतवाल साहब के आने के बाद में कितनी वारदातें हुई हैं और किस-किस में कितनी चोरी बरामद हुई है, क्या-क्या उसमें एक्शन हुए। यह आप करेंगे तो झुंझुनूं शहर को कुछ न कुछ आराम मिलेगा और आप इस बात से निजात दिलायेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : विराजिये। माननीय गृह मंत्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, जिस प्रकरण की यहां चर्चा की गई....।

श्री सभापति : गम्भीर है, वाकई गम्भीर है।

श्री कैलाश मेघवाल : गम्भीर है और जिस समाचार का हवाला दिया गया है, उस समाचार में यह भी है कि इस प्रकरण में कोतवाल पहुंच गया मौके पर तुरत-फुरत। दूसरी जो शिकायतें माननीय सदस्य के द्वारा की गई हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कर्तव्यहीनता-विहीनता को बरदाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी चौकसी से पुलिस अपना काम करें, इस बात के निर्देश दे दिये जाएंगे।

श्री सभापति : श्री उगम राज जी।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, यह बिल्कुल गलत है। कोतवाल नहीं पहुंचा। जिस एजेंसी ने वह दी है क्योंकि उस एजेंसी को वहां रहना है कोतवाल के नीचे रहना है लेकिन कोतवाल वहां....।

श्री सभापति : वहा घटना काफी हो चुकी है इन दिनों में, गृह मत्री जी के ध्यान में आ गया है।

श्री उगम राज मेहता (ब्यावर) : सभापति महोदय, पिछले तीन दिनों से ब्यावर शहर के अन्दर पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है, त्राहि-त्राहि मची हुई है। राज्य सरकार बराबर प्रयास कर रही है और राज्य सरकार ने कहा है कि पैसे की ओर धन की कोई कमी नहीं रहेगी परन्तु इस समय ट्रांसपोर्टेशन वाले भी नट

(श्री उगमराज मेहता)

रहे हैं, पानी नहीं है। मैं राज्य सरकार और हमारे मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप बीसलपुर से युद्ध स्तर पर पेय जल ब्यावर को उपलब्ध करायें, नहीं तो वहां पर जन आन्दोलन भड़केगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके लिए जल्दी से जल्दी प्रयास करें। इस बीच में शहर के अन्दर न हो तो 2-2, 3-3 टैंकर्स लगा दीजिये टूंटी वाले ताकि मोहल्लों में जहां जरूरी है वहां पर टूंटी से महिलाएं पानी भर सकें। आप जल्दी से जल्दी इन्तजाम करें।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : सभापति महोदय, ब्यावर में पानी की समस्या के बारे में सरकार भी चिन्तित है, विधायक भी चिन्तित है, इसके बारे में हमने कई बार बैठकर क्या समाधान हो सकता है, बातचीत की है। जहां तक ट्रांसपोर्टेशन का सवाल है, जो आसपास के कुए थे उनमें पानी भी अब सूख गया है इसलिए वहां भी उपलब्ध नहीं होता है, थोड़ा दूर से लाना पड़ता है, यह भी माननीय सदस्य की जानकारी में है। फिर भी मैं चाहूंगा कि ब्यावर को पानी देने के लिए और सरकार क्या कर सकती है, इसमें न धन की कमी आएगी, न प्रेशर की कमी आयेगी और जो भी उपाय होंगे हम करने के लिए तैयार हैं, निश्चित रूप से करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या–41, सामुदायिक विकास की प्रस्तुति

श्री सभापति : माननीय नाथूसिंहजी।

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) : सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 47,46,54,000/- (सैंतालीस करोड़ छियालीस लाख चौवन हजार मात्र) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 41 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या–41, मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

1. प्रदेश के गांवों के सामुदायिक विकास में जनता की भागीदारी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

2. प्रदेश की सभी पंचायती राज संस्थाओं में नियुक्त प्रशासकों के कार्यकलापों में सुधार नहीं होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

3. पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन में हो रहे विलम्ब तथा उनके चुनाव नहीं कराये जाने पर भी उन्हें दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण चौधरी)

4. प्रदेश की सभी पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों के विरुद्ध उत्पन्न जन असन्तोष एवं आक्रोश पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

5. पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को भंग कर देने उनमें प्रशासक नियुक्त कर देने तथा उनके चुनाव हेतु कोई विभागीय पहल नहीं किये जाने पर भी दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

6. प्रदेश के सामुदायिक विकास में जन प्रतिनिधियों के अभाव से उत्पन्न जन असन्तोष एवं रोष से उत्पन्न स्थिति और उसके निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव शीघ्र करवाने हेतु विभाग द्वारा कोई पहल नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

8. सामुदायिक विकास विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) :

9. राजस्थान में सामुदायिक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में गतिशीलता लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) :

10. ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास के लिए और अधिक साधन मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

11. ग्राम पंचायतों को और अधिक अधिकारी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. उप-तहसील गोविन्दगढ़ (अलवर) की पंचायत समिति मुख्यालय बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) :

13. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हेतु कोई विभागीय पहल नहीं की जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) :

14. राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव शीघ्र करवाये जाने हेतु विभागीय पहल न करने पर भी दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

15. सामुदायिक भवनों की कमी एवं इस क्षेत्र को पर्याप्त महत्व नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) :

16. सीकर जिले के सामुदायिक विकास कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के विषय में चर्चा के लिये।

17. सीकर जिले में सामुदायिक विकास कार्यों के निर्माण अधूरे पड़े होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. सीकर जिले में ग्राम पंचायतों के विकास कार्य अधूरे पड़े रहने के बाद भी पंचायतों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

19. सरपंचों द्वारा चार्ज नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (खानपुर) :

20. सामुदायिक विकास योजना की सही प्रकार से क्रियान्विति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :

21. कई पूर्व सरपंचों के द्वारा गबन की राशि की शिकायतें प्राप्त होने के बाद भी कार्यवाही न करने से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दातारामगढ़) :

22. एक सचिव के अधिक पंचायतों में कार्य करने के कारण पंचायतों का कार्य ठीक प्रकार नहीं चलने पर भी दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) :

23. हिण्डौली पंचायत समिति के ग्राम उमर में खरंजा, भवानीपुरा, गोढ़डा में इन्दिरा आवास कालोनी थाना गांव में एस. सी. की कोलोनी तथा चयनित व्यक्तियों को भी आवासीय भूमि उपलब्ध नहीं कराने के बाद भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

24. ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों पर अतिक्रमण एवं ग्राम सेवकों द्वारा अतिक्रमणियों को संरक्षण के बाद भी पंचायतों को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

25. पंचायत समिति हिण्डोली द्वारा निर्माण कार्य में घोर लापरवाही एवं घटिया निर्माण सामग्री काम में लेने के बाद भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

26. उदयपुर जिले की मावली तहसील के ग्राम ईन्टाली में स्ट्रीट रोड़ एवं नालियां नहीं बनवाये जाने पर भी पंचायत को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

27. उदयपुर जिले की मावली तहसील के ग्राम ईन्टाली में ग्रामीण शौचालय एवं पेशाब घर नहीं बनाये जाने पर भी पंचायत को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(100)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

28. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की समीक्षा कर नई प्राथमिकताए निर्धारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

29. पंचायत मुख्यालय चक्र आबादी 2 के. डब्लू. 14, चक्र आबादी 34 के. वाई. डी. 3 पी. डब्लू. एच., डेलीतलाई, दंतोर आदि पंचायत मुख्यालयों पर पंचायत भवन निर्माण नहीं किये जाने पर भी पंचायतों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

30. खाजूवाला, लूणकरणसर, जैतपुर, कालू, नापासर, उदासर, नौरंगसर आदि स्थानों पर ग्रामीण शौचालय निर्माण नहीं होने पर भी पंचायतों को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

31. पंचायत समिति धोद का मुख्यालय सीकर करने एवं पंचायत समिति धोद का निजी भवन नहीं बनाए जाने से उत्पन्न जनाक्रोश पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

32. कुशलगढ़ तहसील में पंचायत हैडक्वाटर पर सामुदायिक भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. कुशलगढ़ तहसील में ग्रामीण शौचालयों के अभाव पर भी पंचायत समितियों को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

34. कुशलगढ़ तहसील के पंचायत मुख्यालय पर प्रशिक्षण केन्द्र भवन के निर्माण नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर भी पंचायत समिति को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

35. कुशलगढ़ क्षेत्र के गांव सातशहरा बड़ी, रावताजी सादड़या में सामुदायिक भवन के अभाव में भी पंचायतों को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

36. कुशलगढ़ तहसील में ग्राम कोदड़ा राणका चौकवाड़ा काकनवाली में सामुदायिक भवन एवं चार दीवारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

37. पंचायत समिति बालोतरा के ग्राम रिछोली को ग्राम पंचायत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

38. सरपंच ग्राम पंचायत रोड़ू पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर रसीद नम्बर 4 दिनांक 5.12.87 व रसीद नम्बर 32 दिनांक 7.5.88 द्वारा 13090/– रुपये की राशि का गबन किये जाने पर भी दिये जा अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हरिनारायण (खण्डार) :

39. सभी वर्गों के साथ-साथ हरिजनों, गिरिजनों, आदिवासियों, अनुसूचित जातियों डांग वासियों का भी सामुदायिक विकास

(श्री हरिनारायण)

किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) :

40. विकास अधिकारी रेलमगरा (राजसमन्द) द्वारा 1992-93 में उनके अधीनस्थ कर्मचारी के साथ दमनात्मक एवं अन्याय पूर्ण कार्य करने पर भी पंचायत समिति को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) :

41. विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक विकास के कार्य बहुत ही कम मात्रा में होने से जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण (नैनवां) :

42. ग्राम लुहारपुरा (नैनवां) के सार्वजनिक कुए का पारा एवं मेनहरी के क्षतिग्रस्त होने के उपरान्त भी उसकी मरम्मत नहीं करवाने से ग्राम पंचायत पीपल्या को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

43. रगलाल मीणा के नाम से अजन्में व्यक्ति की फर्जी मृत्यु बताकर प्रमाण पत्र जारी करने वाली ग्राम पंचायत दुगारी (जिला बूंदी) के दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

44. ग्राम पंचायत खजूरा के प्रशासक द्वारा करवाये गये विभिन्न कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच नहीं करने पर भी जिला परिषद् बून्दी को उपलब्ध कराये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

45. ग्राम पंचायत भवन रायथल (जिला बूंदी) के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का पूरा उपयोग देरी से करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

46. पंचायत समिति जैतारण में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर भी दी जा रही अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

47. पंचायत समिति जैतारण को नई जीप आवंटित नहीं होने से कार्य में हो रही बाधा पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

48 पंचायत समिति जैतारण द्वारा अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं किये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

49. पंचायत समिति जैतारण में विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की बकाया धन राशि नहीं चुकाने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

50. पंचायत समिति जैतारण में विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर दी जा रही अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय पाटन) :

51. बून्दी जिले के पूर्व सरपंचों के विरुद्ध चल रहे भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं मनमानी के मामलों पर नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही कर आगामी पंचायत चुनावों में इन्हें अयोग्य घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. पंचायत समिति केशोरायपाटन (बूंदी) की ग्राम पंचायत उतराणा के बीच में नदी होने एवं वर्ष भर पानी बहते रहने के कारण उतराणा, चनावली, कांकरा, डांगाहेड़ी को उतराणा पंचायत एवं उगारिया, प्रतापगढ़ ठीकरी, छप्पनपुरा को उगारिया पंचायत नहीं बनाने से उत्पन्न बाधा पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

53. बूंदी जिले की तालेडा एवं केशोराय पाटन पंचायत समितियों में पंचायत संस्थाओं को मध्ये नजर रखते हुए बूंदी एवं लाखेरी को अलग पचायत समितियों का दर्जा नहीं दिये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) :

54. पंचायत समिति सुनेल (झालावाड़) में अधूरे रह गये कार्यों के पूर्ण नहीं किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

55. सरकार द्वारा दिये गये विकास कार्यों हेतु धन का सही उपयोग करने के लिये तुरन्त ग्राम पंचायत स्तर पर कमेटी का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. ग्राम पंचायत सूलीया गांव सेमली बरसात में सब ओर से कट जाने से होने वाली कठिनाई का निराकरण नहीं करने पर भी दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

57. ग्रामीण जगत के विकास के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

58. ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को गति प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) :

59. पूर्व सरपंचों के विरुद्ध दर्ज मामलों में पुलिस द्वारा चाही गई चालान की स्वीकृति विभाग द्वारा नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

60. नागौर जिले की अधिकतर पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों के पद लम्बे समय से रिक्त रखे जाने से उत्पन्न कठिनाई पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 41 पर विचार

श्री सभापति : चर्चा प्रारम्भ करते हैं। (व्यवधान)....श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण (नैनवां) : सभापति महोदय, ग्रामीण विकास के बारे में....

श्री सभापति : एक मिनट ! आज साढ़े चार बजे मुखबन्द है, बोलने वाले काफी माननीय सदस्य हैं, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे समय सीमा में अपने विचार रखें ।

श्री रामनारायण : ग्रामीण विकास के बारे में सरकार की ओर से और प्रतिपक्ष की ओर से....

श्री सभापति : 10-10 मिनट का समय निर्धारित करता हूं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मंत्रीजी का जवाब कब होगा ?

श्री सभापति : चार बजे जवाब शुरू होगा ।

श्री रामनारायण (नैनवां) : काफी बातें होती रही हैं । भारत सरकार ग्रामीण विकास के नाम पर काफी बड़ी राशि राज्य सरकार को देती रही है । 60 प्रतिशत राशि जो गांवों में खर्च की जाती है । पंचायत समिति के माध्यम से या दूसरी एजेन्सी के माध्यम से, इस बारे में कोई जांच नहीं की जाती कि कितने काम अधूरे हैं, कितने पूरे कर दिये गये हैं ।

मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूंगा, शायद नाथूसिंह जी इस बारे में सोच पायें मेरे क्षेत्र नैनवां में दो गांव हैं । दोनों बिलकुल पास हैं । एक पुलिया बनायी थी, 15 साल पहले काम शुरू किया गया था, मुझे देखकर ताज्जुब हुआ कि आज वह पुलिया अधूरी है । हमने इसके बारे में कहा कि इस पुलिया को पूरी कर दी जाय, मुश्किल से 50,000 रुपये का काम है । माननीय पंचायत मंत्रीजी, ऐसे काम जो पंचायत के अन्दर शुरू किये हैं, विभिन्न गांवों में ऐसे अनेक काम हैं जिनके बारे में हम बैठकर चर्चा यहां नहीं कर सकते हैं, सरकार चाहे तो ऐसे कामों की सूची बनाये और इस बारे में ध्यान दें । इन्दिरा आवास योजना हो या दूसरी कालोनी हो, आपको ध्यान है, ऐसी अनेक पंचायतें हैं जहां इस प्रकार की कालोनी अधूरी बनी पड़ी हैं । उनके बारे में कहा जाता है कि जो लोग लाभान्वित होने योग्य हैं उनको हमने कालोनीज बनाकर दे दी । लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि ऐसी अनेक कालोनीज गांवों में अधूरी हैं । मैं इसका मुख्य कारण यह मानता हूं कि आपको जो रीढ़ की हड्डी है पंचायत, क्या आपने पंचायतों को सुदृढ़ करने की कोशिश क्या सरकार ने पंचायत समिति के बारे में कुछ सोचा है ? हां, इतना जरूर सोचा, दो साल पहले इसी सरकार ने पंचायतों की सारी नींव को खोदने का काम किया । ऐसे गांवों को भी पंचायतों से जोड़ने की बात की, जो छोटे गांव थे, जहां कम आबादी थी वहां पर पंचायत मुख्यालय बनाये । कालानरा जैसा गांव है उसको पंचायत मुख्यालय, आप शायद पंचायत मंत्री नहीं थे इसलिए बनाया गया । क्या आपके साथियों को पता था कि भाजपा ज्यादा वोट ले पाती है ? इस तरह से जो है, यह समय की बात है । इस तरह से जितने भी पंचायत हैड क्वार्टर आपने बनाये हैं, कृपा करके इसमें आप रिव्यू करें ।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा आप स्कूल खोलने की बात करते हैं गांवों में क्योंकि ये आपको खोलने हैं लेकिन स्कूल

(श्री रामनारायण)

भवन आज भी गांव में ऐसे हैं, खेड़ी गांव ऐसा है, पांचवीं क्लास तक जहां 150-200 से ज्यादा विद्यार्थी हैं, क्या उन स्कूल भवनों को पूरा करने के लिए आपके विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही की गयी ? मैं समझता हूं, इस तरह की कोई बात सरकार की ओर से नहीं की जा रही है।

सड़कों के यहां काम होते हैं । आपने जब से पंचायतें भंग की हैं, आपके कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ता इस बारे में नहीं जानते हैं कि पंचायतों के ग्रुप सचिव ने कितना पैसा खर्च किया । पंचायतों के ग्रुप सचिव के पास 6 महीने में कहां से मोटर साइकिल आ गयी ? मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, चाहें तो जांच करा लें । खजूरी पचायत है नैनवां तहसील में, बावड़ी गांव है, वहां खोरंजा बनाया गया । वह खोरंजा स्पेसिफिकेशन में नहीं बना । 10,000 रुपये उस पर बताये गये जबकि मुश्किल से 2,000 का खर्चा है, इस तरह के कितने ही काम हैं । यह सही है कि आप उस पर न तो जांच करवा सकते हैं, न जांच हो सकती है । इसलिए कोई ऐसी एजेन्सी स्थापित की जाए जो इस बारे में जांच करें । ऐसा काम करवाने के लिए कोई भी एजेन्सी स्थापित करें क्योंकि डी. आर. डी. ए. में जितने भी इंजीनियर्स हैं या तो वे कृषि स्नातक हैं या कई ऐसे इजीनियर्स हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स भी बडी मुश्किल से हो पाये होंगे । तो कृपया आप कम से कम पंचायत राज को सुदृढ़ करने के लिए, गांवों के विकास की दृष्टि से देखना चाहें तो जो इंजीनियर्स लगायें वे डिग्री होल्डर लगायें ताकि उनको कुछ स्पेसिफिकेशन का ध्यान हो ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज कितने विकास अधिकारी के पद रिक्त हैं ? आप सदन में कह देते हैं, कोई भी माननीय सदस्य आपसे मिलता है, सरकार से मिलता है, मुख्य मंत्रीजी से बात करता है तो वे यह कहकर दूर हो जाते हैं कि हम इसका सलेक्शन कर रहे हैं, कर देंगे । आपके पंचायत समिति में शिक्षा प्रसार अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी के जो पद हैं वे रिक्त नहीं होने चाहिए क्योंकि सीधा ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ मामला है । आप कृपा करके मुख्य मंत्रीजी के ऊपर दबाव डालें और जितनी भी पंचायत समितियां हैं, आप कृपया 50 प्रतिशत के आरक्षित पद पर नये जो रिक्रूटीज हैं, जो ईमानदार हैं उनको लगायें ।

(13.00)

श्री सभापति : ईमानदारी का कोई थर्मामीटर है क्या ?

श्री रामनारायण : नहीं, थर्मामीटर नहीं है । मैं निवेदन कर रहा था कि नये जितने भी रिक्रूटीज आते हैं, जो नये सलेक्शन होकर आते हैं उन पर परिवार का भार इतना नहीं होता । वे अपना असर दिखाने के लिए अपना प्रभाव दिखाने के लिए निश्चित तौर पर 99 प्रतिशत ईमानदार होते हैं, बाद में क्या होता है यह आप और हम सब जानते हैं । पंचायतों में आज जीवन धारा के कुएं हैं, कालोनीज पंचायत

(श्री रामनारायण)

में हैं, गांवों में आज माननीय सदस्य जाते हैं तो सबसे पहली शिकायत आपके पास पंचायत समिति की होती है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था, मैंने भी आपसे निवेदन किया, हमने किसी आदमी का नाम आपको नहीं बताया और यह कहा कि बी.डी.ओ. आर.ए.एस. कैडर का लगा दिया जाय, नया लगा दिया जाय, ईमानदार लगा दीजिए। ऐसी बातें हम आप से करते हैं। जो निर्माण कार्य होते हैं, पंचायत में आप स्ट्रिक्ट कर दें कि कोई भी ऐसा निर्माण कार्य नहीं लिया जाय जो निर्माण कार्य कच्चा हो। आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर की कोई सड़क हो आप उसको लेना प्रारंभ करें। माडा योजना में आप सड़क नहीं लेते हैं। सार्वजनिक निर्माण मंत्री कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पंचायतों को अनुदान मिलता है। आपको इस बात का ज्यादा ध्यान होगा कि पंचायतों को कब से अनुदान नहीं दिया गया है, क्यों नहीं दिया गया है।

गांवों में हैण्ड पम्प्स सुधारने का काम पंचायत करती है लेकिन कितने हैण्ड पम्प ठीक हैं? सूची मांगते हैं तो आप 10 पर्सेण्ट हैण्ड पम्प ठीक बताते हैं और जहां कहीं आप ठीक बताते हैं वहां निश्चित तौर पर खराब मिलेंगे। आप अपने आप में सुधार नहीं ला सकते, हैण्डपम्प तक ठीक नहीं कर सकते जो कांग्रेस के राज में बने थे तो कृपया हैण्डपम्प आप जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को दे दीजियेगा ताकि इस बारे में आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। दूसरे काम हाथ में लें। ऐसी बहुत सी योजनायें हैं जिनको आपको सुदृढ करना होगा मजबूत बनाना होगा।

इसके साथ ही आप कुछ निर्णय राजनीतिक रूप से लेने जा रहे हैं।

(13·02)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

मन्त्रीजी, पंचायत चुनाव आ रहे हैं। आप गांव के रहने वाले हो, आपको पता है कि गांव में सरपंच और पंच ज्यादातर हिन्दी पढ़े-लिखे होते हैं। आपके जितने भी सेक्रेटरीज हैं उनके पास चार्ज होते हुए भी चार्ज सरपंचों के नाम पर बता रखा है। इतनी बात जरूर है कि राजस्थान में 242 सरपंचों के खिलाफ जांच करने की बात की है। आप कृपया पहले इस बारे में आश्वस्त हों कि क्या उन सरपंचों के पास चार्ज है या सरपंचों की बजाय सेक्रेटरीज के पास चार्ज है। चुनाव आ रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ यह अन्याय न हो, यह भी देखने की बात है। आज सरपंचों के खिलाफ मुकदमें काफी संख्या में हो रहे हैं। मुझे ध्यान है इस बारे में सरपंचों की जो हालत है वह बहुत दयनीय है। आपके पास बहुत से चालान पेश करने के मामले हैं। इन मामलों को आप सीरियसली देखें। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि मेरा जहां तक ख्याल है हमारे थानागाजी से आने वाले माननीय विधायक आ गये हैं वे घण्टी बजाने वाले हैं लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा, मैं अधिक समय न लेता हुआ दो-तीन बातें कहना चाहूंगा।

मेरा आपसे निवेदन है कि आज भी पंचायतों में जो सेक्रेटरीज बैठे हैं वे जन्म-

(श्री रामनारायण)

मृत्यु का प्रमाण-पत्र भी गलत देते हैं। शायद आपको पता है मैंने आपसे कहा और आपने उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। कृपया ऐसे मामलों पर ध्यान दें। हर पंचायत में अलग से सेक्रेटरी लगा है ताकि उस पंचायत का काम हो। पंचायत के सेक्रेटरी अगर गांव में काम करना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर सुधार होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार ने जो 60 प्रतिशत गांवों के विकास में फण्ड्स देने की बात की है उसमें से अधिकांश फण्ड आप देने की बात करेंगे। गांवों के विकास के लिए, छोटी-छोटी सड़कों के निर्माण के लिए और ग्रामीण शौचालय के नाम से या और किसी नाम से जो घटिया किस्म के काम होते हैं उनको ठीक करवाने की बात करेंगे और पंचायतों के चुनावों के बाद पुनर्गठन करने की बात करेंगे और ईमानदारी से बड़े गांवों में पचायतें बनें। जहां मिडिल स्कूल हों वहां पंचायतें नहीं बना रहे हैं और जहां प्राइमरी स्कूल है वहां आप पंचायतें बना रहे हैं। इस तरह की दोगलेपन की बात आपने की है उसको ठीक करें ताकि आपके बारे में हम लोगों में इमेज बने। इसी के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल : (केशवराय पाटन) : सम्माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 41 पंचायत राज पर इस पवित्र सदन में चर्चा हो रही है मैं उसमें आपको जोड़ते हुए निवेदन करूंगा कि भारतीय लोकतंत्र में पंचायत और भारतीय समाज में भी आदिकाल से लेकर भिन्न-भिन्न जाति, समुदाय से लेकर पंचायत की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और अपना यह राजस्थान प्रदेश सम्पूर्ण देश में वह गौरवशाली प्रदेश है जिसने पंचायती राज का श्री गणेश करने का सौभाग्य प्राप्त किया है।

माननीय सभापति महोदय, पंचायतों के चुनाव की तैयार हो रही है और पंचायत चुनाव लोकतंत्र में आवश्यक है क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की नींव ही पंचायती राज है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का बार-बार आभार प्रकट करते हुए उनको धन्यवाद दूंगा। मैं आठवीं और नवीं विधान सभा का सदस्य था, यहां बड़े-बड़े विद्वान माननीय सदस्य चर्चा करते थे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जहां 30-30 किलोमीटर तक की पंचायतें थीं, ऐसे-ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 7-7, 8-8 हजार थी और वे गांव पचायत मुख्यालय थे। कई तरह की अव्यवस्थायें थी उसके लिए पंचायतों का पुनर्गठन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने लिया और उसके तहत जो राजस्थान में पूर्व में 7358 पंचायतें थीं वे 9173 पंचायतें उस पुनर्गठन के माध्यम से बनायी और उससे दो हजार की आबादी का एक मापदण्ड रखा, इसलिए हमारी सरकार और माननीय मंत्री महोदय बहुत-बहुत, धन्यवाद के पात्र हैं। हमने ज्यादा से ज्यादा पंचायतें बनाकर ग्रामीण जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें मुहैया कराने का कार्यक्रम हाथ में लिया है और अब जो

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

पंचायतों के चुनाव होंगे वे निष्पक्ष हों इसके लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन कर एक ऐसा कार्यक्रम हाथ में लिया है कि कहीं कोई विरोधाभास न हो। इस नाते और उसके अलावा पंचायतें सुदृढ़ बनें, पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण जनता का और भारतीय लोकतत्र या सम्पूर्ण भारतवर्ष जो गांवों का देश है, किसानों का देश है, गरीबों का देश है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए और उनको शक्तियां देने और वित्तीय साधन देने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा रहा है यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों के प्रतिनिधित्व की बात आयी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने पंचायतों के गठन में इन बातों को पहले ही ले लिया।

मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि परिवार नियोजन जो सम्पूर्ण विश्व की और विशेषकर भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है इसकी ओर विशेष ध्यान देकर परिवार नियोजन को सफल बनाने का एक विशेष कार्यक्रम शुरू कर पंचायतों में पच, सरपंच और जो भी जन प्रतिनिधि हों उनमें एक मापदड रख दिया। यह परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है इसलिए ये धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, पंचायतों का जो पुनर्गठन हुआ है उसमें यह जो आरक्षण की सुविधायें दी गयी हैं महिलाओं को एक तिहाई अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग इसमें पंच, सरपंच, प्रधान और प्रमुख हैं। भारतीय लोकतंत्र में यह बहुत ही सुनहरा कदम है, बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम है इसका सब लोग स्वागत करते हैं, मैं तो तहेदिल से स्वागत करता हूं कि राजस्थान में आज ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति पर अत्याचार की बातें कई बार सदन में आती हैं, कई बार चर्चाओं में आता है; गांवों में आती है, पुलिस महकमे में आती है। इसका समाधान करने के लिए एक पंचायत समिति में 5-7 अनुसूचित जाति के सरपंच होंगे तो वे कलक्टर से मिलेंगे, उनका समाधान वहीं होगा, पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे तो ऐसा महत्वपूर्ण काम जो वहीं बैठकर निपटा लिया जायेगा। इसलिए जो यह पुर्नगठन और आरक्षण की सुविधा दी गयी है यह बहुत ही क्रान्तिकारी कदम है, यह एक स्वागत योग्य कदम है।

माननीय सभापति महोदय, पंचायतों के चुनाव होंगे इसके पहले, मेरे पूर्व वक्ता नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि पूर्व सरपचों के विरुद्ध कई ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं सरकार से और मंत्री महोदय से कि जितने भी यह पेण्डिंग मामले पड़े हैं सरपंचों के, उनको शीघ्रता से निपटाया जाये। ऐसे + + + और + + + जो केवल मात्र पैसा कमाने के लिए सरपंच बने हैं उनको आने वाले चुनाव में चुनाव से दूर

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(108)

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

किया जाय तो इस नाते यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। भ्रष्ट लोगों पर कार्यवाही करके वह इस चुनाव में भाग ले नहीं, ऐसी व्यवस्था की जाय। सम्मानीय सभापतिजी, पंचायतें जैसे कि मैंने कहा, आदिकाल से इस भारतीय समाज में लोकतंत्र की नींव है, इसको सुदृढ़ बनाने की हमारी सरकार की जो योजना है, इनको वित्तीय साधन देकर सुदृढ़ बनाने की जो सरकार की योजना है, उसके अनुरुप जो पंचायतों को अधिकार दिये जाने चाहिए, मेरे अपने विचार हैं, आपके सामने सुझाव के रूप में रखूंगा। न्याय की जो बात है, जो न्याय पंचायतें हुआ करती थी, साधारण कहीं कोई आदमी आपस में लड़ गये, पड़ौसी अपने खेत के मामले में लड़ गये और पुलिस में मुकदमा बनता है, कोई भी जाकर असत्य गवाही दे देता है और उस पर मुकदमा बनाकर कई तरह से परेशान किया जाता है। मैं न्याय का विशेषज्ञ नहीं हूं पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे छोटे-छोटे मामले, जो गांव में आपसी विवाद को लेकर होते हैं, पंचायतों को अधिकार दिये जायं, जब पंचायत की सभा लगेगी, कोई आदमी असत्य बोल नहीं पायेगा, असत्य बोलेगा तो उसी समय उसके माजणे मार देंगे, इसलिए यह जो छोटे-छोटे मुकदमें हैं उनके लिए पंचायतों को अधिकार दिये जांय। अभी जैसे बताया था, पंचायतें हैण्ड पम्प ठीक नहीं करती है। आज एक हैण्ड पम्प का मामला है, हैण्डपम्प के लिए जाते हैं, हम लोग विधायक हैं, हमारा सारा कार्य क्षेत्र 200 गांव होते हैं, चालीस-चालीस पंचायतें होती हैं। एक गांव में हैण्ड पम्प है, एम.एल.ए. साहब, आप आये नहीं, हमारा हैण्ड पम्प खराब हो रहा है, हम उनको लिखकर देते हैं, जाते हैं जिला हैडक्वार्टर पर, एक्स, ई एन. के पास जाते हैं, कलक्टर से जाकर कोई आदमी मिलता है, एक्स. ईएन. वहां दौरे पर है, कलक्टर कहीं दौरे पर है, कहीं महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है, उसके अन्दर प्रवेश भी नहीं मिलता है तो मेरी मांग है कि पेयजल समस्या, चाहे वह हैण्ड पम्प की हो, चाहे गांव की जो पेयजल योजनाएं हैं उनके लिए पंचायतों को पूरे अधिकार दिये जायं, उनको पूरा पैसा दिया जाय कि पंचायत स्तर पर ही हैण्ड पम्प और इस तरह की जो सुविधाएं हैं, पूरी कर ली जाय। एक हैण्ड पम्प के लिए कहीं आदमी डोलता फिरे, यह अच्छी बात नहीं है। सफाई की व्यवस्थाएं भी, रोशनी की व्यवस्थाएं भी, इन सब के लिए पंचायतों को अधिकार देने चाहिए। चूंकि मैं एक ऐसे विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं यहां जो चम्बल कमाण्ड एरिया है वहां मर्जी आये जब रास्ते खराब हो जाते हैं, आज कहीं पचायतों को यह अधिकार भी नहीं है कि कहीं दस हजार की गार पटक दी जाय या मिट्टी पटक कर रास्ते साफ किये जायं। तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि कम से कम साल भर में पचास हजार के आम रास्ते ठीक कराने का अधिकार पंचायतों को दिया जाय ताकि यह महती समस्या वहीं सुलझ जाय। कृषि की बात है, आज जो ग्राम सेवक, ग्रुप सचिव है, अधिकांश वह पूर्व के हैं, कई कृषि से सम्बन्धित है। पंचायतों को सही रूप से चलाने के लिए जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि एक-एक पंचायत में एक-एक

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

ग्रुप सचिव दिया जाय, मेरा यह सुझाव है और मेरी ऐसी मान्यता है कि आज गांवों में पंचायत स्तर का जो कृषि विस्तार का कार्यकर्ता है और ऐसे ही ग्रुप सचिव हैं, इन दोनों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाय, दो-दो महीने का रिफ्रेशर कोर्स करके ग्रुप सचिव को भी कृषि की ट्रेनिंग दी जाए और कृषि के विस्तार कार्यकर्ता को पंचायतों की ट्रेनिंग दी जाकर हर पंचायत समिति में एक मिला-जुला इस तरह का समन्वय बसाया जाए कि हर पचायत में एक ग्रुप सचिव के रूप में एक कार्यकर्ता बैठाया जाय ताकि पंचायतों को यह जो सुदृढ़ बनाने की बात है, वित्तीय स्वीकृति देकर उनको सुदृढ़ बनाने की बात है, उनके माध्यम से ग्रामीण समस्याओं का समाधान करने की बात है तो वह वहीं हो जाय और उसके लिए यह सक्षम हो, जो ग्रुप सचिव के रूप में रहें, उनको अधिकार दिये जायं। मान्यवर, शिक्षा मानव के लिए सबसे बड़ी महती आवश्यकता है और शिक्षा के बगैर आदमी अधंकार में होता है जैसे हमारे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं कि पढ़े-लिखे आदमी के हजार आखें होती हैं।

श्री सभापति : बिराजिए। माननीय श्री रामनारायण डूडी। कृपया समाप्त कीजिए। मुझे चार बजे तक सबको बुलाने का है। आखिरी आदमी उतना ही महत्व-पूर्ण है जितने कि आप हैं। माननीय श्री रामनारायण डूडी।

श्री मांगीलाल मेघवाल : हैं ही नहीं श्रीमन्।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलिये, शुरू कीजिए जल्दी से।

श्री मांगीलाल मेघवाल : शिक्षा प्रसार अधिकारियों के निश्चित रूप से गांवों में दौरे करवायें जायें और उनके पद रिक्त नहीं किये जायं और हमारी सरकार जो 2313 नये विद्यालय खोल रही है, 3646 प्राथमिक विद्यालयों में दूसरे अध्यापक को लगाने का जो क्रान्तिकारी कदम है।

श्री सभापति : माननीय श्री डूडी, कृपया शुरू कीजिए।

श्री मांगीलाल मेघवाल : अच्छा श्रीमन्, धन्यवाद।

श्री रामपाल उपाध्याय : साहब गाड़ी थोड़ी तो धीरे चलाओ।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, साढ़े चार बजे मुखबन्द है! आप तो टी.वी. वगैरह में बोले होंगे, वहां यों लगा देते हैं एक मिनट पहले, खत्म।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : सभापति महोदय, आज पंचायती राज पर और सामुदायिक विकास पर डिमाण्ड चल रही है, आजादी के बाद और आजादी के महात्मा गांधी ने जो स्वराज का स्वप्न देखा, उस स्वप्न को साकार करने के लिए 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की स्थापना की और वहां से लगाकर आज गांवों के अन्दर पंचायतों के माध्यम से गांवों का काम हो, पंचायतों के माध्यम से गरीब की सेवा हो और पंचायतों के माध्यम से पंचायतों के तीन स्टेज बनाये— पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्। मैं सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी स्टेज हैं और पंचायतों के माध्यम से जो हमारे काम

(110)

(श्री रामनारायण डूडी)

होने चाहिए, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के माध्यम से काम होने चाहिए, आज स्थिति यह है कि पंचायतों के अन्दर + + + की सेवा, जो हमारे मुख्य मंत्रीजी की मंशा है....

एक माननीय सदस्य : गरीब को गणेश मानकर।

श्री रामनारायण डूडी : हां, गरीब को गणेश। मैं भूल गया, + + + आ गया। हमारा भी ध्येय है कि जो गांवों में बैठे हैं उनकी सेवा की जाय, उन तक सरकारी पैसा पहुंचाया जाय और उनकी एक्जिक्यूटिव बाडी पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् को रखी जाय। आज पंचायत समितियों की जिस प्रकार की संरचना है, जिस प्रकार से उसके अन्दर काम करने का तौर-तरीका है, वह पंचायत समितियों का पुराना ढर्रा है, किसी प्रकार के स्टाफ को नहीं बढ़ाया गया। जो पुरानी व्यवस्था है उसी आधार पर पंचायत समितियां आज के दिन चल रही हैं और पंचायत समितियों के पास जो काम हैं—प्राथमिक शिक्षा, पोषाहार, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, आंगनबाड़ी के काम करवाना, जीवन धारा के काम करवाना, इन्दिरा आवास योजना के काम करवाना, बाल विकास परियोजना के कार्यक्रम करवाना और जो भी आपकी विशिष्ट योजनाएं हैं उनकी एक्जीक्यूटिव बाडी, उनका काम कराने वाली एजेन्सी पंचायत समिति है। सारा विकास खण्ड, जो पंचायतें हैं, चाहे मेसिव का प्रोग्राम हो, चाहे आपके परिवार कल्याण का प्रोग्राम हो, यह सारी जो व्यवस्था है, सब बातें हैं, वह एक पंचायत समिति के दफ्तर में और उनके द्वारा कराई जाती है। अब मैं सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों का पुराना जैसा ढांचा है, उनके अन्दर आपने स्टाफ बढ़ाया नहीं। एक बी. डी. ओ., एक उनका यू.डी. सी. और एल.डी.सी., एक अकाउटेन्ट और एक कैशियर, एक पंचायत समिति का ड्राईवर, यह इनका स्टाफ है ज्यादातर पंचायत समितियों के अन्दर और फिर कृषि प्रसार अधिकारी, आपका उद्योग प्रसार अधिकारी, बालबाड़ी का एक उसके अन्दर, दूसरे जो भी हैं, उन सबके लिए बैठने को जगह नहीं है। टेबल नहीं मिलती है, काम करने की दूसरी बात है। कमरा एक बढ़ाया नहीं गया, स्टाफ बढ़ाया नहीं गया और जो भी योजनाएं लागू होती हैं इन सब योजनाओं को पंचायत समिति के माध्यम से करवायें, क्या रिजल्ट है आज। यह ठीक है किसी ने अभी कहा हमारे सरपंच या उन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, सरपंचों के माध्यम से जो काम हुए हैं, पक्के काम हुए हैं उनकी समीक्षा आप पी.डब्ल्यू.डी. के कामों से, दूसरी एक्ज्यूकेटिव बाडी है आपकी, उनसे करवा लें। आप श्रम पर 60 प्रतिशत और सामग्री पर 40 प्रतिशत देते हैं। कोई भी अधिकारी इन पैसों के अन्दर कोई भी काम करवा ले, 60 और 40 का रेशो से 100 दिन गारंटी प्रोग्राम की जो योजना है और वह मजदूर जो हमारा चयनित है, जो गांव का गरीब है,

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण डूडी)

उनको लगाने के लिए, मगर जो सरपंच हैं उनको मजबूरन जब यह 60 और 40 के अनुपात में काम नहीं होता है तो अनुदान का जो पैसा मिलता है वह सब पर और दूसरी चीजों में खर्च बतायेगा और वह पैसा सामग्री लाने में लगायेगा तो इस प्रकार की जो, जिसकी हमें मालूम है कि सामग्री की वेल्यू भी ज्यादा होती है, श्रम पर कम खर्च होते हैं, फिर भी हमारा पुराना ढर्रा है, वह आ रहा है, बी. एस. आर. बढ़ गयी है और दूसरी बात जो अपन यह कहते हैं कि पंचायतों के माध्यम से....(समय समाप्ति सूचक घंटी) मैं एक थोड़ा सा निवेदन करू....

श्री सभापति : दो मिनट मिलते हैं। मैं दो मिनट पहले घंटी बजाता हूं, दो मिनट में खत्म कर दीजिए।

श्री रामनारायण डूडी : जो रोजगार हम दे रहे हैं या पंचायतों के माध्यम से हम काम करवा रहे हैं, मैं इस सरकार को एक बात तो कहना चाहता हूं कि पंचायत के माध्यम से जो सपना गांधी जी ने देखा, जो सपना जवाहर लाल नेहरू ने देखा और जो सपना स्वर्गीय राजीव गांधी ने देखा और उनके अनुसार जे.आर.वाई. की योजना है, जो पंचायतें एक आधारभूत माध्यम थी कि पैसा उस आदमी के पास जाए और उनकी एक्ज्यूकेटिव बाडी पंचायत और पंचायत समिति हो, जिला परिषदें हों, इन विचार-धारा के आधार पर पिछले चुनाव आपने भंग कर दिये, आपने सारा का सारा एकाधिकार आपके ग्राम सेवकों को दे दिया। मेरा यह निवेदन है आज जो भी काम हो रहे हैं, वह ठेके के आधार पर हो रहे हैं, वह मस्टर रोल भरे जाते हैं इसलिए जो गरीब गणेश है, वह वहां नहीं है, मगर उनको मस्टर रोल के अन्दर मेंशन किया जाता है। हां, गरीब गणेश वहां नहीं रहता है, मगर गरीब गणेश के दस्तखत करवा लिये जाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और सारी व्यवस्था ठेके के आधार पर ली जाती है। कहीं आपके पास ग्राम सेवक नहीं है, आपके पास मास्टर नहीं है, आपके पास एस. डी. आई. नहीं है, आपके पास कृषि प्रसार अधिकारी नहीं, आपके पास उद्योग प्रसार अधिकारी नहीं और आपके पास काम जो है, पंचायतों के अन्दर, पंचायत समितियों के अन्दर, वह जितना भी जिले का, जितना भी विकास खण्ड का, विकास उनके मार्फत हो।

सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं, जीवन धारा के अन्दर कुएं खोदने की बात है, अब कुएं, यहां पर खेती बाड़ी नहीं है, फिर भी आपको गारंटी (समय समाप्ति सूचक घंटी) देने के लिए रोजगार मिले। एक सैकण्ड। हमने इनको कहा कि इन योजनाओं के अन्दर आप एक परिवर्तन कीजिए। आजकल कुएं जो है 300 फुट या 400 फुट कुएं खोदे नहीं जा सकते। आपको यदि इस गरीब की सेवा ही करनी है तो ट्यूबवैल के पैसे दे दीजिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे के पूरे आपकी जीवन धारा के कुएं जो आपने खुदवाए हैं और उनके पास में ट्यूबवैल लगवाये....

श्री सभापति : माननीय श्री समर्थलाल मीणा।

श्री रामनारायण डूडी : तो मेरा निवेदन है पंचायती राज मंत्री से एक ही बात का....

श्री सभापति : माननीय श्री समर्थलाल मीणा।

श्री रामनारायण डूडी : जो हमारे काम हैं, जो स्कूल आपने पूर्व में खोली हैं, जे आर.वाई. के तहत कामों में लाखों रुपये लगे हुए हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय, प्रारम्भ कीजिए, नहीं तो आपका टाइम कट जायेगा।

श्री रामनारायण डूडी : तो सभापति महोदय, आप खोलें और दूसरा आज स्टाफ बढ़ायें, यही निवेदन करना चाहता हूं, जय हिन्द।

श्री समर्थलाल मीणा (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत राज की स्थापना के पीछे जो कल्पना थी, उस कल्पना के आधार पर यदि हम विवेचन करें और इस बात की जानकारी करें कि पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा हमारे गांवों का विकास, गांवों की रचना और संरचना जिस प्रकार की हम कल्पना करते थे, अपेक्षाएं रखकर चलते थे, मैं ऐसा मानता हूं कि उन अपेक्षाओं की पूर्ति इन 34-35 वर्षों के अन्तराल में हम कर नहीं पाये। उनके आधार पर हमारी यह कल्पना थी कि गांवों का विकास होगा, गांव का जन-जीवन सुखी होगा और गांवों के अन्दर एक स्वच्छ वातावरण होगा, लेकिन सभापति महोदय, आज जब हम देखते हैं कि गांव का कितना विकास हुआ है, गांव के अन्दर किस प्रकार के समाज का निर्माण हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस कल्पना के अनुरूप हम अपने कार्यक्रमों को अच्छी प्रकार से पूरा नहीं कर पाये। वर्तमान सरकार ने 7358 पंचायतों को बढ़ाकर 9173 पंचायतों का निर्माण किया, यह तो स्वागत योग्य है। उनके अन्तर्गत जो आने वाली व्यवस्थाएं हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियों के पंच, सरपंच और प्रधान होंगे, प्रमुख होंगे और इसके अलावा महिलाओं को भी 1/3 पद आरक्षित किये गये हैं, तो पंचायती राज के ढांचे के अन्दर जो इस प्रकार की व्यवस्था हम सोच कर चल रहे हैं, यह एक स्वागत योग्य बात है। इसके अलावा वर्तमान सरकार, पंचायतों का निर्वाचन निष्पक्ष रूप से हो, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कर रही है और वित्त आयोग का गठन भी स्वतन्त्र रूप से किया जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूं इस आधार पर आने वाली जो हमारी पंचायतें होंगी और उनके अन्तर्गत जो कार्यक्रम ग्रामीण विकास के अन्तर्गत चलेंगे, वह निश्चित रूप से फलदायी होंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय कि पंचायतों का ढांचा सुदृढ़ बने, पंचायतों के अन्दर जितनी भी योजनाएं हम देते हैं, राज्य सरकार की तरफ से, वह सुचारू रूप से चले। इसके लिए जो विकास अधिकारी होता है, कोई पशु-पालन विभाग का होता है, कोई शिक्षा विभाग का होता है, कोई कृषि और सहकारिता विभाग का होता है, मैं ऐसा मानता हूं कि पंचायत समिति का

(श्री समर्थलाल मीणा)

जो ढांचा है और उसका जो विस्तार हम धीरे-धीरे कर रहे हैं, उस विस्तार के अन्तर्गत विकास अधिकारी सक्षम होना चाहिए और सक्षम विकास अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि उसको प्रशासन का अच्छा अनुभव होना चाहिए और मैं यह सुझाव देना चाहता हूं, हमारी सरकार को कि पंचायत समिति के जो विकास अधिकारी हैं, वह कम से कम आर. ए. एस. होने चाहिए, आर. ए. एस. से कम नहीं होने चाहिए, जिससे उनका प्रशासन ठीक प्रकार से चल सके और पंचायत समिति के अन्तर्गत जो ढांचा है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वह प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके और ठीक प्रकार से चल सके। अब पंचायत समिति के अन्दर सभापति महोदय, अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। उन अनेक प्रकार की योजनाओं के अन्तर्गत निःशुल्क भूखण्ड आबंटन, आवासीय गृह निर्माण अनुदान सहायता, ग्रामीण शौचालय, निर्धूम चूल्हा, प्राथमिक शिक्षा की देखरेख, हैण्डपम्पों का संधारण और इसके अलावा भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम पंचायत और पंचायत समिति के द्वारा चलाये जाते हैं। जवाहर रोजगार योजना, अपना गांव अपना काम, मरू विकास, कार्यक्रम, सूखा सम्भावित क्षेत्र, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना, बायो गैस, तीस जिला तीस काम, जीवन धारा तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, जो गांव के लिए अच्छी योजनाएं हैं। इन योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनमें आने वाले धन का व्यय ठीक प्रकार से गांवों के अन्दर हो सके, उस सबके लिए यह आवश्यकता है कि वहां का जो विकास अधिकारी हो वह आर. ए. एस. से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वहां पर अनेक प्रकार के निर्माण कार्य होते हैं उन कार्यों के अन्दर हमने हर पंचायत समिति को एक जे.ई.एन दे रखा है। मैं मानता हूं कि वह कम है। वहां पर कम से कम दो जे ई.एन. होने चाहिए जिससे वह काम अच्छी प्रकार से चल सके। जल्दी-जल्दी काम हो सके, समय पर इन कामों को पूरा किया जा सके।

अब तक इन पंचायतों के द्वारा जो काम किये गये हैं उन पंचायत के कार्यक्रमों के अन्दर सरपंचों के द्वारा और जो अनेक प्रकार के कर्मचारी उन पंचायतों के अन्दर हैं उनके द्वारा अनेक प्रकार की भ्रष्टाचार की शिकायतें पंचायत मन्त्री की आती रही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इन सबके लिए यह आवश्यक हैं कि जो भी काम पंचायत के अन्दर किए जाएं उनका 6 महीने के अन्दर या साल भर के अन्दर भौतिक सत्यापन होना चाहिए और उस भौतिक सत्यापन के आधार पर जो भी कर्मचारी, अधिकारी, सरपंच या प्रधान जो भी दोषी पाया जाए उसको उसका उस वर्ष के अन्दर ही दण्ड मिलना चाहिए जिससे जो भ्रष्टाचार की प्रक्रिया है वह आगे न बढ़ पाये।

सभापति महोदय, यह जो प्रगति पुस्तिका के अन्दर आपने लिखा—1 लाख 11 हजार 284 हैण्ड पम्प राजस्थान के अन्दर और उनमें 96 हजार 861 हैण्ड पम्प आपने मिस्त्रियों के द्वारा ठीक करवा दिये, यह इस प्रकार का ब्यौरा इसके अन्दर दिया है। मैं निवेदन करना चाहूगा माननीय पंचायत मंत्री जी, यह आंकड़े जो आपने दिये हैं यह सही नहीं हैं। जितने भी हैण्ड पम्प इन ग्राम पंचायतों के अन्दर लगे हुए हैं

(श्री समर्थलाल मीणा)

और जितने भी मिस्त्री आपने रख रखे हैं और जो भी महीने की तनख्वाह देते हो, वह महीने की तनख्वाह बहुत कम है उसके आधार पर वह काम नहीं कर पाते हैं और जितने भी हैण्ड पम्प आपने ठीक बताये हैं यह वास्तव में इतने ठीक नहीं हैं। बहुत कम हैण्डपम्प ठीक हैं। अधिकतर हैण्ड पम्प ग्राम पंचायत के अन्दर बिगड़े पड़े हैं।

मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि आपके जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उन स्कूल के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि हर प्राइमरी स्कूल के अन्दर एक हैण्ड पम्प हो। छोटे-छोटे बच्चे आस-पास के कुओं पर जाते हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामपाल उपाध्याय।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : सभापति महोदय, पंचायत राज व्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण सामुदायिक उत्थान का दर्शन है। मैं समझता हूं कि पण्डित जवाहरलालजी ने एक ग्राम में एक ग्राम पंचायत स्कूल और एक सहकारी समिति का जो त्रिवेणी संगम किया है उसके मूल आधार में यह है कि ग्रामीणों का सर्वांगीण उत्थान हो। जब राजीव गांधी ने पंचायत राज और नगर पालिका संशोधन पर अपनी बात कही, मैं कुछ लाइने उसकी उद्धृत करना चाहता हूं उन्होंने कहा कि हमें यह मालूम हुआ है कि माई-बाप प्रशासन एक संवेदनशील प्रशासन नहीं हो सकता। हमें यह भी आभास हुआ है कि राजनीतिक अधिकारों के बिना निचले स्तर पर प्रशासन ऐसा है जैसे बिना नमक के खाना। हमें यह भी पता चला है कि हमारे जिला नौकरशाही के इरादे कितने ही अच्छे क्यों न हो, प्रभावी ढंग से चुने गये पदाधिकारियों के बिना लोगों और नौकरशाही के बीच अन्तर को कम नहीं किया जा सकता। हमें यह भी जानकारी मिली कि स्थानीय स्तर की राजनीतिक शक्ति के अभाव से पैदा हुई रिक्तता से सत्ता के दलालों को आगे आने का मौका मिला। वह लोग विधान सभा और उससे भी दूर संसद में उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच कड़ी बन गये। हमें यह भी पता चला है कि केवल पंचायतों को शक्ति देने तथा उन्हें लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने से ही भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। हमें यह भी पता चला है कि अकुशलता को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब हम लोगों के विकास के लिए निचले स्तर पर लोगों को यह जिम्मेदारी सौंप दें। हमें यह भी मालूम हुआ है कि गैर जिम्मेदारी की भावनाओं को हम केवल तभी समाप्त कर सकते हैं जबकि हम लोगों को स्वायत्तशासी संस्थाओं में उन्हें अपना प्रतिनिधि तथा लोगों को प्रतिनिधि स्वीकार करने का अधिकार दें जिन्होंने उनके विश्वास को तोड़ा हैं। मैं समझता हूं, सभापति महोदय, यह जो सूत्र मैंने निवेदन किया है इसमें राजनीतिक अधिकार की बात कही है, लोकतन्त्र को अधिक शक्तिशाली बनाने की बात कही है, भ्रष्टाचार को लोकतन्त्रात्मक तरीके से समाप्त करने की बात कही है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, डिमाण्ड नम्बर 41 सामुदायिक विकास योजना है। आपने हमको जो प्रोग्रेस रिपोर्ट दी है वह तो दी है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। यह कम्युनिटी डवलपमेंट डिपार्टमेंट तो बहुत पहले था 1959 के पहले। यह कहां रह गया, अभी तक है क्या ?

श्री सभापति : ग्राण्ट में है।

श्री परसराम मदेरणा : Are the remnants of this department still in the existencc in the Rural Development Department ?

डिपार्टमेंट ही नहीं है। यह तो आप इस हैडिंग को लिए चल रहे हैं और यह डिमाण्ड नम्बर और मेजर हैड बना दिया है। आपका डिपार्टमेंट तो यह है। यह कम्युनिटी डवलपमेंट का उस वक्त एक आइडिया आया था डे साहब के वक्त में उसके वाद छोड़ दिया गया उस फिलासफी को। वह बदली हुई परिस्थितियों के अन्दर राजस्थान के अन्दर और हिन्दुस्तान के अन्दर व्यवहारिक नहीं रही, 1959 में यहां पर डिसैन्ट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी का हुआ और उसके बाद पंचायती राज आ गया आपका डिपार्टमेंट आपका डायरेक्टर आपके सब जो आदेश हैं वह ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग से भी निकलते हैं। भारत सरकार का भी यह हो गया। सभापति महोदय, यही डिपार्टमेंट है। यह कम्युनिटी डवलपमेंट अभी कहां है ? यह कम्युनिटी डवलपमेंट है या पंचायती राज है ? ग्रामीण विकास और पंचायत राज डिपार्टमेंट से निर्देश आते हैं। कम्युनिटी डवलपमेंट नाम का कोई डिपार्टमेंट अभी तक राजस्थान में तो है नहीं, आप इसको लिये बैठे हो बजट के आंकड़ों के अन्दर और बजट के कागजों में।

श्री सभापति : यह बजट हैड है। एक बजट हैड के नीचे कई प्रकार के डिपार्टमेंट हो सकते हैं। दो-तीन भी हो सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हैड से काम लेना चाहिए।

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, हमारे नेता महोदय ने बीच में इसके शीर्षक को संशोधित करने की जो बात कही है वह अपना औचित्य रखती है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस क्षेत्र में लोगों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए। सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास ग्रामीण विकास का मूल आधार है और वैयक्तिक विकास से ऊपर उठकर के सामुदायिक विकास करना बहुत बड़ा काम है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सूत्र के आधार पर और आज जो हमारे पंचायत राज का जो थ्री टायर सिस्टम है उसके ऊपर अपन एक विहंगम दृष्टि डालें तो आपको यह मालूम होगा कि इस सबसे परे हटकर के हम कुछ काम कर रहे हैं।

मैं समय सीमा में रहते हुए बहुत थोड़े से उदाहरण देना चाहूंगा। सभापति महोदय, अभी नया पचायती राज कानून हमारे बीच में आने वाला है और जिसे हम पास करेंगे। इस पंचायती राज में भारत सरकार ने जो डायरेक्शन दिये हैं, जो निर्देश दिये हैं उसके आधार पर पंचायत राज के बीच

(श्री रामपाल उपाध्याय)

अन्य सभी संस्थाओं के अधिकारों में वृद्धि हुई है। अब मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधिकार हमको नये मिल रहे हैं उन नये अधिकारों के संचालन, उनकी सफलता के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप देने के लिए, ग्रामीण सामुदायिक कार्य को नया स्वरूप देने के लिए इमको अधिक चुस्त दुरुस्त होने की आवश्यकता है। आपने ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया है। मैं सारे पुनर्गठन के बारे में नहीं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, लेकिन जो करीब दो सौ के लगभग, पौने दो सौ, दो सौ हो सकते हैं, के लगभग विभिन्न उच्च न्यायालयों में जो मामले विचाराधीन है, मैं प्रार्थना करूंगा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कि कम से कम यह चुनाव निर्दिष्ट होने के पहले-पहले आप उन मामलों को पारस्परिक बैठकर निपटा लें तो मैं सोचता हूं कि ग्रामीण पंचायती राज में एक अच्छी स्वस्थ परम्परा का निर्माण होगा। नहीं तो उसके अन्दर एक पक्ष जीतेगा और एक पक्ष हारेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किसी प्रकार के राजनैतिक द्वेष के आधार पर और केवल मात्र अपने जातीय समीकरणों के आधार पर काम हो रहा है। रायपुर पंचायत समिति का उदाहरण देना चाहूंगा। भीलवाड़ा जिले की पालना पंचायत है उसकी अगली पंचायत पिथाड़ाखेड़ा और उसकी अगली पंचायत कोट है, एक-दो-तीन। पालना पंचायत को हमको इन्होंने पिथाड़ाखेड़ा से होकर जाते हुए भी उसमें नहीं मिलाकर कोट में मिलाया और इस बीच में 7-8 कि. मी. की दूरी पर सभी तरह से ऐसी विशृंखलतायें हो गई हैं कि कोट पंचायत गड़बड़ा गई है। भागल पंचायत गड़बड़ा गई है तो मेरा आपसे यह निवेदन है। यह सभी मामले उच्च न्यायालय, जोधपुर में हमारे यहां के विचाराधीन है तो राजस्थान में और भी मामले हो सकते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कृपा करके पारस्परिक बैठकर भारी चर्चा करके जो उचित हो, औचित्य में उसका समाधान निकालेंगे तो बड़ी कृपा होगी। आपको यह भली-भांति मालूम है कि जब जन प्रतिनिधि नहीं होता है तो एक असन्तोष और आक्रोश बढ़ता है। बढ़ते हुये असन्तोष और आक्रोश का केवल मात्र एक समाधान, माननीय सभापति महोदय, उसका जल्दी से जल्दी चुनाव निर्धारित कराना है। मुझे खुशी है कि भारत सरकार के निदेशानुसार आप 24 अक्टूबर, 1994 के पहले-पहले चुनाव करवाने के लिये विवश हैं। मैं समझता हूं कि इस विवशता में कुछ अपनापन लाते हुए। उनके चुनाव जल्दी करवायें। अभी कुछ बात कर रहे थे। आज के दिन में डी. आर. डी ए. का सारा काम, जितनी योजनाएं हैं, मैं कह सकता हूं कि पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत के माध्यम से पूरी होती है। भारत सरकार और राजस्थान की जितनी ग्रामीण विकास की योजनायें है उनका मूल आधार है तो ऐसे मूल आधार वाली इकाइयों का प्रशासनिक जो आधार है, प्रशासनिक अधिकारी है, मैं सोचता हूं वह बहुत सक्षम होने चाहिये। किसी माननीय सदस्य ने जो विचार रखे उससे सहमत होता हुआ (समय–समाप्ति–सूचक–घंटी) मैं दो तीन

(श्री रामपाल उपाध्याय)

मिनट में अपनी वात खतम करूंगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसे गुजरात के अन्दर गुजरात विकास अधिकारियों का एक अलग से वर्ग, अलग से सेवायें, अलग से सर्विसेज उन्होंने तय की है वैसे ही राजस्थान में विकास की प्रशासनिक सेवायें अलग से तैयार करें ताकि उनके सामने एक ही विकास का उद्देश्य हो। विकास ही सारा उसका ताना-बाना हो और विकास का ढांचा हो, एक आधारभूत ढांचा उनके मस्तिष्क में हो और उसी आधार पर वह आगे बढ़े। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं श्रीमान् डी. आर. डी. ए. की जो कतिपय वक्ताओं ने निवेदन किया है मैं भी उनसे अपनी सहमति व्यक्त करता हुआ निवेदन करना चाहूंगा कि डी. आर. डी. ए. द्वारा और जितने भी हमारे विकास के कदम हैं उनको बहुत चुस्त दुरुस्त ढंग से करना चाहिये।

अन्त में, बात बहुत कहनी है लेकिन समय सीमा इतनी कम है मैं एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि अकाल का समय है, हैण्ड पम्प का सधारण हमने हमारे पंचायत राज को दे रखा है। दुर्भाग्य की वात है कि उधर तो जल स्तर कम हो गया है, पेड़ों में सक्षलता नहीं रही है, दक्षता नहीं रही है। इसलिये कुछ ऐसी टीम आपको तैयार करके करनी चाहिये उसके अन्दर कम से कम ताकि लोगों को लाभ मिले। जे. आर. वाई. वगैरह के जितने भी काम-काज चल रहे हैं इन सारे कामों के लिये आपको एक सक्षम अधिकारी नियुक्त करना चाहिये। सक्षम प्रशासन तैयार करना चाहिये और अन्तिम यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी मान्यतायें हैं, जो हमारा कार्यक्रम है उसके अन्दर जो विकास के कार्यक्रम है उसकी नई समीक्षा करके उसके नये तौर तरीके अख्तियार करने चाहिये। अन्तिम एक लाइन और कहूंगा। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं धन्यवाद के साथ कि इन्दिरा आवास योजना आपने सारे राजस्थान में बनाई। आप कम से कम उसकी एक समीक्षा करवा लें। धन्यवाद।

श्री सभापति : कन्हैयालाल पाटीदार।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : आदरणीय सभापति महोदय, बजट भाषण के रोज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट को शिक्षा के लिये समर्पित बताया था, लेकिन यदि मैं इसे शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये भी समर्पित बजट कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु इस बजट में 307 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। शिक्षा, सिंचाई, चिकित्सा, कृषि, सामुदायिक विकास आदि के बजट में से अधिकाश भाग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को दिया है। इसके लिये मैं और मेरा सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र आपका अत्यन्त आभारी है। माननीय सभापति महोदय, हमारी पंचायतों के विकास में एकीकृत ग्रामीण विभाग का काफी रोल रहता है। मैं माननीय एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह हमारी पंचायतों को सुदृढ़ एवं उनके विकास कार्यों को गति देने के लिये अधिक से अधिक राशि उपलब्ध करायें। उसमें डी. आर. डी. ए. के माध्यम से एनीकट, सम्पर्क सड़कें, पेज जल, नाली

118

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

निर्माण आदि में अधिक बजट रखें । उसकी वजह से माननीय शेखावत साहब का जो सम्पूर्ण सर्वांगीण विकास ग्रामीण क्षेत्र का करने का है, उनके महान् उद्देश्य में वह भी भागीदार बन सके । माननीय मुख्यमंत्रीजी एवं पंचायत मंत्रीजी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने हमारे ग्रामीण क्षेत्र में दो हजार उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन बनाने एवं एक हजार उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं आयुर्वेदिक औषधालय भवन बनाने का इस बजट में प्रावधान रखा है । मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा कि मौजूदा हालत में एक ग्रुप सचिव के पास चार-चार, पांच-पांच ग्राम पंचायतें हैं जिनकी वजह से हमारी पंचायतों को जो विकास कार्य करना चाहिये या जो विकास कार्य पंचायतों में होने चाहिये, वांछित रूप से नहीं हो पा रहे हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि पंचायत चुनाव के बाद एक पंचायत में एक ग्रुप सचिव उपलब्ध कराये जायें । यदि यह सम्भव नहीं हो तो कम से कम दो पंचायतों के बीच में एक तो ग्रुप सचिव होना अति आवश्यक है । माननीय सभापतिजी, मैं पंचायत मंत्री महोदय से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्राथमिक शालायें आपके अधीन आती है उसमें कक्षा 1 से 5 तक के छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनके यहां चपरासी की कोई व्यवस्था नहीं है । छोटे-छोटे बच्चे पानी की बाल्टियां उठाकर लाते हैं । यदि पानी के स्रोत दूर हो तो वहां भी पानी पीने जाते हैं । बड़ी अव्यवस्था होती है । छोटे बच्चों के ऊपर इस तरह भार डालना मैं आवश्यक नहीं मानता । जहां बड़े बच्चे पढ़ते हैं वहां पांच-पांच, छः-छः चपरासी उपलब्ध करा दिये जाते हैं लेकिन जहां बहुत छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनको एक भी चपरासी की सुविधा उपलब्ध नहीं है । इस दृष्टि से यदि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में एक चपरासी भी उपलब्ध कराया जाये तो यह छोटे बच्चों के लिये बहुत सुविधाजनक रहेगा ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या हमेशा बनी रहती है और पेयजल समस्या के निदान हेतु मुख्य रूप से गांवों में हैण्ड पम्प ही ऐसे विकल्प हैं जिनके माध्यम से पेयजल आपूर्ति होती है लेकिन हैण्ड पम्प का संधारण दो विभागों के पास होने से काफी अव्यवस्था हो रही है । या तो हैण्ड पम्प को सम्पूर्ण रूप से जलदाय विभाग को सौंप दिया जाए अन्यथा जिस पंचायत में जितने हैण्ड पम्प हैं उनको पंचायत की सम्पत्ति मान कर उनको अलग से बजट आवंटित किया जाए ताकि पंचायत अपना ट्रेण्ड मिस्त्री वहां रख सके और जिसे सामान की आवश्यकता हो उसे उस बजट से खरीद कर हैण्ड पम्प सुधरवा सकें और बड़ी खराबी के लिए जलदाय विभाग को पाबंद किया जाए । जैसे ही सरपंच की शिकायत पहुंचे, जलदाय विभाग का कर्मचारी वहां जाकर बड़ी खराबी ठीक करे । इन दोनों में से एक विकल्प को निश्चित रूप से कायम किया जाए ताकि पेयजल समस्या का समाधान हो सके ।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में एक और बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय पंचायत मंत्रीजी एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो ग्रामीण जीवन को दी है वह है इंदिरा आवास और जीवन धारा । अब तक उसमें अनुसूचित जाति के लोगों

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

को ही इस तरह का लाभ मिलता था लेकिन अन्य समाज में भी ऐसे कई गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग रहते हैं उनको इस योजना में सम्मिलित किया गया इसके लिए उन गरीबों की तरफ से मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे इन सुझावों को माननीय मंत्रीजी उदारतापूर्वक लेंगे और ग्रामीण जीवन के विकास को गति देने की दृष्टि से इसमें सर्वाधिक रूप से सोचते हुए ग्रामीण पंचायतों को सशक्त करेंगे। (धन्यवाद)

श्री सभापति : माननीय श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, इस सामुदायिक पंचायत राज विभाग की मांग संख्या-41 पर सबसे पहले मैं मंत्री महोदय का ध्यान पंचायत समिति धोद के मुख्यालय के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं राजस्थान की एकमात्र धोद पंचायत समिति ऐसी होगी जिसका मुख्यालय धोद होने के बावजूद भी उसका मुख्यालय आज तक सीकर में कर रखा है। एक-दो बार बदल कर धोद किया गया लेकिन जिनका आज तक पंचायत समिति धोद पर प्रधान के रूप में कब्जा रहा है, अपने निजी स्वार्थों के वश उसका मुख्यालय सीकर कर रखा है। पंचायत समिति का लक्ष्य था गांव का विकास अपने आप वही लोग करें उसका मुख्यालय सीकर में और मैं समझता हूं राजस्थान में एक ही ऐसी पंचायत समिति होगी जिसका खुद का भवन नहीं है और वह अलग-अलग किसी न किसी भवन में स्थानान्तरित बार-बार की जाती है, तो सबसे पहले पंचायत समिति धोद के मुख्यालय को धोद में किया जाए और उसके भवन के बनाने के लिए आज तक जो देरी कर रहे हैं और जो कमी रही है उसको पूर्ण करके वहां भवन बनाया जाए और जहां तक पंचायत समिति के विकास की बात है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं उस इंदिरा आवास योजना का जो सन् 1988 में मंजूर हुई थी। कौन से कारण थे कि इंदिरा आवास नहीं बनने के बाद भी एक लाख 68 हजार रुपया शाहपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच को बार बार अग्रिम के रूप में दे दिया गया जबकि वहां कोई कार्य नहीं हुआ और जो कार्य हुआ 50 हजार रुपये का वह केवल उस एक व्यक्ति की निजी भूमि पर हुआ। उस शाहपुरा के सरपंच पर दो लाख 95 हजार का आज भी बाकी है। 1988 से लेकर आज तक लेकिन रिकवरी नहीं की गयी और बार-बार कहने के बाद भी मैं समझता हूं सरकार की मंशा नहीं और जो विकास अधिकारी मौजूदा समय में रहे हैं उनकी यह इच्छा नहीं रही, उस सरपंच से मिलकर पूरा का पूरा अग्रिम पेमेण्ट वहां कर दिया गया और आज तक दो लाख 95 हजार की रिकवरी नहीं हुई है। जहां तक आई. आर. डी. यूनिट्स में जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए जो साधन उपलब्ध कराये जाते हैं उनकी जो कोस्ट यूनिट है चाहे वह ऊंट गाड़ी लो, चाहे भैंस लो सब की यूनिट कोस्ट एक्चुअल में जो यूनिट लगती है वह यूनिट कोस्ट नहीं रहती और उसी का कारण है कि जो भी यूनिट्स हम उपलब्ध कराते हैं उसका भौतिक सत्यापन जब किया जाता है वह कहीं जमीन पर मिलते नहीं, केवल आंकड़े प्राप्त होते हैं। अगर वास्तव में हम और हमारी सरकार यह चाहती है

(120)

(श्री अमराराम)

कि उन लोगों को उठाना है तो निश्चित रूप से जो यूनिट हम उपलब्ध कराते हैं और उसकी आज जो यूनिट लगती है यूनिट कोस्ट वह होनी चाहिए जो आज उपलब्ध कराने में लगती है और जहां तक इसमें जे. आर. वाई. है और दूसरे काम हैं उसमें हो सकता है कुछ इलाके हमारे राजस्थान में ऐसे हों जहां मजदूर और कारीगर ऐसे मिल जाते हैं लेकिन सीकर और झुंझुनू से लेकर गंगानगर तक जो मजदूरी 22 रुपये मजदूर की और कारीगर की 40 रुपये रखी है, कहीं भी नहीं मिलता। इसके कारण चाहे वह सरपंच हो, चाहे ग्राम सेवक हो उनको मजबूरन जहां 10 मजदूर लगाये जाते हैं वहां 15 के नाम आपको भरने पड़ेंगे और मैं समझता हूं कि सरकार जान-बूझकर गलत आंकड़े तैयार कराने के लिए, जहां कोई मजदूर नहीं मिलता 22 रुपये में, जहां कोई कारीगर नहीं मिलता 40 रुपये में केवल इसी का आंकड़ा रखा कर और मैं समझता हूं उस आधार पर करवाया जाए तो उन जिलों में जहां विकसित है वहां पर कोई भी काम नहीं होगा इसलिए अलग-अलग जिलों वाइज जहां जैसी मजदूरी हैं उसके हिसाब से कराया जाए जिससे गलत आंकड़े तैयार नहीं हों, गलत काम नहीं हों।

सभापति महोदय, जहां तक पंचायत शिक्षा के बारे में है, मैं समझता हूं कि कितनी अव्यवहारिक होगी कि जहां एक सैकण्डरी स्कूल में 20 शिक्षक हैं वहां तीन का क्लेरिकल स्टॉफ है और पंचायत समिति में ऐसा कोई नहीं होगा जहां तीन सौ-चार सौ तक अध्यापक हैं और उनके हिसाब रिकार्ड और उनकी तनख्वाह सब-कुछ बनाने के लिए मात्र एक क्लर्क आपको मिलेगा और विडम्बना देखिये कि एक पंचायत राज में जो शिक्षक हैं वही ऐसे हैं कि जिनको समय पर तनख्वाह कई बार नहीं मिलती और कई बार पूरे-पूरे दो महीने तक उनको तनख्वाह नहीं मिलती और जो सबसे छोटे बच्चों को राजस्थान में शिक्षा देता है और राजस्थान का आधार है उसी के साथ हम इस तरह सलूक करेंगे तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से नहीं होगी और जहां तक शिक्षकों को चैक करने की और स्कूलों को चैक करने की व्यवस्था है, डेढ़ सौ स्कूल हैं और एक पंचायत समिति में आपको एक एस. डी. आई. मिलेगा। नार्म्स के आधार पर तीन एस. डी आई. हैं, लेकिन मात्र एक एस. डी. आई. मिलेगा तो मैं समझता हूं कि डेढ़ सौ स्कूलों को चैक एक एस. डी. आई. नहीं कर सकता है और पानी का जो सवाल था, हम निश्चित रूप से चपरासी की व्यवस्था नहीं कर सकते, फोर्थ क्लास की व्यवस्था नहीं कर सकते लेकिन हम यह व्यवस्था जरूर कर सकते हैं कि पार्ट टाइम ऐसे हर स्कूल में लगा कर कम से कम जिस स्कूल में पानी नहीं है उस स्कूल में ऐसी व्यवस्था करें क्योंकि जो छोटे बालक हैं प्राइमरी स्कूल के वह पानी दूर से लाकर स्कूल में नहीं रख सकते। इतने छोटे होते है, दस और ग्यारह साल से बड़े कोई विद्यार्थी नहीं होते इसलिए ऐसे स्कूलों में जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, पार्ट टाइम ऐसे लोगों को रख कर पानी की व्यवस्था कराई जाए।

सभापति महोदय, जो एक अपना गांव और अपना काम योजना है उसमें मेरा यह

(श्री अमराराम)

अनुभव है कि बहुत से काम ऐसे हैं जैसे स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल की बाउण्ड्री वाल है, पहले तो जो बाउण्ड्री वाल पर प्रतिबन्ध लगा रखा है उसको हटाया जाना चाहिए। क्योंकि जिस भी स्कूल में जहां हम वन लगाने की बात करते हैं स्कूल में बाउण्ड्री नहीं होगी तो बच्चे पेड़ लगायेंगे और बाउण्ड्री वाल नहीं होने के कारण सब पेड़ों को जानवर खा जाते हैं। बाउण्ड्री वाल लगाने से सौन्दर्यकरण भी होगा, हमारे पेड़ लगाने की व्यवस्था भी होगी और जब तक हम बाउण्ड्री पर पाबंदी लगायेंगे तो बाउण्ड्री नहीं बन सकती तो न तो पेड़ हो सकते हैं न स्कूल के उन कमरों की व्यवस्था सही रह सकती है, जानवर अन्दर आते हैं और गंदगी फैलाते हैं इसलिए बाउण्ड्री पर लगी हुई रोक को हटाया जाए और अपना गांव अपना काम में जो व्यवस्था अभी तक हमने कर रखी है उसमें यह है कि 30 प्रतिशत गांव के लोग पैसा डी. आर. डी. ए. में जमा करायेंगे, मैं समझता हूं कि लोगों के पास पैसा हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन मजदूरी (समय समाप्ति-सूचक घण्टी) के रूप में जो भी काम हो उसमें वह अपना काम कर सकते हैं इसलिए इस बात की पाबंदी हटायी जाए कि तीस प्रतिशत रुपये के रूप में वह जमा नहीं करा कर मजदूरी के रूप में उस काम को करना चाहते हैं, तीस प्रतिशत मजदूरी के रूप में गांव वाले सहयोग करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि 1977 की काम के अनाज योजना की तरह अपना गांव अपना काम योजना का सफल क्रियान्वयन तब ही होगा। जब हम 30 पर्सेंट के रूप में गांवों

(14.00)

में अपनी मजदूरी गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है, जो पैसा नहीं दे सकते तो इसमें अगर छूट इस बात की हम देंगे कि 30 पर्सेंट वह अपनी मजदूरी करके अपना हिस्सा गांवों में बना सकता है। तो बहुत से पक्के कार्य हो सकते हैं। आज भी मैं समझता हूं कि अपना गांव अपना काम योजना के पैसे हर जिले में बचते हैं और इसका यही कारण है, कुछ और भी कठिनाइयां हैं लेकिन मुख्य रूप से जो कठिनाई है, अगर हम इसको कर दूर सकेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में अपना गांव अपना काम की जो योजना है उसका अच्छी तरह से उपयोग होगा जहां तक पंचायत समितियों का सवाल है, पंचायत समिति का स्टाफ डेपुटेशन पर होता है। स्टाफ इतना कम है और इतनी योजनाएं हैं। मैं समझता हूं कि उनका संधारण करने के लिए आधे से ज्यादा पंचायत समितियों के बी. डी. ओज., आर. ए. एस. होने चाहिए जिससे वे सख्ती से उन कामों को लागू करवा सकें। डेपुटेशन पर होने से वे आधे मन से काम करवाते हैं कि कब उनका डेपुटेशन खतम हो जाएगा और पंचायत समिति से चले जाएंगे। इसलिए मैं अन्तिम बात कह कर समाप्त करता हूं कि आर. ए. एस. लगायेंगे जो स्टाफ की कमी रही है उसको पूरा करायेंगे।

इसके साथ ही आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अमरचन्द मिड्ढा ।

श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, सामुदायिक विकास काम पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, इस क्षेत्र के विकास के लिए पंचायतों की 6 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए । यदि यह सम्भव न हो तो 8 किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए । प्राथमिक शिक्षा हमारे सामुदायिक विकास के पास है, प्राथमिक शाला हमारे छोटे-छोटे बच्चों के भविष्य का निर्माण करती है । प्राथमिक शालाओं को यदि हम विकास रूपी भवन की नींव बता दें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी । सरकार ने नाना प्रकार की योजनाओं में सभी पुराने स्कूल जहां चलते थे उनका भवन बना दिया है लेकिन अध्यापक भवन भी बनाना बहुत जरूरी है । छोटे-छोटे ग्रामों में अध्यापकों को रहने को मकान नहीं मिलते जिसके कारण उनका मन ग्रामों में नहीं लगता । जहां तक हो पति-पत्नी यदि पंचायत समिति में नौकरी करते हैं तो साथ रहने की व्यवस्था होनी चाहिए । इसके अलावा वृद्ध व अधिक अनुभव रखने वाले शिक्षकों को प्राथमिक शालाओं में लगाना चाहिए । लोग कहते हैं कि आर. ए. एस. को लगाओ, आई. ए. एस. को लगाओ । 1952 के अन्दर हमारे रायसिंह नगर में बी. पी. सूद साहब आई. ए. एस. थे, एस. डी. एम. कम बी. डी. ओ., सारे सर्वेंट त्राहि-त्राहि करते थे कि यह जावे नहीं तो हमको मारेगा । कोई नहीं चाहता आर. ए. एस. । खुद अगर सरपंच ईमानदार है तो कोई सेक्रेटरी बेईमानी नहीं कर सकता, बी. डी. ओ. बेईमानी नहीं कर सकता । यह खुद ऐसे ही है तो उसका सेक्रेटरी तो बनेगा ही । जब सरपंच के पास सेक्रेटरी था तब तो वह ईमानदार था जब सरकार ने पंचायतों को तोड़ दिया तो दूसरे दिन वह सेक्रेटरी बेईमान हो गया । यह कैसे हो सकता है ? सरपंच अगर सही है तो सब स्टाफ सही है, प्रधान अगर सही है तो स्टाफ सही है, अगर हम बेईमान हैं तो सारी दुनिया बेईमान है । इस वास्ते जो भी व्यवस्था करें, सरकार को एक तो पैसे पर अंकुश रखना चाहिए, पहले यह सिस्टम था कि पहले 25 पर्सेंट पैसा, वह काम हो गया तो उसके बाद में 25 पर्सेंट पैसा दिया । एक बात यह आती है कि पैसा सरकार देती है मार्च में और 31 मार्च को चैक कटते हैं तो बताओ कैसे विकास में लगेगा ? वह तो पैसा 31 मार्च को मिला, किसी ने अधूरा काम कराया, किसी ने नहीं कराया, कोई बाद में पूरा करायेगा या पैसे लेकर दारू पी जाएगा या मजे करेगा, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे सरपंच हो इसलिए इस वास्ते पैसा समय पर मिलना चाहिए और उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए । मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे क्षेत्र में 90 पर्सेंट बिल्डिंग्स सरपंचों की बीच में पड़ी हैं, यानी कर्मचारी 50 पर्सेंट खाता है और सरपंच 50 पर्सेन्ट खाता है तो सौ पर्सेन्ट ही खा जाते हैं । इस वास्ते पैसा समय पर दो, उसकी चैकिंग करके पैसा दो और वह काम पूरा हो जावे तो उसके हिसाब से पैसा पूरा मिले ।

आपने समय दिया, धन्यवाद ।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज जो चर्चा इस पंचायती राज विधेयक पर हो रही है, निवेदन करना चाहूंगा कि पण्डित जवाहर लाल जी नेहरू, ने जो हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस पंचायती राज की नींव हमारे राजस्थान के अन्दर रखी थी। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने आपका और हमारा, सब का सर ऊंचा किया था, उन्होंने सारे अधिकार जनता को सौंपे थे कि जनता अपना फैसला करेगी, जनता अपने जन प्रतिनिधि चुनेगी और जनता के द्वारा जनता की समस्याओं का निपटारा होगा। इसी आधार पर यह पंचायती राज बना था। सरपंचों के चुनाव हुए, पंचों के चुनाव हुए, जिला प्रमुखों के चुनाव हुए, पंचायत समितियों के प्रधानों के चुनाव हुए, जनता का पैसा जनता के पास आया, जन प्रतिनिधियों के द्वारा उनके कार्य हुए और 40 साल में कांग्रेस के राज में गरीबों का उत्थान हुआ। गांव-गांव में विकास कार्य हुए, स्कूलें खोली, प्राइमरी स्कूलें खोलीं, मिडल स्कूलें खोली और यह विकास जो आज गांव का नजर आता है वह सब इस पंचायती राज की देन है और इस कांग्रेस की देन है जिसने यह सब कुछ किया था लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब इस पंचायती राज को कुचलने वाली यह सरकार, यह ढाई साला सरकार जिसका इतिहास रहा है या तो डेढ़ साल, दो साल, ढाई साल लगातार रही है, कभी इसने अपना समय पूरा नहीं किया उसी का परिणाम है कि....

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री रामस्वरूप मीणा : इन्होंने पंचायती राज को खतम किया, पंचायतें भंग कीं, जिला प्रमुख हटा दिये और उनकी जगह सेक्रेटरी बैठा दिये। उसी का परिणाम है कि जनता जनार्दन का इनको आशीर्वाद की जगह श्राप मिला और उसी श्राप के कारण इनको दुबारा चुनाव में जाना पड़ा। लेकिन हो सकता है कुछ हमारी गलतियां हों और आपके अच्छे दिन थे जो दुबारा आकर आप बैठ गये। अब सद्बुद्धि आनी चाहिए आप लोगों को और सबसे पहले आपको पचायती राज पर ध्यान देना चाहिए। यह जो सेक्रेटरी आपने बैठा रखे हैं इन सेक्रेटरीज पर अंकुश लगाना पड़ेगा आपको। जिस सेक्रेटरी की हालत यह थी, खाने को दाने नहीं थे, सरपंच के पीछे-पीछे घूमता था थैला लेकर, उसका सेक्रेटरी था, लेकिन आज वही, सेक्रेटरी और सरपंच दोनों के पावर लेकर बैठा हुआ है। मैं हकीकत कहता हूं मेरी पंचायत समिति में एक बार मैं गया, एक सेक्रेटरी से बात हो रही थी, वह कह रहा था मैं जब घर जाता हूं तो मेरी घरवाली कहती है कि पतिदेव यह तो बतला दो, यह तनख्वाह पहले महीने पर मिलती थी यह तनख्वाह रोजाना कैसे मिलने लग गयी? यह तनख्वाह जो महीने पर आपको मिलती थी और बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था लेकिन अब तो तनख्वाह बड़ी जल्दी-जल्दी

(श्री रामस्वरूप मीणा)

मिल रही है आपको। बेचारा वह सेक्रेटरी बोला, हे धर्मपत्नीजी आप भूल चुकी हैं, मैं अब सेक्रेटरी नहीं रहा हूं, मैं अब साथ में सरपंच भी हो गया हूं। भला हो भारतीय जनता पार्टी की, सरकार का जिसने मुझे भी सरपंच बना दिया और वह दोनों पावर लेकर सारे पैसे को बी. डी. ओ. वगैरह से मिलकर सरकार डकार रही है। (व्यवधान) बातें ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, प्रमाण के साथ बात करूंगा, सारे प्रमाण लेकर आया हूं यहां पर। यह प्रमाण हैं मेरे पास पूरे कम्पलीट और जगह की तो मैं जानता नहीं जाने क्या-क्या घोटाले हुए होंगे लेकिन मेरी पंचायत समिति नादौती और टोडा-भीम के अन्दर.......(व्यवधान) माननीय सदस्य सुन लें। मेरा निवेदन है यह आपके काम का मसला है। मेरा निवेदन है कि मेरी पंचायत समिति का मैं उदाहरण पेश कर रहा हूं आपके सामने। जीवनधारा के तहत कई घोटाले हुए हैं, गरीबों की चयनित लिस्ट बनती है उसके आधार पर गरीबों को मदद मिलती है और मदद के आधार पर कुएं खुदवाये जाते हैं लेकिन बड़े दुःख की बात है, पिछली बार, एक साल पहले विधान सभा की अनुसूचित जन-जाति जब वहां पर गयी थी, मैं भी उसका मेम्बर था। अन्य माननीय सदस्य भी उसमें थे। टोडाभीम पंचायत समिति में आप गये थे। पांच-सात सदस्य मौजूद थे, पंचायत के अन्दर के सारे जन प्रतिनिधि भी, और भी जो भूतपूर्व थे, वह भी मौजूद थे, सरपंच भी उसके अन्दर मौजूद थे और जनता के बहुत सारे लोग मौजूद थे, उस समय विकास अधिकारी को हमने वहां बुलवाया था, सार रिकार्ड उससे मंगवाया था। जीवनधारा का जब रिकार्ड देखा तो माननीय सभापति महोदय, आप ताज्जुब करोगे, यह लिस्ट इस बात को बतलाती है, 40 कुएं जो जीवनधारा में बने थे, वे मौके पर मौजूद ही नहीं थे। शर्म की बात है। एक पंचायत समिति का उदाहरण दे रहा हूं और मैं अकेला ही नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ जो भी माननीय सदस्य अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के साथ वहां पर गये थे, सबने इस बात की खोज की थी, मौका भी जाकर देखा था, जिला धीश महोदय को साथ में लिया था और....

श्री परसराम मदेरणा : जल जीवन है और धारा की जल है और वह धारा कोई की थी ? ये जो 40 कुएं कह रहे हैं, कोई धारा-वारा थी या नहीं ?

एक माननीय सदस्य : वह धारा थी ही नहीं।

श्री रामस्वरूप मीणा : तो यह जो जीवनधारा की बात बतायी। अभी तो यह जीवनधारा की थी....

श्रीमती तारा भंडारी : सभापति महोदय, इनको लगा कि नेताजी ने इनको कोई अवार्ड दे दिया है।

श्री रामस्वरूपमीणा : नेताजी तो मुझे देते ही रहते हैं। आप तो अपने नेता का ख्याल करो, वह क्या दे रहे हैं आपको ? **माननीय** सभापति महोदय, उस चयनित लिस्ट को

(श्री रामस्वरूप मीणा)

आज इस सदन को दिखा रहा हूं, जिस चयनित लिस्ट में माननीय विकास अधिकारी, जो एक सैंगर था, एक ढोर डाक्टर था, जिसको विकास अधिकारी बनाकर बिठा दिया वहां पर। ढोर डाक्टर, जानवरों का डाक्टर जो जानवरों के बारे में ज्ञान रखता है, उसको वहां पर विकास अधिकारी बना दिया। उसने क्या हालत की ? यह हालत की उसने कि सारी चयनित लिस्ट को ही बदल दिया। पंचायत समिति में जो चयनित लिस्ट थी वह अलग है और उसने जो काम, जीवनधारा के अन्तर्गत जिन लोगों।

श्री रामस्वरूप मीणा : लक्ष्मीनारायण, राधेश्याम....

श्री नाथूसिंह गुर्जर : लिस्ट दे दें मुझे।

श्री रामस्वरूप मीणा : मानसिंह, दाताराम, सम्पतराम, कमलेश, रामकिशोर, भरतलाल, बद्री, पूनिया, खीसा, मूला, नेमना, औरसो जीराम। यह और भी लिस्ट हैं इसमें और भी नाम हैं। आज मैं, चाहो तो आपको पेश कर दूंगा। पूरे 40 नाम हैं। जो 40 आदमियों की लिस्ट है, जो बिलकुल बदल दी गयी है। पंचायत समिति टोडाभीम, नादौती की बात कर रहा हूं। ये प्रमाण पेश कर रहा हूं। जो हमारी कमेटी गयी हुई थी अनुसूचित जनजाति समिति, जिसमें हमारे माननीय पांच-सात मेम्बर भी गये हुए थे। एक सैंगर विकास अधिकारी था, उसने सारी लिस्ट को बदला था। उसने पूरी चयनित लिस्ट को ही बदल दिया और दूसरे लोगों को मदद दे दी है। कुएं मौके पर मौजूद नहीं हैं कहीं भी और उनके कुएं दिखा दिये गये। कुएं पहले से बने हुए हैं और उनको बना हुआ दिखा दिया गया, इस प्रकार की बात मौके पर मिली। जिलाधीश महोदय हमारे साथ थे, सारी रिपोर्ट हम साथ लेकर आये थे और पूरी रिपोर्ट बनाकर सदन में पेश कर दी हमने। वह रिपोर्ट आज मौजूद है सदन के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, इसको दिखवा लें जो सारा प्रमाण है, वहां का मौजूद है। यह मैं एक पंचायत समिति का उदाहरण पेश कर रहा हूं माननीय, हो सकता है क्या हालत हुई होगी इस प्रकार गरीबों के साथ, जो इस प्रकार पैसा बांटा गया है, वह गरीबों तक नहीं पहुंचा है। इसलिए आप कम से कम यह व्यवस्था करें, सबसे पहले कि गांव के अन्दर जो इस प्रकार के चयन किया जाता है, वास्तव में गरीबों का होना चाहिए, गरीबों के काम होने चाहिए और उनके कामों की बाद में देखरेख होनी चाहिए कि वास्तव में सही काम हुआ है या नहीं हुआ है। (समय समाप्ति सूचक घण्टी) इस बात की कोई कमेटी बनानी चाहिए माननीय।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि डी. आर. डी. ए. के तहत जो भैंस मिलती हैं....

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : ऊट गाड़ी मिलती है, इसमें फर्जीवाड़ा होता है। माननीय सभापति महोदय, कैसे होता है फर्जीवाड़ा। भैंस कहीं भी तीन हजार में....

श्री सभापति [redacted] : 'माननीय श्री अमराराम जी ।

श्री रामस्वरूप : पैंतीस सौ में कहीं भी भैंस नहीं मिलती है........

श्री सभापति : बोलिये शुरू कीजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : आज दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह हजार भैंस के लिए चाहिए और यह लोग कहते हैं भैंस ले ली गयी, पचास आदमियों को भैंस दे दी....

श्री सभापति : शुरू कीजिये अमराराम जी वरना आपका समय कट जाएगा । उनका रिकार्ड नहीं होगा । हां बोलिये, श्री अमराराम जी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री सभापति : मैं नहीं बढ़ा सकता, मेरे पास समय नहीं है । मैं विवश हूं, माननीय परसादी लाल जी । मुखबंद का समय आ जाएगा । फिर आखरी आदमी रह जाएगा ।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री सभापति : मैं विवश हूं । माननीय श्री अमराराम जी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री सभापति : वह लिखकर दे देना बाकी चीजें । अगले माननीय सदस्य का ध्यान रखियेगा, सभी को बोलना है, सभी के पास महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बिराजिये आप । श्री अमराराम जी ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र में सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए और इस भावना को मद्दे नजर रखते हुए हमारी पूर्व की सरकार ने जो पंचायत राज कायम किया था और पंचायत राज से एक नया अलख जो गांवों में जग था, गांवों में पिछले सालों में बहुत कुछ विकास हुआ और लोग लोकतन्त्र को समझने लगे हैं, अपने अधिकारों को समझने लगे हैं । लेकिन इसके बाद में अब जो तीन-तीन, चार-चार ग्राम पंचायतों के काम एक ही ग्राम सेवक को सौंपा गया है जिसके कारण से वह काम सुचारु रूप से नहीं हो सका । आज हमारे यहां सवाऊ पदमसिंह है, वहां टी. बी. पेशेंट ग्राम सेवक हैं, वह सवाऊ पदमसिंह के अलावा कहीं जाता ही नहीं है और वहाँ दूसरा गांव हैं, सोहाड़ा, उसका भी काम उसको दिया हुआ है तो ऐसे तीन-तीन गांवों का एक ही आदमी को काम देने से जो ग्रामसेवकों की जो संख्या है, वह बहुत ही कम है, वह बढ़ानी चाहिए । ताकि एक गांव का काम है को स्वीकृतियां दीं, उन लोगों के नाम अलग है । पूरी लिस्ट को ही चेंज कर दिया और उन लोगों को पैसा दे दिया, जो लोग सम्पन्न हैं, अच्छे खाते-पीते लोग हैं, जिनके जमीन-जायदाद है, सब कुछ है, उन लोगों के नाम लिख दिये । यह प्रमाण सहित है, मंत्रीजी यहां मौजूद नहीं हैं, लेकिन आप बिराजमान हैं, सभापति महोदय, मैं सदन के पटल पर रख दूंगा इस बात को ।

श्री कालीचरण सराफ : आपका नाम इसमें लिखा है कि नहीं ? परसादी लाल जी इनका नाम लिखा है कि नहीं ?

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री रामस्वरूप मीणा : सबसे पहला नाम बताता हूं रामस्वरूप रैगर, घनश्याम रैगर, देवेन्द्र कुमार, गिरधारी लाल, रामस्वरूप मीणा, पदम चन्द, ओमप्रकाश, प्रदीप कुमार (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें, समय सीमा है।

श्री कालीचरण सराफ : इसमें राम स्वरूप मीणा का नाम भी है।

श्री रामस्वरूप : भ्रष्टाचार को खोल रहा हूं मैं आपके। सूची सुन लो, केसर बैरवा, कुंजबिहारी, महेश चन्द्र, राजेन्द्र कुमार घटोला....

श्री सभापति : आपका समय सूची में ही चला जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : बहुत गम्भीर मसला है। आज जीवनधारा के कुएं जो शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के खुदे नहीं और यह रिकार्ड में बता रहे हैं कि इस तरह के कुएं खोदे गये हैं....

श्री सभापति : यह बात बोलने की है, यह कोई....

श्री परसराम मदेरणा : इससे गम्भीर मामला और क्या हो सकता है, इसलिए समय के अन्दर आपको थोड़ा सा इनको देना पड़ेगा।

श्री सभापति : मुझे आपने टाइम मैनेजमेंट के लिए बिठाया है। मैं तो विवश हूं....

श्री परसराम मदेरणा : Sometimes Minister's statement is never made on the day of guillotine.

इसमें बहुत सीरियस मामला है। आप नाम रखो कि हाउस की टेबल पर रखने का नहीं, यह बड़ा गम्भीर मामला है, यह करप्शन का मामला है।

श्री सभापति : वह ठीक है पर मुझे आज्ञा दी गयी है जिसके मुताबिक समय सीमा में मैं बाध्य हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं नाम पेश कर रहा हूं जो....

श्री सभापति : हां, हां करिये। आपके समय के अन्दर करिये। दो मिनट और है आपके। (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) या इस प्रकार की योजनाएं आती हैं, वह पूरी हो सके और अच्छा काम हो।

दूसरा, निवेदन मेरा यह है कि मैंने अपना कटौती प्रस्ताव भी पेश किया है। आपने जो पंचायतों का पुनर्गठन किया, यह बहुत अच्छा है। मेरे ऐसे गांव थे जहां 29 किलोमीटर से आदमी चलकर हैडक्वार्टर पर आता है, उसकी चार पंचायतें हुई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मेरा कटौती प्रस्ताव ग्राम रिछोली के बारे में है जिसको पहले पंचायत समिति से और जिला कलक्टर ने पूरी जांच करके ग्राम पचायत बनाया गया और यह मांग पहले भी थी, जिस गांव को दुबारा गोपड़ी में मिला दिया गया जो रिछोली से दस किलोमीटर दूर है। कोडका भी।

(14.20)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

पहले गोपड़ी में था । कोडूका रिंछोली से तीन किलोमीटर की दूरी पर है और उस गांव को इसलिए पाटौदी में मिलाया गया कि अगर कोडूका रिंछोली में मिल जाता है तो रिंछोली एक नयी पंचायत बन जाती है इसलिए उसको पाटौदी में मिला दिया गया । पाटौती में तो आलरेडी तीन हजार जनसंख्या है, चार पंचायतें पाटौदी की, 29 किलोमीटर की बनाने के बाद में भी गांव में और आसपास के एरिया की जनसंख्या है, वह तीन हजार से अधिक है । इसलिए मैंने पहले भी निवेदन किया था तारांकित प्रश्न के जरिये और अभी भी मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि रिंछोली गांव को ग्राम पंचायत बनायी जाए, गोपड़ी को उसमें कोई एतराज नहीं है । गोपड़ी और इकरानी और उसके आसपास के जो गांव हैं, उससे गोपड़ी की जनसंख्या बराबर हो जाती है । गोपड़ी भी बन जाती है और रिंछोली भी बन जाती है ।

तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि स्कूलों के बारे में बाड़मेर जिला सबसे पिछड़ा हुआ है । आप ढाणियों में स्कूलें खोलने जा रहे हैं तो बाड़मेर के अन्दर यदि आप दूसरे जिलों के मुकाबले स्कूलें देंगे तब तो हमारे लड़के वंचित रह जायेंगे । क्योंकि बाड़मेर जिले को हर कार्यक्रम के अन्दर पिछड़ा माना है तो ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक पाठशाला दी जाए । वैसे अभी सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि जहां प्राथमिक पाठशाला बने वहां अध्यापक के रहने के लिए मकान होना चाहिये । ढाणियों के अन्दर हर व्यक्ति के एक-एक झोंपड़ा होता है । वहां एक परिवार वाला अध्यापक नहीं रह सकता । इसलिए स्कूल भवन बनायें उसके साथ में कम से कम एक दो कमरे अध्यापक के रहने के लिए यदि आप बना दें तो उनको रहने की सुविधा हो जाएगी ।

श्री सभापति : जहां कुंवारे आदमी हो ।

एक माननीय सदस्य : कैलाश जी मेघवाल की तरह ।

श्री अमराराम चौधरी : इसलिए मैं तो मेरे कटौती प्रस्ताव का विशेष तौर से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप ग्राम रिंछोली को ग्राम पंचायत बनायें । धन्यवाद जयहिन्द ।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह महुआ ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण सामुदायिक विकास विभाग, पंचायती राज और एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग, यह दोनों अलग-अलग विभाग ग्रामीण विभाग की दो अलग-अलग एजेन्सीज हैं और दोनों को अलग-अलग मन्त्रालय को कन्ट्रोल करते हैं । एक के लिए विशिष्ठ संगठन योजना और दूसरे के लिए सामुदायिक ग्रामीण विकास । लेकिन विकास जो एग्जीक्यूशन एजेन्सी है वह एक ही है पंचायत समिति और ग्रामीण पंचायत । तो सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग कर रहा हूं कि इन दोनों विभागों का एकीकरण करके और इसकी कोई सम्मिलित

(श्री हरिसिंह)

योजनाएँ यहां से बने ताकि कन्ट्रोल हो। यहाँ मैं आपसे एक और अनुरोध करना, चाहूंगा, जिला स्तरीय योजना बनाने के लिए ग्रामीण विकास अभिकरण है और जिला परिषद अलग है जो पंचायत समिति और पंचायतों की एडमिनिस्ट्रेटर, सुपरवाइजिंग, कन्ट्रोलिंग आथोरिटी है। लेकिन डी. आर. डी. ए. का चैयरमैन कौन है? कलक्टर और आपका प्रभारी मंत्री बैठते हैं और कलक्टर उसकी अध्यक्षता करता है और प्रभारी मंत्री उसके साथ बैठते हैं। कितनी विडम्बना है? ....

श्री सभापति : संविधान संशोधन में आ रहा है। यह बिल में आ रहा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं यही निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से कि इस व्यवस्था में संशोधन होना चाहिए। अगर प्रभारी मंत्रीजी जा रहे हैं तो प्रभारी मंत्री डी. आर. डी. ए. की मीटिंग की अध्यक्षता करें या प्रभारी मंत्रीजी नहीं जा रहे हैं तो जिले का जिला परिषद का अध्यक्ष उस मीटिंग की अध्यक्षता करें।

मैं सभापति महोदय, एक निवेदन कर रहा हूं कि पिछली सरकार, मतलब यही जो वर्तमान सरकार भी है। सरपंचों को भ्रष्ट घोषित कर दिया गया, उनको भ्रष्टाचार में लिप्त मान करके और पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया और प्रशासक नियुक्त कर दिये। अभी प्रशासकों के कार्यकाल बढ़ाने का जिस दिन समय था सभापति महोदय, उस दिन पूरे सदन ने एक मत से यह स्वीकार किया कि प्रशासक भ्रष्ट है और मुख्य मंत्रीजी ने भी इसको स्वीकार किया इसलिए कमेटी बनाने वाली बात हुई। भ्रष्टाचार मिटाने वाली सरकार अगर यह स्वीकार कर ले कि हमारा समूचा ढाँचा, पूरे पंचायत की व्यवस्था भ्रष्टाचार के आगोश में आ चुकी है और भ्रष्टाचार ने ग्रामीण विकास की जो गति है उसको पूरी निगल ली। इससे ज्यादा शर्म की स्थिति और क्या हो सकती है। और जब-जब यहां पर पंचायतों के चुनाव की बात करते हैं....

श्री सभापति : माननीय हरिसिंह जी, निगला नहीं हैं अवरुद्ध किया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : जब-जब पंचायतों के चुनाव की बात करते हैं उसको अगर मगर की भाषा बोल कर टाल देते हैं अब आप पंचायतों के चुनाव की बात कर रहे हैं, जब 73वें संविधान संशोधन में एक ओब्लीगेटरी ड्यूटी लगा दी सरकार ने कि आप पंचायत के चुनाव करवायेंगे। आप पंचायत के चुनाव कि व्यवस्था के तहत करवायेंगे यह तो अब 7, 8, 9, तारीख को पता चलेगा, वह तो उसी समय मैं आपसे निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, विशेष कर पंचायत विकास विभाग के पास आपने योजना ले रखी है, निर्धूम चूल्हे गांवों में बनायें है। आप सर्वे करवा लें, मानीटरिंग करवा लें अगर आपको 96 भी मिल जाए तो मैं विकास विभाग एक तरक्की मानूंगा। असत्य आंकड़ों का जाल जो नीचे से चलता है वह ऊपर तक फीड़ करते हैं और आप वार्षिक प्रतिवेदन मैं उसको छाप देते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके पास स्वच्छता कार्यक्रम है, गांवों में शौचालय बनाने का कार्यक्रम है, आप जरा उसकी

(130)

(श्री हरिसिंह)

मानीटरिंग करवा लें कि कितने शौचालय आपने बनाये हैं। स्वच्छता कार्यक्रम है, सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि शहरों में प्रदूषण की बात तो हम कर रहे हैं लेकिन गाँवों में शहरों से ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। इसलिए सभापति महोदय, गांव की स्वच्छता और सफाई का कार्यक्रम रखा है उसको उच्चतम प्राथमिकता देकर आप ऐसी व्यवस्था करें कि ग्रामीण महिलाओं को शौच इत्यादि की अलग से साफ सुथरी व्यवस्था हो ताकि वहां प्रदूषण न फैल सके और शांति से लोग वहां जी सके, खुली हवा में श्वास ले सके। मर्द तो दूर भी चला जाएगा लेकिन महिलाओं के सामने सबसे बड़ा संकट है।

सभापति महोदय, आपके 27 हजार 829 प्राथमिक विद्यालय हैं। आप उनकी स्थिति देख लीजिए। आपके पास ब्लैक बोर्ड स्कीम आयी और उस स्कीम में 24 हजार 888 प्राथमिक विद्यालय आपने समायोजित कर दिये। इसका मतलब यह है कि हर स्कूल में दो अध्यापक। तो क्या आप ब्लैक बोर्ड स्कीम के तहत दो अध्यापक दे चुके हैं ? क्या आपने दरी पट्टी दी है ? क्या खेल का सामान मुहैया कराया है ? और क्या संगीत के साज सामान उनको उपलब्ध कराये हैं ? यह कुछ नहीं है। सच्चाई तो यह है कि 150-150 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक है चार-चार क्लास सम्भाल रहा है और विद्यार्थी दिनभर पूछते रहते हैं मास्टरजी पानी पीने जाऊं, मास्टर जी लघुशंका करने जाऊँ और उस अकेले अध्यापक का सर हिलाते-हिलाते दिन निकल जाता है और पढ़ाई के नाम पर जीरो है। आज आपके प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की ऐसी मानसिक प्रवृत्ति हो गयी है, इससे ज्यादा बेहतर स्थिति पंचायत व्यवस्था में और प्राथमिक विद्यालय की आपने कर दी है उससे ज्यादा दूसरा कोई अपराध हो नहीं सकता। यह अपराध अक्षम्य अपराध से ज्यादा और कोई अपराध नहीं हो सकता मंत्री और सरकारी अधिकारी के बेटे तो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और गरीब का बेटा गांव की स्कूल में पढ़ता है। आप गांवों की तो रहने दो, आपके जो प्राथमिक विद्यालय शहरों में चल रहे हैं और दूसरे जो विद्यालय हैं उनमें अन्तर आप खुद महसूस कर रहे हैं। कम से कम अच्छी शिक्षा के तहत जब तक एक श्रेष्ठ शिक्षा गांवों में आप उपलब्ध नहीं करवायेंगे तब तक गाँवों से शहरों की तरफ लोगों का पलायन नहीं रोक पायेंगे। बहुत सारे परिवार आज शहरों में इसलिए आ रहे हैं कि उनके बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल सकें। बेहतर स्कूलों की वजह से वह शहरों की तरफ भाग रहे है।

सभापति महोदय, मैं चूँकि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आपके इसमें है लेकिन थोड़ा सा पंचायत समिति और पंचायतों के माध्यम से जीवनधारा के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। जीवनधारा में, सभापति महोदय, चूँकि मैं बहुत ही करीब से इन संस्थाओं से जुड़ा रहा हूं, पंचायत से सरपंच से, प्रधान और उप जिला प्रमुख से ही मैंने अपने पूरे कैरियर का राजनैतिक जीवन प्रारम्भ किया है।....

श्री सभापति : जिन माननीय मंत्रियों

(श्री सभापति)

के लड़कें पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वह सब नौकर हो जायेंगे और एम. एल. ए. तो बन ही नहीं सकेंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, वहां भी अंग्रेजी का सवाल आ रहा है। जो तेज फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है उसका मंत्रिमण्डल में पहले नाम आ जाता है।

श्री सभापति : नेता नहीं बन पायेंगे। नेता तो गांवों में स्कूलों में पढ़ेंगे वही बनेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : नेता नहीं बनाना ना। क्योंकि नाथूसिंह जी अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बाप बेटे के बीच में टकराव हो जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : नेताओं की बात कर रहे हैं। दिल्ली में तो करीब-करीब वही नेता बन रहे हैं। आपके भी उप नेता पार्लियामेण्ट, लोकसभा में हैं और फर्राटे से अंग्रेजी बोलते हैं।

श्री सभापति : उप तक ही रहेंगे ना।

श्री परसराम मदेरणा : आपके अध्यक्ष भी वाजपेयी जी से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं इसलिए वह अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता दोनों हो गये। अंग्रेजी का वहां बोलबाला है। यह नीचे जो आप कह रहे हो कि अंग्रेजी नहीं पढ़ने वाले हैं यह तो गांव तक नेता रह जायेंगे और नेता शब्द भी मैं आपसे कह रहा हूं कि बड़ा कन्टेम्प्ट-चुअसली यूज करते हैं यह ब्यूरोक्रेसी। नेताजी इसका मतलब बहुत तिरस्कारपूर्ण। इसलिए नेता वाली आप बात समझ रहे हो, आजकल ज्यादा जो यह एक माइनस पाइन्ट रह गया है। अव्वल तो किसी को सम्बोधित ही नहीं करता नेता से, क्योंकि नेता का दूसरा मतलब भी आ जाता है।

श्री नाथूसिंह गूर्जर : और सभापति जी, राजीव जी ने तो यह भी कहा था कि कांग्रेस में आगे वही बढ़ेगा जो अंग्रेजी सीखेगा।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात नहीं कही थी। उन्होंने यह कहा था कि फोरेन कण्ट्री में जा रहे हो तो हरेक जगह आपको इन्टरप्रेटर नहीं मिलेगा। वह जयपुर सर्किट हाउस की बात है और उन्होंने कहा कि यह इंगलिश स्पीकिंग कण्ट्रीज हैं तो वहां जाने वाले लोगों के सामने वहां भाषा की एक मुसीबत सामने खड़ी हो सकती है, उस संदर्भ में बात है। कहां तोड़ मरोड़ रहे हो उसको।

श्री नाथूसिंह गूर्जर : अरुण नेहरू, अरुण सिंह जी यह जितने भी मन्त्रिमण्डल की जो किचिन कैबिनेट थी, उसमें सारे के सारे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले थे।

श्री सभापति : यह तो टेम्परेरी नेता बने थे आप कहां बात कर रहे हो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, इसलिए पंचायत राज मन्त्रीजी ने अपने बेटे को पब्लिक स्कूल में भर्ती करा दिया। सभापति महोदय, जीवन धारा के सम्बन्ध में आपसे निवेदन कर रहा था। एक तरफ तो राजस्थान की अधिकांश पंचायत समितियां

(श्री हरिसिंह)

डार्क जोन में निकलती है और डार्क जोन में निकलने के कारण वहां यह कह दिया गया कि अण्डर ग्राउण्ड वाटर का यहां दोहन हो चुका है और अब कोई गुंजाइश है नहीं 1992-93 के बजट में आपने जीवन धारा के कुएं स्वीकार नहीं किये और 10,504 कुएं, जो अधूरे थे उनको पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया लेकिन बड़ी तफ्तीश की बात है कि वह 10,504 कुएं भी आप पूरे नहीं करवा पाये और 3,800 कुछ कुएं ही पूरे करवा पाये। छह हजार तो पिछले टार्गेट के बाकी हैं और आपने यह कहकर नया टार्गेट नहीं दिया कि राजस्थान समूचा डार्क जोन में निकल चुका है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, राजस्थान तो आज भी डार्क जोन में है और आपने आगामी बजट सत्र के लिए 18,800 कुएँ निर्धारित किये हैं। कहां बनवायेंगे आप इनको आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। एक तरफ आपने डार्क जोन की बात करके 1992-93 में नये कोई सेंक्शन नहीं किये और डार्क जोन होते हुए भी क्या आपने डार्क जोन को हटा दिया है? फिर आप 18,800 कुएँ कहां बनवायेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाह रहा हूं, 440 गांवों को पंचायत मुख्यालय से ग्रेवल सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आप प्रगति देखिये सरकार की, 440 में से सरकार मात्र 27 गांवों को ही जोड़ पायी है जवाहर रोजगार योजना के तहत। अगर इसी रफ्तार से हम चलते रहे, लम्बे लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे, 440 में से मात्र 27 को जोड़ना, यह तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। सभापति महोदय, मैं आपका विशेष समय नहीं लेकर के मन्त्रीजी से सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि 2238 प्राथमिक विद्यालय के भवन बनाने का आपने लक्ष्य निर्धारित किया था और आपकी उपलब्धियां है, मात्र 131 विद्यालयों के भवन आप पूर्ण कर पाये हैं। अगर सरकार इसी को अपनी उपलब्धि मानती है, इसी बात के आधार पर सरकार और सत्ता पक्ष के लोग यहां मेजे थपथपाते है, ऐसे लक्ष्य और लक्ष्यों की पूर्ति न होना आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ पहले।

मैं आपसे दूसरा और निवेदन करूं, आप अन्त्योदय का बहुत ढिंढोरा पीटते हैं और सत्ता पक्ष के कई लोग कई बार मस्का लगाने में मुख्य मन्त्रीजी को कह देंगे आप अन्त्योदय के जनक हैं। अन्त्योदय तो एक शब्द है जो महात्मा गांधी जी ने....

श्रीमती उजला अरोड़ा : राष्ट्रपति शासन के कारण नहीं हुआ और उससे पहले हुआ। आपने नहीं किया इसलिए आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं और जो हम करना चाहते हैं, हमारी क्षमताओं को आप चुनौती देते हो, हम चुनौती पर खरे उतरेंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हमारे पास क्षमताएं थीं। मैं आपसे एक निवेदन करूं, अन्त्योदय के जनक....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अगर इसका कोई अपराधी है तो सही मायने में + + + है कि यह सारे काम नहीं हुए। केवल

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

चालीस पर्सेन्ट बजट का काम दिसम्बर तक हुआ। चालीस पर्सेन्ट काम हुआ है और वह चालीस पर्सेन्ट काम भी फालतू के कामों में हुआ है और दिसम्बर के बाद पैसा खर्च हुआ है इन सारी योजनाओं में।

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्योंकि आपको एम.एल.ए. बना दिया इन्होंने। महावीरजी अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती....(व्यवधान) आपको तकलीफ हो रही है ना। एक साल शासन से बाहर रहे आपको तकलीफ हो रही है लेकिन उस ग्रामीण जनता को पूछिये जिसको तीन साल से आपने प्रजातांत्रिक व्यवस्था से दूर खड़ा कर रखा है। उनको कितनी तकलीफ हो रही है। आपको एक साल में तकलीफ हो गयी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने चालीस साल में एक स्कूल नहीं बनाया। क्या बात करते हो आप....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये....(व्यवधान) बिराजिये। बिराज जाएं, डिस्टर्ब न करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, सिर्फ एक मिनट में मैं समाप्त करूंगा। यहां सत्ता पक्ष के कई लोग मस्का लगाने के लिए मुख्य मन्त्रीजी को कह देते हैं कि वह अन्त्योदय के जनक हैं। अन्त्योदय तो एक शब्दानुवाद है। रस्किन की पुस्तक अन टू दी लास्ट है, महात्मा गांधी ने उसको पढ़ा, महात्मा गांधी उससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं ने अन्त्योदय शब्द का भाषा अनुवाद किया। अन्त्योदय के रूप में किया और अन्त्योदय का मतलब है-अंतिम छोर पर जो अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ है उसको अन्त्योदय में चयनित करें और उसका निर्वाह करें। आपने किया ? उस अन्त्योदय के लोगों की क्या दुर्गति हो रही है, यह आपको इन हलफनामों से पेश कर देता हूं। मेरे पास यह हलफनामे हैं। अन्त्योदय में चयनित परिवारों के जिनको एक-एक गरीब को आप छप्पर योजना के तहत 1400 रुपये देते हैं, सात सौ रुपये रिश्वत के देने पड़ रहे हैं। यह हलफनामा लाया हूं। गरीब को गणेश मानने वाली सरकार, आपने गरीब को + + + बना दिया। इससे ज्यादा गरीब की कोई दुर्गति नहीं हो सकती। गरीब को सर्वेसर्वा मानने वाली सरकार, गरीबी मिटाने का नारा देकर गरीब को मिटा रही है राजस्थान की धरती से। उसका अन्त करना चाहते हैं, उसका शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार उसको लील रहा है। आप उसकी हिफाजत नहीं कर सकते। धन्यवाद सभापति महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक रुपये में 15 पैसा जाता है गरीब को, राजीव गांधी जी ने कहा था।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (महुआ) : स्वीकारोक्ति है।

श्री परसादीलाल मीणा : और + + + को फैंक दिया जाएगा। जो बचा था उसको

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसादीलाल मीणा)

भी आपने सेक्रेटरीज को खिला दिया। कुछ भी नहीं बचा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + + हैं आप। राजीव गांधी ने कहा था आप + + + हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : + + + आपने पैदा किये हैं। आपने सब जगह + + + बैठा रखे हैं।

श्री सभापति : बिराजिये, परसादीलाल जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + + करो।

श्री सभापति : महावीर जी आपका स्वरूप बदल गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं यह हलफनामा मन्त्रीजी को दे रहा हूं।

श्री सभापति : मन्त्रीजी को दे दीजिये। श्री महावीर भगोरा।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, राजीव गांधी जी ने यह नहीं कहा था कि आप या, आप कोई सत्ता के + + + हैं। उन्होंने यह कहा था कि + + + को बीच में से हटाकर सीधा जनता को शासन सौंपना है। आप अभी राजीव गांधी जी का नाम लेकर यह मिस-इन्टरप्रेट कर रहे थे कि राजीव गांधी जी ने यह कहा कि बिना अंग्रेजी के विकास नहीं हो सकता। उन्होंने यह कहा था कि तमाम ग्लोबल सरकमस्टान्सेज में जो आज दुनिया एक हो रही है उसमें अंग्रेजी को भी हमें अपनाना पड़ेगा अपने देश को आगे ले जाने के लिए। आप उसको सारे को मिस-इन्टरप्रेट करना चाहते हो सारी अच्छाइयां तो आपके अन्दर मौजूद हैं। अपने अन्दर झांक कर देखिये और कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए मिस-इन्टरप्रेट करके आप बातें कहते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप जरूर बन चुके + + +

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं कैसे बन चुका....(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराज जाएं माननीय सदस्य। हरिसिंह जी बिराज जाएं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि + + + की होगी तो माननीय सदस्य आपने की होगी, मैंने तो आज तक नहीं की।

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन हरिसिंह जी। कृपया बैठ जाएं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो आपके नेता ने जो कहा है, वह मैंने कहा है।

श्री सभापति : बिराजिये। यह आपकी व्याख्या है माननीय सदस्य, अपनी-अपनी व्याख्या अलग-अलग है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और उन्होंने

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

यह कहा कि मैं उन + + + को समाप्त नहीं कर सकता।

श्री सभापति : यह उनकी व्याख्या हो सकती है। आपकी व्याख्या यह है। इनकी व्याख्या....

श्री महावीर प्रसाद जैन : राजीव जी ने टिप्पणी की है यह।

श्री सभापति : श्री महावीर भगोरा। कृपया बोलें माननीय सदस्य।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : बोल रहा हूं। सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुःख है यह कहते हुए कि सदन में वरिष्ठ सदस्यगण आपस में एक दूसरे का क्रिटिसिज्म करते रहते हैं कोई फूटफुल सुझाव नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति : यह समालोचन का केन्द्र है।

श्री महावीर भगोरा : मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय, हमारा देश भारत गांवों का देश है, इस देश के 80 प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं। विकास की जो योजनाएं हैं गांवों के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामुदायिक विकास विभाग को गांवों के विकास का दायित्व सौंपा गया है। यह विभाग जिस उद्देश्य को लेकर गठित किया गया था उस उद्देश्य से एकदम भटक गया है। आजादी के 46 साल बाद आज भी विभाग का अपना कोई केडर नहीं है। उधार के लाये हुए अफसरों से यह विभाग चल रहा है। आप सभी इस बात को जानते हैं। विकास विभाग में या तो को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, एजूकेशन के, वेटेरिनरी के, आर. ए. एस. ऑफिसर, इस तरह के उधार लिये हुए अफसर काम कर रहे हैं। उन अफसरों की इस विभाग के प्रति अपनी क्या भावना हो सकती है आप अन्दाजा लगा सकते हैं। यह लोग इस विभाग में आते हैं, जो भी अवसर मिलता है उसमें जितना यह उल्लू सीधा कर सकते हैं, करके चले जाते हैं। मुझे यह कहते हुए कोई दर्द नहीं है। मुझे इनके साथ काम करने का अवसर मिला है और मैंने यह महसूस किया है उसी कारण से लोग गांवों में इस विभाग को विनाश विभाग के नाम से पुकारते हैं। माननीय अधिकारीगण बैठे हुए हैं उनसे भी यह स्पष्ट बात कह रहा हूं जो लोगों के मन में भावना है। इसलिए मेरा आग्रह है मंत्री महोदय से कि आप अपने विभाग का केडर डवलप करिये। तभी इस विभाग का कल्याण होगा और लोगों का कल्याण होगा। एक सुझाव मेरा यह था....

श्री सभापति : केडर कैसा-कैसा होना चाहिए, यह भी जरा बता दें।

श्री महावीर भगोरा : केडर, यह चाहेंगे तो मैं बैठकर सुझाव दे दूंगा अपने कि किस तरह के लोग इसमें होने चाहिए....

श्री शांतिलाल चपलोत : अकेले मिनिस्टर साहब को बतायेंगे, इनका ज्ञानवर्द्धन हो जाएगा और हम....(व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किए गए।

श्री महावीर भगोरा : माननीय पूर्व मंत्री महोदय, आप क्षमा करेंगे, दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की जो छवि होती है वह उसके काम से निखरती है। आज लोग राजा अशोक को क्यों याद करते हैं ? राजा राम को क्यों याद करते हैं ? उनके जमाने में लोक कल्याण के काम हुए और हम लोकतांत्रिक ससार में बैठे हुए हैं और लोकतांत्रिक संसार में लोगों की भलाई तो दूर रही, लोगों के साथ अत्याचार ही अत्याचार हो रहे हैं, यह स्थिति नहीं हो। आज बात हो रही थी ...

एक माननीय सदस्य : बिलकुल सही बात है।

श्री सभापति : कृपया बैठे-बैठे नहीं बोलें माननीय सदस्य।

श्री महावीर भगोरा : आप कृपया सुनें, आपस में कमेण्ट्स से कोई बात, सही चीज नहीं होगी।

श्री सभापति : बोलने दें माननीय सदस्य को।

श्री महावीर भगोरा : विकास के काम कैसे हों उसमें क्या कार्य प्राथमिकता से लिये जाएं। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के स्थायी समाधान के लिए क्या काम हमें हाथ में लेने चाहिए, इस पर हमें नीति तय करनी होगी। योजनाएं तो बनती हैं माननीय सभापति महोदय, पर वह दिल्ली में 12×19 के कमरे में, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बनी हैं। यहां ग्राम स्तर पर जो लोग तकलीफ महसूस कर रहे हैं, उन तकलीफों को महसूस करके योजनाएं नहीं बनायी। हमारे यहां जैसे अभी निर्धूम चूल्हे की बात हो रही थी, लेट्रिन्स की बात हो रही है, कई स्कीमें ऐसी बनायी हैं जिनका कोई उपयोग ही नहीं है। पैसे को पानी में डाला है, खड्डे में डाला है, आप गांव में देखें तो स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी। मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि हमें शुद्ध पानी की जरूरत है, क्या उपाय हो उसका। हैण्ड पम्प हमने खोद दिये, किस मात्रा में किस गहराई तक किस वजह हैण्ड पम्प खोदने चाहिए थे वह वास्तव मे खुदे नहीं खुदे। पशुओं के लिए भी पानी की बात है। यहां सुझाव देना चाहूंगा कि प्रत्येक गांव में शुद्ध पेयजल के लिए....(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी) हैण्डपम्प तो अच्छा लग रहा है पर एक गवंऊ कुएं खुदे, गांव का कोई जलाशय हो जिसमें नहाने धोने का भी प्रबन्ध हो, मवेशियों को पानी पिलाने का भी प्रबन्ध हो और अकाल की समस्याओं से जो हम जूझ रहे हैं उसका भी स्थायी निदान हो। इसी तरह से गांव में लोग बैठकर के आपस में गांवों की समस्याओं पर चर्चा कर सकें इसके लिए गांव में एक चबूतरा बनना चाहिए। इसके अलावा गांव में एक सामुदायिक भवन बनाना चाहिए। इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के मवेशियों के लिए बिलकुल आरक्षित चारागाह की जमीन होनी चाहिए, चारे के विकास की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह से वानिकी के लिए भी मैं निवेदन करता हूं....

श्री सभापति : सामाजिक वानिकी।

श्री महावीर भगोरा : कि गांव का जंगल विकसित हो ताकि शुद्ध वातावरण वहां मिल सके और लकड़ी की आवश्यकता हो तो उसकी भी आपूर्ति हो सके, ऐसी व्यवस्था वहां होनी चाहिए। साथ ही गांव में विकास के जो काम हैं वह काम निश्चित रूप से हम समझ रहे हैं कि आज की तारीख में एक प्रशासक के जिम्मे है, वह भी अपने केडर का नहीं है वह क्या काम करता है, जैसे कि एक माननीय सदस्य ने कहा सरपंच साहब का थैला तोकता था। आज उसको इतने पावर दे दिये हैं, (एक चीफ इंजीनियर) और एस.ई. के पास इन्वेस्टमेंट के जितने पावर हैं उतने पावर एक ग्राम सेवक को दे दिये हैं, एक प्रशासक को दे दिये हैं जिसको न तो वह तकनीकी ज्ञान है, न उसको अन्य प्रशासनिक ज्ञान है पर वह आज काम कर रहे हैं और यह हमारी मजबूरी है लोकतन्त्र में कि चुनाव नहीं होते हैं और हम किसी को बैठा नहीं सकते हैं। तो मेरा यह आग्रह है कि जैसी कमेटी की चर्चा उभर कर आयी थी कि तुरन्त कमेटी गांव में बैठा देनी चाहिए ताकि वह विकास के कामकाज को देखें।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री महावीर भगोरा : एक और बात है निवेदन करके मैं बैठ जाऊंगा, माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : एक और कहिये।

श्री महावीर भगोरा : आप इजाजत दे देंगे मुझे....

श्री सभापति : दे रहा हूं। (व्यवधान) ....पूरा सदन लाभान्वित हो रहा है।

श्री महावीर भगोरा : यह जो विकास के लिए दो-तीन मुख्य, प्रमुख आवश्यकताएं गांव में होती हैं, इसमें शिक्षा की बात कही थी तो शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण हो। उपयुक्त वातावरण के लिए आवश्यक है कि हम ऐसे विद्यालय भवनों का, विद्यालय परिसरों का विकास करें और स्ट्रेन्थ ऐसी करें उस विद्यालय में, क्योंकि यह संस्कार डालने की (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) नींव डालने कि स्टेप प्राइमरी स्कूल, है।

आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नाथूरामजी अहारी। समय सीमा का ध्यान रखिये आप।

श्री परसादी लाल मीणा : पहले ही।

श्री सभापति : पहले ही कह देता हूं।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : आज पंचायती राज के बारे में चर्चा हो रही है, मैं भी पंचायती राज के बारे में कुछ अपने सुझाव देना चाहूंगा।

श्री सभापति : साढे तीन बजे मंत्रीजी का जवाब आयेगा।

श्री नाथूराम अहारी : खासकर के इस पंचायती राज में कई ऐसी त्रुटियां हैं....

श्री सभापति : सामुदायिक विकास।

श्री नाथूराम अहारी : हां सामुदायिक विकास, वैसे मंत्रीजी बैठे हुए हैं, अभी जैसे यह बताया गया कर्मचारियों के बारे में, तो खासकर के पंचायत समितियों में ओवरसियर की कमी होती है, औवरसियर केवल एक ही होता है और हजारों काम उनको दे दिये जाते हैं तो ज्यादा नहीं तो कम से कम दो ओवरसियर तो उनको देने ही चाहिए। अभी ओवरसियर का एक डिप्लोमा होल्डर का धरना लगा था उसमें 33 ओलरसियर जनजाति के थे, वे रोजगार के अभाव में रोते फिरते हैं। तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि ऐसे जो बेरोजगार हैं उनको आप इनका लाभ दें और रोजगार दें।

साथ ही पंचायत समितियों में तालाब, हमारे पंचायत समिति स्तर के जो तालाब बांधे जाते हैं उनमें खासकर के नहरें नहीं होती हैं। कई पंचायत समितियों के तालाब टूट जाते हैं, लम्बे-लम्बे समय तक बांधा नहीं जाता है, पंचायत समिति के जो तालाब हैं उन तालाबों के नीचे जनजाति के गरीब लोगों की जमीन आती है व मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे पंचायत तालाब हैं जो टूट गये हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि टूटे हुए जो भी तालाब हैं उनको जल्दी से जल्दी उन्हें ठीक करना चाहिए और जो जिन तालाबों की वहां नहरें नहीं हैं प्राथमिकता के तौर पर नहरों का विस्तार होना चाहिए और नहरें बननी चाहिए।

प्राथमिक विद्यालय करीब-करीब हर रेवेन्यू विलेज में और अधिकांश यह देखा गया है कि जो शहर के नजदीक स्कूल होती हैं वहां चार-चार, पांच-पांच और मैं कहता हूं कि दस-दस अध्यापक, उसमें शामिल कर दिये जाते हैं और जो इंटीरियर गांव में जो शालाएं हैं उसमें बड़ी मुश्किल से एक अध्यापक होता है, तो यह समानता का मंत्रीजी जरा ध्यान दें। यह समानता रह जाए कि कम से कम दो अध्यापक तो हर स्कूल में होना चाहिए।

अभी पहले कांग्रेस शासन में दो स्कूलें खोली थीं उसमें हजारों बालक वंचित रह गये हैं। तो जहां-जहां खोल देते हैं वहां चाहे प्राथमिकता के तौर पर आप खोलें लेकिन उन तमाम गांवों में आप स्कूल खोलें।

हैण्डपम्प की अकाल के टाइम में बहुत मिलती है मदद और जनता और पशु दोनों ही पानी पीते हैं। हैंडपम्पों का सम्बन्ध दो विभागों से है—एक तो पी. एच. ई. डी. और दूसरी पंचायत समिति। पंचायत के यहां केवल एक मिस्त्री और एक फिटर होता है। केवल यही दो आदमी रखे हुए हैं इसके अलावा और कोई नहीं है। बाकी और साधन ही नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : प्राथमिक शालाए यह मंत्रीजी खोलेंगे या एजुकेशन डिपार्टमेंट खोलेगा ?

श्री नाथूसिंह : प्राइमरी हम खोलेंगे। प्राथमिक शालाएं हम खोलेंगे रूरल एरिया में।

श्री नाथूराम अहारी : तो मैं माननीय मंत्री महोदय, से निवेदन करूंगा कि इस

(श्री नाथूराम अहारी)

साल क्योंकि अकाल है इसलिए गांवों में पानी नहीं है और हैंडपम्पों के आधार पर ही हमारी जनता और पशु का जीवन निर्भर है इसलिए युद्ध स्तर पर अभी आप तैयारी नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हम परेशान हो जाएंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जीवनधारा के कुएं बिलकुल लिमिटेड हैं। जैसा मेरे पूर्ववक्ता ने कहा कि निर्धनतम से निर्धनतम आदमी को यह देने चाहिएं लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो मौकापरस्त लोग होते हैं वह इसका फयादा उठा लेते हैं और नीचे स्तर के जो गरीब हैं वह रह जाते हैं। इसमें भी मैं कहता हूं कि हमारा उदयपुर डिविजन तो सबसे निर्धन है। वहां कोई ऐसा नहीं है जो निर्धनता की रेखा से ऊपर हो। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिन काश्तकारों के यह कुएं हैं जितना भी पैसा खर्च हो उतना देकर यह सारे कुएं लेने चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

इन्दिरा आवासीय भवन की लागत बहुत कम है और ज्यादा लागत से इन्दिरा आवास के भवन नहीं बन सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसका प्रावधान ज्यादा रखना चाहिए और इन्दिरा आवासीय भवन का फायदा गरीब जनता को मिले, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री परसराम मदेरणा : यही तो मैंने प्रश्न किया था, प्रारम्भ में जीवनधारा के सम्बन्ध में प्रावधान आप करते हैं ?

श्री नाथूसिंह : आप एक-एक करके नहीं एक साथ पूछ लीजिये। एक साथ ही इनका समाधान हो जाएगा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप बीच-बीच में उठकर बोल लेते हैं, एक साथ ही सारे प्रश्न करलें मैं उत्तर दे दूंगा। रुरल एरिया में, पंचायत समिति एरिया में हमारा विभाग प्राथमिक शालाएं खोलता है और शहरी क्षेत्र में एजुकेशन डिपार्टमेंट खोलता है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह समझता हूं कि प्रावधान करने की वह बात कह रहे थे प्रावधान शायद आप नहीं करते हैं डी. आर. डी ए. करता है।

श्री नाथूसिंह : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं भी यही बात कह रहा हूं कि यहां जो विशिष्ट योजना संगठन है वहां से पैसा आता है, हम लोग प्रस्ताव भेजते हैं, एग्जीक्यूशन हमारा है इसलिए जो मांग उठ रही है कि दोनों का एक साथ मर्ज होना चाहिए वहां मांग इसीलिए उठ रही है।

श्री नाथूराम अहारी : परिवार नियोजन के साथ में विकास के कामों को भी जोड़ दिया गया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है इसलिए परिवार नियोजन को विकास के कामों के साथ नहीं जोड़ें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय सभापति महोदय, आज पंचायती राज

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

और ग्रामीण विकास के ऊपर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। और मैं भी अपने आपको उसमें शरीक करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतें गांवों के विकास की एक ऐसी संस्था है जिसे नींव कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंचायतों के माध्यम से गांव के छोटे से लेकर बड़े तक चाहे गांव में रोशनी की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, चाहे स्कूलों में कमरों की व्यवस्था हो, शिक्षा शालाएं खुलवाने के लिए या गांव में स्कूलें खुलवाने के लिए, अध्यापक लगवाने के लिए जो छोटी से छोटी मांग का प्रस्ताव लेकर उसको मन्जूर करवाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं वह है ग्राम पंचायतें। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायत राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पंचायतों में सरपंच और पंच जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। ग्रुप सचिव उनके साथ में होते है। अक्सर यह मानते हैं कि पंचायतों में जो सरपंच हैं वह भ्रष्ट होता है और खूब पैसे खाता है। यह हर एक के दिमाग में है लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि यह बिलकुल असत्य है, कोई 5 प्रतिशत सरपंच ऐसे होंगे जो इस पैसे को अकेले खा सकते हैं अन्यथा वह सरपंच कतई अकेले नहीं खा सकता। वह सरपंच जो पैसा खाता है वह सरपंच अगर पंचायत में दुबारा चुनकर आना चाहता है वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि हर एक चाहेगा कि किसी प्रकार से पब्लिक में मेरा इम्प्रेशन बना रहे। उसके लिए तो कोशिश करता है उसके अन्दर ग्रुप सचिव, कनिष्ट अभियन्ता, सरपंच, पंच और विकास अधिकारी क्योंकि यह सारे बराबर के दोषी होते है। कोई भी काम करवाया जाए तो पहले काम मूल्यांकन होता है, काम के लिए सूची कनिष्ट अभियन्ता जारी करता है, सरपंच मस्टररोल भरवाता है और पंचायत में उस प्रस्ताव को लेकर उसे पास करवाया जाता है। ग्रुप सचिव केशबुक लिखता है। ग्रुप सचिव पर जब 17 (4) की कार्यवाही होती है तो सरपंच को सस्पेण्ड कर दिया जाता है। सरपंच पर सारे कामों की पूरी जिम्मेदारी है जबकि कनिष्ट अभियन्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। वह सर्टिफिकेट जारी कर देता है। तो देखा जाए तो कनिष्ट अभियन्ता इसमें मेन दोषी हैं और उसकी वजह से ही सरपंच भ्रष्टाचार करता हैं। दूसरे भ्रष्टाचार करने का जबरदस्ती उसको तरीका ढूंढना पड़ता है। वह यह समझता है कि जो भी काम चलते हैं वहां मजदूर सही रेट पर नहीं मिते हैं, कारीगर सही रेट पर नहीं मिलते है। जो दर सरकार ने निर्धारित कर रखी है वह दर बढ़ायी जाए वहां पर यह तय करें कि कारीगर 50 रुपये में आता है और आप 22 रुपया उसको देते हैं तो भ्रष्टाचार करने के लिए डबल हाजरी जरूर करेगा, वह भी भ्रष्टाचार की संज्ञा में आता है। मजदूर को 20 रुपये मिलते हैं जबकि वह 35 और 40 रुपये में आता है। उसके लिए भी दुगनी हाजरी करेगा तो वह भी भ्रष्टाचार की संज्ञा में आयेगा। तो यह सब करके सरपंच भ्रष्टाचार की संज्ञा में आयेगा और उसको भ्रष्ट कहा जाएगा जब कि वहां पर वह भ्रष्टाचार करता नहीं है। दूर से दस-दस किलोमीटर से पत्थर ढोकर

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

लाने पड़ते हैं. रोड़ी ढोकर लानी पड़ती है और वह लड्ढों से लानी बतायी जाती है। तो लेवर और मेटेरियल का रेशो बराबर नहीं आने की वजह से लड्ढे से लाते हैं बहुत महंगा पड़ता है लेकिन उसको मजबूरन ट्राली और ट्रकों से यह मेटेरियल डलवाना पड़ता है और हाजरी वह लड्ढों की, ऊंट गाड़ियों की या बैल गाड़ियों की करता है, यह भी भ्रष्टाचार की संज्ञा में आता है। इसी प्रकार से अनेक बार कई सरपंच इसके शिकार हो जाते हैं और गांवों में आप जानते हैं छोटे से छोटा व्यक्ति भी दस पैसे के कागज पर लिखकर दे दे तो उसकी जांच होगी। उसके बाद में पंचायत इन्सपेक्टर्स आते हैं, पंचायत का आडिटर आता है, पंचायत का आडिट होता है, बी. डी. ओ. चैक करने के लिए आता है तो उस सरपंच को उनकी आवभगत में ही सैकड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। कलक्टर साहब जाते हैं, एस. डी. ओ. जाता है या मंत्रीजी जाते हैं या अन्य कोई भी अधिकारी जाता है तो वह सीधे सरपंच के पास ही जाता है। सरपंच चाय पानी और नाश्ता सब कुछ कराता है, उनके लिए खाट भी डालता है तो सरपंच ही उठकर डालता है इसलिए कोई भी सरपंच हो वह उसमें खर्चा करता है और उस खर्चे को वह दूसरी जगह एडजस्ट करता है। साथ ही मैं एक निवेदन

(15.00)

करना चाहूंगा कि बी. एस. आर. की जो दर होती है वह गांव और शहर में अलग-अलग होती है जबकि काम वही होते हैं। इसलिए इसकी दर भी एरिया के हिसाब से तय कर दी जानी चाहिए।

साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक पंचायत में ग्रुप सचिव हो। कोई काम नहीं ग्राम सेवक का। अगर ग्रुप सचिव रहता है तो ग्राम सेवक आज जो काम करता है उससे कहीं चौगुना काम वह कर सकेगा। क्योंकि उनको सारे काश्तकारों से मिलने का मौका मिलेगा, सारे काश्तकार अपने आप मिलेंगे इनके पास। एक पंचायत में एक ग्रुप सचिव होना चाहिए, क्योंकि इतना काम रहता है कि एक ग्रुप सचिव दो पंचायतों में या तीन पंचायतों में कतई काम नहीं कर सकता। उसको बहाना और मिलता है कि मैं उस पंचायत में था, उस पंचायत में था।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कांजी हाउस जो पंचायतों में हैं, आमदनी बढ़ाने के साधन हैं। कांजी हाउस में आज पांच रुपये चार रुपये की दर है। उसमें चाहे गाय हो, भैंस हो, ऊंट हो, उनकी दर बढ़ायी जानी चाहिए, जिससे उनको पूरा चारा मिल सके, पानी की व्यवस्था हो सके। आबादी और चरागाह-आबादी भूमि में निःशुल्क पट्टे जारी करते हैं। गरीब आदमियों, अनुसूचित जाति और जनजाति को आबादी के पेटे 150 वर्ग गज देते हैं। यह कम से कम 200 वर्ग गज होनी चाहिए क्योंकि 150 वर्ग गज काफी कम होती है। साथ ही 150 वर्गगज भूमि भी निःशुल्क दी जाती है, उनसे शुल्क लिया जाना चाहिए। क्योंकि जो निःशुल्क दी जाती है, साल भर तक अगर किसी कारण कोई

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

निर्माण कार्य नहीं करा सके पैसे की कमी से या अन्य कारण से तो उसका पट्टा स्वतः ही एक साल के बाद निरस्त हो जाता है। इसलिए उससे कुछ भी नामिनल शुल्क 11 रुपये, 100 रुपये लिया जाए, निःशुल्क नहीं दिया जाएं जिससे उस गरीब आदमी का पट्टा बहाल रहे। नहीं तो एक साल बाद वैसे ही निरस्त कर दिया जाता है।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कन्हैयालाल मीणा : चरागाह भूमि में आज अवैध कब्जे कोई भी कर लेता है जबकि पंचायत की भूमि है। कई बार राज्य सरकार कहती है कि ऐसा प्रावधान है पंचायत एक्ट में कि बिना पंचायत की अनुमति के उस चरागाह भूमि को किसी को नहीं दिया जा सकता। अभी लूणियावास में 250 बीघा गोचर भूमि इन पट्टों के लिए 99 साल के लिए लीज पर देने की स्वीकृति दे दी गयी। यह बहुत गलत बात है बिना पंचायत की अनुमति के कोई नहीं दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, हाई कोर्ट में केस चला तब जाकर वह रुका, नहीं रुक सकता था। पंचायत एक्ट में ऐसा प्रावधान है। इसमें सख्ती होनी चाहिए। चरागाह भूमि के अन्दर लीज दी जाए या जमीन को खुर्दबुर्द किया जाए तो बिना पंचायत की एन. ओ. सी. लिये नहीं किया जाए।

श्री सभापति : भाषण समाप्त हुआ। श्री भीमराज भाटी। बिराजिये, माननीय सदस्य, आज मुखबंद को प्रयोग होगा।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति।

श्री भीमराज भाटी : मुख्य मंत्री जी कहकर गये न कि बना रहा हूं, इसलिए। शायद बना दिया होगा।

श्री सभापति : मेरे पर दया रखें आप। अपना भाषण प्रारम्भ करें आप।

श्री भीमराज भाटी : पैरवी हो रही है, लड्डू तैयार रखूं ?

माननीय सभापति जी, जैसा कि हमेशा कहा जाता रहा है, हिन्दुस्तान गांवों में बसता है। माननीय पंचायती राज मंत्री जी, जो सरकार की योजनाएं आती हैं वह पंचायत मुख्यालय पर ही सारा खर्चा किया जाता है। उससे पंचायत मुख्यालय का डवलपमेंट कमोबेश थोड़ा-बहुत हो जाता है लेकिन उस पंचायत के तहत जो छोटे-छोटे गांव आते हैं उन गांवों का विकास नहीं हो पाता। पंचायत मुख्यालय पहले से बने हुए हैं। किसी कारण से और वे पहले से ही बड़े गांव हैं तो वहां तो स्कूल भी हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी हो गया, और कोई स्कीम आयी तो वह पैसा भी खर्च कर देते हैं लेकिन दूसरे जो आजू-बाजू के गांव हैं उस पंचायत के तहत आने वाले उनका डवलपमेंट नहीं होता है। मेरा यह सुझाव है कि आइंदा से जो भी पंचायत में खर्चा करना चाहें वह खाली पंचायत मुख्यालय पर नहीं हो, उस पंचायत

(श्री भीमराज भाटी)

के जो प्रोस्पेक्टिव और अच्छे गांव हों उनकी तरफ भी खर्चा किया जाए।

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि म्यूटेशन वगैरह में सरपंचों को एब्सोल्यूट पावर दे रखी है। सरपच की हां के बिना या सिग्नेचर बिना म्यूटेशन होते नहीं यह करप्शन की शुरूआत है, गांव में सरपंच बनते से ही यह रामायण करता है सरपंचों के इन अधिकारों को आपको कंरटेल करना चाहिए।

पंचायती राज में जो पैसा खर्च होता है उसमें गंवई तालाब, गंवई हथई और गंवई मन्दिर, उसके लिए आप कहीं कोई प्रावधान नहीं करते हैं पंचायतों में जो पैसा खर्च हो तो जो अपनी ट्रेडीशनल जगह हैं उन पर इस तरह का पैसा खर्च करने का कोई प्रावधान किया जाना चहिए।

माननीय सभापति जी, पंचायत समितियों में प्रापर आफिसर्स नहीं हैं। कई पंचायत समितियों में बी डी. ओ. नहीं हैं कई साल से कई महिनों से तो उनका किसी को ध्यान नहीं हैं। कोआपरेटिव एक्सटेंशन आफिसर नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, एजुकेशन एक्सटेंशन आफिसर नहीं हैं किसी को मालूम नहीं है। कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हैं। पंचायत समिति स्तर पर अगर आपकी यह हालत है तो इसका मतलब आप पंचायतों का ध्यान देना चाह रहे हैं? दूसरा गाँव में आप जो खडीन वगैरह बनाते हैं या स्कीम बनाते हैं। या डी. पी. ए. पी. में खड्डे खोदेते हैं, पेड़ लगाते हैं, चाहे स्पेशल स्कीम तहत लगाते हैं वे खड्डे तो खोद देते हैं पेड़ कोई लगाता नहीं। पैसा भी सरकार का वेस्ट जाता है और खडीन बनाते हैं पता नहीं कैसा, चूना कहां से लाकर उसमें बिछाते हैं। गांव में जो आम रास्ता या अच्छा रास्ता होता है उसको अलग खराब कर देते हैं।

सबसे महत्पूर्ण बात मैं सभापति महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब तो नये आदमी है, पहले ऐसा प्रावधान था कि स्थानीय विधायक यदि अपने क्षेत्र में जाना चाहते थे तो पंचायत समिति के अधिकारी को साथ में या उनकी सेवाएं ले सकते थे व्हीकल वगैरह की आजकल वे सेवाएं शायद नहीं दी जा रही हैं। है क्या? हमको तो ना बोलते हैं कि है ही नहीं। वे कह रहे हैं कि नये आदेश लाओ। अगर उसमें कोई एम्बीग्यूटी है तो उसको दूर करें। हमको तो ये बोला। जो मेरे को बोला, वह बताता हूं। आप उनके आदमी हैं, आप पहले रहे हुए है। मेरे को तो जो बोला वह मैंने कह दिया कि नहीं है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से पंचायत मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना और विभिन्न योजनाओं के तहत जो पिछले समय में निर्माण कार्य कराये गये हैं उन निर्माण कार्यों का न तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेश किया गया है, न उनका कोई हिसाब किताब पेश किया गया है। बी डी.ओ. अगर सरपंच को कहेगा तो सरपंच अपने पोलिटिकल कनेक्शन की वजह से उस बी.डी.ओ. की सुनता नहीं है। जो

(144)

(श्री भीमराज भाटी)

बेईमान पूर्व सरपंच होते हैं उन लोगों के खिलाफ कलक्टर में एफ.आई. आर दर्ज कराने की हिम्मत नहीं है। जो पूर्व सरपंच हैं उनके पोलिटिकल कनेक्शन की वजह से उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होने का सवाल ही नहीं है। आज उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। अपने गांव में छोटी-मोटी सफाई की बात तो करते हैं लेकिन यह जो राजनैतिक प्रदूषण है, यह राजनैतिक प्रदूषण उस स्तर से शुरू होता है तो। माननीय, युवा हैं आप, अगर वास्तव में आपको कोई चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए कि जिन सरपंचों ने इस तरह का भ्रष्टाचार किया है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और ऐसे कई केसेज हैं, उनको निष्पक्ष रूप से—

श्री सभापति : बुजुर्ग मन्त्री यह काम नहीं कर सकते हैं ?

श्री भीमराज भाटी : बुजुर्ग कर सकते हैं, विल पावर चाहिए। ये नौजवान है, इसलिए हमको लगता हैं कि कुछ ज्यादा करेंगे। आपने तो इस पंचायती राज का ऐसा भट्टा बैठा दिया कि जिस सरपंच के सामने ग्राम सेवक खड़ा रहता था, बैठने की हिम्मत नहीं करता था उस सपंरच को सस्पैण्ड करके, उस सरपंच का कार्यकाल समाप्त करके आज हालत यह पैदा कर दी है जो ग्राम सेवक उसके मातहत था उस सरपंच का इन्चार्ज बना दिया और दो-दो, तीन-तीन पंचायतों का इन्चार्ज बना दिया। आज हालत यह हो गयी है कि जो पूर्व सरपंच बेईमान था वह ग्राम सेवक के बच्चे का नाक साफ करता नजर आता है और ग्राम सेवक उसको आंख दिखाता है। जिसका थोड़ा बहुत पानी मरता है उसको यह ग्राम सेवक आंख दिखाता है। सभापति महोदय के माध्यम से पुरजोर तरीके से पंचायती राज मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो भ्रष्ट सरपंच है या तो अगले चुनावों के पहले वे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दें, सरकारी कोष से विभिन्न योजनाओं के तहत जो पैसा उठाया उसका हिसाब दे दें अगर वे नहीं दे सकें तो ऐसे लोगों को अगले सरपंच का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। यह प्रावधान अगर आप कर सकेंगे तो मैं समझूंगा कि आपकी वास्तव में कोई सेवा की भावना है।

श्री सभापति : श्री किशनगोपाल कोगटा।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : सभापति महोदय, सामुदायिक विकास की मांग पर मैं कुछ विचार प्रकट करूंगा।

श्री सभापति : विचार आपको पांच मिनट में प्रकट करने हैं साढ़े तीन बजे मन्त्रीजी जवाब देंगे।

श्री किशनगोपाल कोगटा : जब पंचायत राज की स्थापना की गयी तो यह कल्पना की गयी थी कि गांवों में विकास की गंगा बहेगी, विकास होगा और गावों की जो छोटी-मोटी समस्या है, वहां के सरपंच के माध्यम से वह दूर होगी। लेकिन स्थिति यह हुई कि सरपंच उस पंचायत का मालिक बन गया और जिस गांव का सरपंच है, जो कुछ भी विकास के काम होते हैं वह उसी गांव तक सीमित रहते हैं। यही नहीं,

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

सरपंच लोगों ने इतना धन का दुरुपयोग किया जो माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि लगभग 7 हजार पंचायतों में 4 हजार सरपंचों पर छोटे-मोटे चार्जेज हैं, चाहे भ्रष्टाचार के हो, चाहे कोई अन्य हों। आज यह ग्राम सेवकों के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। यह बात सत्य है कि ग्राम सेवक भ्रष्ट हैं। यह तो जो सरपंच और वो उनके साथ ग्राम सेवक काम करता था, वे दोनों मिलकर भ्रष्टचार करते थे और आज सरपंच हटते ही यह केवल वही लोग कह रहे हैं कि ग्राम सेवक भ्रष्ट है। उनको किया उन्होंने, उनको रास्ता उन्होंने ही बताया, लेकिन आने वाले पंचायत राज संशोधन बिल में भ्रष्टाचार मिटे, गांवों के विकास का जो मूल उद्देश्य है उसके लिये संशोधन आ रहा है वह बहुत तारीफ-ए-काबिल है। खासकर ये जो ग्राम सभा है उसके माध्यम से कामों की स्वीकृति होगी और बजट पास होगा और जो खर्चा हुआ उसकी स्वीकृति होगी। यह एक ऐसी बात है जिसकी वजह से जो आजकल समस्या है। वह दूर होगी।

खासकर विकास अधिकारी के बारे में कहूंगा कि विकास अधिकारी पंचायत समिति की रीढ़ की हड्डी होता है पर देखा यह गया है कि उस स्तर के अधिकारी को नहीं लगाकर जानवरों के डाक्टरों को, यह समझिये वेटेरिनरी डाक्टर को लगाया जाता है विकास के बारे में। उनको ट्रेनिंग तो दी जाती है जानवरों के बारे लेकिन काम उनसे विकास के लिये जाते हैं। मेरा यह आग्रह है कि विकास अधिकारी केवल आर. ए. एस. लगाया जाय। मेरा अनुभव है, आर. ए. एस. भी विकास अधिकारी लगे हैं। और ये वेटेरिनरी डाक्टर्स भी लगे हैं, वेटेरिनरी डाक्टर्स के टाइम पर कितना भ्रष्टाचार था इसका एक उदाहरण दूंगा। पंचायत समिति में एक ट्रेक्टर कम्प्रेशर खड़ा है, उनके रहते-रहते वह चोरी चला गया। कोई ऐसी चीज नहीं है जो जेब में डालकर ले जाए। ट्रेक्टर कम्प्रेशर चोरी चला गया और उसका कुछ नहीं कर सके और उनकी मिलीभगत से सारा काम हो गया उनके साथ-साथ इन लोगों की मिलीभगत से यह जो जीवनधारा के कुएं हैं वे खुदे भी नहीं, पुराने कुएं, लेकिन उनका पेमेण्ट उठ गया। तो यह सारा अगर स्तर अच्छा होगा तो जो योजनाएं केन्द्र से राज्य सरकार को ग्राम पंचायत तक विकास की आती हैं, निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा।

मैं शिक्षा के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब से शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूल पंचायत में दिये। उसका समुचित विकास नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनकी अनदेखी की गयी। माननीय मन्त्री महोदय नहीं हैं, मैं मेरे क्षेत्र की बताता हूं, 120 रेवेन्यू विलेज ऐसे हैं जहां अभी प्राइमरी स्कूल नहीं हैं। केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार हर रेवेन्यू विलेज में प्राइमरी स्कूल होना चाहिये लेकिन अभी भी 120 ऐसे गांव हैं जिसमें प्राइमरी स्कूल नहीं हैं। और तो और पंचायत हैडक्वार्टर में मिडिल स्कूल के जो नार्म्स हैं, 17 पंचायत हैडक्वार्टर ऐसे हैं जिसमें मिडिल स्कूल नहीं हैं। तो पंचायत राज विभाग का यह दायित्व होता है कि साक्षरता का जहां सवाल है, अजमेर जिले

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

में साक्षरता का मामला है लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया है, जब अब स्कूल खोलें तो निश्चित रूप से आप इस ओर ध्यान दें। (समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी) जहां हैंण्डपम्प की........

श्री सभापति : हैण्डपम्प तो खूब चलाये थे अभी पेयजल योजना पर अपने ने।

श्री किशन गोपाल कोगटा : हैण्डपम्प की व्यवस्था पंचायत समिति में जो उसके सुधार के लिए भी उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन पंचायत समिति में कोई परमानेंट व्यवस्था हैण्डपम्प सुधार की नहीं है। वह टेम्प्रेरी डेली वेजेज पर रखते हैं, उनकी इच्छा होती है तो करते हैं और उनकी वापस जांच होती नहीं कि वे गये उस गांव में, हैण्डपम्प ठीक हुआ या नहीं। हर दूर-दराज के ग्रामवासी एक बार पंचायत समिति में आ जाते हैं, सूचना दे जाते हैं, लेकिन पंचायत समिति में ऐसी माकूल व्यवस्था नहीं है। हां, परमानेंट एम्प्लाइज हो तो वह निश्चित रूप से हैण्डपम्प ठीक करने की व्यवस्था कर पायेंगे, इतना ही मुझे कहना है। (धन्यवाद)।

श्री सभापति : समाप्त करें। श्री जुबेर खान (अनुपस्थित), श्री रामचन्द्र (अनुपस्थित), श्री दयाराम परमार।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 41 जो सामुदायिक विकास से सम्बन्धित है उस पर चर्चा हो रही है, उसमें अपने आपको शरीक करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं। अभी तक हमने जो चर्चा सुनी, पंचायती राज में पंचायतों के द्वारा और पंचायत समिति के माध्यम से जो काम चलते हैं उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। अधिकतर माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पीछे सारा मोटा कारण क्या है। उस पंचायत समिति में आपने जो विकास अधिकारी बिठा रखे हैं, उस विकास अधिकारी का कोई कैडर नहीं और शिक्षा विभाग में जो एस. डी. आई. था उसको लाकर बैठा दिया। पशुओं का इलाज करने वाला डाक्टर जो टीका लगाता है, जब मानव के टीका लगाता है तो जोर से सुई मार कर के फिर अन्दर दवाई डालता है, ऐसे लोगों को गरीब आदमी और नासमझ आदमी के लिए आपने बड़ा अफसर बनाकर नियुक्त कर दिया। माननीय सभापति महोदय, आप तहसील स्तर के अफसर आर. टी. एस. का कैडर देकर तहसीलदार बैठाना चाहते हैं, सब-डिविजन का अफसर आर. ए. एस. अफसर बैठाना चाहते हैं। तहसीलदार और बी. डी. ओ. दोनों का समान एरिया होता है। उसको ला करके बैठा दिया है तो वहां वह आदमी कैसे अच्छा काम कर सकता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं और नौजवान मंत्री हैं, आपको चाहिए कि निश्चित रूप से आप बी. डी. ओ या तो आर. एस. एस. लगायें या आर. ए. एस. नहीं लगा सकते तो उसका एक नया कैडर डवलप करें, आर. टी. एस. हो चाहे वह राजस्थान डवलपमेंट सर्विसेज हो। लेकिन एक उसका कैडर बना करके आदमी लगाना पड़ेगा तब वह सारा पैसा जो सरकार का जनता तक, उस पंचायत समिति तक पहुंचता है उसका सही रखवाला हो सकेगा,

(श्री दयाराम परमार)

सही जनता तक पहुंचेगा यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। पंचायतों में सचिव लग रहे। सरपंच हमारा आज की तारीख में नहीं है लेकिन सरपंच का चुनाव हो जाएगा और वह सरपंच और पंचायत के सारे मैम्बर बैठकर काम करेंगे। फिर साल भर के बाद में ऑडिट में उसके आक्षेप लगेंगे तो सरपंचजी के खिलाफ आप रिकवरी निकालेंगे। आपका सचिव जिसको तनख्वाह देकर बना दिया, बैंक से पैसा उठाना है तो आप कहोगे कि दोनों दस्तखत करेंगे तब पैसे उठेंगे और रिकवरी भरनी पड़ेगी तो सरपंच ही भरेंगे, इसलिए मैं आपसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि सचिव को भी इतना ही जिम्मेदार ठहराया जाए, जो पैसा रिकवर होता है, सरसंच के साथ में वह भी पैसा भरे। अगर आपने यह कर दिया तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैं 18 साल के सरपंच के तजर्बे की बात कर रहा हूं और कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा और कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। आपका जो भी सारा विकास का काम है इस एस्टीमेट में आप जिस काम को सैंक्शन करेंगे वह पूरा हो जाएगा और भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा लेकिन सचिव को उसके साथ में रिकवरी में साझेदार बनाना पड़ेगा। यह व्यवस्था तो जब की हैं जबकि 5 रुपये में सचिव रखते थे। महीने के पांच रुपये तनख्वाह देकर के टेम्प्रेरी पंचायत रखती और निकाल देती थी। आज जिसको आप तीन हजार रुपये तनख्वाह देते ही और उसको कह दो कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो वह सचिव आपने रखा क्यों है? इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी और सरकार सचिवों को भी भागीदार बनाये रिकवरी के अन्दर ताकि पंचायतों की सारी व्यवस्था और काम बढ़िया चल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पंचायतों में जो हैण्ड पम्प लगा रखे हैं उस हैण्ड पम्प की रिपेरिंग के लिए वहां पर मिस्त्री लगा रखे हैं और उसका पैसा लेने के लिए पंचायत समिति में वहां उसको तनख्वाह मिलेगी। जो भी पैसा लेगा पचायत से लेगा। गांव का आदमी हैण्ड पम्प खराब हो जाता है तो सरपंच को शिकायत करने जाता है और पचायत के सरपंच साहब जाकर के उस मिस्त्री को ढूंढते हैं, मिस्त्रीजी मेरे हैण्ड पम्प ठीक करा दो। तो क्यों नहीं वह पैसा आप उस पंचायत को सीधे भेज सको ताकि उसको वहां से लेना पड़े, पंचायत से ही पैसा ले और पंचायत के पास में जाकर वह पंचायत जो बताये उसके निर्देशों के अनुसार काम करे। वह पचायत समिति पेमेण्ट करती है इसलिए वह पंचायत के प्रति कोई जिम्मेदार नहीं होता है और पंचायत की बात को वह सुनना पसन्द नहीं करता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी इस तरह के आदेश जारी करें कि जो पैसा हैंण्ड पम्प मिस्त्री को रिपेयरिंग के लिए दिया जाता है वह सीधा पंचायतों को दिया जाए ताकि वे सही काम कर सके।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री दयाराम परमार)

प्राइमरी शिक्षा है और प्राइमरी शिक्षा के स्कूल हमारे यहां खुल रहे हैं. स्कूल चल रहे हैं लेकिन उनके सुपरविजन के लिए एस डी आई लगा रखे हैं और एस. डी. आई. जो हैं आप शिक्षा विभाग से उधार मांगते हैं। आपके पास कोई एस. डी. आई. खुद के नहीं हैं। मेरी पंचायत समिति में 200 स्कूलें हैं और 20 हजार लड़के पढ़ते हैं, 4 एस डी. आई. की पोस्ट सैंक्शन कर रखी हैं और एक एस. डी. आई. वहां लगा रखा है। वह एक एस. डी. आई. 200 स्कूलों में कहां तक देखेगा और जब वह एस. डी. आई. देख नहीं पाएगा तो कैसे पता चलेगा कि वहां पर समय पर अध्यापक गया या नहीं गया, उसने वहां पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, कितने समय तक स्कूल रहा। उसका कोई हिसाब-किताब नहीं रहता है। इसलिए माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी पंचायत समितियों में एस. डी. आई. की पोस्ट वेकेंट हैं उनको आप जल्दी से जल्दी भरें ताकि बच्चों की सही देखरेख हो सके, स्कूलों की सही देखरेख हो सके, बच्चे सही पढ़ाये जा सकें।

माननीय सभापति महोदय, आपसे एक बात और निवेदन करना चाह रहा हूं कि पंचायत समितियों के जो भी काम आप मंजूर करते हैं उसके लिए ओवरसियर आपने दे रखा है। एक पंचायत समिति में 200 तो जीवनधारा के कुएं चल रहे हैं, 100 बिल्डिंग्स के वर्क्स चल रहे हैं फिर उनसे कहा जाता है कि मेजरमैंट होगा तब जाकर आपका भुगतान करेंगे। एक ओवरसियर इतने आपके कामों का मेजरमेंट नहीं कर सकता है। इसलिए सरकार पचायत समितियों को ऐसे निर्देश दे, जिला परिषदों को ऐसे निर्देश दे कि अगर आपकी आवश्यकता से ज्यादा काम सैंक्शन हो गये हैं तो एक ओवरसियर इतने कामों को देखेगा, इतनी संख्या तक के कामों को देखेगा और जरूरत पड़े तो टेम्प्रेरी ओवरसियर लगाकर उनकी देखरेख करवायें। ताकि समय पर गाइडेंस मिले, सही काम हो, क्वालिटी सही हो। इस तरह से अतिरिक्त ओवरसियर लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो वह क्वालिटी भी मेंटेन नहीं होती है और न टैक्निकल सही चीज बनती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था करें।

श्री सभापति : समाप्त करें। श्री अर्जुनलाल जीनगर।

श्री दयाराम परमार : सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री सभापति : नहीं, साढ़े 3 बजे मुखबन्द होगा, मंत्रीजी का जवाब होगा। अभी एक माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। बिराजिए आप।

श्री दयाराम परमार : सभापति महोदय, आपने घण्टी बजा दी, इसलिए बैठ जाता हूं।

श्री सभापति : बिराजिए आप। (धन्यवाद) श्री अर्जुनलाल जीनगर। आप 4 मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास पर चर्चा के अन्दर मैं भी अपनी बात सम्मिलित करते हुए आगे बढ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए, माननीय सदस्य, आप उधर से जाएं, बीच में से नहीं गुजरें आसन के (कुछ सीखें आप ।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : 1994-95 के बजट में 360 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है और इस राशि से ग्रामीण विकास होगा इसमें कहीं संशय नहीं है । हमारा देश और प्रदेश गांवों का है....(व्यवधान) ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्रीजी स्वयं समझदार हैं ।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : इसलिए जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक सभी लोगों का विकास होना सम्भव नहीं है । हमारी अधिकांश जनता, 80 प्रतिशत लोग आज भी गांवों में निवास करते हैं । हमारा देश कृषि प्रधान देश है । यदि हम किसानों के ऊपर शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक खर्चा करेंगे तो हमारे ग्रामीण भाइयों का अच्छा विकास होगा । माननीय मुख्यमंत्रीजी ने अनेक योजनाएं राजस्थान

(15–24)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन ।)

में लागू की हैं जिनमें एक प्रमुख है आश्वासित रोजगार योजना । इसमें सूखे एवं पिछड़े क्षेत्र के लिए 122 विकास खण्डों में कम से कम दो दिन तक दो व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना और 1 वर्ष में कम से कम 100 दिन तक उनको रोजगार मिले ऐसी व्यवस्था की की गई है । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये गये हैं । प्रत्येक गांव में विद्यालय भवन बनाने की योजना रखी गई है । इससे कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा जहां पर प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हो । इसके अलावा आयुर्वेद औषधालयों के भवनों का निर्माण भी किया जाएगा एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भी निर्माण किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत गरीब को छप्पर योजना भी लागू की गई है । इन्दिरा आवास योजना में पहले कालोनी बनाई जाती थी परन्तु अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिसमें व्यक्ति के घर पर ही या उसकी निजी भूमि पर या सरकार द्वारा आवंटित करके अच्छी भूमि पर 11,200 रुपये का अनुदान देकर उसके रहने के लिए मकान दिया जाए । युवाओं को रोजगार हेतु ट्राइसम योजना चालू की गयी है । ऐसी योजना से हमारे गांव में रहने वाले जो युवा हैं वह आगे बढ़ सकेंगे, उनकी उन्नति हो सकेगी और उनका परिवार भी उच्च श्रेणी में आ सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय मैं शिक्षा के सम्बन्ध में एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा । शिक्षा के क्षेत्र में हम आज भी पिछड़े हुए हैं । यदि हमें हमारे गांवों का चहुमुखी विकास करना है तो जो प्राथमिक शालाओं के शिक्षक हैं उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिलवाया जाए ताकि वह बालकों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें । क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होते हैं वह विचारवान नहीं होते हैं । वे विचारवान हों ऐसी शिक्षा दिलवाई जाए ।

इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मात्र 47 करोड़ की मांग है, सबसे कमजोर मांग यही है तो उतना ही छोटा उत्तर होना चाहिए ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उत्तर नहीं होना चाहिए यों कह दो ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बिना पैसे ही काम करते हैं मंत्री महोदय ।

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों का मैं बहुत आभारी हूं जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । लगभग कुल 60 कटमोशन मुझे प्राप्त हुए हैं - इन कटमोशनों के माध्यम माननीय सदस्यों ने काफी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं । चूंकि इस विभाग का सीधा जनता से सम्बन्ध है, 80 प्रतिशत जनता इस विभाग से सीधे रूप से जुड़ती है, जुड़ी हुई है और मैं यह कह सकता हूं कि शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा जो ढाणी-ढाणी जुड़ा हो, इसलिए माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता प्रकट की है, कई सवाल उठाये हैं, कई आपत्तियां उठाई गई हैं, उनका चिन्तित होना स्वाभाविक है और मैं भी उस चिन्ता में अपने आपको सम्मिलित करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह विभाग मिले बहुत ही कम समय हुआ है लेकिन मैंने आकर विभाग देखा तो जो माननीय सदस्यों ने चिन्ता जतायी हजारों सरपंचों के खिलाफ गबन के मामले चल रहे हैं, ग्राम सेवकों के खिलाफ काफी शिकायतें हैं, पंचायत समितियों की दशा ऐसी थी कि वहां से बहुत सारी शिकायतें आयीं, जैसा माननीय सदस्य बोल रहे थे कि टार्गेट बहुत थे लेकिन वह पूरे नहीं हुए, मैं उनकी बात से निश्चित रूप से सहमत हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक वर्ष तक जो राष्ट्रपति का शासन रहा उसमें काम हुआ ही नहीं, विकास की गति ठप्प हो गयी और जितने भी लक्ष्य बाद में प्राप्त किये गये हैं जिनको आप बहुत अपर्याप्त बता रहे हैं, वह इस सरकार के गठन के बाद में कुछ काम में तेजी आयी तो कुछ काम हुए लेकिन मैं इसको राजनैतिक आधार पर नहीं देखता हूं । यह एक व्यवस्था है, चाहे कांग्रेस की सरकार थी या हमारी सरकार है, जो नीचे से ऊपर तक जो व्यवस्था हो गयी है, माननीय अध्यक्ष महोदय नीचे तक ऐसी यह मानसिकता बनना कि काम नहीं करना और जितना सारा गांवों के विकास के लिए हम पैसा देते हैं और माननीय प्रधान मंत्रीजी ने भी, सभी जानते हैं, मालूम है और प्रतिपक्ष के नेताजी को बहुत ज्यादा मालूम है ।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : मुझे तो अध्यक्ष महोदय, एक बात मालूम है कि यह जो रूटकाज है, आज जितने भी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि एक मैन रूट-काज है उस रूट-काज में कोई नहीं जा रहा है । अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जवान हैं, आप करो । क्या आप उठ-बैठ करेंगे, क्या कसरत कराना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं ? खैर, रूटकाज यह है कि जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे

(श्री परसराम मदेरणा)

यह स्पेशल स्कीम आर्गेनाइजेशन् की हों और अभी फेमिन में भी सड़कें बन रही हैं, 60-40 का जो रेश्यो है वह मैन काज है जो करप्शन करवा रहा है । अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वह तो सरपंच ने सिखा दिया । सरपंच ने नहीं सिखा दिया, 40 प्रतिशत के अन्दर मैटीरियल की लीड इतनी है कि वह काम पूरा हो नहीं सकता । इसलिए जब वह नहीं हो सकता, ट्रेक्टर किराये का करते हैं और मजदूरों का नाम देते हैं, चलता ट्रेक्टर है । इस तरह से 40-60 वाले इस रूट काज में अगर आप नहीं गये तो इस बीमारी का पूरा समाधान नहीं हो सकेगा चाहे आप मंत्रीजी जवान को बनायें, बूढ़े मन्त्रीजी से तो आपको उम्मीद कम है, ये जवान हैं, अब ये कर लेंगे, ये कसरत कर सकते हैं, बाडी ठीक रख सकते हैं, मसल बना सकते हैं, बाकी ये बीमारी तो है ही यह 60-40 की ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये जवान हैं तो रूट-काज में जा सकते हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, प्रतिपक्ष के नेता सही कह रहे हैं कि 60-40 का रेश्यो नहीं....

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उम्र के हिसाब से 40 में ही हूं, आप ठीक कह रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब मैंने यह देखा कि ऊपर से नीचे तक एक भावना है, आज तक बेसिक गलती हुई हमसे कि हमने सारे विकास के काम केवल सरकारी मशीनरी के जिम्मे लगा दिया, यह बेसिक भूल हुई है, उसमें जनता की भागीदारी, जनता की निगरानी....

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : स्वीकार तो कर लिया ।

श्री नाथूसिंह : यह कोई हमारी गलती नहीं है । यह 45 साल से गांवों के विकास के काम इस सरकारी मशीनरी के जिम्मे छोड़ दिया जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वो ही सरकारी मशीनरी, तो एक्जीक्यूटिंग एजेन्सी और वो ही उसकी मानीटरिंग एजेन्सी । इसीलिए प्रधान मंत्रीजी ने सही कहा कि मैं एक रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा नीचे पहुंचता है । और एक नहीं, दो-दो प्रधान मंत्रियों ने कहा । एक कहते तो मैं समझता शायद गलती से कह गये होंगे, जल्दबाजी में कह गये होंगे लेकिन दो-दो प्रधान मन्त्रियों ने कहा । अब मैं यह नहीं मानता कि 85 पैसे बीच में जाते होंगे और 15 पैसे ही नीचे तक पहुंचते होंगे लेकिन इस बात में कहीं न कहीं सच्चाई थी । इसलिए भी सच्चाई थी, जब सरपंचों के मैंने मामले देखे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसमें लगभग 1702 सरपंचों के प्रकरण हैं जिनसे राशि वसूल करनी है और वह राशि लगभग 2 करोड़ 83 लाख है । इसी तरह से लोकल फण्ड में आडिट होती है, उसमें 10,000 और कुछ मामले हैं और राशि है, 1 करोड़ 86 लाख के आसपास तो 4 करोड़ 70 लाख के आसपास राशि का गबन मिला । अध्यक्ष महोदय, मैंने आते ही पहला काम

(श्री नाथूसिह)

किया, मारे अधिकारियों को सम्भागीय बैठकें लीं और पहली बार मैंने जाकर के सीधा बी. डी. ओ. स्तर तक के अधिकारियों को बुलाकर उनसे पूछा कि आपको व्यावहारिक और नियमों व उपनियमों के माध्यम से क्या कठिनाइयां आती हैं गांवों में, वह बताइये। अगर प्रक्रिया सम्बन्धी कोई कठिनाई हो तो इस प्रक्रिया को ठीक करेंगे, कोई व्यावहारिक कठिनाई हो तो उस कठिनाई को ठीक करेंगे और उसके बाद सरकार क्या चाहती है, उसके निर्देश दिये। कई सरपंच ऐसे थे जिन्होंने चार्ज नहीं दिया, पुरानी डेट में पट्टे बना-बनाकर दे रहे हैं तो आते ही मैंने आदेश दिये कि 15 फरवरी तक सारे सरपंचों से चार्ज लिया जाए और 28 फरवरी तक जिनके खिलाफ ये जितने प्रकरण चल रहे हैं, अगर वे निर्दोष हैं तो छोड़ दिया जाय और दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मुझे यह कहते हुए खुशी है, इस समय केवल 242 सरपंच पूरे राजस्थान में बचे हैं जिन्होंने चार्ज नहीं दिया और उनके खिलाफ एफ. आई. आर. तक दर्ज करायी, हमारे सीनियर आफिसर्स उनके पीछे-पीछे भागे लेकिन चार्ज नहीं दिया। अब मैंने इन सारे प्रकरणों को 17 (4) में कन्वर्ट करके उनको नोटिस दिये हैं कि यदि आपने चार्ज नहीं दिया तो आपको चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा और इसके बाद जो मुझे सूचना प्राप्त हो रही है, अब वे सरपंच चार्ज दे रहे हैं।

इसी तरह वसूली के प्रकरण में इस प्रक्रिया में तेजी से पहली बार, माननीय सदस्य एप्रीशियेट करेंगे, आलोचना आप चाहे करें लेकिन जब तक आप अच्छे काम को एप्रीशियेट नहीं करेंगे तो जो काम करने की भावना है वह समाप्त हो जाएगी, प्रतिपक्ष के माननीय नेता बहुत ही अनुभवी, बहुत ही विद्वान हैं, पहली बार सरपंचों से पैसा जमा कराने का काम शुरू हुआ है और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि लाखों रुपया सरपंच जमा करा रहे हैं, मैंने उनको नोटिस दिये....

श्री परसादी लाल मीणा : जमा कितना पैसा हो गया ?

श्री नाथूसिंह : अभी जमा हो रहा है, प्रोसेस में है अभी।

श्री परसादी लाल मीणा : भाषण मत देना।

श्री नाथूसिंह : जो वस्तु स्थिति है, मैं आपको अवगत करा रहा हूं, जो मैंने स्वीकार किया है....

श्री परसराम मदेरणा : 100 करोड़ रुपया बाकी है ?

श्री नाथूसिंह : 100 करोड़ रुपया नहीं 4 करोड़ 70 लाख के करीब-करीब....

श्री परसराम मदेरणा : और ये क्या जो इंस्टालमेंट लिया गया था आपने दिया नहीं क्या ? ये किस तरह से बाकी रह गया वह तो पैसा इंस्टालमेंट में देते हैं ना....

श्री नाथूसिंह : जैसे काम के लिए पैसे दिया, जिन्होंने चार्ज दिया उस समय उनके पास जो पैसा था उसको जमा नहीं कराया,

(श्री नाथूसिंह)

कुछ तो ऐसे प्रकरण हैं। कुछ लोकल फ़ण्ड है जो आडिट होती है उसके मामले, गबन के कुछ मामले, इस तरह से हैं । इस तरह कुल मिलाकर मैंने बताया, अलग-अलग जो मैंने पहले आंकड़े दिये लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है इन सब सरपचों ने अब पैसा जमा कराना शुरू कर दिया । और मैंने कहा है, जमा करायेंगे तो छोड़ देंगे और जो पैसा जमा नहीं करायेंगे उसको 17(4) में लेकर हम चुनाव के अयोग्य करार देंगे, एफ आई आर. दर्ज करायेंगे और कैसे पैसा वसूल किया जा सकता है उसकी कार्यवाही शुरू करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं कि मैं इस मामले में राजनैतिक दृष्टि या राजनैतिक एंगल से काम नहीं कर रहा हूं। मेरे ऊपर बहुत राजनैतिक दबाव आते हैं, पूरे सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के लोग जो सरकार का, गरीब लोगों का खाकर बैठे हुए हैं लाखों रुपया, वे यदि पैसा जमा नहीं करायें और आपके पास सिफारिश लेकर आयें कि हमें 17(4) से बचाओ, चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे उस पक्ष के माननीय सदस्य हो, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को आप कहें, पहले पैसा जमा करायें उसके बाद हमारे पास आओ । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं इस तरह पैसा वापस जमा हो रहा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे पास ग्रुप सचिव की कमी है, यह सही है । नया संविधान 77वां संशोधन आया है, उसके अनुसार एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक होना चाहिए ताकि उसका काम ठीक चले । आज माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे, कहीं पर 5-5 पंचायतों में एक ग्रुप सचिव है, कहीं पर 2-2 में तो कहीं पर 8-8, 9-9 में, तो यह क्यों ? जो हमारे नार्म्स बने हुए हैं उसके हिसाब से यह है कि 4000 से कम आबाद की जो पंचायतें हैं उनके ऊपर तो हमने दो ग्राम पंचायतों में एक ग्रुप सचिव की पोस्ट सैंक्शन की है और 4000 से आबादी जिनकी ज्यादा है वहां पर एक ग्रुप सचिव की है । इसके हिसाब से भी हमारे पास ग्रुप सचिवों की कमी है। आज पंचायतें और बढ़ी हैं 7000 और कुछ से लेकर इस समय अब 9173 ग्राम पंचायतें हो गयीं । (व्यवधान) जितने अब आयेंगे तो उसका मतलब कोई कमी तो है ही । इसके लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने और पोस्ट मांगी । कम कोशिश कर रहे हैं इस मामले में, ग्रुप सचिव लगाये जायें और अब फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमने मांगा है, जो सैंक्शन स्ट्रेन्थ हमारी थी उस हिसाब से मांगा है लेकिन फिर भी मैं यह मानकर चलता हूं कि जो केन्द्र सरकार ने अमेंडमेंट किया है उसके हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं केन्द्र सरकार से पैसा मांगने की । उन्होंने 77वां अमेंडमेंट तो कर दिया लेकिन उसके लिए पैसे की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ेगी । यदि केन्द्र सरकार हमारी कुछ सहायता करेगी तो हम भी कोशिश करेंगे इन ग्राम सेवकों की कमी को....

श्री परसराम मदेरणा : बजट में प्रावधान रखा है क्या कि इतने ग्राम सेवक चाहते हैं, उनके पद इतने सृजित हो गये हैं । यह अगर नहीं रखा है तो हमने मांगा है, हमने मांगा है, यह कोई तरीका है ?

(श्री परसराम मदेरणा)

गवर्नमेंट से कभी यूं मांगने से मिलता है क्या ?

श्री नाथूसिंह : नहीं नहीं, ऐसा है....

श्री परसराम मदेरणा : बजट के अन्दर प्रावधान नहीं रखा, सितम्बर में बजट बनता है, सैक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट कौनसी पोस्ट क्रिएट होगी, उस समय प्रपोजल भेजते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्रिटिकली स्कूटनी करता है....

श्री नाथूसिंह : भेजे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : वेज एण्ड मीन्स पोजिशन देखते हैं, आपने इंटरिम रिलीफ दे दी 72 करोड़ की, अब आपके पास में ग्राम सेवक कहां हैं ? अभी 8 का एवरेज आ रहा है, अब आएगा 12 का एवरेज....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जीरो बजट में मांग रहे हैं । जीरो बजटिंग में मांग रहे हैं, शून्य बजट रखकर फिर मांग रहे हैं वे ।

श्री परसराम मदेरणा : यह हो सकता है सप्लीमेंट्री ग्रान्ट आ जाएगी, गवर्नमेंट पोस्ट कर सकती है सब्सिक्विेंटली लेकिन बशर्ते कि आप राजस्थान के फाइनेंस मिनिस्टर बनें ।

श्री अध्यक्ष : शून्य बजट लागू है या....

श्री परसराम मदेरणा : तो आपकी सहानुभूति इनके साथ में है कि नहीं ? अभी ऐसा नहीं हो रहा है ।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय हमने पहले 7358 ग्राम पंचायतें थीं उसके हिसाब से जो सृजित पद थे वे 3945 थे जो इन्होंने क्राइटेरिया बताया उसके हिसाब से । अब 9173 ग्राम पंचायतें पुनर्गठन के बाद में होंगी तो इस आधार पर जो नये पद सृजित होंगे वे 1239 अतिरिक्त पद होंगे । ये 1239 पद हैं, ये चूंकि उस क्राइटेरिया में आते हैं इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं, इन दी लाइट ऑफ सेवेन्टी थर्ड अमेण्डमेंट केन्द्र सरकार यदि कुछ मदद करे तो हम ज्यादा से ज्यादा ग्राम सेवकों के पद भर सकते हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 1239 कर दिया क्या ?

श्री नाथूसिंह : यह तो किया है हमने । मांगा है गवर्नमेंट से हमने ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है क्या कि फाइनेंस कमीशन जो आप बैठा रहे हैं उसमें हमारे पास जो रिसोर्सेज हों उसका डिवोलूशन फाइनेंस कमीशन के मार्फत करने जा रहे हैं । वो कर रहे हैं क्या ? उन्होंने कोई एश्योरेंस नहीं दिया है ।

श्री नाथूसिंह : मैं कब कह रहा हूं कि एश्योरेंस दिया है । हम प्रयास कर रहे हैं, मैंने यह कहा है ।

श्री परसराम मदेरणा : एश्योरेंस कब दिया भारत सरकार ने ?

श्री नाथूसिंह : मैं कब कह रहा हूं एश्योरेंस दिया । मैंने कभी कहा ही नहीं कि एश्योरेंस दिया ।

श्री अध्यक्ष : अब आप सीधा-सीधा भाषण दीजिये, मंत्रीजी, ताकि सबकी समझ में आ जाए।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय ये सीधा भाषण तो दे नहीं सकते क्योंकि इनको अभी 48 मिनट भाषण देना है क्योंकि मुखबंद का समय है 4.30 बजे।

श्री अध्यक्ष : वो तो आपकी इजाजत से पहले भी कर देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए इनको तो आप ये पूरी बात, जितना भी प्रयास कर रहे हैं, दबाव लगा रहे हैं ये सब करने दें। आप अनुमति दीजिये, सभी बात कहने दीजिये इनको।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा प्रतिपक्ष के माननीय नेता कह रहे हैं कि दबाव लगा रहे हैं। दबाव नहीं हम तो जोर भी लगा रहे हैं। 1239 ग्राम सेवकों के लिए 1 करोड़ 25 लाख का नवीन मद में प्रावधान रखा गया और इसमें से शेष 50 पर्सेन्ट राशि भारत सरकार से मांगी जा रही है। इसलिए हमारा प्रयास यह है कि एक ठीक व्यवस्था चले।

मैं निवेदन कर रहा था कि सरकारी मशीनरी में कुशलता होनी चाहिए। उस कुशलता की इस विभाग में चूंकि ग्राम जनता से नीचे से लेकर ऊपर तक यह विभाग जुड़ा हुआ है, कुछ कमियां हैं। इसमें कुछ सुधार किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनरली यह शिकायत आती थी कि पंचायत समिति में जाते हैं तो व्यवहार ठीक नहीं है। वहां जाते हैं तो जे ईएन., बी. डी. ओ या दूसरे अधिकारी जो मिलते हैं वे ग्राम सेवकों से मिलकर पैसे का दुरुपयोग करते हैं। इसके लिए, अध्यक्ष महोदय, मैंने संभागीय बैठकें लीं। उन बैठकों में हमने कुछ नये निर्देश दिये हैं। कुछ उनकी परेशानियों को सम्बन्धित अधिकारियों से पूछा कि आपको तकनीकी रूप से या प्रक्रिया से सम्बन्धी या व्यावहारिक कठिनाइयां क्या आती हैं। उन्होंने हमको अच्छे सुझाव दिये कि हमें ये-ये कठिनाइयां आती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जीप है, जीप का पैसा विशिष्ट योजना संगठन और हमारा जो विभाग देता है वह उनको कम मिलता है। उन्होंने और भी कई कठिनाइयां बतायीं। जैसी एस. डी. आइज. हैं, अभी स्कूल के अध्यापकों की मानीटरिंग नहीं होती है, एस. डी. आइजी. की कमी है। टीचर्स के ऊपर केवल एक पंचायत समिति में एक क्लर्क रखा हुआ है। इस तरह और कई सारी चीजें थीं। मैं ज्यादा विस्तार से उनका वर्णन नहीं करना चाहता लेकिन मुख्य रूप से जो निर्देश दिये उसके बाद उन अधिकारियों का हमने एक असेसमेंट सिस्टम चालू किया और मैंने देखा कि पहले पंचायत समिति का परिसर है इनकी दशा सुधारी जाए। जब मैं पंचायत परिसर में गया तो कहीं पंचायत की बिल्डिंग टूटी-फूटी है, कहीं कचरा पड़ा है, फाइलों के ढेर पड़े हैं, जो स्टोर्स हैं उनका सत्यापन नहीं हुआ, वर्षों से कितना सामान उनमें पड़ा है, कौन खा गया, कौन पी गया, कौन ले गया, कुछ पता नहीं है। मैंने उसी समय निर्देश दिया कि 31 मई तक जितनी भी फाइलें पड़ी हुई हैं इनमें काम आने वाली फाइलें छांटकर अलग रखी जाए और बेकार फाइलें हैं उनको नष्ट किया जाए और

(श्री नाथूसिंह)

डिस्पोज ग्राफ किया जाए। जितना भी सामान है उसका सत्यापन किया जाए और बी. डी. ग्रो. के कक्ष में एक लिस्ट रहे कि पंचायत समिति का यह-यह सामान है स्टोर में, यह जमीन है, इतने क्वार्टर हैं. ये बिल्डिंग्स हैं, इसकी लिस्ट हो एक लिस्ट सामान की हो, नक्शा हो। इस तरह के ग्रादेश दिये और इसके लिए एक डेट फिक्स की कि 31 मई तक पंचायत समितियों में इस तरह के काम हो जाने चाहिए। इसके साथ ही पंचायत परिसर का, जैसे मैंने कहा "पंचायत निखारो" एक कार्यक्रम चला यह 26 जनवरी से 25 फरवरी तक मैंने शुरू कराया। इसमें सरकार से पैसा नहीं दिया हमने। कर्मचारी से लेकर ग्रधिकारी तक सबकी ड्यूटी लगायी कि श्रमदान से ग्रपने परिसर को निखारो, उसकी सफाई करो, टूट-फूट ठीक करो ग्रौर, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि उनमें पेड़ लगाये, पहली बार पंचायत समितियों को निखारा उनकी बिल्डिंग्स पहले टूटी-फूटी थीं, पहले कोई व्यवस्था नहीं थीं। उनमें काम करने का एक वातावरण पैदा हो इसका हमने ग्रसेसमेंट सिस्टम लागू किया।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रापने श्रमदान से जागृति तो ला दी लेकिन डिविजनल कांफ्रेंस में हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया ? हम भी तो ग्रापको कुछ सलाह देते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : ग्राप बुढ़े हो गये, श्रमदान के लायक नहीं हो।

श्री परसराम मदेरणा: श्रमदान नहीं है, श्रमदान तो जवान-जवान खुद कर लेंगे उठ-बैठ लगा करके। यह मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूं। ग्राप एम. एल. एज्. एक्स प्रधान प्रमुख बुलाते। आपने तो ब्यूरोक्रेट्स को बुलाकर वहां संभागीय स्तर पर मीटिंग कर ली ग्रौर उनके सुझाव ले लिये ग्रौर कह दिया क्लर्क नहीं है, बाबू नहीं है, वो नहीं है सत्यापन हुनीं है ग्रौर पेड़ लगाग्रों। ग्रापको इसको पूरा ग्रोवरहाल करने के लिए हमको भी बुलाना चाहिए था। ग्राप संभाग में गये और जन प्रतिनिधियों को नहीं बुलाते हैं ? जन-प्रतिनिधियों को, पहले वाले प्रमुखों को बुलाना चाहिए था। मैं यह नहीं कहता कि पालिटिकल पार्टी को बुला लीजिये आप। ग्रापकी पार्टी के एम. एल. ए. ज्यादा हैं उनको भी बुलाना चाहिए। सबकी राय लेनी चाहिए थी। विचार इनसे तो करा लिया ग्रौर ये ही मट्टा बैठाने वाले हैं।

श्री नाथू सिंह : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता के सुझाव से सहमत हूं ग्रौर मैं मानता हूं कि यह तो मेरा पहला राउण्ड था परन्तु दूसरा राउण्ड शुरू कर रहा हूं उसमें आपको निश्चित रूप से बुलाउंगा।

ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रधिकारियों का ग्रसेसमेंट सिस्टम, एक नया सिस्टम हमने लागू किया। ये शिकायतें ग्राती थीं कि ग्रधिकारियों का गांव वालों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है, समय पर काम नहीं होता। पंचायत समिति में या जिला परिषद् में जाते है तो ग्रधिकारी मिलते नहीं हैं। मैंने ग्रधिकारियों ग्रौर कर्मचारियों पर पाबंदियां लगायी हैं। प्रत्येक सोमवार ग्रौर वृहस्पतिवार को पंचायत समिति का स्टाफ यदि कोई बहुत ज्यादा ग्रावश्यक काम नहीं हो तो दो दिन तक पंचायत समिति मुख्यालय

(श्री नाथूसिंह)

पर रहेगा और आने वाले लोगों को सुनकर उनका निपटारा हाथों-हाथ करेंगे। इसी तरह से असेसमेंट सिस्टम किया, तीन आधार पर अधिकारी का असेसमेंट हो। आज तक जैसा अभी कहा गया कि आपने पशुपालन के डॉक्टर्स को बी. डी. ओ. बना दिया, आपने यह किया, आपने जे. ईएन. ऐसे ले लिए, ये पहले के लिए हुए हैं मेरे समय में भर्ती नहीं किये गये हैं। ये पूर्व के हैं लेकिन मैंने कोशिश की इन अधिकारियों को एक साथ न तो मैं निकाल सकता, न सबके विरुद्ध एक साथ कोई कार्यवाही कर सकता, मैंने उनको प्रेरित करने की कोशिश की और प्रेरित करने के साथ-साथ कुछ उन पर पाबंदियां भी लगायीं, कुछ कानून का दबाव भी डाला और हमने उनको डायरेक्संस भी दिये और रूलस में परिवर्तन भी कर रहे हैं। तीन आधार पर असेसमेंट होगा अधिकारियों का। पहला, उसकी परफारमेंस कैसी है। परफारमेंस में लक्ष्य प्राप्त कितना करता है। दूसरा, जनता से व्यवहार कैसा है और पब्लिक में उसकी इमेज कैसी है। तीसरा, उसके खिलाफ कोई शिकायत है या नहीं। तो तीन आधार पर अधिकारियों का असेसमेंट होगा और अगर अधिकारी इन तीन आधार पर अच्छा साबित होगा....

अनेक माननीय सदस्य : कौन करेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : यह अमेण्डमेंट कौनसे रूल में किया है ?

श्री नाथू सिंह : अभी कर रहे हैं रूलस में परिवर्तन।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह कह रहा था कि वो तो सलेक्शन कमेटी है विकास अधिकारियों की बनी हुई है और वो तो एक नीति सम्बन्धी निर्णय आपको लेना पड़ेगा, अगर वेटरिनरी के लोग इस पद के उपयुक्त नहीं हैं तो इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी से बात की या नहीं की ?

श्री नाथू सिंह : मैं अलग बात कह रहा हूं, आप अलग बात कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इनका सलेक्शन करके तो आप भेजते हो। अगर नहीं करना है तो आपको सलेक्शन की नीति से परिवर्तन करना पड़ेगा कि उनको विकास अधिकारी लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। यह मुख्य मंत्रीजी जानते हैं कि आप अफसर का असेसमेंट तो कर लेंगे लेकिन वे लगे या नहीं लगे यह तो नीति सम्बन्धी निर्णय है।

श्री नाथू सिंह : प्रतिपक्ष के माननीय नेताजी, आप तो नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, मैं नियुक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो इस समय काम कर रहे हैं उनके असेसमेंट की बात कर रहा हूं, उनके कार्य में सुधार लाने के लिए। इसलिए इन तीन आधारों पर हम असेस करेंगे और असेसमेंट करने के बाद जो अच्छे अफसर पाये गये....

अनेक माननीय सदस्य : कौन करेगा ?

श्री नाथू सिंह : एक मशीनरी करेगी और कौन करेगा।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा एक सुझाव है कि एक और क्लाज आप जोड़ देंगे तो पूरा असेसमेंट वेटेरिनरी डाक्टर का हो जायेगा कि आर्टिफिसियल इनसे-

(श्री परसराम मदेरणा)

मिनेशन के कितने मामले हाथ में लिये हैं और उसमें सक्सेसफुल कितने हुए हैं। अगर आप यह कर दो तो आपकी गोपाल योजना कामयाब हो जायेगी, नहीं तो यह गोपाल योजना भी फेल होगी। और असेसमेंट भी उसकी पर्सनलिटी का, व्यक्तित्व का, काम और उसके परिणाम का जो है, फलदायक रहा है या नहीं रहा, उसकी पूरी जो पोस्टिंग है इसमें भी आपको मदद मिल जायेगी। यह एक और रखो आप।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि एक बार यह बोल लें, उसके बाद आपको काफी मौका मिलेगा।

श्री परसराम मदेरणा : हम तो साढ़े चार बजायेंगे जब तक....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी एक बार बोल लें, आपको काफी-समय मिलेगा।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह इसलिए किया कि अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़े, उनको बार-बार यह लगे कि हमें कोई देख रहा है, बिहेबियर ठीक हो। मैंने यह भी निर्देश दिये हैं, प्रतिपक्ष के माननीय नेता, आप तो गांव के रहने वाले हैं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, हमारे गांव के गरीब लोग जब अधिकारियों के सामने जाते हैं तो वह गांव का गरीब तो बाहर खड़ा रहता है, अधिकारी अन्दर बैठा रहता है, मिलता नहीं है, सुबह से शाम तक इन्तजार करे और फिर कह देते हैं कि कल आओ, मैंने इसकी व्यवस्था भी की है और हमने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं इन बैठकों में कि गांव का आदमी कोई भी गरीब आये तो आते ही पहले उसको कुर्सी पर बैठा कर बात मत करो, खड़े-खड़े बात मत करो। यह निर्देश हमने दिये हैं पहली बार, ताकि उस गांव वाले का मोरल बढ़े कि राज मेरा है।

एक माननीय सदस्य : कुर्सियां तो हैं ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रतिपक्ष के नेता, आप कई वर्षों तक मंत्री रहे हैं, गांव वाले को कुर्सी पर बैठाने का आपने कभी आदेश दिया है?

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह कह रहा हूं, मैं शायद इस राजस्थान की राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में पहला व्यक्ति होऊंगा, जब से मैं आया हूं, बराबर सबसे पहले मैं शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों से हाथ मिलाता हूं, जिस तरह जान एफ. कैनेडी मिलाता था, और अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो हाथ मिलाता हूं वह मिलाता हूं ब्राह्मणों से। वह हाथ मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं, करता तो मैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, सुन लीजिये। इसका मतलब यह है कि हरिजन से मिलाते ही आप ब्राह्मण से हाथ मिलाने की आवश्यकता समझते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मैं समझता हूं, मैं पैर-वैर के हाथ नहीं लगाता किसी के, इसलिए मैं पगा लागणा तो कहता हूं लेकिन मिलाता हाथ हूं। कुर्सी पर बैठने की बात आयी, कुर्सी पर तो हमेशा ही

(श्री परसराम मदेरणा)

हम बराबर बैठाते हैं, किसी को हम नीचे नहीं बैठाते। आपने गांव की मुझे बात कहीं....

श्रीमती कमला (बैराठ) : नेता महोदय, आज कुर्सियों पर जितने ग्राम के लोग बैठे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, यह प्रजातांत्रिक पद्धति की देन है जो आप और हम लाये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां यह सही है, यह कहलवा दो।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : आप क्या लाये हैं, हम लाये हैं, आपने कुछ नहीं किया है।

श्रीमती कमला : मैं अपने नेता महोदय से कह रही हूं कि आप और हम लाये हैं। आपको नहीं कह रही हूं। इसलिए प्रजातंत्र आया है तो सारे लोग गांव के कुर्सियों पर बैठे हैं, यह हमारी ही देन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वरना खेतसिंह जी का कहां....

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, आप उस दिन अनुपस्थित थे सदन में, जिस दिन यह एडमिनिस्ट्रेटर वाला अमेण्डमेंट बिल चल रहा था, यह पंचायत राज मंत्री-जी, जो बिलकुल ढाणी से आने वाले हैं, यह बैठे-बैठे दूसरे मंत्रियों की तरफ, जो आपके पास में बैठे हैं, जाति से दोनों ही ब्राह्मण हैं, यों देख रहे थे उस वक्त, मैं तो इनकी दयनीय स्थिति देखकर हैरत में रह गया। मैंने कहा, यह पालियामेंट के मेम्बर रहे हुए और अभी आप कह रहे थे कि चालीस के नीचे हैं, दो-तीन आदमी ऐसे हैं जो आप दो-दो दफा तो पालियामेंट में रह गये, असेम्बली में तीन दफा रह गये और अभी आप तीस के नीचे ही चल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह है कि आपने इनके ऊपर आरोप लगा-कर धनखड़ साहब और पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य, दोनों की सफाई कर दी।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मान लो, मैंने देखा होगा। मैंने उसी तरह से देखा था जैसे प्रतिपक्ष के माननीय नेता दिल्ली में बैठे हुए माननीय नरसिंह रावजी की तरफ देखते हैं। वह भी ब्राह्मण हैं। उसी तरह से मैं देख रहा था।

श्री परसराम मदेरणा : आंख से आंख मिलाता हूं नरसिंहरावजी से मैं। आंख से आंख मैं यों, नहीं देखता हूं।

श्री नाथूसिंह : अब हमें क्या पता, आप वहां जाकर कैसे देखते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नरसिंहरावजी से आप पूछ लेना, मुख्य मंत्रीजी मिलते हैं वह भी पूछ लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं बताऊं आपको, यों देखने का कारण खेतसिंहजी हैं। इनको सुनाई नहीं देता है, यों ही सुनते हैं यह। अब इसका क्या करें ?

श्री अध्यक्ष : अब आप अपना भाषण समाप्त करिये।

श्री नाथूसिंह : तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवृत्त किया है हमने काम की ओर, और इसके लिए हमने कहा कि जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे हम उनको पुरस्कृत करेंगे। जो अधिकारी ए कैटेगरी में आयेंगे उनमें से छांट कर पुरस्कृत करेंगे, बी में आयेंगे वह विभाग में चलते रहेंगे और जो सी कैटेगरी में आएंगे, जिनकी परफारमेंस ठीक नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं और जिसके खिलाफ शिकायतें हैं उनको विभाग से बाहर भेज दिया जायेगा, उनको हम नमस्कार कर लेंगे। इसलिए हमने एक योजना चलाई-पुरस्कार या नमस्कार। दोनों में से कौनसी चीज प्राप्त करनी है अधिकारियों को, यह उनके ऊपर है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, एक सिस्टम बना है और मैं सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूं।

माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की है कि गांव में जो काम चल रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार होता है यह सही है, भ्रष्टाचार होता है इसलिए इतने मामले आ रहे हैं। इसके लिए भी एक सिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे कि ऐसा कौनसा सिस्टम बनाया जाए, और इसके लिए जनता को भागीदार बनायें। हमारी सरकार का यह मानना है कि जब तक सरकारी मशीनरी के साथ-साथ जनता भी भागीदार नहीं बनेगी विकास के काम में, तो न तो क्वालिटी डवलप होगी कामों की और न पूरा पैसा खर्च होगा और न यह भ्रष्टाचार रुकेगा। इसलिए हर स्तर पर यह प्रयास किये जा रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिये अधिकारियों को कि गांवों के अन्दर जिले के सब अधिकारी, कलक्टर से लेकर दूसरे अधिकारी तक, संभागीय आयुक्त तक, एक महीने में एक रात गांव में बितायें, जा करके गांव की समस्या देखें गांव में कौनसी योजनाएं चल रही हैं उनमें कितना क्या पैसा खर्च हुआ है या नहीं हुआ यह देखें। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह निर्देश दिये, उसके बाद आज अधिकारी गांवों में जा रहे हैं, वह गांवों में रुकते हैं, सारी समस्याएं देखते हैं और गांव के जो लोग हैं, जनता है उसकी भागीदारी सरकारी मशीनरी के साथ-साथ विकास के कामों में बनाई जाए, इस बात के प्रयास कर रहे हैं। इस समय जब तक यह चुनाव नहीं होते, इन चुनावों के होने तक जैसी माननीय सदस्यों की राय थी, एक सलाहकार समिति ग्रुप सचिव के साथ, ग्राम सेवकों के साथ बनाने जा रहे और वह पाबंद रहेगा कि यह सलाहकार समिति जांच कर सकेगी, वह सलाह देगी कि यह काम करना है, यह नहीं करना है। उसके बाद जब चुनाव होंगे....

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस समिति में कौन-कौन होगा ?

श्री नाथूसिंह : एक तो ग्राम सेवक होगा।

श्रीमती कमला : वह तो है ही पहले से।

श्री नाथूसिंह : वह विचार चल रहा है कि इसमें कौन-कौन हो। सुझाव आ रहे नये-नये (व्यवधान) हां, हां, बिलकुल कर

(श्री नाथूसिंह)

रहे हैं, विचार चल रहा है कौन-कौन हों।

श्रीमती कमला : उस दिन माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां उपस्थित होते तो इनको पालिटिकल कमजोरी उस दिन नहीं दिखानी पड़ती और यह मामला इस तरह की स्थिति में नहीं आता। चलो आज भी खूब जोर-शोर से; दमखम से बोल रहे हैं, वह भी अच्छा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आपको तो जलन इस बात की है कि अपनी परफारमेंस दिखा रहे हैं।

श्रीमती कमला : मुझे इस बात की कभी किसी से जलन नहीं होती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बढ़िया परफारमेंस है इसको आप एप्रीशियेट नहीं करना चाहते यह गांव के आदमी हैं।

श्रीमती कमला : नहीं-नहीं एप्रीशियेट कर रहे हैं। आप तो उस वक्त नहीं थे, उस वक्त जो घटना घटी हाउस में, उस घटना से इनको भी महसूस हो रहा है और हाउस को भी हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई घटना घटी नहीं, लेकिन आप अभी इनकी परफारमेंस को एप्रीशियेट करिये।

श्री परसराम मदेरणा : आप इनके इनिशियेटिव को, इन्होंने कई मामलों में जो पहल की है, आप इनके उत्साह को चैकमेट कर रहे हैं। हम तो इनको एनकरेज करना चाहते हैं और हम एप्रीशियेट करना चाहते हैं कि इन्होंने कुछ लम्बी छलांग लगाने का इरादा रखा है, अब कामयाब हो या नहीं, दूसरी बात है, लेकिन इरादा नेक है मिनिस्टर का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं चैकमेट नहीं कर रहा हूं। मैं यह देख रहा हूं कि आप एप्रीशियेट नहीं कर रहे हैं। आदमी की नीयत तो है न कि इसमें सुधार करेंगे। आपके यहां तो नीयत ही नहीं होती, सुधार कैसे होगा।

श्रीमती कमला : हमने तो नीयत भी रखी है, काम भी किये हैं और इधर से जिन्होंने खूब अच्छी परफारमेंस दी है उनकी तालियां भी बजाई हैं। आप पूछ लीजिये हाउस में प्रिपाइडिंग आफिसर से और यह भी अच्छे बोल रहे हैं तो इनके भी तालियां बजायेंगे। पर उस दिन आपकी गैर-हाजिरी में जो इन्होंने कमजोरी दिखाई वह जरुर याद रखने लायक है इसलिए कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई कमजोरी होगी तो उससे लैसन लेने के आदि है हम। कमजोरी को छिपाने के आदी नहीं हैं, लैसन लेंगे। लेकिन आज यह अच्छी परफारमेंस दे रहे हैं उसको एप्रीशीयेट भी करिये।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, हम एप्रीशियेट कर रहे हैं।

श्रीमती कमला : क्योंकि आज जिस उम्र में हैं, मेरे से इतने नोजवान मिनिस्टर

(श्रीमती कमला)

से जलन होने की बात पैदा होती है, आप भी क्या बात बोलते हैं। I am to encourage and help them. कि भाई, जितना कर सकें, बढ़िया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जलन है तो आपसे है, नाथूसिंह से थोड़े ही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, यह ठीक है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, तो एक काम करने का वातावरण और इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, क्रास चैकिंग का सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं। क्रास चैकिंग का मतलब; अध्यक्ष महोदय, आज जैसे माननीय सदस्यों ने कहा प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने कहा कि चैन बनी हुई है नीचे से, ग्राम सेवक, ग्राम सेवक से जे. ईएन., जे. ईएन. से बी. डी. ओ., बी. डी. ओ. से सी. ई. ओ., ऊपर तक मिले हुए रहते हैं। असेसमेंट कौन करेगा, जांच कौन करेगा, मिले हुए रहते हैं। इस

(16.00)

मिलावट को कट करने के लिए क्रास चैकिंग का सिस्टम बनाने जा रहे हैं। एक जिला परिषद के सी. ई. ओ. को हम दूसरे जिले में भेजेंगे कि फला पंचायत समिति में जा करके अचानक फला चीज की जांच करके लाइये। एक पंचायत समिति के बी. डी. ओ. को दूसरी पंचायत समिति में भेजा जायेगा और यहां से जो अधिकारी हैं उनको भेजा जायेगा। तो एक क्रास चैकिंग का सिस्टम बना रहे हैं ताकि जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, वह लोग पकड़े जा सकें। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे विभाग को या सारी मशीनरी को यह कह दें कि उससे काम नहीं चलेगा, आखिर सिस्टम हमें डवलप करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा इसलिए हम एक क्रास चैकिंग का सिस्टम बनाने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैंने मेरे लेवल पर कुछ नये प्रयोग भी इस मामले में करने की कोशिश की है। जैसे कॉलेज के विद्यार्थी हैं, प्रोफेसर हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो गांव के विद्यार्थी कालेजेज में पढ़ते हैं, मैंने उनसे भी चर्चा की है कि जब छुट्टियां हों या ऐसा काम हो तो आप कोई ग्राम पंचायत हम दें, कि इसमें कितनी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का आप असेसमेंट करके कि कौन-कौनसी योजनाओं में कितना-कितना पैसा मिलता मिला, कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, हमें दे सकते हैं क्या। यह समाजसेवा का काम है। स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनसे भी मैंने चर्चा की है और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नया प्रयोग होगा, मैं इसको छोटे रूप में पहले शुरू करूंगा। इसमें न तो सरकार का पैसा खर्च होगा और हमारे सामने बिलकुल सही तस्वीर आ जाएगी कि गांव में क्या चल रहा है, कितना पैसा दे रहे हैं वह लग रहा है, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह तस्वीर हमारे सामने आ जायेगी और इसमें हमारा पैसा खर्च नहीं होगा, अधिकारियों का समय बरबाद नहीं होगा, सरकारी मशीनरी पर कोई कहीं अड़चन नहीं आयेगी। इस तरह का हम प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से से भ्रष्टाचार को रोकने की व्यवस्था की जाए।

(श्री नाथूसिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह चिन्ता भी जताई की बी. डी. ओज. की कमी है। सही है। जे. ईएन. की कमी है। आज पंचायत समितियों में जो शिक्षक हैं, शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी कई अंगुलियां उठायीं, क्वेश्चन खड़े किये। इस सत्र में हमने विज्ञप्तियां निकाली हैं, हम लगभग 30 बी. डी. ओ. के खाली पद थे उनको शीघ्र भरने जा रहे हैं। इसी तरह जे. ईन्स. की कमी है। 40 लाख के ऊपर जिस पंचायत समिति में काम होते हैं वहां एक जे. ईन. लगाया जाए, इसके लिए 122 जे ईन्स. हम और लगाने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ दिन पहले बयाना शिक्षक सम्मेलन में गया। उन शिक्षकों ने शिकायत की कि जब हम इतने शिक्षक पंचायत समिति में होते है, हमारा सारा रिकार्ड का काम करने के लिए एक लिपिक होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आने वाले सत्र में एक के बजाय हम पंचायत समितियों में दो लिपिक की व्यवस्था करने जा रहे हैं।

इसी तरह, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता अभी पूछ रहे थे कि प्राइमरी स्कूल्स किसके अण्डर में आते हैं? क्या आप खोलेंगे ? मैंने प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय से....

श्री परसराम मदेरणा : अंडर में नहीं कहा। खोलने वाले हैं, वह आपके अधिकार क्षेत्र में हैं या एजूकेशन डिपार्टमेंट के में है, यह बात कही है। वहां वहां एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो आपका ही है, मैं जानता हूं।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चिन्ता प्रकट की गयी है कि गांवों के अन्दर 90-91 की आबादी के हिसाब से, आज आबादी बढ़ गयी और उसके हिसाब से स्कूल नहीं हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार हम 2313 प्राथमिक शालाएँ गांवों के अन्दर और खोलने जा रहे हैं। इन शालाओं को 1991 की जनसंख्या के आधार पर जो 250 की आबादी के ऊपर के गांव हैं उनके अन्दर खोलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह अध्यापकों की कमी की बात कही कि अध्यापक कम हैं और कई जगह 150 बच्चे हैं और एक ही अध्यापक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 40 छात्रों के ऊपर क्राइटेरिया के हिसाब से एक अध्यापक होना चाहिए। शहरों के अन्दर एजूकेशन का स्तर और एजूकेशन का विस्तार बहुत ज्यादा है और अध्यापकों की कमी भी शहरों में नहीं रहती है। गांवों के अन्दर न तो शिक्षा का इतना अच्छा स्तर रह पाता है, न शिक्षा का इतना प्रसार है। इसके लिए शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री महोदय और अधिकारी और हमारे विभाग के अधिकारी और मैंने कल ही एक बैठक की है कि राजस्थान में, जैसी माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा है, कि शिक्षा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए ताकि लोग शिक्षित हो तो विकास का लाभ ज्यादा उठा सकेंगे और शिक्षा का प्रसार भी हो और उसका स्तर भी बढ़े। गांवों के लड़के कम्पीटिशन में इसलिए नहीं आ पाते कि उनकी शिक्षा का स्तर कमजोर होता है। इसलिए दोनों तरह के प्रयत्न कर रहे हैं कि शिक्षा का स्टेण्डर्ड ऊंचा हो, शिक्षा

(श्री नाथूसिंह)

का प्रसार ज्यादा हो। इस आधार पर जो शिक्षकों की कमी थी, 2313 यहां जो स्कूल खोले गये उनमें दो अध्यापकों के हिसाब से 4626 अध्यापक और 3646 जो यहां पर एकल अध्यापक स्कूल हैं उनमें और अधिक अध्यापक दे करके इस तरह कुल 8272 नये अध्यापकों की भर्ती हम जल्दी करने जा रहे हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि राजस्थान में जो ग्रामीण शिक्षा है, वहां पर अध्यापकों की कमी पूरी करके, वहां पर नये स्कूल खोलकर शिक्षा का प्रसार कर पायेंगे और शिक्षा के स्तर को हम ऊंचा उठा पायेंगे। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपर्ट्स की एक समिति बनाई जाए जो गांव के अन्दर शिक्षा का स्टेण्डर्ड ऊपर उठायें इसके लिए हमको सुझाव दें और इसका प्रसार कर सके। शिक्षा के प्रसार के लिए, साक्षरता के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए कई योजनाएँ गांवों में चल रही हैं। जैसे शिक्षा कर्मी योजना है, साक्षरता है, अनौपचारिक शिक्षा है, लोक जुम्बिश है, रेगूलर स्कूल हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल ही हमने एक बैठक की जैसा मैं हवाला दे रहा हूं....

श्री परसराम मदेरणा : सरस्वती योजना भूल गये आप।

श्री नाथूसिंह : हां, वह भी है। इतनी सारी की सारी योजना जो गांवों के अन्दर शिक्षा के अन्दर संलग्न है उनमें आपस में को-आर्डिनेशन कैसे हों, इस बात का को-आर्डिनेशन बैठाने का हम प्रयास कर रहे है।

इसी तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय गांवों के अन्दर जितनी भी अभी यहा पर शिकायतें आयीं कि जो स्कूल भवन हैं वह अधूरे हैं, एन्क्रोचमेंट हो रहा है उस स्कूल की जमीन पर, वहां पर स्कूल की बाउण्ड्री नहीं है, इस बार, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह के निर्देश दिये गये हैं कि जहां अभी काम चल रहा है विभिन्न योजनाओं में जितने अधूरे भवन हैं, स्कूल के, प्रायोरिटी के आधार पर स्कूल के अधूरे भवनों को पूरा कराया जाए। यदि बाउण्ड्री नहीं है स्कूलों में तो प्राथमिकता के आधार पर उस बाउन्ड्री को बनाया जाए और जो प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने अभी 60 और 40 के रेश्यो की बात की, यह भ्रष्टाचार इसलिए होता है कि प्रेक्टिकली यह मेंटेन नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ योजनाएं केन्द्र से आती हैं, केन्द्रीय सरकार योजना बनाती है। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेण्ट जिसका बार-बार आप जिक्र कर रहे हैं कि मैं पार्लियामेण्ट में रहा हूं, वहां की एक एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें भी मैं रहा हूं और उसका भी सम्बन्ध गांवों के विकास से था, माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी भी रिपोर्ट्स आयी थीं वहां पर उनको मैंने देखा है, गांवों में जितनी योजनाएँ चल रही हैं उनको देखने का मुझे मौका मिला है, उस समय गांवों में जाकर के कई योजनाओं की जांच की। केन्द्रीय सरकार ने एक रिपोर्ट बनवाई माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्धूम चूल्हे की बात हो रही थी, उन्नत चूल्हे की। माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि आज जितना पैसा उन पर खर्च किया जाता है, जितना वह दे रहे हैं, उपयोग में नहीं आ रहा है। मैंने जब से

(श्री नाथूसिंह)

इस विभाग को सम्भाला, मैंने गांवों में जाकर के वहां जो निर्धूम चूल्हे हैं या उन्नत चूल्हे उनको देखा कि कितने तरह के चूल्हे हैं उनका क्या उपयोग होता है यह भी मैंने पूछा और मैं भी कोई पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं हूं लेकिन यह....

श्री परसराम मदेरणा : धुआं जो है, उसके धुआं से कोई जलन तो नहीं हुई।

श्री नाथूसिंह : अब आपने वह देखा ही नहीं तो मैं क्या करूं। आप तो गाँव के आदमी हैं, आपको देखना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह पूछ रहे हैं कि वह चूल्हे जलते हैं कि नहीं। यह पूछ रहे हैं कि जलते हैं कि नहीं।

श्री नाथू सिंह : नहीं, जलते तो हैं लेकिन गांव वाले ज्यादा उपयोग में अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : जलते हैं, लोगों के दिल भी जलते हैं।

श्री नाथू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, तो यह कुछ योजनाएँ केन्द्रीय सरकार की स्पोंसर्ड योजनाएँ हैं। केन्द्रीय सरकार ज्यादा इनमें पैसा देती हैं, कुछ राज्य सरकार का भाग भी होता है, कुछ योजनाओं में। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार में बैठे हुए अधिकारी जब इन योजनाओं को बनाते हैं तो उनका रूरल बैंक ग्राउण्ड नहीं होता और यही कारण है कि वह डिफेक्टिव योजनाएँ बनाते हैं। हमारे यहां एक मन स्थिति बन गयी, राजस्थान सरकार में हमारे जो अधिकारी हैं कि साहब यह केन्द्रीय सरकार का पैसा है इसको तो ले लो और वह तो लगाओ। मेरे विभाग में कम से कम मैंने यह कहा, पैसा चाहे केन्द्र का हो, चाहे यहां का हो यदि उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है गांवों में तो उस पैसे को हमें नहीं लेना चाहिए। जब उसका पूरा उपयोग हो तभी लेना चाहिए वरना इस पैसे को केवल केन्द्रीय सरकार का पैसा है इसलिए लेकर के खर्च किये जाओ, वह योजना सफल है कि नहीं है, चलाये जाओ, मैं इसके पक्ष में व्यक्तिगत रूप से नहीं हूं।

श्री परसराम मदेरणा : योजना अगर व्यावहारिक नहीं है, अभी तो आपने असेस कर लिया, आंकलन कर लिया, तो अब कितना अमाउण्ट भारत सरकार को वापस ट्रांसफर कर रहे हो ?

श्री नाथू सिंह : इतने अनुभवी आदमी होकर के ऐसा प्रश्न पूछते हैं, मुझे कोई नया माननीय सदस्य होता और वह यह प्रश्न पूछता तो इसका जवाब देता।

श्री परसराम मदेरणा : आपके असेसमेंट में आप बताइये, कुछ स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बनती हैं और वह आपके ऊपर थोप दी जाती हैं, हमारे यहां पर ग्राउण्ड रियलिटी से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वह ऑल इंडिया के लिए यूनिफार्म होती है, ऐसी कौनसी योजना है जो अपने यहां पर लागू कर दी गयी है लेकिन राजस्थान की परिस्थितियों में वह योजना सफल नहीं हो सकती, एक आइडेंटिफाई की है क्या आपने कोई ऐसी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, एक आइडेंटिफाई की है । रेतीले क्षेत्रों में सोइल कंजर्वेशन जहां मोइश्चर कंटेंट बिलकुल नहीं है वहां पर सोइल कंजर्वेशन का काम नहीं हो सकता ।

श्री परसराम मदेरणा : मोइश्चर कंटेंट जल संग्रह वाली है । यह तो बता ही नहीं रहे हैं और आप बीच में खड़े हो गये । यह आपका असेसमेंट हैं, इनका असेसमेंट कहां है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक ही हैं हम दोनों ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जैसे इस उन्नत चूल्हे के बारे में कहा, यह 60-40 के रेश्यो की बात कही, राज्य सरकार ने यह निर्देश दिया है कि 60-40 का रेश्यो पूरे जिले में आना चाहिए ताकि प्रेक्टिकली पक्के काम हो सकें। व्यक्तिगत रूप से आप जानते होंगे कि इस योजना के अन्दर कुछ न कुछ त्रुटि है मगर राज्य सरकार ने इस बार इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिये क्योंकि केन्द्र सरकार के इस तरह के निर्देश हैं इनका पालन नहीं करेंगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा, इस 60-40 को डिस्ट्रिक्ट लेबल पर मेन्टेन करें ताकि इरिगेशन का काम हो । उसमें मेटीरियल कम्पोनेंट जरा कम लगता है तो सारे कार्यों में मिलकर के रेश्यो बढ़ाया जाए । अध्यक्ष महोदय, कुछ जिलों में मैंने इस तरह की बैठकें ली । जिस जिले से मैं आता हूं उसमें ली है और हमने हमारे स्तर पर तय किया है जिले में कि हमको इस तरह का रेश्यो मेंटेन करना है । हमने विशिष्ट योजना सगठन के माननीय मन्त्री जी और अधिकारियों से भी विचार-विमर्श किया है । इस सम्बन्ध में हमको जहां-जहां प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही हैं इनमें क्या सुधार करना चाहिए उनके भी निर्देश जारी करवायें कि क्या-क्या गांवों के अन्दर दिक्कतें आ रही हैं और यह जितनी भी रेगूलर चल रही हैं, बीच-बीच में हम इनको असेस कर रहे हैं इनमें सुधार कैसे किया जाए, सुधार हो सकता है तो और यदि सुधार लायक नहीं है तो केन्द्र सरकार को किन सुझावों के साथ वापस भेजा जाए । लेकिन प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय, मुझे इतना कम समय हुआ है कि इतने कम समय में पूरे विभाग को समझना, उसमें सारे ही सुधार एकदम कर देना, जो 45 साल से आप नहीं कर पाये, वह सम्भव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर हैण्ड पम्प की भी बात उठायी गयी । यह सही है, मैं इसको स्वीकार करता हूं । हैण्डपम्प में अब तक नीति चली आ रही थी कि माइनर खराबी होगी तो पंचायत समिति का मिस्त्री ठीक करेगा और मेजर खराबी होगी तो पी. एच. ई. डी. विभाग ठीक करेगा । अब प्रेक्टिकली देखा गया है कि गांवों में हैण्ड-पम्प ठीक नहीं हुआ, शिकायत हुई । पंचायत समिति वालों को शिकायत हुई तो वह कह देते हैं कि मेजर खराबी है पी.एच.ई.डी. वालों के पास जाओ । पी. एच. ई. डी. वालों से कहते हैं तो वह कहते हैं कि इसमें तो माइनर खराबी है, आप पंचायत समिति वालों के पास जाओ । यह इस तरह की प्रेक्टिकल डिफिकल्टी है । सरकार इस पर विचार कर रही है कि इसका क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसको पंचायत समिति

(श्री नाथूसिंह)

में रखा जाए या पी. एच. ई. डी. में रखा जाए। लेकिन इस बार गरमियां आ रही हैं, अभी पिछले दिनों राज्य सरकार ने निर्णय किया था कि एक बार तो पी एच. ई.डी. डिपार्टमेंट एक अभियान चलाकर इन सारे हैण्ड पम्पस् को ठीक कराये। तो इस तरह का अभियान चल रहा है।

जहां तक मिस्त्रीज की बात है, यह जो मिस्त्री हैं इनको केवल एक साल में एक हैण्ड पम्प ठीक करने का दो सौ रुपया दिया जाता है जो कम है, मैं भी इसे स्वीकार करता हूं। कई माननीय सदस्यों ने भी यह बात उठायी। यह बिलकुल निश्चित है कि यह बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, हमने 1994-95 में इस 200 रुपये को बढ़ाकर 400 रुपये प्रति हैण्ड पम्प करने का विचार किया है।

श्री परसराम मदेरणा : कर दिया ?

श्री नाथूसिंह : हां कर दिया। आपको डाउट है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : डाउट तो इसलिए कि प्रावधान रख दिया क्या ?

श्री नाथूसिंह : हां, रख दिया। आपको हमेशा डाउट क्यों हो रहा है ? शायद आप चालीस साल में भी नहीं कर पाये और मुझे चार महीने भी नहीं हुए, मैं कैसे कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी, आगे चलिये।

श्रीमती कमला : मिस्त्रियों के पैसे बढ़ाने से कुछ नहीं होगा।

श्री नाथूसिंह : तो आप चाहते हैं कि नहीं बढ़ायें।

श्रीमती कमला : मिस्त्रियों को पैसे देने के बाद भी वह गांव वालों से ही पैसे लेकर काम करेंगे और उस पैसे का उपयोग नहीं करते हैं इसलिए पंचायत को दीजिये आप बजाय मिस्त्री के।

श्री अध्यक्ष : माननीय कमला जी, उनको समाप्त करने दीजिए। फिर पूछ लेना आप। आप समाप्त करिये जल्दी।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक दो मुद्दे और उठाकर मैं समाप्त कर रहा हूं। एक मुद्दा और उठाया गया, विकास विभाग की अपनी खुद की सेवाएं होनी चाहिए। यह, दूसरा, कहते हैं कि उधारे अधिकारियों के आधार पर विभाग चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में विकास सेवा के नियम बना दिये गये हैं। कार्मिक विभाग से अनुमोदन कर दिया गया है और शीघ्र ही इस सम्बन्ध में सरकार विचार करने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एक सुझाव और आया कि जो विशिष्ट योजना संगठन है और यह ग्रामीण विकास विभाग है इन दोनों को अलग-अलग वह पैसा देते हैं, एक्जीक्यूशन हम करते हैं, प्रपोजल्स हम भेजते हैं इनमें तालमेल का कहां अभाव रहता है, सबकी राय है कि एक हो। इस सम्बन्ध में पहले अधिकारियों के लेवल पर एक कमेटी बनी, उस कमेटी की भी सिफारिशें आ गयीं कि एक होना चाहिए। मंत्री स्तर पर भी बातचीत हुई और मैंने कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मन्त्रीजी को अनु-

(श्री नाथूसिंह)

रोध किया और माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा भी है कि इस पर कोई सीरियल विचार करके कि यह प्रेक्टिकल कैसे क्या किया जा सकता है, अध्यक्ष महोदय, सीरियसली सरकार इस बात पर विचार कर रही है।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री जी की इच्छा से आपको क्या आभास मिला ?

श्री नाथूसिंह : यह हमारा आन्तरिक मामला है, आपको क्यों बताऊं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इसी विभाग के अन्तर्गत एक इन्दिरा गांधी विकास संस्थान एक संस्था है जिसमें हम जन-प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं जिसमें सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा-सा एक मिनट उस पर भी निवेदन करना चाहूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : उस पर तो आप फालतू ही कर रहे हो क्योंकि जन-प्रतिनिधि तो हैं नहीं। इलेक्शन होने दो ट्रेनिंग तो बाद की बात है। माइन्ड बहुत फर्टाइल है और यह गेलेपिंग स्पीड से चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह कछुए की चाल से नहीं चलें, जिस स्पीड से जा रहे हैं इनको उसी गेलेपिंग स्पीड से जाना चाहिए। ट्रेनिंग अभी जन-प्रतिनिधि चुनने तो दो। अभी तो इलेक्शन होगा उसके बाद ट्रेनिंग देना। आपके जो विकास अधिकारी हैं इनका प्रशिक्षण दे दीजिये। जन-प्रतिनिधियों वाला तो अपन सब जानते हैं कि ट्रेनिंग अपने को अब तो और तरह से देनी पड़ेगी क्योंकि नये-नये लोगों का रिजर्वेशन कर दिया गया है। ट्रेनिंग का तो बहुत बड़ा प्रोग्राम आपको हाथ में लेना पड़ेगा।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, अन्त में जैसा प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने कहा कि इसी सत्र में हम पंचायत राज संस्थान का बिल पास करने जा रहे हैं उसके अनुसार 6 महीने के अन्दर-अन्दर पंचायतों के चुनाव कराये जाएगे और इस चुनाव होने के बाद के तुरन्त बाद प्रशिक्षण शुरू हो इसकी तैयारियां अभी से करनी पड़ेंगी, अभी से प्रपोजल्स बनाने पड़ेंगे, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी वह तैयारी मैं अभी से कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इस के आधार पर ज्योंही यह पंचायत एक्ट पास होगा इसके बाद हमने एक प्रोग्राम और हाथ में लिया है। हम जन जागरण अभियान गांवों के अन्दर चलायेंगे इस पंचायत एक्ट की जानकारियां और हमारा एक तीन सूत्री कार्यक्रम जो गांवों में चल रहा है उन सारे कार्यक्रमों की बैठ गांव तक जाकर के गांव वालों को जानकारी दी जाएगी कि कितनी विकास की योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ कैसे उठाया जाए और पंचायत एक्ट के क्या प्रावधान हैं जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण है, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षण है, बैकवर्ड क्लासेज के लिए व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, इन विकास के कामों की और एक्ट की सारी जानकारी यह जनता को देने के लिए हम गांवों में एक जन जागरण अभियान चलायेंगे और उस अभियान के माध्यम से जनता को जागरूक बनाकर राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

(श्री नाथूसिंह)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने शांतिपूर्वक मेरी बात सुनी और विशेष रूप से प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में प्रेरित किया। मुझे विश्वास है कि आपके अनुभव का लाभ हमको आगे भी मिलता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जनजाति समिति में आपके आदेश से हम गये थे, पंचायत समिति टोडाभीम के अन्दर हमारी पूरी कमेटी गयी। वहां जा करके यह इतना बड़ा घोटाला मिला था, लिस्टों को बदल दिया गया, तमाम जो भी कार्य हुए थे उनमें सब में घोटाले मिले, मौके पर कुएं नहीं मिले बने हुए। यह सारी बातें मैंने मंत्री महोदय को निवेदन भी कर दी हैं। आप उस घोटाले की जांच करायें, मेहरबानी करके, जिसने भी घोटाला किया है उसको दण्डित करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि 242 सरपंचों का अभी चार्ज बाकी है। गवर्नमेंट के लेटेस्ट जो नियम हैं उसमें सरपंच के पास अब कोई चार्ज नहीं है। चार्ज होता है सैकेटरी के पास और कई जगह ऐसे मामले आ रहे हैं। मन्त्री के पास कोई चार्ज नहीं है, जिला प्रमुख के पास कोई चार्ज नहीं है, प्रधान के पास कोई चार्ज नहीं है उसी के अनुरूप अब यह भी तय कर दिया गया है कि चार्ज जितने भी हों यह सब सैकेटरी के पास रहेगा। फिर यह 242 आपके पास आ कहां से गये?

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री महोदय ने कहा कि वह केवल अप्रेल से और जून महीने तक ही हैण्डपम्प के रख-रखाव और सुधार का कार्य करेंगे। मेरा पूछना यह है पंचायत राज मंत्री जी से कि जुलाई से लेकर और अगली बार तक रख-रखाव का कौनसा एक विभाग कार्य करेगा? आज सरकार यह बताने में सक्षम है क्या?

श्री अध्यक्ष : श्री दयाराम परमार।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कई पंचायत समितियों में शिक्षा प्रसार अधिकारियों के पद खाली हैं, आप उन पदों को कब तक भर देंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो आठ हजार अध्यापक आप ले रहे हैं इनमें जो बी.एड. अध्यापक से ओवर ऐज होने जा रहे हैं

(श्री मोहनलाल मोदी)

उनके बारे में भी आप कोई विचार करेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि जो स्कूल पहले बन्द कर दिये गये थे और वहां पर भवन बन गये, बच्चे पढ़ रहे थे अब जैसा कि मंत्रीजी ने घोषणा की है कि नये स्कूल वापस खोलेंगे तो नये पूरे करोगे या उन स्कूलों को प्राथमिक आधार पर आप लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमलाजी।

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, एक ही सुझाव देना चाह रही हूं, पूछ नहीं रही, कि अभी जो अपन जन जागरण अभियान चला रहे हैं उसके साथ अगर महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ. बी.सी. के लोगों की जो आने वाले समय में सरपंच, प्रधान और प्रमुख बनने वाले हैं, प्रोस्पेक्टिव मैम्बर्स एण्ड ऑफिस बियरस की एक प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग या रिफ्रेशर्स कोर्स या इस तरह की कुछ व्यवस्थायें अपन सरकार की तरफ से कर सकते हैं तो पंचायत समिति लेवल पर करें या दो तीन सर्किल बना दें पंचायत समिति के, तो आने वाले वक्त में वह अपने कार्यभार को सम्पादित करने में अधिक सक्षम हो सकेंगे और अच्छे कैण्डीडेट उभर कर आ सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज गुलोटिन लग रहा है और आठ डिमाण्ड्स ली गयी है हाउस में। आठों डिमाण्ड्स में जिस भी मंत्री ने जवाब दिया हरेक ने यह कहा कि हमने मुख्य मंत्रीजी का विश्वास प्राप्त कर लिया है, हमने मुख्य मंत्रीजी से बात कर ली है, हमने मुख्य मंत्री जी के यहां जा करके....

श्री अध्यक्ष : मैंने नहीं सुना।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो इनका कोई महकमा है या सारे महकमें मुख्य मंत्रीजी के पास ही हैं और जो कुछ है वह एक ही हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात तो साफ है कि खेतसिंहजी का तो किसी भी मुख्य-मंत्री में विश्वास रहा ही नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो खुद इण्डिपेंडेंट अपने महकमें को हैसियत से रखता था। इस तरह से नहीं, मैं मुख्य मंत्रीजी...., मैं मुख्य मत्रीजी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य होली के मूड में आ रहे हैं तो जवाब वैसा ही देऊं या कमर हिलाकर घूमूं।

श्री अध्यक्ष : स्वाभाविक ही है। माननीय मदेरणा साहब।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, नयी प्राथमिक शालायें जो खोली जा रही हैं उसमें जनसंख्या रखी है, 250। जहां तक एक ग्राम पूरा 250 का है और अभी तक वहां नहीं खुली हैं तो

(श्री परसराम मदेरणा)

निश्चित तौर पर सैंसस डिपार्टमेंट से इनके पास में आबादी का आंकड़ा मिल जाएगा। लेकिन जनजाति क्षेत्र में या बड़े गांव हैं उनके अन्दर ढाणियों में 250 की आबादी का या मरुस्थल क्षेत्र में और जनजाति क्षेत्र में 150 की आबादी का यह सैंसस कैसे करेंगे। पूरे जो गांव में आये हुए लोग जो बिखरे हुए हैं तो वह 150 का और 250 का जो सैंसस आप करने जा रहे हैं वह किस प्रकार से करेंगे, आपका आधार क्या होगा उस सेन्सस में।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार का मामला बताया आप मुझे कागज दे दें मैं उसकी जांच करवा कर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्यवाही करूंगा।

हैण्डपम्प्स के मामले में आपने बताया, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि यह केवल पी.एच.ई.डी. केवल गर्मियों तक चूंकि इस समय बहुत अर्जेन्सी है एक अभियान चला करके हैण्डपम्प्स ठीक कर रही है। आगे सरकार विचार कर रही है कि परमानेन्ट नीति इस मामले में सरकार की क्या होगी। उससे पहले यह तय कर लिया जाएगा।

इसी तरह से जैसे आपने एस.सी., एस.टी., ओ. बी. सी. और महिलाओं के लिये कहा, जन जागरण अभियान जब चलायेंगे तो उसमें सबको बुलायेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी को नहीं बुलायें।

श्री अध्यक्ष : उन पर विशेष ध्यान देने की बात है।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जो एक सवाल उठाया है, सेन्सस में आलरेडी जो गांव है रेवेन्यू रिकार्ड के हिसाब से उनकी आबादी इसमें दर्शायी गयी हैं। तो जो जनजाति और मरुस्थल क्षेत्र है उनमें तो डेढ़ सौ की आबादी है और बाकी जगह ढाई सौ की आबादी है। मैं समझता हूं कि पहली बार इतने ज्यादा विद्यालय हम खोल रहे हैं और यह सेफिशियेन्ट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि शिक्षा की उसमें कोई दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष : वह तो भवन का कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप डेढ़ सौ में स्कूल खोलने जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं जनसंख्या है पांच सौ। आप डेढ़ सौ में जो स्कूल खोलने जा रहे हैं उसमें उस गांव के अन्दर उन ढाणियों का आप सेन्सस कैसे करेंगे?

श्री नाथूसिंह : वह तो राजस्व विभाग के रिकार्ड में है।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्राब्लम और आएगी। माननीय मंत्रीजी, कुछ रेवेन्यू विलेजेज छोटे हैं और ढाणियां बड़ी हैं, मजरे बड़े हैं वहां पर आप गांव में खोलोगे तो वैसे प्राब्लम होगी।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त। मुख्य मंत्री जी क्लेरीफिकेशन देंगे।

सूचना

झालावाड़ महोत्सव में रात्रिभोज में मोर के मांस का वितरण

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह+++ हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने+++बिना सूचना के आरोप लगाया कि उन्होंने झालावाड़ फेस्टीवल के समय गेस्ट को मोर का मांस सर्व किया और उन्होंने यहां तक कहा कि इसका मीनू में उल्लेख आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो कहूंगा कि समाचार पत्र के आधार पर चर्चा उठायी उसमें केवल इतना सा लिखा है—Jhalrapatan, Jhalawar March, 23.

'A gathering of about 30 invitees, over a dinner party, at a popular picnic spot near here wondered whether they would be served peacock meat, as mentioned in the menu. The host did not disappoint them."

इसमें न तो झालावाड़ फेस्टीवल का उल्लेख है, न+++का उल्लेख है लेकिन यह कहा गया कि मीनू में इस प्रकार की बात लिखी हुई है। मैंने अभी कलक्टर से सारे मीनू की फोटो कापी फैक्स पर मंगवाई है। सदन का कोई भी माननीय सदस्य देख ले, इसमें पीकाक मीट का कोई उल्लेख नहीं है। मैं इस समय इतना ही कहना चाहूंगा कि आरोप बिल्कुल निराधार है, आरोप बिल्कुल असत्य है और इस प्रकार के आरोप लगाने से सदन की प्रतिष्ठा गिरती है। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डौली) : मैं क्लेरीफिकेशन तो····

श्री अध्यक्ष : क्लेरीफिकेशन वह दे रहे हैं। आप तो बोल चुके। आप क्यों बोलेंगे।

श्री शांति कुमार धारीवाल : एक्सप्लेनेशन तो दूंगा, साहब।....

श्री अध्यक्ष : आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैंने जो कुछ बात कही है उसके बारे में कम से कम मेरा एक्सप्लेनेशन तो दूंगा, जो मैंने किसी के खिलाफ आरोप लगाये हैं। मेरे आरोप क्या थे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। ऐसा है, माननीय सदस्य, आपने एक बात कही और उस समय आपको जितना कहना था उस बारे में उसमें आपने पूरा समय लिया। इसमें थोड़ी-सी डिबेट भी हुई, जवाब उत्तर भी हुए। अब सवाल यह है कि जो प्रश्न आपने खड़ा किया है उसमें सत्यता क्या है? यह मुख्य मंत्रीजी ने वहां से.... (व्यवधान) पहले सुन तो लीजिये। Please hear me. आपने जो कहा वह सारा रिकार्ड में आ गया है। मुख्य मंत्रीजी ने वह सारी स्थिति वहां की फैक्स पर मंगवा कर आपके सामने रख दी है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरा यही तो आरोप है। मैंने कौनसी तारीख के मीनू

+++ नाम अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

के लिये अर्ज किया था, आपने जो मीनू की कापी मंगवाई है वह कौनसी तारीख की है ? अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये आप । मेरी स्थिति असमंजस में डाली गयी है । मैं अपनी बात को साफ-साफ कहना चाहता हूं कि मैंने यह कहा था कि वहां पर झाल वाड़ में जो महोत्सव मनाया जा रहा है उसको + + + आर्गेनाइज कर रही हैं । मैंने कहीं पर यह नहीं कहा था । आप प्रोसिडिंग्स मंगवा कर देख लीजिये । यह उनके द्वारा आयोजित किया गया था ।

श्री अध्यक्ष : वह देख लूंगा मैं । आप फिर वही बात कर रहे हैं ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैंने सरकार से यह मांग की थी कि सरकार यह मालूम करे ।

श्री अध्यक्ष : फिर आप यही बात कर रहे हैं ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह जो मीनू यहां पर बताया जा रहा है, तीन डिनर हुए हैं, लगातार तीन डिनर हुए हैं, तीन डिनर में कौनसी तारीख का........

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह दूं, ब्रेक फास्ट मीनू मेरे पास है ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कौनसी तारीख का है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 18 का है, 19 का है....(व्यवधान) अभी बता देता हूं आपको कौनसा है । 18 का भी है, 18 को सुबह शाम जो भी भोजन दिया गया है उसका मीनू है 19 तारीख का भी है और 20 तारीख का भी है ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह 18, 19 और 20 तारीख का मेरा आरोप नहीं है । मेरा स्पष्ट आरोप था कि 23 तारीख....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरी तो सुनिये आप । मेरे आरोप को सुनिये आप । मेरा स्पष्ट आरोप था कि....A gathering of about 30 invitees, over a dinner party.....

श्री अध्यक्ष : वह तो आपने पढ़ कर सुना दिया । Again you are repeating.

श्री शांति कुमार धारीवाल : और यह डिनर पार्टी....

श्री अध्यक्ष : Already this has come on record.

मुख्य मंत्रीजी ने पढ़ कर सुना दिया है । बिराजिये अब आप ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह पिकनिक प्लेस के डिनर की बात है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज ।

+ + + नाम अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह उसके डिनर की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप मेरा निवेदन सुनिये।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप ट्विस्ट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप प्लीज, सुन तो लीजिए। मैंने आपको अवसर दिया था और अवसर देते समय यह स्पष्ट कहा था कि आप कोई ऐसी बात नहीं कहें जो वैल फाउण्डेड नहीं है या जिससे आप डिबेड इन्वाइट कराओगे। आपने मुझे यह आश्वासन दिया था कि नहीं, मैं तो फेस्टीवल के बारे में बोलूंगा।

श्री शांति कुमार धारीवाल : जी साहब, यह फेस्टीवल।

श्री अध्यक्ष : सुनिये आप, प्लीज। आपकी चिट मेरे पास पड़ी हुई है जिसमें कहीं आपने मोर के मांस की चर्चा नहीं की है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह जरूरी नहीं है कि मैं जीरो आॅवर में आपको पूरी बात लिख कर दूं।

श्री अध्यक्ष : You must inform me on what subject you are going to speak. सुनिये, आप बैठ जाइये न, मैं बोल रहा हूं प्लीज सिट डाउन, कुछ तो मैनर्स रखिये।

श्री शांति कुमार धारीवाल : बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : जब मैंने आपसे स्पष्ट कहा था कि आप किस विषय पर बोलेंगे, आपको पता है कि मैं बिना विषय लिखे किसी को अलाउ नहीं करता, आप किस सब्जेक्ट पर बोलेंगे, मुझे मालूम तो पड़े। तो आपने उसमें क्लियर लिखा है कि मैं, यह आपकी चिट मेरे पास पड़ी हुई है, झालावाड़ फेस्टीवल के बारे में बोलना चाहता हूं, यह लिखा है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : जी हां।

श्री अध्यक्ष : इसमें कहीं आपने मोर के मांस के सर्व करने की बात नहीं लिखी। सुन लीजिए अब आप। तो पहली बात तो यह है कि यह बात आपको बोलनी नहीं चाहिए। खैर, आपने बोल दी, कोई बात नहीं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : जीरो आवर को आपने अलाउ नहीं किया था?

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिए, आपने बोल दी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने.... ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आज जीरो आवर आपने अलाउ नहीं किया था?

श्री अध्यक्ष : आपने अखबारों के आधार पर बोल दी, बोलने के बाद मुख्य मंत्रीजी ने पूरे तथ्य वहां से मंगा लिये। अब तो उसमें कोई झगड़ा नहीं रहा। अब आप उसको क्यों इन्सिस्ट कर रहे हैं? आपने जो बात कही उसका क्लेरीफिकेशन आ गया और मैं समझता हूं, अब आप....

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं जिस

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

पार्टी की बात कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, वह वह चीज है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : अब आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उस पार्टी की कर रहे हैं, यह झालावाड़ महोत्सव की बात है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह महोत्सव की बात अलग है। जिस पिकनिक पार्टी की मैं बात कर रहा हूं....।

श्री अध्यक्ष : अलग नहीं है, आपने लिख कर दिया है। You have given me in writing.

श्री शांति कुमार धारीवाल : वह जीरो आवर की चीज है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हां, तो जीरो आवर....।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आज आपने जीरो आवर अलाउ नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : झालावाड़ महोत्सव के बाबत....।

श्री शांति कुमार धारीवाल : जीरो आवर आपने अलाउ नहीं किया और यह दूसरा मामला था।

श्री अध्यक्ष : Whenever you speak without any subject, that is a zero hour. और इसलिए मैंने आपको कहा था कि चर्चा शुरू होने के पहले काल अटेन्शन होने के बाद बीच के समय में आपको बोलने की इजाजत होगी, that is the zero hour, और आप अकेले नहीं बोले हैं, देयर आर फोर मैम्बर्स कि मैंने जिनको अलाउ किया है। मैंने कहा, आज इस समय आपको 12 बजे मैं नहीं बोलने दूंगा। जब चर्चा शुरू होगी, काल अटेन्शन समाप्त हो जाएगा उसके बीच में आप चारों को मैं अलाउ कर दूंगा and I allowed them. That is the zero hour. और जीरो ऑवर भी कोई फिक्स्ड होता है क्या ? जिस समय कोई विषय नहीं हो, बिजनेस नहीं हो और उस समय आप कोई सवाल उठाते हैं तो that is the zero hour. तो वह तो हो गया। अब जीरो ऑवर पर इस तरह से शब्दों पर मत जाइये। तो आपने साफ तौर से झालावाड़ महोत्सव के बाबत लिखा है इसलिए जिस घटना को आप पढ़ कर बता रहे हैं definitaly it should relate to the Jhalawar Mahotasva. अनरवारज इसकी कोई रेलवेन्स नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : झालावाड़ एण्ड झालरापाटन.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : हां-हां, तो इसकी कोई रेलेवेन्स नहीं है आपने जो मेरे से इजाजत ली उसमें और इसमें। लेकिन सवाल यह है कि बात तो समाप्त हो गयी, क्लेरीफिकेशन हो गया। अब इसमें बहस की जरूरत नहीं है। फिर आप खड़े हो गये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्लेरीफिकेशन नहीं, अध्यक्ष महोदय, में इसके बाबत जो मीनू छपा है उसके कागज सदन में पेश कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अच्छा + + + के बारे में जो भी आरोप है सब एक्सपंज करता हूं

+ + + नाम अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

में, देख लूंगा यदि आरोप लगाया है I will expunge all of them देख कर के, और मेहरबानी कर के भविष्य में कृपया यह ध्यान रखें कि हाउस में जीरो आवर में इस तरह के प्रश्न नहीं उठायें जिसकी या तो आपने पूरी जानकारी नहीं की ....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सर, जानकारी पूरी है, वही मैं अर्ज कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : जानकारी है तो मीनू रखो, यहां पर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जिस पिकनिक पार्टी में यह मीनू.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : असल में आपकी जानकारी.... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + ++ कर रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसके कागज पेश करने को तैयार हूं।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री अध्यक्ष : प्लीज-प्लीज....(व्यवधान) अब आपकी जानकारी की बात है, प्लीज।

श्री नाथूसिंह : सर, ऑन ए पाइण्ट ऑफ आर्डर....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मीनू रखो (व्यवधान) ज्यादा जानकारी है तो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं कागज पेश करने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज।

श्री नाथूसिंह : सर, आन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : छोड़िये अब आप।

श्री नाथूसिंह : सर, आन ए पाइण्ड आफ आर्डर।

मांग संख्या-41 का पारण

श्री अध्यक्ष : नहीं अब कोई पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है। (व्यवधान)

प्लीज-प्लीज, सिट डाउन। (व्यवधान)

मांगों पर चर्चा समाप्त हुई और अब मैं मुखबंद का प्रयोग कर आज की मांग सहित बाकी मांगों का पारण करने का प्रश्न ले रहा हूं।

प्रश्न यह कि मांग संख्या-41, सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 47,46,54,000/- (सैंतालीस करोड़ छियालीस लाख चौव्वन हजार मात्र) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

मुखबन्द

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या–1

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-1 राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,59,94,000/- (चार करोड़ उनसठ लाख चौरनवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-2 मन्त्री परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,18,75,000/- (दो करोड़ अठारह लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या- 3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-3 सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,85, 51,000/- (तेईस करोड़ पिचायसी लाख इक्यावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-4 जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 90 95,04,000/- (नब्बे करोड़ पिच्यानवे लाख चार हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-5

प्रश्न यह कि मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,46,94,000/- (सोलह करोड़ छियालिस लाख चौरानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-6

प्रश्न यह कि मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995

(श्री अध्यक्ष)

को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,41,86,000/- (सैंतीस करोड़ इकतालीस लाख छियासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 55,24,94,000/- (पचपन करोड़ चौबीस लाख चौरानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-8

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-8, राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 76,69,65,000/– (छिहत्तर करोड़ उनहत्तर लाख पैंसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-9

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-9, वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 86,38,63,000 /– (छियासी करोड़ अड़तीस लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-10

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-10 विविध सामान्य सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23,72,000 /- (तेईस लाख बहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-11

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-11 विविध सामाजिक सेवाएँ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महो-

(श्री अध्यक्ष)

दय को रुपये 9,45,56,000 /- (नौ करोड़ पैंतालीस लाख छप्पन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-13 आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 67,49,52,000 /- (सड़सठ करोड़ उनचास लाख बावन हजार) तक की राशि. जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-14, बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,15,39,000/– (इक्कीस करोड़ पन्द्रह लाख उनतालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-15, पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,73,58,31,000 /– (दो अरब तिहत्तर करोड़ अट्ठावन लाख इक्कीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-17

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-17, कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,01,07,000 /– (चौदह करोड़ एक लाख सात हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-18

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-18, जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,47,81,000 /– (पांच करोड़ सैंतालीस लाख इक्यासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ।

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-19, लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,99,54,96,000/- (एक अरब निन्यानवे करोड़ चौव्वन लाख छियानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-20

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,24 19,000/- (सैंतीस करोड चौबीस लाख उन्नीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-21

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-21, सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,99,87,54,000/- (दो अरब निन्यानवे करोड़ सत्यासी लाख चौव्वन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-22, क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,41,21,35,000/- (एक अरब इक्तालीस करोड़ इक्कीस लाख पैंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-23

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-23, श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29,68,39,000/- (उनतीस करोड़ अड़सठ लाख उनतालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

माांग संख्या-25

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-25, कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,21,48,000/- (बीस करोड़ इक्कीस लाख अड़तालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-28

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-28, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,20,08,30,000 /- (एक अरब बीस करोड़ आठ लाख तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-29

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,65,30,000 /- (बत्तीस करोड़ पैंसठ लाख तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-30

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-30, जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,03,36,79,000 /- (दो अरब तीन करोड़ छत्तीस लाख उन्यासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-31

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-31, पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,23,000/- (सोलह लाख तेईस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-32

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-32, नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,51,56,000/- (नौ करोड़ इक्यावन लाख छप्पन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-33

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-33, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,57,76,11,000/- (एक अरब सत्तावन करोड़ छिहत्तर लाख ग्यारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-35, विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,72,84,85,000/- (एक अरब बहत्तर करोड़ चौरासी लाख पिचयासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-36

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-36, सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 87,55,97,000/- (सत्यासी करोड़ पचपन लाख सत्यानवें हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-37

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-37, कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,20,12,38,000/- (दो अरब बीस करोड़ बारह लाख अड़तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-38

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-38, लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,01,14,87,000/- (एक अरब एक करोड़ चौदह लाख सत्यासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-39

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-39, पशु-पालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 64,90,06,000/- (चौसठ करोड़ नब्बे लाख छः हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-40

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-40, राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,30,74,000/- (दो करोड़ तीस लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-42

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-42, उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,08, 40,65,000/- (एक अरब आठ करोड़ चालीस लाख पैंसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-44, लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,66,08,000/- (सतरह करोड़ छियासठ लाख आठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-47

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-47, पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,81,52,000/- (तेरह करोड़ इक्यासी लाख बावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-48, विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,67,60,90,000/- (चार अरब सड़सठ करोड़ साठ लाख नब्बे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-49

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-49, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशक के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,80,39,000/- (चौदह करोड़ अस्सी लाख उनतालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-50

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-50, ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,21,18,03,000/-- (दो अरब इक्कीस करोड़ अठारह लाख तीन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

विधायी कार्य

माननीय मुख्य मंत्रीजी विनियोग बिल पुरःस्थापित करेंगे ।

विधेयक का पुरःस्थापन
राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक 1994

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 1994 को

(श्री अध्यक्ष)

पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मैं, राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मैं आज होली की पूर्व संध्या पर अपनी ओर से बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं ।

अनेक माननीय सदस्य : आपको भी । आपको भी ।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.51 बजे मंगलवार, 29 मार्च, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 593 की सूची

31-3-93 को जिलेवार कृषि कनेक्शनों के लम्बित प्रार्थना पत्रों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	लम्बित प्रार्थना पत्र
1.	अजमेर	3824
2.	अलवर	21735
3.	बांसवाड़ा	777
4.	बारां	6267
5.	बाड़मेर	5408
6.	भरतपुर	3909
7.	भीलवाड़ा	9214
8.	बीकानेर	754
9.	बून्दी	4590
10.	चित्तौड़गढ़	18143
11.	चुरू	2139
12.	दौसा	10560
13.	धौलपुर	442
14.	डूंगरपुर	1655
15.	जयपुर	27150
16.	जैसलमेर	259
17.	जालौर	10009
18.	झालावाड़	10728
19.	झुन्झुनू	9738
20.	जोधपुर	10895
21.	कोटा	5787
22.	नागौर	15986
23.	पाली	6385
24.	राजसमन्द	3056
25.	सवाईमाधोपुर	8128
26.	सीकर	13251
27.	सिरोही	2876
28.	श्रीगंगानगर	3457
29.	टोंक	2239
30.	उदयपुर	5939
		2,25,300

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 595 की सूचियां

जयपुर जिले में पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समितियों की सूची

1. जयपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. जयपुर
2. सांभर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. सांभर
3. चौमू क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. चौमू
4. चाकसू क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. चाकसू
5. सांगानेर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. सांगानेर
6. शाहपुरा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. शाहपुरा
7. कोटपूतली क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. कोटपूतली
8. अचरोल क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. अचरोल
9. जयपुर फल सब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. जयपुर

जयपुर जिले की क्रय विक्रय सहकारी समितियों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत दर्ज मामलों की तालिका

क्र. सं.	क्रय विक्रय सहकारी समिति	आरोपित पदाधिकारियों कर्मचारियों की संख्या	परिवादों की संख्या	राशि जिसके गबन/दुरुपयोग के लिये मामले दर्ज है
1.	कोटपूतली क्रय विक्रय सहकारी समिति	9	3	238511.46
2.	चौमू क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	20	7	540350.10
3.	चाकसू क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	16	7	742961.12
4.	अचरोल क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	9	3	338187.32
5.	जयपुर क्रय विक्रय सरकारी समिति लि.	4	1	188965.95
6.	जयपुर फल सब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति	6	2	100879.92
7.	सांगानेर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	1	1	19647.00
8.	सांभर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	4	2	74174.30
	योग :—	69	26	2242676.81

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 596 की सूची

मैरिट नं.	अभ्यर्थी का नाम	विशिष्ठता	मेडिकल कालेज
अनुसूचित जाति के प्रत्याशी			
25–I	डा. सुरेश चन्द	गायनी	जयपुर
45–II	डा. सत्यनारायण वर्मा	सर्जरी	जयपुर
59–III	डा. सत्यपाल	मेडीसिन	उदयपुर
66–IV	डा. हनुमान सिंह	पी. एण्ड एस. एम.	जयपुर
66–V	डा. थानसिंह जाटव	एनेस्थीसिया	अजमेर
84–VI	डा. ओमप्रकाश महेन्द्रा	एनेस्थीसिया	जोधपुर
88–VII	डा. रोशन लाल घानक	एनेस्थीसिया	जयपुर
92–VIII	डा. राम कुमार घोटार	डिप्लोमा इन फोरेन्सिक मेडी.	जयपुर
100–IX	डा. दयाल राम नारोलिया	डी. ए.	जयपुर
108–X	डा. आनन्द स्वरूप सिंह	एनेस्थीसिया	जोधपुर
124–XI	डा. पुरण आजाद	डी. एन.	उदयपुर
132–XII	डा. गिरधारी लाज मोरिया	डी.पी.एच.	जयपुर
138–XIII	डा. प्रतापसिंह यादव	डी.ए.	उदयपुर
अनुसूचित जनजाति के प्रत्याक्षी			
38–I	डा. मदन लाल मीणा	आप्थोमोलोजी	जोधपुर
52–II	डा. मेडीराम मीणा	गायनाकोलोजी	जोधपुर
101–III	डा. बुधराम मीणा	मेडीसिन	अजमेर
103–IV	डा. रामेश्वर प्रसाद	सर्जरी	उदयपुर
114–V	डा. हन्सराज मीणा	डी.एफ.एम.	जयपुर
120–VI	डा. रामगोपाल मीणा	डी.ए.	जयपुर
137–VII	डा. ठन्डीराम मीणा	डी.एफ.एम.	जयपुर

(189)

परिशिष्ट-4

तारांकित प्रश्न संख्या 600 की सूची

तहसील का नाम :– हिन्डौली

क्र. सं.	कोड नं.	ग्राम का नाम	जनसंख्या कुल	जनसंख्या जनजाति
1.	54	गुरजन्या	164	164
2.	70	नेव	601	474

तहसील का नाम–नैनवा

क्र. सं.	कोड नं.	ग्राम का नाम	कुल	जनजाति
1.	73	काशीपुरा	153	152
2.	128	हीरापुरा	150	132
3.	130	बूड करवर	223	193
4.	152	मीनो की झोपड़िया	344	223
5.	75	माणी	735	487

तहसील का नाम–बून्दी

क्र. सं.	कोड नं.	ग्राम का नाम	कुल	जनजाति
1.	45	भंवरदा	369	283
2.	57	लालपुरा	632	395
3.	58	वापडा	597	326
4.	125	सावंलपुरा	251	143
5.	164	मरता बावड़ी	572	351
6.	165	गागोस	623	380
7.	212	रघूनाथपुरा	440	283
8.	176	दुराड़	420	216

तहसील का नाम-केशोरायपाटन

क्र. सं.	कोड नं.	ग्राम का नाम	कुल	जनजाति
1.	3	गोपाल पुरा	316	182
2.	90	पटोल्या	469	352
3.	92	ईशर नगर	976	568
4.	97	खेड़ली	262	190
5.	98	बालीथा	621	324
6.	103	जाखरून	129	113
7.	104	नोताडा	393	256
8.	114	रंगराजपुरा	362	273
9.	131	गरजनी	538	432
10.	141	कोटडी	581	304
11	159	बालोट	634	423
12.	99	जगनाथा	114	58

परिशिष्ट-5

तारांकित प्रश्न संख्या 603 की सूची

आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत व्याख्याताओं की सूची

1. चित्रकला	8	20. भूगर्भ शास्त्र	1
2. अर्थशास्त्र	12	21. गणित शास्त्र	24
3. अंग्रेजी	51	22. भौतिक शास्त्र	10
4. भूगोलशास्त्र	30	23. प्राणीशास्त्र	54
5. हिन्दी	43	24. ए. बी. एस. टी.	1
6. इतिहास	8	25. ई. ए. एफ. एम.	1
7. गृहविज्ञान	13	26. विधि	4
8. संगीत (कण्ठ)	7	27. वस्त्र की रंगाई एवं छपाई	1
9. संगीत (वाद्य)	2	28. कम्पूटर साईन्स	2
10. राजनीति शास्त्र	30	29. कृषि (ऐग्रोनोमी)	1
11. लोक प्रशासन	5	30. ,, (ए. एच. एण्ड डी. एस.)	1
12. दर्शन शास्त्र	7	31. ,, (अर्थशास्त्र)	2
13. मनोविज्ञान	5	32. ,, शिक्षा विस्तार)	2
14. फारसी	1	33. ,, (हार्टिकल्चर)	2
15. संस्कृत	28	34. ,, (पी. बी. जी.)	1
16. समाज शास्त्र	18	35. ,, (सोईल साइन्स)	1
17. उर्दू	11		
18. वनस्पति शास्त्र	61	कुल योग-	535
19. रसायनशास्त्र	87		

(191)

परिशिष्ट–6

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

करमीसर बीकानेर के काश्तकारों की बेदखली प्रकरण

605. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम करमीसर बीकानेर में संवत 2012 के पूर्व के कितने काश्तकार हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इन काश्तकारों को जिला प्रशासन द्वारा मास्टर प्लान के बहाने बेदखल किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो उनके नाम के राजस्व रेकार्ड में कब तक इन्द्राज करवा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) ग्राम करमीसर तहसील बीकानेर में संवत 2012 के पूर्व के 202 काश्तकार है जिसकी सूची परिशिष्ठ "क" सदन के पटल पर रखदी गई है ।

(2) इन काश्तकारों को मास्टर प्लान के बहाने बेदखल नहीं किया गया है । ग्राम करमीसर जो कि पूर्व में उपनिवेशन में आ गया था अब परियोजना क्षेत्र से बाहर किया जा चुका है तथा संवत 2012 के इन काश्तकारों को उपनिवेशन में जाने की पूर्व की स्थिति गैरखातेदार दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची बिस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्कालय में रखी गयी)

प्रतापगढ़ (चितौडगढ़) का चीनी उत्पादक सहकारी उद्योग

606. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ कस्बे में सहकारी क्षेत्र का चीनी उत्पादक उद्योग स्थापित किया गया था एवं साढ़े दस बीघा जमीन इस उद्योग को 99 वर्ष की लीज पर दी गई थी ?

(2) यदि हाँ, तो इस कारखाने एवं लीज पर दी गई भूमि पर प्रारम्भ से अब तक किस-किस का आधिपत्य एवं कारखानें तथा मशीनरी व भवन की वर्तमान स्थिति क्या हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । परन्तु लीज पर दी गई भूमि का क्षेत्रफल 9 बीघा 7 बिस्वा है ।

(2) लीज पर दी गई भूमि व कारखाने पर 20-4-76 तक समिति का आधिपत्य बना रहा है । 21-4-76 को सशर्त बिक्री पत्र के जरिये भूमि, भवन व मशीनरी मैसर्स प्रतापगढ़ इण्डस्ट्रीज के पार्टनर मोहन लाल गर्ग पुत्र श्री प्रेमसुख गर्ग को हस्तान्तरित कर दी गई है जो उनके कब्जे में हैं।

जिला उपखण्डों पर चिकित्सालय

607. **श्री मदनमोहन** (खैरथल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जिला उपखण्ड पर 50 बैड का अस्पताल खोलने का इस वर्ष में प्रावधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जावेगा ?

उत्तर

जी हाँ, वर्ष, 1994-95 में 9 जिला उपखण्डों पर स्थित 30 रोगी शैयायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उपादेयता के आधार पर, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत 50 रोगी शैयायुक्त चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किये जाने का प्रस्ताव है ।

शेष 18 जिला उपखण्डों पर स्थित 30 रोगी शैयायुक्त सामदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों 50 रोगी शैयायुक्त चिकित्सालयों में आगामी दो वर्षों में क्रमोनत कर दिया जावेगा ।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के अकाल ग्रस्त ग्रामों में राहत कार्य

608. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में इस वर्ष कितने गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये हैं तथा उन गांवों में अकाल राहत योजना के तहत क्या-क्या कार्य चालू किये गये हैं ?

(2) क्या ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुरा-बेरीबान्ध में अकाल राहत कार्य शुरू किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अकाल ग्रसित उक्त ग्राम पंचायत में अब कोई राहत कार्य चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार पहले अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो गांव बेरीबांध में विद्यालय भवन के अपूर्ण कार्य को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र (तहसील कोटपूतली) के कुल 137 गांवों में से 119 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इन गांवों में स्वीकृत राहत कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–"क)" ।

(2) जी हां। इस ग्राम पंचायत में प्राथमिक शाला बेरी की चार दीवारी (एक हजार फीट) के निर्माण के लिये 66500/- रुपये का राहत कार्य स्वीकृत किया गया है।

(3) जी हां। विकास अधिकारी, कोटपूतली की रिपोर्ट के अनुसार गांव बेरीबांध में विद्यालय भवन अपूर्ण नहीं है। प्राथमिक शाला की चार दीवारी का निर्माण कार्य राहत कार्य में स्वीकृत किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

रायपुर क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालयों पर वार्षिक व्यय

609. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या आयुर्वेद औषधालयों की पृथक्-पृथक् श्रेणियां है ? यदि हां, तो उनके मानदण्ड क्या है ?

(2) क्या सराड़ा रायपुर क्षेत्र में भी आयुर्वेद औषधालय है ? यदि हां, तो कुल कितने व किस-किस श्रेणी के ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन औषधालयों पर वार्षिक कितना व्यय होता है, जिसमें वेतन तथा औषधियों पर कितना-कितना ? दोनों का क्या अनुपात है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या गंगापुर (भीलवाड़ा) आयुर्वेद औषधालय को क्रमोन्नत करने का राज्य सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(5) नये औषधालयों के खोलने के क्या मानदण्ड है ?

उत्तर

(1) जी हां। श्रेणी निर्धारण हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

(2) जी हां। भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में 3 "अ" श्रेणी के 20 एवं "बी" श्रेणी के कुल 23 आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत/संचालित हैं, इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(3) इन औषधालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर वर्ष 1993-94 में किये गये व्यय, औषध सप्लाई वर्ष 1992-93 तथा दोनों के अनुपात का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) फिलहाल गंगापुर (भीलवाड़ा) के आयुर्वेद औषधालय को क्रमोन्नत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण आगामी वित्तीय वर्ष 1994-95 में किसी भी औषधालय को क्रमोन्नत करना प्रस्तावित नहीं है।

(5) नवीन औषधालय खोलने हेतु राज्य सरकार की ओर से कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं, किन्तु स्थानों का चयन करते समय निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा जाता है—

1–बजट प्रावधान उपलब्ध होना।

2–अन्य राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होना।

3–नि:शुल्क भवन व्यवस्था का उपलब्ध होना।

4–औषधालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त होना।

5–नवीन खुलने वाले औषधालय से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या लगभग 2000 होना।

सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में संचालित राजकीय आयुर्वेद औषधालयों पर वेतन एवं औषधियों पर हुए व्यय तथा अनुपात का विवरण

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	औषधालय	श्रेणी	पं. स./ तहसील	वेतन भत्तों पर व्यय 1993-94	औषधियों पर व्यय 1992-93	अनुपात
1.	कोट	'ब'	रायपुर	119860	1254	96:1
2.	देवरिया	,,	,,	129700	1254	103:1
3.	नाहरी	,,	,,	49270	1254	39:1
4.	पालरा	,,	,,	97760	2280	43:1
5.	नान्दश	,,	,,	82760	1254	66:1
6.	सगरेव	,,	,,	119860	2280	53:1
7.	बोराणा	'अ'	,,	129700	1351	96:1
8.	झड़ोल	,,	,,	85500	1029	83:1
9.	खांखला	'ब'	सहाड़ा	120550	3238	37:1
10.	लाखोला	,,	,,	122710	3015	41:1
11.	सरगांव	,,	,,	105940	3240	33:1
12.	माझावास	,,	,,	118990	1254	95:1
13.	ढ़ोसर	,,	,,	150350	3777	40:1
14.	उल्लाई	,,	,,	115600	3015	38:1
15.	चीड़खेड़ा	,,	,,	117850	3240	36:1
16.	अरनिया	,,	,,	119700	3240	37:1
17.	शिवरती	,,	,,	78650	3240	24:1
18.	सोनियाना	,,	,,	113990	5277	22:1
19.	कांगणी	,,	,,	111300	3054	36:1
20.	सातलियास	,,	,,	119700	3065	39:1
21.	गंगापुर	,,	,,	132620	11975	11:1
22.	मरक	,,	,,	119700	3240	37:1
23.	पोटला	'अ'	,,	139740	4080	34:1
			योग	2601800	69906	37:1

बायलर्स का पंजीयन व नवीनीकरण

610. **कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में सभी बायलर्स का पंजीकरण समाप्त हो गया था ? यदि नहीं, तो उनका नवीनीकरण कब-कब किया गया ?

(2) पंजीकरण की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् किस-किस निरीक्षक ने बायलर्स का निरीक्षण कब-कब किया ? यदि विलम्ब से निरीक्षण किया, तो उसके क्या कारण थे तथा दोषी निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, बायलर्स अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत पंजीकृत बायलर्स का पंजीकरण समाप्त नहीं होता है, केवल संचालन प्रमाण पत्र की अवधि एक वर्ष पश्चात् समाप्त हो जाती है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर निरीक्षण पश्चात् अधिकतम एक वर्ष के लिए नवीन संचालन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। पिछले तीन वर्षों का नवीनीकरण का विवरण संलग्न है।

(2) पंजीकरण स्थाई होता है। बायलर मालिक द्वारा संचालन प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने से पूर्व पुनः प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है। प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर निरीक्षण के पश्चात् अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए संचालन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। निरीक्षकों के द्वारा किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा मय विलम्ब के कारणों के संलग्न सूची में दे दिया गया है। इस विषय में किसी भी निरीक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

अनिवासी भारतीय/विदेशी निवेशक द्वारा उद्योगों में निवेश के प्रस्ताव

611. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य में किसी अनिवासी भारतीय/विदेशी निवेशक द्वारा किसी बड़ी योजना में निवेश करने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो किसका व किस योजना में ?

(2) सरकार राज्य में बड़े उद्योगों हेतु निवेशकों को आकर्षित करने हेतु क्या-क्या कदम उठा रही है ? ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 2 अनिवासी भारतीयों एवं 5 विदेशी निवेशकों द्वारा बड़ी परियोजनाओं में निवेश करने के प्रस्ताव है, जिनके विवरण की सूची परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) बड़े उद्योगों हेतु निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का विवरण विवरण परिशिष्ट 'स' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राजस्थान में अनिवासी भारतीयों एवं विदेशी निवेशकों के सहयोग से प्रस्तावित परियोजनाएं

क्र. सं	परियोजना का नाम व स्थान	उत्पाद	लागत	विदेशी कोलेबोरेटर
	अनिवासी भारतीयों के प्रस्ताव			
1.	जानकी फोम इण्डिया प्रा. लि., जयपुर	रबराइज्डकोयर मैट्स	194·25 (रु. लाख में)	—
2.	मैंसल लैबोटेक्स प्रा. लि., भिवाड़ी	वूवन लेबल	252·00 ,,	—
	विदेशी निवेशकों के प्रस्ताव :			
1.	सिप्का (इण्डिया) लि., भिवाड़ी	सेक्यूरिटी प्रिंटिंग ई.	34·00 (रु. करोड़ में)	सिप्का, एस. ए.
2.	राठी ग्राफिक टेक्नोलॉजी, भिवाड़ी	टोनर्स एण्ड डवलपर्स	14·30 ,,	रवेन इण्डस्ट्रीज
3.	सोमानी स्विस इण्डस्ट्रीज लि., कुशेखेरा	पालियस्टर फिलामेंट यार्न	403·00 ,,	ई. एम. एस. इन्वेंटा
4.	वितम ब्रीवरीज लि., भिवाड़ी	बीयर	21·37 ,,	हेनिगर
5.	ग्वालियर पोलीपाईप्स लि., कोटा	ड्रिपइरीगेशन सिस्टम	12·00 ,,	सोडा, कनाड़ा

(उद्योगमन्त्री)

1. राज्य में बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु निवेशकों को आकर्षित करने के लिये रीको एवं औद्योगिक संवर्धन ब्यूरो द्वारा अन्य राज्यों में एवं प्रदेश के बड़े शहरों में औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर समय-समय पर आयोजित किये जाते हैं। उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु परियोजना चयन करने में मदद, स्थान का चयन, भूमि का अधिग्रहण, तकनीकी जानकारी, स्कोट सर्विसें आदि प्रदान की जाती है। साथ ही उद्योगों में रीको सावधि ऋण एवं अंश पूंजी के माध्यम से भी विनियोजन करता है।

2. समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा देश एवं विदेश से औद्योगिक विनियोजन करने हेतु विभिन्न कदम उठाये है इस उद्देश्य हेतु "विनियोजन एवं व्यापार" इण्डो-जर्मन चैम्बर ऑफ कामर्स एवं बी.आई.पी. के संयुक्त तत्वाधान में, इण्डो-जापानी इन्वेस्टमेंट, इण्डो ब्रिटिश सेमीनार; पोलीयूरीथेन उद्योगों के विकास आदि के लिए तथा विभिन्न कार्यशालाओं जैसे औद्योगिक परामर्शदात्री की कार्यशाला इत्यादि के विभिन्न सेमीनार आयोजित किये गये हैं।

3. इसी प्रकार राज्य संस्थानों द्वारा भ्रमणशील विदेशी एवं भारतीय औद्योगिक दलों के समक्ष राज्य द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को, विकसित आधारभूत सुविधाओं, विद्यमान संस्थानों एवं राज्य में संभावित उद्योगों आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया जिससे विभिन्न माध्यमों से देश एव विदेश से अधिक से अधिक औद्योगिक विनियोजन को आकर्षित करने हेतु विभिन्न संस्थाओं ने राज्य में उपलब्ध सुविधाओं, सम्भाव्यता विश्लेषण से इनके उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है।

4. राज्य सरकार द्वारा अन्य उठाये गये कदमों से विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों का आयोजत, मुद्रण एवं प्रचार, विडीयो फिल्म एवं कम्पूटर डिसकेट के माध्यम से विनियोजन को आकर्षित करना भी शामिल है। इन प्रयत्नों के फलस्वरुप जुलाई, 1991 से 31 दिसम्बर, 1993 तक 3337·6 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं को राज्य के पक्ष में आकर्षित किया गया है। जिनको राज्य में स्थापित करने हेतु औद्योगिक संवर्धन ब्यूरो सक्रिय रुप से प्रयासरत हैं।

5. औद्योगिक संवर्धन ब्यूरो राज्य में वन स्टाप सर्विस अथवा सिंगल विण्डो के रूप में एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया है जिसके माध्यम से लगभग 110 मध्यम एवं वृहद श्रेणी की इकाईया लाभान्वित की जा चुकी है। इन इकाईयों की विद्युत, प्रदूषण, जमीन तथा अन्य समस्याओं के त्वरित निवारण के माध्यम से लाभान्वित कर राज्य के पक्ष में औद्योगिक वातावरण को और भी अनुकूल बनाया है।

6. राज्य सरकार द्वारा रीको के माध्यम से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड आवंटित किया जाता है जिसमें आधारभूत सुविधायें उपलब्ध होती है।

7. राज्य में नये लगने वाले मध्यम वृहद उद्योगों को स्थाई पूंजी अनुदान का 15% अधिकतम 15 लाख रुपये तक का पूंजी अनुदान दिया जाता है।

(उद्योग मन्त्री)

8. उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए बिक्रीकर प्रोत्साहन एवं आस्थगन(डेफरमेंट) योजना, 1987 तथा 1989 लागू हैं जिसके अन्तर्गत औद्योगिक इकाई बिक्री कर प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।

9. नई बिक्री कर ब्याज मुक्त योजना 1990 लागू की गई है जिसके अन्तर्गत 8 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उद्योग 7 वर्ष तक उनके द्वारा जमा कराये गये बिक्री कर के समान ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के सड़क कार्यों की मजदूरी का मुगतान

612. **श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल में गत 7 माह से विभिन्न सड़कों पर कराये गये कार्यों में मजदूरों का मुगतान अभी तक बकाया है ?

(2) यह कार्य किस मद से कराया गया था व कितने मजदूरों का मुगतान बाकी है व कितना बकाया है ?

(3) सरकार अब उक्त मजदूरों का मुगतान कब तक कर देगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह कार्य मद 8443 डिपाजिट III जवाहर रोजगार योजना द्वितीय 1993 के तहत करवाया गया है इससे 1140 श्रमिकों का रु. 1,92,969·10 मुगतान बाकी है।

(3) मुगतान की व्यवस्था की जा रही है।

मेरूंदा (नागौर) का 132 के. वी. ट्रांसफार्मर

613. **श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 132 के.वी. जी. एस. एस. में मेरूंदा (नागौर) में 20 एम. वी. का एक ही ट्रांसफार्मर कार्यरत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ट्रांसफार्मर पर विद्युत भार अधिक है ? यदि हां, तो सरकार मेरूंदा में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर कब तक रखने का विचार रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, मेरून्दा (नागौर) में एक 16/20 एम. वी. ए., 132/33 के. वी. का ट्रान्सफार्मर कार्यरत है।

(2) वर्तमान में उपरोक्त ट्रान्सफार्मर पर भार क्षमता के अनुकूल ही है तथापि बढ़ते हुये विद्युत भार को दृष्टिगत रखते हुये यहां वर्ष 1994-95 में एक अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर 10/12·5 एम. वी. ए., 132/33 के. वी. की क्षमता का लगाना प्रस्तावित है।

सिकराय क्षेत्र में क्रय-विक्रय सहकारी समिति

614. **श्री महेन्द्र कुमार मीणा** (सिकराय) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारिता मन्त्री द्वारा अकाल राहत शिविर में सिकराय में क्रय विक्रय सहकारी समिति खोलने की घोषणा की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त घोषणा के पश्चात् गांव वालों को सहकारिता मन्त्री ने जुबानी तथा लिखित रूप से भी यह आश्वासन दिया था कि जल्दी ही आश्वासन को पूरा किया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त घोषणा के अनुसार अभी तक भी सिकराय में क्रय विक्रय समिति नहीं खोली गई ?

(4) सरकार ने अब तक क्रय-विक्रय समिति खोलने की क्या कार्यवाही की तथा अब कब तक खोली जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। परन्तु दिनांक 25.9.90 को सिकराय में ऋण राहत मुक्ति पत्र वितरण समारोह में तत्कालीन सहकारिता मन्त्रीजी ने उक्त घोषणा की थी।

(2) तत्कालीन सहकारिता मन्त्रीजी ने अपने पत्र दिनांक 19-6-91 द्वारा सिकराय ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष को सूचित किया था कि आश्वासन पूरा किया जावेगा।

(3) जी हां।

(4) विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार सिकराय में नई क्रय विक्रय समिति में सक्षय इकाई बनने की संभावना फिलहाल मौजूद नहीं होने के कारण नई समिति बनाने का कोई विचार नहीं हैं।

मण्डोर सैटेलाइट चिकित्सालय, जोधपुर के रिक्त पद

615. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मण्डोर सैटेलाइट अस्पताल, जोधपुर में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत है तथा इनमें से कितने पद कितनी अवधि से रिक्त हैं ? पदवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अस्पताल में कौन-कौन से विषयों के विशेषज्ञों की सेवाये उपलब्ध है ? इस अस्पताल के बाह्य रोगियों की दैनिक औसतन संख्या पिछले तीन सालों की क्या रही है ?

(3) उक्त अस्पताल के जे. एस. सर्जरी एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा पिछले एक वर्ष में कितने आपरेशन किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1) मण्डोर स्थित सेटेलाइट अस्पताल, जोधपुर में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत, रिक्त

2००

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पदों की पदवार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मन्डोर सेटेलाइट चिकित्सालय जोधपुर में निम्न विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध है।

1. मेडिसन 2. सर्जरी 3. स्त्रीरोग
4. बालरोग 5. नेत्ररोग 6. ऐनेस्थेटिस्ट

इस अस्पताल के बाह्य रोगियों की दैनिक औसत संख्या तीन वर्षों की निम्न प्रकार से हैं।

वर्ष 1991	201
वर्ष 1992	195
वर्ष 1993	197

(3) मण्डोर सेटेलाईट अस्पताल, जोधपुर में कनिष्ठ विशेषज्ञ सर्जरी एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा पिछले एक वर्ष में किए गए आपरेशनों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

भाग —"एक"

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत पद सं.	रिक्त पद सं.	समय
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	—	—
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	1	3.94 से
3.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी दिनांक 16–10–90 से पद विरुद्ध कार्यरत है।	
4.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु)	1	—	
5.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1	—	
6.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	1	—	
7.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	—	
8.	चिकित्सा अधिकारी	7	1	20–11–93 से
9.	दन्त चिकित्सक	1	—	
10.	नर्सिग अधीक्षिका श्रेणी प्रथम	1	1	26–5–93 से
11.	नर्सिग अधीक्षिका श्रेणी द्वितीय	1	1	3–11–93 से
12.	मेल नर्स श्रेणी प्रथम	3	—	

1	2	3	4	5
13.	मेल नर्स श्रेणी द्वितीय	8	—	
14.	स्टाफ नर्स	10	—	
15.	सिस्टर	2	1	1987 से
16.	रेडियोग्राफर	2	2	8-1-90 व 28-2-92 से
17.	वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन	1	—	
18.	लैब टैक्नीशियन	2	—	
19.	दन्त टैक्नीशियन	1	—	
20.	वरिष्ठ लिपिक	2	—	
21.	कनिष्ठ लिपिक	1	—	
22.	वाहन चालक	1	—	
23.	वार्ड ब्याव	22	—	
24.	स्वीपर	13	—	
25.	धोबी	1	1	1987 से
26.	कुक	1	1	1987 से

भाग–"तीन"

कनिष्ठ विशेषज्ञों सर्जरी द्वारा जनवरी, 93 से दिसम्बर 93 तक किए गए आपरेशनों का विवरण :—

लेपरोटोमी	2
ऐपेन्डिक्स	5
हरनिया	11
यूरीलौजी	1
नसबन्दी	50
अन्य	18
कुल	87

कनिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री रोग द्वारा जनवरी, 93 से दिसम्बर 93 तक किए गए आपरेशनों का विवरण :—

नसबन्दी	115
अन्य	2
सामान्य सर्जरी	18
कुल	135

अभावग्रस्त क्षेत्रों के स्वीकृत कार्यों पर श्रमिक

616. **श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) :** क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के किन-किन अभावग्रस्त जिलों में किन-किन तहसील में कितने-कितने श्रमिक अकाल राहत कार्यों पर लगाने की स्वीकृति 28-2-1994 तक दी जा चुकी है ? उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितनों पर कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य के बांरा, भरतपुर, झालावाड़, कोटा एवं सीकर जिलों को छोड़कर शेष 25 जिलों के 22,586 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। जिला कलेक्टरों द्वारा उनके जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों में दिनांक 28-2-94 तक स्वीकृत किये गये कार्य, स्वीकृत श्रमिक संख्या तथा चालू कार्यों का जिलेवार व तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(परिशिष्ट–"क")

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आयुर्वेदिक औषधालय, चापानेरी (अजमेर) के वैद्य का प्रकरण

617. **श्री शम्भूदयाल बडगुर्जर (केकड़ी) :** क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेदिक औषधालय, चापानेरी, (अजमेर) के वैद्य कब से कार्यरत है ?

(2) क्या उक्त वैद्य के खिलाफ प्राप्त शिकायत के कारण उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है ?

(3) क्या उक्त वैद्य आज तक भी वहीं कार्यरत है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेद औषधालय, चांपानेरी (अजमेर) में आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर श्री राजेन्द्र प्रसाद दिनांक 30-9-84 से कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं।

(3) आयुर्वेद चिकित्सक श्री राजेन्द्र प्रसाद न्यायालय स्टे के कारण चांपानेरी औषधालय में ही कार्यरत हैं।

विकास कार्यों हेतु पंचायत में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी

618. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) :** क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों में प्रशासक नियुक्त कर रखें हैं ?

(2) अब कब तक सरकार पंचायतों के चुनाव कराने का विचार रखती है ?

(3) माननीय राज्यपाल के गत भाषण में दिये आश्वासन के अनुरूप जब तक

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

चुनाव हो तब तक जन प्रतिनिधियों को पंचायत के विकास कार्यों में जोड़ने हेतु क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नया पंचायती राज विधेयक इसी विधान सभा सत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त अधिनियम लागू होने के बाद शीघ्र ही पंचायतों के चुनाव कराये जाएंगे।

(3) यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में रेशम के कीड़े पालने का व्यवसाय

619. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में रेशम के कीड़े पालने एवं रेशम तैयार कराने का कार्यक्रम चलता है? यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में कुल कितने काश्तकारों ने कहां-कहां पर कार्यक्रम अपनाया ?

(2) क्या इस कार्यक्रम से काश्तकारों को कोई लाभ हुआ ? यदि हां, तो काश्तकारों के नाम मय पता और पैदा किये गये रेशम की मात्रा, बेचने से हुई आय एवं खर्च सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में रेशम के कीड़े पालने एवं रेशम तैयार कराने का कार्यक्रम चल रहा है। पिछले दो वर्षों में कितने कृषकों ने कहां-कहां कार्यक्रम अपनाया उनका विवरण परिशिष्ट–1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि इस कार्यक्रम से आदिवासी कृषकों को काफी लाभ हुआ है। गत दो वर्षों में जिन कृषकों ने रेशम कीट पालन कार्य कर रेशम ककून उत्पादित किये हैं उनके नाम व पता तथा उन्हें बेचने से आय-व्यय का विवरण परिशिष्ट–3 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डार्क जोन क्षेत्रों में नलकूप

620. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रान्त के "डार्क जोन" घोषित क्षेत्र में नलकूप नहीं बनाने से ग्रामीण जनता और किसानों को हो रही कठिनाइयों से राहत देने की सरकार की क्या योजना है ?

(2) अजमेर जिले में कौन-कौन से क्षेत्र "डार्क जोन" घोषित किये गये हैं और उनके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) विश्व बैंक की सहायता से कृषि

(भू-जल मंत्री)

विकास कार्यक्रम हाथ में लिया गया है जिसके अन्तर्गत कृत्रिम पुनर्भरण की सम्भावना का अध्ययन किया जावेगा। यदि अध्ययन से सफलता की सम्भावनाएं नजर आई तो कृत्रिम पुनर्भरण कार्यक्रम हाथ में लिया जावेगा।

(2) अजमेर जिले की पंचायत समिति जवाजा के पोटेशियल जोन "एस. सी." (180.06 वर्ग कि.मी.) केकड़ी के जोन 'ए' (91,8700 वर्ग कि.मी.), पीसांगन के जोन "एस. सी." (53.69 वर्ग कि. मी.) एवं श्रीनगर के पोटेशियल जोन "एस. सी." (262.69 वर्ग कि.मी.) को डार्क जोन में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि वहां भू-जल विकास का स्तर 85% से अधिक है।

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के पंचायत मुख्यालयों हेतु सम्पर्क सड़क

621. **श्री दुली चन्द (दानपुर)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दानपुर विधान सभा क्षेत्र, जिला बांसवाड़ा में कुल कितनी पंचायतें हैं तथा ऐसे कितने ग्राम हैं जिनका पंचायत मुख्यालय से सड़क सम्पर्क नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रामों को अब कब तक सरकार पंचायत मुख्यालय से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) दानपुर विधान सभा क्षेत्र, जिला बांसवाड़ा में कुल 80 पंचायतें हैं। इन पंचायतों में 227 ग्राम हैं जिनका सड़क सम्पर्क पंचायत मुख्यालय से नहीं है। (सूची संलग्न)

(2) वर्तमान में स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत—8 गांवों को जोड़ने हेतु सड़क निर्माण किया जा रहा है। शेष गांवों को जोड़ना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी).

पंचायत समिति सांचोर के ग्रामों का विद्युतीकरण

622. **श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर)**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(1) सांचोर पंचायत समिति में कुल कितने राजस्व गांव हैं जिनका विद्युतीकरण किया जा चुका है और शेष कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है ?

(2) क्या यह सही है कि सांचोर पंचायत समिति में करीब 50 ऐसे गांव हैं जहां विद्युतीकरण कागजों में तो किया जा चुका है परन्तु मौके पर एक भी विद्युत कनेक्शन ना तो उपभोक्ताओं को दिया गया है और ना ही वहां पर ट्रांसफारमर रखे गए हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिन गांवों का विद्युतीकरण किया हुआ है वहां पर एक भी उपभोक्ता को कनेक्शन नहीं दिया

(श्री हीरालाल विश्नोई)

गया है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखे। अब कब तक उन गांवों में उपभोक्ताओं को कनेक्शन दे दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) सांचोर पंचायत समिति में 119 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है व शेष 42 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है।

(2) जी हां। पंचायत समिति में विद्युतीकृत गांवों में से 21 गांवों में कोई भी कनेक्शन नहीं दिया जा सका है।

(3) 21 गांवों में विद्युतीकरण होने के बावजूद भी एक भी कनेक्शन उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया, जिसकी सूची प्रपत्र "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है। इन गांवों में उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिये जाने की प्रतिक्रिया लक्ष्यों एवं प्राथमिकता के अनुसार की जा रही हैं।

सांचोर पंचायत समिति के उन ग्रामों की सूची जो विद्युतीकृत होने के बावजूद जिनमें एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया :—

क्र. स.	गांव का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम
1,	चरमीम	12.	नलदरा
2.	इसरोल	13.	सांगरवा
3.	काचेला	14.	हिण्डावरी
4.	अचलपुर	15.	गुराहेमा
5.	दादूसान	16.	दावल
6.	डाबल	17.	देनावास
7.	नागोलारी	18.	ईटाड़ा
8.	दांतिया	19.	वाम्ल
9.	सूताना	20.	रामपुरा
10.	वंक	21.	गलीफा
11.	मुआना		

ग्राम कासेड़ा (नांवा) का भूमि प्रकरण

623. **श्री रामेश्वर लाल चौधरी** (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कासेड़ा तहसील नावां में ख. नं. 83; 291/88 के खातेदार भवरू, कानाराम, हनमान पुत्र श्री अणदा जाट सा. कासेड़ा बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक 1/3, हिस्से के खातेदार थे ?

(श्री रामेश्वर लाल चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि म्युटेशन सं. 76 पटवारी हल्का ने बिना कोई जांच किये ही तहसीलदार, नावां ने हनुमान के मौत हो जाने से मंवरू, काना पिता अणदा व छोटड़ी बेवा अणदा के नाम स्वीकृत कर दिया जबकि छोटड़ी बेबा अणदा नहीं होकर छोटड़ी पत्नी लादूराम है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त नामान्तरण से भूमि में हिस्सा के मंवरू, 4/9, काना व छोटू डी 1/9, का बनता है लेकिन फर्जी रजिस्ट्री से नामान्तर नं. 79 में मवरू पिता अणदा का 1/3 हिस्सा रखकर 2/3 का नामान्तरण अवैध रूप से राजवीरसिह पुत्र श्री जसराम सिंह के नाम कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रजिस्ट्री व नामान्तरण को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं, ग्राम कासेड़ा न होकर ग्राम मोहनपुरा तहसील नावां के ख. नं. 83,291/88 के खातेदार मंवरू, कानाराम, हनुमान पुत्र श्री अणदाराम जाट साकिन कासेड़ा शामलाती 1/3 हिस्से के खातेदार दर्ज थे।

(2) जी नहीं। नामान्तरकरण सं. 76 हनुमान के ला औलाद फोत हो जाने पर उसके वारिसान की जांच तहसीलदार, नावां द्वारा की जाकर हनुमान की मां छोटुड़ी बेवा अणदाराम के नाम तस्दीक किया। वर्तमान में छोटुड़ी सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार मृतक अणदा के भाई लादुराम की पत्नी है।

(3) जी नहीं, मवरू पुत्र अणदा का 1/3 हिस्सा बरकरार है, शेष दो खातेदार काना पुत्र अणदा व छोटूडी बेबा अणदा व अपना हिस्सा जरिए रजिस्ट्री से श्री राजवीर सिंह पुत्र जसराम सिंह के हक में विक्रय-पत्र किया है, जिसका नामान्तरकरण नियमानुसार राजवीरसिंह के हक में स्वीकृत किया गया है।

दी उदयपुर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक उदयपुर द्वारा जीपों का क्रय

624. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दी उदयपुर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, उदयपुर के प्रबन्ध निदेशक ने 1992-93 एवं 1993-94 में कब-कब कितनी जीप क्रय की ? जीप्स किस कम्पनी व मेक की क्रय की व कितनी राशि की ?

(2) क्या उक्त जीप बोर्ड के आदेश से क्रय की गयी ? यदि हां, बोर्ड के प्रस्ताव क्या-क्या थे और उनकी पालना कहां तक हुई ? यदि पालना नहीं हुई, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) दी उदयपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक द्वारा वर्ष 92-93 एवं 93-94 में क्रमशः एक-एक जीप क्रय की है। जीप क्रय करने की तिथि, मेक एवं राशि सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में लिये गये बोर्ड निर्णय एवं पालना की स्थिति का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

क्र. सं.	वर्ष	कितनी जीपें क्रय की गई	क्रय करने का दिनांक	कम्पनी का नाम	जीप का मैक	खरीद मूल्य
1.	1992-93	1	15-2-93	डीजल जीप महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा	मॉडल सीम्रो 500 डीम्राई/ 4 डब्ल्यूडी/ एसटी/91	2,51,669.00
2.	1993-94	1	1-5-93	,,	मॉडल सीजे 500 डीआई/4 डब्ल्यूडी/ एसटी/91/ डब्ल्यूबी	2,28,359.00

208

क्र सं.	पारित प्रस्ताव का नं. एवं दिनांक	संक्षिप्त विवरण	अनुपालना स्थिति
1	2	3	4
1.	8(5) 30-4-90	निर्णय लिया गया कि जीप नं. 7898 एवं एक अन्य जीप जो खराब हालत में है एवं 4 मोटर साईकिलों को नीलाम कर नई जीप क्रय करने की स्वीकृति थी।	जीप संख्या 7898 एवं चार मोटर साईकल नीलाम कर दी गई है तथा नई जीप क्रय की गई है।
2.	22(3) 27-4-93	निर्णय लिया गया कि जीप नं. 2196 को नीलाम अथवा विक्रय कर इसके बदले में एक डीजल जीप क्रय कर ली जावे।	डीजल जीप संख्या आर. एस. जे. 2196 नीलामी की कार्यवाही दि. 18-1-94 को की गई थी, किन्तु अधिकतम बोली कम होने के कारण बोली नहीं छोड़ी गयी, जिसे पुनः मार्च, 1994 में बेचना प्रस्तावित है। वाहन मेले में बिक्री कर की छूट को ध्यान में रखते हुए नई जीप दि. 1-5-93 को उदयपुर वाहन मेले में क्रय की गई।

अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में चिकित्सकों का पदस्थापन

625. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में कनिष्ठ विशेषज्ञ चर्मरोग, रति रोग, मनोवैज्ञानिक रोग इत्यादि पदों पर चिकित्सकों को लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या अमृतकौर चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो क्या इसे लगा दी गई है ? यदि नहीं, तो इसे कब तक लगा दिया जावेगा ?

(3) अमृतकौर चिकित्सालय में किस-किस विशेषज्ञों के पद कब से रिक्त है ? क्या सरकार इन पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। निर्धारित योग्यता धारक पात्र चिकित्सकों को विभागीय समिति द्वारा चयन करने के उपरान्त इन रिक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा, जिसके संबंध में प्रक्रिया जारी है।

(2) जी हां। अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर हेतु एक सोनोग्राफी मशीन वर्ष 1993-94 में स्वीकृत की गई है जिसे क्रय करने की प्रक्रिया जारी है, जिसे क्रय करने के पश्चात् उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा।

(3) अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में निम्नलिखित विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं :–

क्र. सं.	नाम पद	पद रिक्त होने की तिथि
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1-5-92
2.	वरिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलाजी)	23-11-92
3.	वरिष्ठ विशेषज्ञ (क्षय)	7-8-91
4.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (एनेस्थिशिया)	18-3-90
5.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त) 7	18-9-91
6.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (चर्मरोग)	4-8-86
7.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मनोविज्ञान)	2-5-92

निर्धारित योग्यता धारक पात्र चिकित्सकों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन करने के उपरान्त इन रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा, जिसके संबंध में प्रक्रिया जारी है।

नागौर एवं जोधपुर के प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद

626. **श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)** : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

नागौर एवं जोधपुर जिले में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पंचायत समितिवार कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं एवं कितने पद

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

कब-कब से रिक्त चल रहे हैं ? रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जोधपुर एवं नागौर जिले की राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पंचायत समितिवार स्वीकृत, कार्यरत, अध्यापक एवं कितने पद कब-कब से रिक्त हैं, की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । उक्त रिक्त पदों को शीघ्र ही भर दिया जावेगा । नियुक्ति आदेश जारी हो रहे हैं । चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है ।

क्र. सं.	कब से रिक्त है	सामान्य मद	श्यामपट्ट	योग
1.	अप्रेल, 93	42	137	179
2.	मई, 93	42	137	179
3.	जून, 93	71	137	208
4.	जुलाई, 93	81	146	227
5.	अगस्त, 93	85	151	236
6.	सितम्बर, 93	64	172	236
7.	अक्टूबर, 93	65	173	238
8.	नवम्बर, 93	64	173	237
9.	दिसम्बर, 93	85	178	263
10.	जनवरी, 94	104	180	284
11.	फरवरी, 94	104	180	284

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद		
				श्यामपट्ट योजना	सामान्य	कुल रिक्त
1.	नागौर	385	233	71	81	152
2.	मुण्डवा	277	181	59	37	96
3.	मेड़ता	239	188	43	8	51
4.	रियाबड़ी	256	211	45	—	45
5.	डेगाना	344	235	88	21	109
6.	कमराना	249	232	—	17	17
7.	परबतसर	279	212	47	20	67
8.	कुचामन	403	327	50	26	76
9.	लाडनू	223	205	—	18	18
10.	जायल	328	242	60	26	86
	योग :	3355	2629	463	263	726

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	सामान्य मद			श्यामपट्ट योजना			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	मण्डोर	190	176	14	34	34	—	224	210	14
2.	लूणी	288	288	—	—	—	—	288	288	—
3.	बिनाड़ा	226	226	—	—	—	—	226	226	—
4.	ओसियां	449	440	09	—	—	—	449	440	09
5.	भोपालगढ़	204	184	20	55	22	33	259	206	53
6.	फलोदी	209	207	02	62	18	44	271	225	46
7.	बाप	140	128	12	52	10	42	192	138	64
8.	बालेसर	153	136	17	67	40	27	220	176	44
9.	शेरगढ़	180	150	30	43	09	34	223	159	64
	योग :	2039	1965	104	313	133	180	2352	2068	284

"कोर" बजट के अन्तर्गत व्यय

627. **श्री फूलचन्द** (सलूम्बर) : क्या जनजाति विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में कोर बजट का प्रावधान हैं ?

(2) यदि हां, तो इस बजट की राशि का उपयोग किसके द्वारा किन-किन मदों पर किया जाता है ? पिछले तीन वर्षों में कोर बजट में क्या प्रावधान थे तथा उनका व्यय किस-किस कार्य पर किया गया ? सूचना संदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में कोर बजट का प्रावधान है ।

(2) इस बजट राशि का उपयोग आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किया जाता है । कोर बजट की राशि का उपयोग जनजाति व्यक्तियों की हितकारी योजनाओं की क्रियान्विति हेतु विभिन्न मदों पर किया जाता है । पिछले तीन वर्षों में कोर बजट से विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों पर किये गये व्यय की सूचना परिशिष्ट "1" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

परिशिष्ट–7

तारांकित प्रश्न संख्या 591 का विवरण

राज्य सरकार के प्रयासों से दी जयपुर उद्योग लिमिटेड (सीमेन्ट फैक्ट्री) सवाई माधोपुर के पुर्नचालन हेतु निजी क्षेत्र की कम्पनी मेसर्स गैनन डंकरले एण्ड कम्पनी लि. द्वारा ठोस सुझाव/प्रस्ताव बी. आई. एफ. आर. को प्रस्तुत किये गये। उक्त प्रस्तावों का परीक्षण कर राज्य सरकार से अपेक्षित वित्तीय त्याग/सुविधायें/रियायतें देने के संबंध में बी. आई. एफ. आर. एवं ओपरेटिंग ऐजेन्सी को दिनांक 5-9-90 को सरकार की सहमति प्रेषित की गई।

बी. आई. एफ. आर. द्वारा संशोधित पुर्नचालन पैकेज पर विचार कर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25-3-92 को और अधिक वित्तीय त्याग/सुविधाओं पर सहमति भिजवाई गई जिन बिन्दुओं पर राज्य सरकार की ओर से वित्तीय त्याग/सुविधाओं/रियायतें प्रदान करने की सहमति दी गई उनमें मुख्यतः निम्नांकित है :—

1. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की बकाया 13·83 करोड़ रुपये का अपलेखन/समायोजन।

2. 75 लाख रुपये के अधिमान्य हिस्सों (प्रिफरेन्स शेयर्स) का 90% तक अपलेखन।

3. कम्पनी की आवश्यकता से अधिक भूमि के बेचान हेतु सहमति।

बिक्री कर, माईनिंग रायल्टी एवं कम्पनी द्वारा देय राशियों की भुगतान से छूट (लगभग 23 करोड़ रु.)

5. लगभग 2 करोड़ रु. की पूर्व देयता राशियों की वसूली का आगामी वर्षों में भुगतान हेतु आस्थगन।

6. भविष्य की देयता के सम्बन्ध में बिक्री कर में 50% तक की छूट, ब्याज मुक्त बिक्री कर ऋण 5 वर्षों के लिए, माइनिंग रायल्टी/सैस का आस्थागं डिबेन्चर का निष्क्रयण करने की अवधि में आगे 15 वर्ष की वृद्धि की स्वीकृति, वर्तमान माइनिंग लीज की नवीनीकरण तथा पाली, चम्बल खनन क्षेत्र के लिए उचित लम्बी अवधि हेतु खनन पट्टे की स्वीकृति तथा 2 वर्ष तक बिजली की कटौती से मुक्ति आदि।

बी. आई. एफ. आर. द्वारा सभी सम्बन्धित पक्षों के प्रस्ताव पर विचार कर पुर्नचालन पैकेज दिनांक 21-4-92 को अनुमोदित किया गया एवं 20-7-92 को आंशिक संशोधन किया गया। स्वीकृत पैकेज के अनुसार मैसर्स गैनन डंकरले एण्ड कम्पनी लि. को अपने हिस्से की राशि रुपये 8 करोड़ दिया जाना निश्चय हुआ।

बी. आई. एफ. आर. द्वारा 20-10-93 को पैकेज की क्रियान्विती के सम्बन्ध में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई और नये प्रवर्तकों को यह आदेश दिये गये कि वे अप्रैल, 1992 में अनुमोदित किये गये पैकेज का तुरन्त क्रियान्विति करने हेतु उचित कार्यवाही करें एवं तीन सप्ताह के अन्दर 3 करोड़ 3 लाख 50 हजार रुपये स्टेट बैंक आफ इण्डिया, दिल्ली में "नो

लियनों खाते" में जमा करावें। शेष राशि के भुगतान के लिए उन्हें 31 दिसम्बर तक का समय दिया गया।

लेकिन कम्पनी द्वारा अपने नाम से टाइम डिपोजिट खाते में उक्त राशि जमा कराई गई जो बी. आई. एफ. आर. के निर्देशों के विपरीत था। अतः बी. आई. एफ. आर. द्वारा पुनः एक समीक्षा बैठक दिनांक 17-2-94 को आयोजित की गई। जिसमें कम्पनी को उक्त राशि स्टेट बैंक आफ इण्डिया, दिल्ली के "नौ लियन खाते" में 48 घण्टे में जमा कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही संचालक मण्डल की बैठक के आयोजन, नये प्रवर्तक के प्रतिनिधि संचालक मण्डल में नियुक्त करने एवं नये प्रवर्तक द्वारा शेष राशि जमा कराने के बारे में भी निर्देश दिये गये।

अग्रिम कार्यवाही बी. आई. एफ. आर. के विचाराधीन है।

216

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 894 का विवरण

	मंत्रीगणों का नाम	टेलीफोन नं (का.)	निवास	दिनांक	कुल राशि	कुल राशि का योग
1.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	380462		1-2-94	16426·00	
		380651		1-2-94	10896·00	
		380312		1-2-94	11403·00	
			382487	1-2-94	18378·00	
			381212	1-2-94	24186·00	81317·00
2.	श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी	380418		1-2-94	26294·00	26294·00
3.	श्री गंगाराम चौधरी	380516		1-2-94	7858·00	
			365478	1-2-94	16704·00	24562·00
4.	श्री देवी सिंह भाटी	381598		1-2-94	40591·00	
			381038	1-2-94	26600.00	67191·00
5.	श्री सुजान सिंह यादव	380780		1-2-94	773·00	
		380781		1-2-94	8661·00	9434·00
	राज्य मंत्रीगण					
6.	श्री जसवन्त सिंह विश्नोई	380568		1-2-94	5570·00	
		2391 (पी.बी. एक्स)		1-2-94	485·00	
			383705	1-2-94	5667·00	11722·00
7.	श्री श्रीकिशन सोनगरा	380191		1-2-94	4431·00	
			383704	1-2-94	2894·00	7325·00

	मन्त्रीगणों के नाम	टेलीफोन नं. (का.)	निवास (टे. नं.)	दिनांक	कुल राशि	कुल राशि का योग
8.	श्री नन्दलाल मीणा	380819		1-2-94	10706.00	18980.00
		2312 (पी.बी.एक्स)		1-2-94	425.00	
			381241	1-2-94	7849·00	
9.	श्रीमती नरेन्द्र कंवर	380622		1-2-94	4690·00	4690·00
10.	डा0 राम प्रताप	380589		1-2-94	8947·00	
		2280 (पी.बी.एक्स)		1-1-94	225·00	
			382562	1-2-94	525·00	9667·00
11.	श्री अनंगकुमार जैन	380672		1-2-94	8884·00	8884·00
12.	श्री मदन दिलावर	380681		1-2-94	11977 00	
		2295 (पी. बी. एक्स)		1-2-94	285·00	12262·00
13.	श्री अचलराम मेघवाल		513766	1-1-94	1188·00	1188·00
14.	श्री अर्जुन सिंह	380563		1-2-94	9112·00	9112·00
	उप मंत्री					
15.	श्री गुरजन्ट सिंह		382120	1-2-94	44390·00	44390·00
						3,37,048·00

218

राज्य मन्त्रिमण्डल की शपथ लेने के पश्चात् मन्त्री परिशद् के मन्त्रियों द्वारा 28 फरवरी, 1994 तक यात्रा भत्ता पर खर्च किया गया की सूची

क्र. सं.	नाम मंत्रिगण	राशि
1.	श्री गंगाराम चौधरी, मंत्री	3507·00
2.	श्री गुलाबचन्द कटारियां, मन्त्री	12609·00
3.	श्री सुजान सिंह यादव, मन्त्री	2625·00
4.	श्री नाथू सिंह गूर्जर, राज्य मन्त्री	1125·00
5.	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, राज्य मन्त्री	2875·00
6.	श्री जसवन्त सिंह विश्नोई, राज्य मन्त्री	9292·00
7.	श्री नन्दलाल मीणा, राज्य मन्त्री	3125·00
8.	श्रीमती नरेन्द्र कंवर, राज्य मन्त्री	5639·00
9.	श्री अनंग कुमार जैन, राज्य मन्त्री	7531·00
10.	श्री अचलराम मेघवाल, राज्य मन्त्री	1563·00
11.	श्री सांवर लाल जाट, राज्य मन्त्री	3000·00
12.	श्री गुरजन्ट सिंह, उप मन्त्री	1500·00
13.	श्री मंगल राम कोली, उप मन्त्री	1375·00
	योग रू.	57,766·00

(अक्षरे रुपये सत्तावन हजार सात सौ छाछठ मात्र) ।

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 896 की सूची

झालावाड़ जिले में स्थिति औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	नियोजित भूखण्ड(सं)	आवंटित भूखण्ड(सं.)	उत्पादनरत भूखण्ड(सं.)	निर्माणाधीन भूखण्ड(सं.)	रिक्त भूखण्ड (सं.)	विशेष विवरण
01.	मामा-भांजा औ. क्षे. प्रथम चरण	52	52	52	—	—	—
02.	,, द्वितीय चरण	34	33	16	12	1	
03.	,, तृतीय चरण	55	—	—	—	—	भूमि अभी अवाप्त की गई है आवंटन नहीं किये गये हैं ।
04.	औ. क्षेत्र, झालरापाटन	45	45	30	08	—	
05.	औ क्षेत्र, भवानीमण्डी	66	61	26	13	5	
06.	औ. क्षेत्र, अकरेला	24	19	10	07	5	
07.	औ. क्षेत्र, ग्रोथ सेन्टर	238	—	—	—	—	विकास कार्य आरम्भ होना है ।
08.	औ. क्षेत्र, गिनडोर	59	55	10	06	04	
09.	औद्योगिक एस्टेट	55	55	42	08	—	
10.	औ. क्षेत्र, देवरीघाटा	77	38	38	—	39	

219

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 903 का विवरण

रामगंज मण्डी क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत खनन पट्टों का विवरण

क्र.सं.	एम. एल. नं.	नाम आवेदक	आवेदन की तिथि	खनिज का नाम	क्षेत्र का विवरण नि.ग्रा.	क्षेत्रफल	स्वीकृति आदेश दिनांक	नीलामी मामले में नीलामी की तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1/88	श्री पी. सी. बांगड़	—	लाईमस्टोन (बि. स्टोन)	चेचट	51712 व.मी.	22.7.89	13.9.88	
2.	31/89	श्री मोतीलाल/श्रीकृष्ण मीणा	7.8.89	सैण्डस्टोन	खोद्याखेड़ी	5520 व.मी.	10.8.90	—	
3.	2/90	श्री मनोहर लाल/भंवर लाल	9.1.90	सैण्डस्टोन	गादिया	120×60 व.मी.	7.5.90	—	खण्डित
4.	3/90	श्री ख्वाजूउद्दीन/अब्दुल शकूर	9.1.90	सैण्डस्टोन	कनवास	120×60 व.मी.	7.3.90	—	
5.	4/90	श्री छगनलाल/बालाराम	9.1.90	सैण्डस्टोन	गादिया	120×60 व.मी.	16.7.90	—	
6.	23/90	श्री खलील अहमद/छीतर बक्ष	14.5.90	सैण्डस्टोन	जेठानी	120×60 व.मी.	13.11.90	—	
7.	1/91	श्री स्वराज चक्रवती		लाईमस्टोन (बि. स्टोन)	कूकड़ा प्लाट एक	90,000 व.मी.	17.5.91	5.2.91	खण्डित
8.	26/90	श्री गोवरीलाल/लालाजी	14.6.90	सैण्डस्टोन	मोर खुर्द	120×60 व.मी.	10.10.90	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	41/91	श्रीमती गीतादेवी/गोपाल लाल	9.5.91	सैण्डस्टोन	खोदिया खेड़ी	120×60 व.मी.	2.9.91	—	
10.	42/91	श्रीमती रेखा देवी/महावीर	9.5.91	"	"	120×60 व.मी.	4.9.91	—	
11.	43/91	श्रीलाल जोशी/भीकम चन्द	9.5.91	"	"	120×60 व.मी.	2.9.91	—	
12.	47/91	श्रीमती पदमा देवी/जमना लाल	30.5.91	सैण्डस्टोन	किशोरपुरा	7200 व. मी.	17.8.91	—	
13.	58/91	श्री कालूराम/हीरालाल मील	6.8.91	सैण्डस्टोन	गादिया	120×60 व.मी.	30.9.91	—	
14.	3/92	श्री शिवकुमार/मूलचन्द कसारा	15.1.92	सैण्डस्टोन	मोरूखुर्द	120×60 व.मी.	3.3.92	—	
15.	1/92	श्री मदनलाल/जगन्नाथ	28.2.92	लाइमस्टोन	नालोदिया-पठारी	150×150व.मी.	11.3.92	—	
16.	121/80	श्री गोरधनदास गुप्ता	29.8.80	सैण्डस्टोन	खोदियाखेड़ी	120×60 व.मी.	3.9.92	—	पट्टा प्रभावशील नहीं है ।
17.	122/80	श्री गोरधनदास गुप्ता	29.8.80	सैण्डस्टोन	खोदियाखेड़ी	92.40 व. मी.	3.9.92	—	पट्टा प्रभावशील नहीं है ।
18.	2/92	श्री छुट्टन भाई	28.2.92	लाइमस्टोन	नालोदिया पठारी	150×150व.मी.	11.3.92	—	
19.	3/92	श्री सूरतराम/किशनलाल	28.2.92	लाइमस्टोन	"	150×150व.मी.	11.3.92	—	
20.	6/92	श्री जुझार सिंह/प्रताप सिंह	28.2.92	लाइमस्टोन	"	150×150व.मी.	11.3.92	—	
21.	7/92	श्री जसवन्तसिंह/जगतसिंह	28.2.92	लाइमस्टोन	"	150×150व.मी.	11.3.92	—	
22.	8/92	श्री गोविन्दलाल/रामप्रसाद	28.2.92	लाइमस्टोन	"	150×150व.मी.	11.3.92	—	

221

222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	9/92	श्री मोहम्मद हनीफ/फतेह मोहमम्द	28.2.92	लाइमस्टोन	"	150×150व.मी.	11.3.92	—	
24.	40/90	श्री भंवरलाल/हरलाल	16.10.90	सैण्डस्टोन	किशोरपुरा	120×60 व.मी.	21.11.90	—	
25.	12/92	श्री सूरतराम/किशनलाल	28.2.91	लाइमस्टोन (वि. स्टोन)	नालोदिया-पठारी	150×150व.मी.	11.3.92	—	
26.	13/92	श्री जुझारसिंह/प्रतापसिंह	28.2.92	"	"	150×150व.मी.	11.3 92	—	
27.	15/92	श्री रामप्रसाद/बालाराम	28.2.92	"	"	150×150व.मी.	11.3.92	—	
28.	22/92	श्री मोहम्मद ग्रहसान	28.2.92	"	"	150×150व.मी.	11.3.92	—	
29.	24/92	श्री एन. के. बगोरा	28.2.92	"	कुम्भकोट	150×150व.मी.	11.3.92	—	
30.	25/92	श्री उमाशंकर/रामलाल	28.2.92	"	चेचट, पठारी	150×150व.मी.	11.3.92	—	
31.	19/92	श्री ग्रब्दुल ग्रजीज/हाजीजी	5.3.92	मैसनरीस्टोन	लुहूरी	100×100व.मी.	29.5.92	—	
32.	136/92	श्री मोहम्मद ग्रसफाक/ग्र.गफार	7.8.92	"	"	100×150व.मी.	26.8.92	—	

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 906 की सूची

M/S. SHREE GOUR PRINTERS

Details of Plant & Mechine:.y.

Sl. No.	Particulars of Machinery	Specification make size etc.	No.
1.	Printing Machine with Electric Motor	Ashoka	1
2.	Cutting Machine	32"	1
3.	Perforating machine	—	1
4.	Prof press	13 × 30"	1
5.	Wooden racks	—	1
6.	Rack stand	—	8
7.	Surfede stone	20 × 30	1
8.	Lead & Rull cutter	—	1
9.	Table Sunmica	—	1
10.	Chairs	—	4

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 923 का विवरण

1990-91 से 1993-94 तक जोधपुर जिले में वन विभाग की नर्सरियों पर व्यय

		व्यय
1.	पौधों पर	101.18 लाख रुपये
2.	मकान पर	0.55 लाख रुपये
3.	पानी के स्त्रोत पर	3.26 लाख रुपये
		105.99 लाख रुपये

225

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 927 की सूची

भिनाय विधान सभा क्षेत्र के अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	काडोलाई	10/5/80
2.	बड़ला खेड़ी	10/5/64
3.	झालूसी	10/4/21
4.	कलावत	10/4/47
5.	बालापुरा	10/4/52
6.	लछीपुरा	10/4/55
7.	सोलन्कला	10/5/49
8.	राजपुरा	10/4/80

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	ताजपुरा	10/4/85
2.	प्रतापपुरा	10/4/83
3.	सुरजपुरा	10/4/84
4.	रामपाली	10/4/97
5.	बिलिया	10/4/98
6.	चक बिलिया	10/4/96
7.	अजगर	10/4/95
8.	खेड़ी	10/4/102
9.	श्योपुरा	10/4/106
10.	कल्याणपुरा	10/4/104
11.	गोपालपुरा	10/4/105
12.	साबली	60/4/103

226

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 928 की सूची

अनुसूचित जनजाति के कृषकों के नाम जिनको वर्ष 93–94 में कृषि कनेक्शन देना प्रस्तावित

क्र स. 1.	नाम 2.	गांव का नाम 3.	आवेदन तिथि 4.
1.	श्री भंवर लाल/हुकमा मीणा	देई	16.1.87
2.	श्री मोहन लाल/कालू मीणा	,,	31.1.87
3.	श्री रामविलास/हरजी मीणा	अरनिया	18.7.88
4.	श्री रामनिवास/मांगीलाल मीणा	आवंरदा	20.3.87
5.	श्री मंगला/केसरा मीणा	मगनेरी	2.9.87
6.	श्री दुर्गा/सूण्दरा मीणा	,,	2.9.87
7.	श्री मिश्रया/छीतर मीणा	बालापुरा	2.1.90
8.	श्री प्रहलाद/बजरंगा मीणा	डेलपुरा	27.12.86
9.	श्री रामधन/माधो मीणा	,,	,,
10.	श्री कजोड/राम कुमार मीणा	देवपुरा (गुढ़ासदा वरासिया)	,, 1.1.86
11.	श्री मोरपाल/रामनारायण मीणा	डोडी	16.4.87
12.	श्री मज्जा/रामचन्द्र मीणा	दलेलपुरा	15.11.89
13.	श्री कवंरा/रामनिवास मीणा	गुढा गोपाल जी	4.1.89
14.	श्री प्रहलाद/रघुनाथ मीणा	गडरिया	24.3.90
15.	श्री लोडक्या/रतना मीणा	खजूरी	16.4.87
16.	श्री राजू/अर्जन मीणा	कोलाहेडा	17.10.88
17.	श्री जगदीश/भुरा मीणा	लक्ष्मीपुरा	3.1.89
18.	श्री गोकुल/सुखदेव मीणा	मुडली	12.8.87
19.	श्री फुन्दीलाल/नारायण मीणा	नाथडी	31.12.37
20.	श्री गोविन्द/हरपाल मीणा	सन्डीला	14.3.90
21.	श्री श्रीराम/कान्हा मीणा	नयागांव बाक्या	12.2.87
22.	श्री ओंकार/रूपा मीणा	उरांसी	13.10.87
23.	श्री भीमा/गोरु मीणा	पाई	2.1.92

227

1	2	3	4
24.	श्री गोपाल/धन्ना मीणा	पाई	2.1.92
25	श्री मोती/माधो मीणा	,,	,,
26.	श्री बजरंग/बिशना मीणा	डेलपुरा	27.12.86
27.	श्री गोपाल/ओंकार मीणा	,,	,,
28.	श्री प्रभु/नाथूमीणा	,,	,,
29.	श्री राम करण/किशना मीणा	,,	,,
30.	श्री मोडू/ओंकार मीणा	,,	,,
31.	श्री मोती/कंवरा मीणा	,,	,,
32.	श्री गोपाल/गोरु मीणा	,,	,,
33.	श्री राम निवास/ओंकार मीणा	,,	,,
34.	श्री मुरा/दैया मीणा	,,	
35.	श्री गोपाल/मिश्रया मीणा	,,	,,
36.	श्री प्रभु/लालू मीणा	,,	,,
37.	श्री भेरु/राम कंवरा मीणा	,,	,,
38.	श्री प्रभु/मोती मीणा	,,	,,
39.	श्री रामकिशन/अमर लाल मीणा	बडीपडाय	15.1.87
40.	श्री प्रहलाद/बजरंगा मीणा	देई	16.1.87
41.	श्री भवरलाल/हुकमा मीणा	,,	,,
42.	श्री नन्दा/सुखपाल	पान्डूला	30.1.87
43.	श्री ग्यारसी लाल/माडू मीणा	,,	,,
44.	श्री शंकर/धन्ना मीणा	,,	,,
45.	श्री नन्दा/धोगा मीणा	,,	,,
		(गुढ़ादसा बरासिया)	,,
46.	श्री मोहन/कालू मीणा	देई	31.1.87
47.	श्री कल्याण/देवी राम मीणा	नयावांस बाक्या	12.2.87
48.	किशना/रामा मीणा	,,	,,
49.	किशना/धोगा मीणा	जीवणपुरा	8.12.86
50.	श्री सुखा/देव्या मीणा	,,	,,
51.	श्री धासी/नाथु मीणा	लोकदा	13,2.87
52.	श्री हीरा/बजरंगा मीणा	फवेगज	19.3.87
53.	श्री गोपाल/बजरंगा मीणा	बठावती	,,

1	2	3	4
54.	श्री गिरिराज/मांगीलाल मीणा	आवारदा	20,3.87
55.	श्री गोपाल/हीरा मीणा	"	"
56.	श्री रामकुमार/केदार मीणा	"	"
57.	श्री मोरपाल/रामा मीणा	"	"
58.	श्री गोपाल/मांगीलाल मीणा	"	"
59.	श्री कल्याण/पन्ना मीणा	"	"
60.	श्री राम निवास/मांगीलाल मीणा	"	"
61.	श्री सूरजमल/मुरा मीणा	"	"
62.	श्री हरलाल/रंगलाल मीणा	गम्भीरा	31.3.90
63.	श्री श्योजी/जन्शी मीणा	गम्भीरा	12.2.93
64.	श्री छीतर/गोरु मीणा	काला नाला	9.6.93
65.	श्री कालू/माधो मीणा	"	"

229

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 930 की सूची

ग्राम—लालसोट तहसील के गांव खटवा के विचाराधीन कृषि काश्तकारों (सामान्य/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) का विवरण

क्र. सं.	आवेदक का नाम	आवेदन पत्र का दिनांक
1.	श्री मूलचन्द/मांग्या माली	10.4.80
2.	बिहारी/हजारी जंसी/म्होरवाल	28.3.81
3.	नारायण मूलचन्द/छोटू/मांग्या माली	4.2.81
4.	केसरसिंह/समुन्दरसिंह/रामसिंह, भरतसिंह	13.10.91
5.	बजरंगसिंह/भरतसिंह	31.12.81
6.	हरफुल, रामनारायण माली/पून्था माली	31.3.82
7.	हरपाल हजारी/ओंकार माली	24.7.84
8.	मूल्या, प्रभु/सोन्या गुजर	22.8.84
9.	लटूरिया/बजरंगा श्री चन्दा	22.8.84
10.	मूलचन्द, बद्री/रामपाल माली	3.7.85
11.	गोरधन भौरया/पन्ना मिश्रीलाल	3.7.85
12.	बिरदा माली/भौरया माली	3.7.85
13.	बिरदा माली/भौरया माली	3.7.85
14.	सुखदेव/कल्याण ब्राह्मण	31.3.89
15.	बृजमोहन/गोविन्दा ब्राह्मण	31.7.89
16.	श्रीचंद/शिवनारायण	23.8.89
17.	कन्हैयालाल/किशोरीलाल शर्मा	पुन विचार 27.3.79
18.	रामपाल/बिरदा भौरिया/गेदा, मोल्या	11.1.90
19.	विरेन्द्रसिंह/केशरसिंह	15.1.90
20.	मनोहर लाल/जमना लाल दरोगा	9.3.90
21.	जयनारायण बुद्धा/मांग्या भूंथा चन्दा माली	7.7.90
22.	बाबूलाल/मिश्रीलाल माली	22.1.92
	अनुसूचित जाति	
23.	नाथ्या/चन्दा रेगर	9.8.89
24.	मोती/सुकल्या बैरवा	9.8.89
25.	पून्या छोटू/दीपा चमार	13.11 89
26.	उदयराम/जगनलाल कोली	1.1.90

(230)

1	2	3
	अनुसूचित जन जाति	
27	रंगलाल/हरबक्ष मीणा	4.4.80
28.	कंवरपाल/रामनारायण मीणा	28.8.81
29.	रामकहण/भोलाराम मीणा	28.3.84
30.	गोरधन, नानगा/कालू मोती मीणा	3.7.85
31.	गोरधन, गंगल्या/सुखपाल मीणा	31.8.87
32.	नानगा/मूलचन्द मीणा	3.7.85
33.	शकजी/सुधा मीणा	11.11.87
34.	नानगा/मोती जिन्सी/कालू मीणा	31.3.89
35.	ओंकार/रामनाथ मीणा	4.10.89
36.	मोती लाल/भवरिया मीणा	8.8.90
37.	रामजीलाल/फौजीलाल मीणा	1.1.90
38.	कालूराम/लादूराम मीणा	15.1.90
39.	हरचन्द/कालूराम मीणा	15.1.90
40.	बजरंगलाल/रामनारायण मीणा	23.1.90
41.	शंकर लाल/काना मीणा	27.1.90
42.	गजानन्द/भंवरिया मीणा	3 7.90
43.	गजानन्द/भंवरिया मीणा	27.2.92
44.	गोकुल रामकरण भरतलाल कालुराम/भागीरथ मीणा	38.3.92
45.	फैली/भागीरथ मीणा	4.3.93
46.	रणजीता/छाज्या मीणा	29.7.93

(231)

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 933 के जांच रिपोर्ट एवं आदेश

कार्यालय संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर खण्ड जोधपुर

क्रमांक फा. ( ) संरजो/स्थाप./जांच दिनांक 27-7-92

रजिस्ट्रार महोदय,
सहकारी समितियां,
राजस्थान, जयपुर

विषय :—शिकायत विरुद्ध श्री खेताराम चौधरी, निरीक्षक (कार्यकारी) वर्तमान में व्यवस्थापक क्र. वि.स. स. लि. मारवाड़ जंक्शन ।

प्रसंग :—आपका पत्र क्रमांक फा. सविरा/परिवाद/दिनांक 13-2-92 एवं इस कार्यालय का क्रमांक 6166 दि. 16-7-92

उक्तानुसार पत्र के साथ प्राप्त शिकायती पत्र के सम्बन्ध में मारवाड़ जंक्शन क्रय विक्रय स. स. लि. के मुख्यावास पर पहुंचकर संस्था के सम्बन्धित रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर जांच कार्य सम्पन्न किया गया । कुछ बिन्दुओं पर श्री खेताराम चौधरी, व्यवस्थापक संस्था से पूछताछ करना आवश्यक है अतः दिनांक 27-7-92 को पाली मुख्यावास पर पहुंचकर श्री खेताराम चौधरी के लिखित स्पष्टीकरण लिया जाकर जांच कार्य पूर्ण किया गया ।

श्री खेताराम चौधरी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पत्र के अनुसार जांच निम्नानुसार बिन्दु हैं :—

1. दिनांक 5-12-90 को राष्ट्रीय बीज निगम, जोधपुर से रु. 32000/– का गेहूं का बीज खरीद कर उस बीज को वहां बेच दिया तथा किसानों को इस लाभ से वंचित रखा ।

2. इस खरीद के समय संस्था में मात्र 9000/–रु. ही जमा बचत थी जिसकी फर्जी खाना पूर्ति की गई तथा इस कार्य में परिवहन भाड़ा फर्जी बिलों से वसूल किया गया ।

3. व्यवस्थापक संस्था को अविलम्ब पद मुक्त किया जाकर इसकी जांच राज्य अन्वेषण ब्यूरो से करवाई जावें ।

उक्त बिन्दु अनुसार जांच का विवरण एवं निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :—बिन्दु संख्या 1 व 2 :—संस्था में संधारित रिकार्ड के अनुसार राष्ट्रीय बीज निगम यूनिट, जोधपुर

के द्वारा दिनांक 5-12-90 को क्रमांक जो 88/4176 से रु. 31362.20 पैसे का का गेहूं बीज का सप्लाई मीमों मारवाड़ जंक्शन क्रय-विक्रय स. स. लि. के हक में जारी किया गया। इस गेहूं बीज का बिल न. 2760 दिनांक 5-12-90 है जिसका विवरण इस सप्लाई मीमों में अंकित है। इस गेहूं बीज की प्राप्ति व्यवस्थापक संस्था द्वारा की गई जिसके प्रमाण स्वरूप व्यवस्थापक के हस्ताक्षर इस सप्लाई मीमों पर है। गेहूं के बीज के बिल नं. 2760 दिनांक 5-12-90 संस्था के हक में राष्ट्रीय बीज निगम यूनिट, जोधपुर द्वारा जारी किया गया हैं। इस बिल संख्या 2768 दिनांक 5-12-90 राशि 31326.20 पैसे का रोकड़ मुगतान संस्था के व्यवस्थापक द्वारा दिनांक 5-12-90 को किया गया। इस रोकड़ राशि रु. 31226.20 पैसे के मुगतान राशि प्राप्त की रसीद राष्ट्रीय बीज निगम यूनिट जोधपुर के द्वारा रसीद संख्या 04065 दिनांक 5-12-90 से जारी की गई। संस्था द्वारा प्राप्त उक्तानुसार गेहूं बीज दुर्गा ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, जोधपुर के माध्यम से मारवाड़ जंक्शन भिजवाया जाना बिल्टी संख्या 007951 दिनांक 5-12-90 को जाहिर होता है गेहूं बीज के परिवहन हेतु रु. 1205/– संस्था द्वारा दुर्गा ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को दिनांक 6-12-90 को मुगतान किया गया जो रसीद दिनांक 6-12-90 से स्पष्ट होता है। उक्तानुसार प्राप्त गेहूं बीज 100 क्विंटल जो 250 कट्टों में जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन लाया गया था उसका इन्द्राज संस्था के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना पाया गया। संस्था में संधारित बिल बुक से यह जानकारी होती है कि उक्त प्राप्त गेहूं बीज का वितरण विभिन्न व्यक्तियों से 6-12-90 एवं 7-12-90 को संस्था द्वारा किया गया।

संस्था की रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 5-12-90 को अन्तिम शेष रुपये 9154.44 पैसे था इसलिये व्यवस्थापक संस्था से यह जानकारी ली गई कि जब संस्था में 5-12-90 को केवल 9154.44 पैसे ही अन्तिम शेष था तो राष्ट्रीय बीज निगम, जोधपुर को गेहूं बीज की राशि रु 31326.20 पैसे का रोकड़ मुगतान कैसे किया जाना सम्भव हुआ? व्यवस्थापक समिति ने अपने लिखित उत्तर में दिनांक 20-7-92 में यह अंकित किया गया कि उनके द्वारा स्थानीय कृषकों से राशि एडवांस प्राप्त कर यह मुगतान किया गया और दूसरे दिन इस बीज के विक्रय होने पर यह राशि सम्बन्धित को उनके द्वारा मुगतान कर दी गई जिसका जमा खर्च संस्था की रोकड़ में किया जाना उनके द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया।

यह बीज संस्था को कृषि विभाग द्वारा आवंटित नहीं किया गया था, किन्तु कृषकों की मांग के अनुसार ही यह बीज राष्ट्रीय बीज निगम, जोधपुर से प्राप्त किया गया था।

निष्कर्ष :—

वक्त जांच संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये गये रिकार्ड के अनुसार संस्था राष्ट्रीय बीज

233

निगम, जोधपुर द्वारा सप्लाई किया गया गेहूं बीज 100 क्विंटल संस्था प्राप्त किया जाकर वितरण किया गया ।

बिन्दु संख्या 3 का सम्बन्ध इस कार्यालय से नहीं है ।

हस्ताक्षर
संयुक्त रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां, जोधपुर
खण्ड जोधपुर ।

न्यायालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पाली
क्रमांक फा./उरपा/नियम/धारा 74/मु. सं 285/93 दिनांक

जांच प्रतिवेदन

(राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 (1) के अन्तर्गत)

वादी :—	**प्रतिवादी :—**
मारवाड़ जंक्शन क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. मारवाड़ जंक्शन	श्री खेतराम चौधरी, व्यवस्थापक मारवाड़, जंक्शन क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. मारवाड़ जंक्शन ।

मुकदमा संख्या 285/93 राशि रु. 7275=13

मारवाड़ जंक्शन क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. मारवाड़ जंक्शन (जिसे आगे समिति शब्द से सम्बोधित किया जावेगा) की आडिट वर्ष 91–92 के अनुसार प्रतिवादी श्री खेतराम समिति व्यवस्थापक द्वारा कुल 7275=13 का गबन पाये जाने पर मामला समीक्षा समिति संख्या 4 को सिफारिश के अनुसार धारा 74 में दर्ज किया जाकर वादी व प्रतिवादीगणों की सुनवाई दिनांक 16-8-93 के आरोप-पत्र व आरोप विवरण पत्र भेजे गये । वक्त पेशी प्रतिवादी उपस्थित । तत्पश्चात् क्रमशः 13-9-93 से 27-9-93 की सुनवाई रखी हुई ।

पेशी दिनांक 27-9-93 को प्रतिवादी श्री खेताराम उपस्थित । उन्होंने डम्प माल के निस्तारण हेतु समिति की रिपोर्ट पेश की जिसमें समवर्ती अंकेक्षक भी शामिल है । इस प्रकार वाद की सुनवाई पूरी हुई ।

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी समिति व्यवस्थापक श्री खेताराम चौधरी के विरुद्ध आडिट वर्ष 91–92 के अनुसार कीटनाशक दवाईयों की बिक्री नहीं होकर खराब होने की राशि रु. 1420/– व बाजराबीज राशि रु. 5855=13 कुल रुपये 7275=13 को अनियमित राशि रु. 5855=13 कुल राशि रु. 7275=13 की बिक्री नहीं करने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। वाद की सुनवाई जांच प्रतिवेदन के पैरा प्रथम में अंकित तिथियों को रखी गयी।

प्रतिवादी ने अपने प्रति उत्तर में व्यक्त किया कि कृषि विभाग के बार-बार कहने पर बाजारा खरीदा जो फिर नहीं बिकने के कारण 3515=13 रु. की कीमत का खराब हो जाने से बेचने से रह गया। उक्त माल सोजत रोड क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. से खरीदा गया था। व माल स्टाक में स्टोर कीपर के पास रहा। आडिटर ने दुभावना से पैरा बना दिया। संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 20-4-93 में उक्त माल बिक्री योग्य नहीं रहने से राईट आफ का निर्णय लिया गया। किताब कार्यवाही देखी गई व सही तथ्य पाया गया।

इसी प्रकार कृषि विभाग द्वारा दी गई डिमान्ड के अनुसार कीटनाशक दवाईयां राशि रु. 3760/– की खरीदी गयी परन्तु कृषि विभाग द्वारा बिक्री व्यवस्था नहीं करने के कारण खराब हो गयी थी। इसे भी संचालक मण्डल की बैठक में 20-4-93 को राइट आफ करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवादी ने व्यक्त किया कि कृषि विभाग के निर्देशानुसार ही माल खरीदा गया था। उनकी बदनीयत नहीं है।

उन्होंने उम्तमाल के निस्तारण हेतु बुलाई गई कमेटी के निर्णय को भी (दिनांक 22-9-93) पैरा किया जिसमें कीटनाशक दवाईयां और बाजरा बीज प्रयोग का बिल नहीं होने से राइट आफ कर नष्ट करने का निर्णय सम्बन्धी प्रस्ताव भी पेश किया। समिति में निरीक्षक (मार्क), सपवर्ती अंकेक्षक व कृषि पर्यवेक्षक की मौजूदगी का उल्लेख भी है।

अतः पूरे मामले का गुणाव गुण देखने पर निम्न हस्ताक्षरकर्ता इस निर्णय पर पहुंचा है कि बीज व कीटनाशक दवाईयां खरीद कर उनकी बिक्री नहीं होना प्रकरण में प्रतिवादी श्री खेताराम चौधरी की बदनीयत या जानबूझकर कर पद का दुरुपयोग करने की मंशा नहीं प्रकट होती है। कृषि विभाग के निर्देश से ही दवाईयां व बीज खरीदा गया था।

अतः उपरोक्तानुसार विवेचन के आधार पर निम्न हस्तक्षरकर्ता में प्रदत्त राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 को धारा 74 (1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आचरण जांच प्रतिवेदन जारी करते हुए प्रतिवादी श्री खेताराम चौधरी

व्यवस्थापक, क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. मारवाड़ जंक्शन को दोषमुक्त करता हूं । पत्रावली दफ्तर दाखिल हों ।

उक्त आचरण की जांच आज दिनांक 27-9-93 को खुली अदालत में सुनायी जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी की गयी ।

हस्ताक्षर
(एस. डी. चारण)

क्रमांक फा. उरपा/नियम/धारा 74/मु. सं. 285/93 दिनांक $\frac{8797-99}{30-9-93}$

प्रतिलिपि सूचनार्थ :—

1. व्यवस्थापक, मारवाड़ जंक्शन क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., मारवाड़ जंक्शन ।
2. प्रतिवादी श्री खेताराम चौधरी, व्यवस्थापक, क्रय विक्रय स. स. मारवाड़ जंक्शन ।
3. कार्यालय-पत्रावली ।

हस्ताक्षर
उप रजिस्ट्रार, पाली

236

परिशिष्ट—17

अतारांकित प्रश्न संख्या 934 का विवरण

दि जयपुर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. एवं चूरू केन्द्रीय सरकारी बैंक लि. द्वारा अकृषि ऋण वितरण एवं उसमें से बकाया अवधिपार ऋण की सदस्यवार सूचना।

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम सदस्य	ऋण वितरण का वर्ष	ऋण वितरण राशि	बकाया अवधि पार
1	2	3	4	5
(अ)	जयपुर :—			
(1)	मै. गौतम इण्डस्ट्रीज	89--90	0.25	0.16
(2)	मै. कल्पना सोप	89--90	0.24	0.33
(3)	मै. शिवा गारमेंट बीट्स उद्योग	89--90	0.20	0.27
(4)	मै. मीनू केमिकल्स	89--90	0.24	0.01
(5)	मै. अजमेरा टेलर्स	89--90	0.25	0.26
(6)	मै. वशीर फेब्रिकेशन	89--90	0.22	0.25
(7)	मै. राजेन्द्र फर्नीचर वर्क्स	89--90	0.23	0.21
(8)	मै जैन मेटल इण्डस्ट्रीज	89--90	0.24	0.06
(9)	मै. सन्दीप प्लास्टिक	89--90	0.12	0.16
(10)	मै सुशील कुमार निवार उद्योग	89--90	0.25	0.02
(11)	मै. लीलाधर निवार उद्योग	89-.90	0.25	0.03
(12)	मै. अनिल कुमार निवार उद्योग	89--90	0.25	0.02
(13)	मै. क्यूक आटो केयर	89--90	0.24	0.02
(14)	मै. चान्दनी क्राफ्टस	89--90	0.25	0.27
(15)	मै. जॉगिड़ फर्नीचर्स	89--90	0.25	0.18
(16)	मै. पराक्रम जैम्स	89--90	0.21	——
(17)	मै. जगदम्बा ऑफसेट	92--93	5.37	——
(18)	श्री गिरिजेश तिवाड़ी	93--94	2.30	——

1	2	3	4	5
(19)	मै. कलरफुल जैम्स	93--94	0.50	——
(20)	मै. प्रफुल्ल इन्टरप्राईजेज	93--94	1.95	——
(21)	श्री कैलाश खण्डेलवाल	93--94	0.50	——
(22)	श्री तिरूपति प्लास्टिक	93--94	2.96	——
(23)	श्री वेद प्रकाश गुप्ता	93--94	2.24	——
(24)	मै. मानकमल्टी एन्टरप्राईजेज (इण्डिया)	93--94	4.11	——
(25)	मै. ग्रार. के. जोग्रन्री (प्रा.) लि.,	93--94	3.90	——
(26)	भोजपुरा ग्राम सेवा सह. स. लि.,	89--90	0.57	0.42
(27)	मै. जगदम्बा ग्रॉयल मिल	93--94	0.79	——
(28)	श्री रामस्वरूप शर्मा	93--94	2.36	——
(29)	श्री रामेश्वर जाट	93--94	2.36	——
(30)	श्री रामसिंह जाट	93--94	2.55	——
(31)	श्री बंशीधर जाट	93--94	2.55	——
(32)	श्री सीताराम यादव	93--94	2.54	——
(53)	श्री मालीराम यादव	93--94	2.30	——
(34)	शेखावत ग्रॉयल मिल	93--94	0.37	——
(35)	रोहिताश जाट	93--94	2.54	——
(36)	श्री रामनिवास यादव	93--94	2.33	——
(37)	माधोराजपुरा ग्राम सेवा सह. स. लि.,	93--94	1.08	0.04
(38)	मै. ग्रालोक टेक्स टाईल	92--93	3.25	——
(39)	भारत पशु ग्राहार	93--94	3.22	——
(40)	मै. बंशी शू मेकर	89--90	0.18	——
(41)	सागर साल्ट उद्योग	89--90	0 12	——
(42)	रोजडी ग्राम सेवा सह. स. लि.,	89--90	2.47	——

238

1	2	3	4	5
(43)	देवतवाल चर्म रंगाई उद्योग	89--90	0.20	——
(44)	श्री राधेश्याम नवल किशोर होजरी एवं रेडिमेट गारमेन्ट	89--90	0.20	0.01
(45)	मै. रामनाथ वुड वर्क्स चाकसू	91--92	1.99	——
(46)	श्री केदार प्रसाद गुप्ता	93--94	1.60	——
(47)	श्री ग्यारसी लाल	93--94	0.40	——
(48)	श्री मुकेश कुमार बैरवा	93--94	2 46	——
(49)	मै. शिव गारमेन्ट्स	89--90	0.25	——
(50)	मै. चौहान जैम्स	93--94	0.70	——
(51)	महापुरा ग्राम सेवा सह. स. लि.,	89--90	0.15	——
(52)	रोमेट इण्डिया (प्रा.) लि.,	93--94	3.54	——
(53)	श्री राजेन्द्र गुप्ता	91--92	0.25	——
(54)	श्री रामधन सांखला नमदा फैक्ट्री	89--90	0.25	0.27
(55)	मै. विशाल मर्नीचर	89--90	0.25	0.23
(56)	मै. आकाश गारमेन्ट	89--90	0.25	——
(57)	मै. जेम्स सेन्टर मैन्यू फैक्चरिंग	89--90	0 25	0.21
(58)	मै. गजेन्द्र हैण्डलूम	89--90	0.25	——
(59)	मै. सुगम अगरबत्ती	89--90	0.25	0.25
(60)	मै. भावना सांखला उद्योग	89--90	0.25	0.18
(61)	मै. जयपुर टेन्ट एण्ड ड्राइंग मेन्यू उद्योग	89--90	0 25	0.21
(62)	मै. उर्मिला अगरबत्ती उद्योग	89--90	0.25	0.26
(63)	मै. परिधान गारमेन्ट्स	89--90	0.25	0.15
(64)	मै. भवानी उद्योग	89--90	0.22	0.23
(65)	मै. अनुपम ड्रेसेज	89--90	0.25	0.29
(66)	मै. लक्ष्मी उद्योग	89--90	0.20	0.15
(67)	मै. माधव लाल नमदा फ्लेट	89--90	0.23	0.21

239

1	2	3	4	5
(68)	मै. भावना एन्टरप्राइजेज	89–90	0.24	0.20
(69)	मै. इम्पेक्स इण्डिया (वर्क्स)	89–90	0 25	0.27
(70)	मै. कमलेश आयरन वर्क्स	89–90	0.25	0.17
(71)	मै. कृष्णा फर्नीचर वर्क्स	89–90	0.25	0.23
(72)	मै. मनोज फेब्रिक्स	89–90	0.25	0.26
(73)	मै. सुशीला वुड फर्नीचर्स	89–90	0 25	0 16
(74)	मै. रत्न ज्वेलर्स	89–90	0.20	0.09
(75)	मै महेश इण्डस्ट्रीज	89–90	0.25	0.21
(76)	मैं. सांखला एन्टरप्राईजेट	89–90	0.21	0.18
(77)	मै. किरण रेडीमेड गारमेंट्स	80–90	0.24	0.14
(78)	मै. लूथरा जेम्स	91–92	0.25	0.08
(79)	मै. महेन्द्र रेडिमेट गारमेंन्ट्स	91–92	0.25	0.05
(80)	मै. विक्की इलेक्ट्रोनिक्स	91–92	0.25	0.52
(81)	मै. इम्पेक्ट पब्लिशिंग	93–94	2.29	——
(82)	मै. हर हाईनेन्स	93–94	3.55	——
(83)	मै. गजेन्द्र हैण्डलूम	93–94	0.50	——
(84)	मै. अन्दाज रेडिमेड गारमेंट्स	93–94	0.38	——
(85)	मै. मन्सूरी जेम्स	93–94	1.10	——
		योग :—	83.16	7.52

(ब) चूरू—

(1)	बेनीवाल हैण्डलूम उद्योग	93–94	0.42	——
(2)	कमल परफ्यूमरी	93–94	0.39	——
(3)	चौधरी हैण्डलूम उद्योग	93–94	0 33	——
(4)	चौधरी हाथकर्घा उद्योग	93–94	0.33	——
(5)	प्रेम हैण्डलूम	93–94	0.22	——
(6)	श्री पतराम	92–93	0.25	——

1	2	3	4	5
(7)	विजय केमिकल्स	92--93	0.40	0.14
(8)	जांगिड़ श्रारा उद्योग	92--93	0.48	——
(9)	सरिता हैण्डलूम	93--94	0.34	——
(10)	चौधरी फ्लोर मील	93--94	2.29	——
(11)	श्री रामचन्द्र पुत्र हवासिंह	93--94	2.33	——
(12)	श्री धनपत पुत्र भूराराम	93--94	2.33	——
(13)	राजस्थान प्लास्टर	93-94	7.53	——
(14)	राकावत प्लास्टर	93--94	5.00	——
(15)	श्री ओमप्रकाश कस्वा पुत्र बलराम	93--94	2.33	——
(16)	श्रीभ ऑयल एण्ड फ्लोर मिल, बीदासर	93--94	0.25	——
		योग :—	23.74	0.14

(241)

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 938 की सूची

क्र.सं.	नाम सरपच	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	मुकदमा सख्या	प्रकरण विमाग में प्राप्त होने का दिनांक
1.	श्री करणसिह प्रधान एवं श्री रामेश्वर लाल सरपंच	हाल	श्रीनगर	27/88	23-1-90
2.	श्री रामेश्वर दयाल	हमीदपुर	बहरोड	129/91	28-12-93
3.	श्री विशम्भर दयाल	मालूताना	थानागाजी	61/92	9-1-93
4.	श्री बनेसिह	टीटपुरी	कठूमर	77/91	3-1-92
5.	श्री ओमप्रकाश यादव	बूढवाल	बहरोड	198/91	19-3-93
6.	श्री हर्वसिह	मोकमपुरा	कुशलगढ़	16/91	15-1-92
7.	श्री रूपलाल	फलवा	आनन्दपुरी	141/90	27-8-93
8.	श्री धुड़ाखां	चाडी	बाड़मेर	58/90	3-5-93
9.	श्री उमरावसिह	मण्डली	बालोतरा	60/88	14-9-93
10.	श्री घूडाराम	मोखवा	शिव	37/90	3-5-93
11.	श्री करणसिह	झंझार	नगर	90/90	9-11-90
12.	श्री सोहनलाल	ब्राह्मणों की सरेरी	आसीन्द	143/90	13-5-91
13.	,, ,,	,,	,,	146/90	,, ,,
14.	श्री मोपालसिंह	कालियास	,,	12/89	12-2-93
15.	श्री पीताम्बर दास	बडला	हुरडा	168/92	17-8-93
16.	श्री दौलतराम	करजालिया	आसीन्द	143/87	5-5-88
17.	श्री बद्रीप्रसाद	आमलीगढ़	सुवाणा	108/89	12-2-93
18.	श्री सुगनचन्द	दौलतपुरा	आसीन्द	49/80	13-5-81
19.	श्री कालूराम	सातलियास	सहाडा	63/86	9-12-86
20.	श्री मोहम्मदअली	रिडमलसर पुरोहितान	बीकानेर	41/92	8-1-93
21.	श्री राजाराम	नाथूसर	नोखा	44/90	11-8-92
22.	श्री सुमेरा	जैतपुरा	नैनवा	220/91	27-5-93
23.	श्री रतिराम मीणा	पेय की बावडी	हिन्डोली	48/89	5-8-93
24.	श्री मोतीलाल	दुजारी	नैनवा	110/92	26-11-93

1	2	3	4	5	6
25.	श्री नानालाल	बिलोदा	डूंगला	91/88	23-3-89
26.	श्री बद्रीचन्द जैन	केसून्दा	छोटीसादड़ी	8/79	जनवरी, 81
27.	श्री भैरूलाल कुमावत	आवलहेड़ा	चित्तौड़गढ़	323/93	1-2-94
28.	श्री नन्दलाल मीणा	मनोहरगढ़	प्रतापगढ़	301/93	1-.-94
29.	श्री रामस्वरूप	नोरंगपुरा	राजगढ़	32/93	7-1-94
30.	श्री भोमनराम	सिरसला	चूरू	81/92	6-1-94
31.	श्री सोहनसिंह	भाडासर	सरदार शहर	136/89	16-4-92
32.	श्री गणपतराम स्वामी	इन्द्रपुरा	चूरू	263/91	22-6-92
33.	श्री पूर्णदास	मेलूसर	सरदारशहर	83/92	20-9-93
34.	श्री गणपतदास स्वामी	इन्द्रपुरा	चूरू	264/90	22-11-91
35.	श्री रामप्रसाद मीणा	भाखरी	दौसा	36/87	8-9-93
36.	श्री रामेश्वर पाटीदार	अलाय	सीमलवाड़ा	101/88	23-1-93
37.	श्री विनोदशाह	सीमलवाड़ा	सीमलवाड़ा	251/91	19-10-93
38.	श्री जसवन्तसिंह	22 पी. एस.	रायसिंह नगर	1/87	19-7-91
39.	श्री चंवरीलाल	पल्लू	नोहर	3/92	26-11-93
40.	श्री रामजस	रामगढ़	नोहर	16/83	16-8-84
41.	श्री केसराराम	लाठी	सांकडा	43/92	22-9-92
42.	श्री हैयाराम	साकड	सांचौर	15/89	नवम्बर, 91
43.	श्री पीरसिंह	सिलासन	रानीवाड़ा	66/92	19-7-93
44.	श्री सांवरमल श्री सत्येन्द्र सिंह	गुढ़ा	उदयपुरवाटी	1/89	6-11-92
45.	श्री अचलसिंह	केरू	मण्डोर	1/83	23-6-92
46.	श्री नारायणसिंह	खामियाद	लाडनूं	15/76	8-12-81
47.	श्री सांवलाराम	दुजार	लाडनूं	11/85	27-8-87
48.	श्री पुखराज	कोड	रिया	35/89	25-1-91
49.	श्री चन्द्रराम	चन्द्राई	लाडनूं	128/89	13-4-92
50.	श्री रामदेव	मादवा	परबतसर	23/91	30-1-93
51.	श्री गिरधारी सिंह	गोठडा	मूण्डवा	56/92	21-1-94
52.	श्री गोवर्धनलाल माली	रावडियावास	जैतारण	104/85	24-3-86
53.	श्री मिलापचन्द जैन	बाभनेरा	सुमेरपुर	37/92	9-9-92
54.	श्री गिरधारी लाल	चांवडिया	जैताकरण	24/92	9-9-92
55.	श्री उमाराम	आगेवा	रायपुर	7/92	9-9-92
56.	श्री गणेश सिंह	नाडोल	देसूरी	42/88	2-1-93
57.	श्री रोशनलाल	रिछेड	कुम्भलगढ़	57/92	27-3-93

243

1	2	3	4	5	6
58.	श्री पृथ्वीराम मीना	बगलाई	गंगापुरसिटी	118/91	26-5-93
59.	श्री कूमसिंह श्री गणेशाराम	कुमास	लक्ष्मणगढ़	88/90	13-5-91
60.	श्री यासीन खां	रोलसावर	फतेहपुर	138/89	7-1-93
61.	श्री भूराराम	खटकड	—	78/88	28-2-89
62.	श्री सांवलाराम	आकराभट्टा	आबूरोड	99/91	4-3-92
63.	श्री प्रेमप्रकाश शर्मा	खण्डवा	निवाई	112/89	2-7-93
64.	श्री प्रभुलाल मीणा	सोप	उनियारा	55/90	2-12-92
65.	श्री लादू लाल	मूण्डिया	निवाई	10/89	18-8-92
66.	श्री भैरू लाल	लोपडा	मावली	10/91	11-8-92
67.	श्री लादूराम	खजूरिया	कोटड़ा	130/91	14-10-93
68.	श्री मूलचन्द	बेनाडा	बस्सी	210/92	22-12-93
69.	श्री लक्ष्मणदेव	मौजमाबाद	दूदू	316/92	17-6-93
70.	श्री दूदाराम	मानोता	जमवारामगढ़	5/87	6-1-93
71.	श्री जयलाल चौधरी	चौरू	फागी	207/89	7-8-92
72.	श्री मोहनलाल	डयोढ़ी	सांभर	88/90	25-4-92
73.	श्री कांतिचन्द शर्मा	मोरीजा	गोविन्दगढ़	313/91	16-9-92
74.	श्री सीताराम शर्मा	इटावा भोपजी	गोविन्दगढ़	336/91	16-9-92
75.	श्री छीतरिया	कस्बानगर	बाड़ी	51/91	

परिशिष्ट—19

अतारांकित प्रश्न संख्या 289 की सूची

क्र. सं.	कारखाने का नाम	उत्पादन का नाम	उत्पादन क्षमता
1.	मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर, चन्देरिया पुठोली चित्तोड़गढ़	सल्फुरिक अम्ल	1,76,000 टन/वर्ष
		लैड	35,000 टन/वर्ष
		जिंक	75,000 टन/वर्ष
		चांदी	76 टन/वर्ष
2.	मैसर्स इण्डस्ट्रीयल केमिकल एण्ड प्लास्टिक, पाली	सोडियम हाइपोक्लोराइड	3 टन/दिन
3.	" पारस केमिकल, पाली	" "	3 टन/दिन
4.	" एस. के. केमिकल, पाली	" "	3 टन/दिन
5.	" देवेन्द्र एन्टरप्राइजेज, पाली	" "	3 टन/दिन
6.	" श्रीनाथ एन्टरप्राइजेज, पाली	" "	3 टन/दिन
7.	" हिन्दुस्तान कॉपर लि. यूनिट–I, खेतड़ीनगर, झुंझुनू	इलेक्ट्रोलेटिक कॉपर	31,000 टन/वर्ष
8.	" हिन्दुस्तान कॉपर लि., यूनिट–II, खेतड़ीनगर झुंझुनू	सल्फुरिक अम्ल	182,000 टन/वर्ष
		सिंगल सुपर फास्फेट	118,000 टन/वर्ष
9.	" अजमेर गैसेज, अजमेर	ऑक्सीजन गैस	50,000 क्यू. मीटर/माह
		नाइट्रोजन	350 क्यू. मीटर/माह

245

1	2	3	4
10.	मैसर्स राजस्थान मैटल रिफाइनरी, अजमेर	लैड	25 टन प्रति माह
11.	" बालाजी मैटल इण्डस्ट्रीज, अजमेर	लैड	60 टन/माह
12.	" राजस्थान मैटल इण्डस्ट्रीज, अजमेर	लैड	25 टन/माह
13.	" हिन्दुस्तान हाइड्रो कार्बन, अजमेर	क्लोरिनेटेड पैराफिन वेक्स	6 टन/माह
		हाइड्रो क्लोरिक अम्ल	5.5 टन/माह
14.	" स्वास्तिक हाइड्रो कार्बन, सोजत सिटी,	क्लोरिमेटेड पेराफिन वेक्स	100 टन/माह
		हाइड्रो क्लोरिक अम्ल	45 टन/माह
15.	" एडवान्स केमीकल इण्ड.; अलवर	क्लोरिनेटड पेराफिन वेक्स	6.5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	13 टन/दिन
16.	" एलाइड केमीकल, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	6.5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	13 टन/दिन
17.	" अलवर केमीकल, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	6.5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरीक अम्ल	13 टन/दिन
18.	" स्वदेशी केमीकल, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	6.5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	13 टन/दिन
19.	" श्री केम इण्डस्ट्रीज, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	3.5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	7 टन/दिन
20.	" श्री आरगेनिक केम इण्डस्ट्रीज, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	3.5 टन प्रति दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	7 टन/दिन

1	2	3	4
21.	मैसर्स सरोवन केमीकल, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	4 टन/दिन
		हाइड्रो क्लोरिक अम्ल	8 टन/दिन
22.	" श्री पदमावती केमीकल, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	4 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	8 टन/दिन
23.	" वी. के. प्लास्टोकेम, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	2.5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	5 टन/दिन
24.	" नोएडा केमीकल, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
25.	" सुपर केम इण्डस्ट्रीज, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
26.	" वेस्टर्न केमीकल इण्डस्ट्रीज, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
27.	" केम प्लास्ट, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
28.	" क्लोराइड एण्ड केमीकल, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
29.	" खेमचन्द केमीकल इण्डस्ट्रीज, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन

1	2	3	4
30.	मैसर्स हरियाणा केमीकल, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	7.2 टन/दिन 14.4 टन/दिन
31.	" क्लोरोकेम इण्डस्ट्रीज, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	2.5 टन/दिन 5 टन/दिन
32.	" गजानन्द केमीकल, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	2.5 टन/दिन 5 टन/दिन
33.	" पवन वानि केम इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	5 टन प्रति दिन 10 टन प्रति दिन
34.	" भारत रसायन उद्योग, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	5 टन प्रति दिन 10 टन/दिन
35.	" राजस्थान केमीकल इण्डस्ट्रीज, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	5 टन/दिन 10 टन प्रति/दिन
36.	" ग्रीन फिल्ड इण्डस्ट्रीज, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स हाइड्रोक्लारिक अम्ल	5 टन/दिन 10 टन/दिन
37.	" सुभाष केमीकल, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	5 टन/दिन 10 टन/दिन
38.	" मोदीगढ़ केमीकल, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	5 टन/दिन 10 टन/दिन

247

248

1	2	3	4
39.	मैसर्स अलवर पेराफिन एण्ड अलाइड प्रोडक्ट, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
40.	" विक्रम पोलीप्लास्ट प्रा. लि. अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्राक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
41.	" विकास उद्योग, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्राक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
42.	" एम.आई.ए. प्लास्टीसाइजर्स एण्ड अलाइड प्रो., अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्राक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
43.	" अपोलो केमीकल प्रा. लि., अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्राक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
44.	" प्रेम केमीकल, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्राक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
45.	" प्रिमियर पेराफिन प्रा. लि. अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्राक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
46.	" एच. के. पेपर इण्डस्ट्रीज, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्राक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
47.	" ग्लोबल एण्टरप्राइजेज, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्राक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन

249

1	2	3	4
48.	मैसर्स पी. जी. एल. केमीकल, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
49.	" शान्ती केमीकल्स, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
50.	" महावीर केमीकल, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
51.	" गर्ग केमीकल, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्राक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
52.	" रामोतार पेट्रोकेमीकल प्रा. लि.	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
53.	" हिन्दुस्तान केमीकल, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
54.	" राजस्थान पेराफिन प्रा. लि. अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्राक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
55.	" हिन्दुस्तान पेट्रो प्रोडक्टस लि., अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्राक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
56.	" वी. जी. केमीकल, अलवर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन

1	2	3	4
57.	मैसर्स राठी गैसेज, लि., अलवर	आक्सीजन	360000 क्यू. मी/वर्ष
		नाइट्रोजन	360000 क्यू.मी./वर्ष
58.	" भारत केमीकल एण्ड फर्टिलाइजर्स, अलवर	सल्फूरिक अम्ल	100 टन/दिन
		सिंगल-सुपर फास्फेट	75 टन/दिन
59.	" मोदी अल्कालीज एण्ड केमीकल लि., अलवर	कास्टिक सोडा	51560 टन/वर्ष
		क्लोरिन	29700 टन/वर्ष
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	19800 टन/वर्ष
		केल्शियम हाइड्रोआक्साइड	12600 टन/वर्ष
		ब्लीचिंग पाउडर	10080 टन/वर्ष
		ट्राईक्लोरोइथीलीन	5000 टन/वर्ष
		सोडियम हाइपो क्लोराइड	1000 टन/वर्ष
60.	" कोफ्यूजन प्रोडक्टस प्रा. लि., भिवाडी	आक्सीजन गैस	40000 क्यू.मी./मा
61.	" ग्लोब केमीकल, भिवाडी	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	2000 टन/वर्ष
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	4000 टन/वर्ष
62.	" भारत केमीकल, भिवाडी	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	2000 टन/वर्ष
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	4000 टन/वर्ष
63.	" विनर केमीकल, भिवाड़ी	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	1000 टन/वर्ष
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	2000 टन/वर्ष

1	2	3	4
64.	मैसर्स सुप्रीम केमीकल्स, भिवाड़ी	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
65.	" श्री राम फाइबरर्स भिवाना, अलवर	रेफ्रिजरेन्ट गैसेज	6000 टन/वर्ष
66.	" महेन्द्रा कार्बाइड, भिवाड़ी	केल्शियम कार्बाइड	3000 टन/वर्ष
67.	" गुलशन केमीकल्स, भिवाड़ी	सोडियम हाइड्रो सल्फाइड	2000 टन/वर्ष
68.	" डी. कैम प्लास्टिक प्रा. लि., भिवाड़ी	फार्मलडिहाईड	8000 टन/वर्ष
69.	" डी. कैम. केमीकल; भिवाड़ी	हेक्जामिन	1000 टन/वर्ष
70.	" वी. कैम. प्लास्टिक, भिवाड़ी	फार्मडिहाइड	6000 टन/वर्ष
71.	" विठ्ठल ड्रग्स, भिवाड़ी	बेन्जाइल अल्कोहल	2 टन/माह
72.	" राजस्थान एक्सप्लोसिव एण्ड केमीकल धौलपुर ।	डिटोनेटर	300 लाख/वर्ष
		डिटोनेटर फ्यूज वायर	100 लाख मीटर/वर्ष
		स्लरीएक्सप्लोसिव ले	6500 टन/वर्ष
73.	" राजस्थान पिगमेंट एण्ड केमीकल, भरतपुर	लेड आक्साइड ग्रे	1800 टन/वर्ष
		लेड आक्साइड रेड	1800 टन/वर्ष
74.	" श्रीराम विनाइल एण्ड केमीकल, कोटा	पी. वी. सी. रेजिन	100 टन/दिन
		क्लोरीन	25 टन/दिन
		कास्टिक सोडा	120 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	75 टन/दिन

(251)

1	2	3	4
75.	मैसर्स श्रीराम फर्टीलाईजर एन्ड केमीकल, कोटा	यूरिया	1000 टन/दिन
76.	” कोटा आक्सीजन कोटा	आक्सीजन	9 लाख क्यू. मी/वर्ष
		नाइट्रोजन	1 लाख क्यू. मी/वर्ष
		ऐसीटीलीन	1.80 लाख क्यू. मी/वर्ष
77.	” क्लोरोकेम इण्डस्ट्रीज, कोटा	ब्लीचिंग पाउडर	6.25 टन/दिन
78.	” एस.वी.पी. केम., प्रा. लि., कोटा	ब्लीचिंग पाउडर	9 टन/दिन
79.	” चम्बल फर्टीलाईजर एण्ड केमीकल, गडेपान कोटा	फर्टीलाईजर	2250 टन/दिन
80.	” श्रीराम रेयन्स, कोटा	रेयन्स	15 टन/दिन
81.	” ओम राजस्थान कार्बाइड, कोटा	केल्शियम कार्बाइड	225 किलो/दिन
82.	” नेशनल थर्मोप्लास्ट, कोटा भीमपुरा	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	10 टन/दिन
83.	” लक्ष्मी केमीकल, गोटन	ब्लीचिंग पाउडर	10 टन प्रति माह
84.	” ओम स्ट्रक्चर प्रा. लि., भीलवाड़ा	एसिटीलीन	225 क्यू. मी/दिन
85.	” उदयपुर फास्फेट एण्ड फर्टिलाइजर, खमेली, उदयपुर।	सल्फूरिक अम्ल	33000 टन/वर्ष
		सिंगल सुपर फास्फेट	66000 टन/वर्ष
		क्लोरो सल्फोनिक एसिड	5000 टन/वर्ष

1	2	3	4
86.	मैसर्स वेस्ट इण्डिया गैस प्रोडक्ट लि., उदयपुर	आक्सीजन	40000 क्यू. मीटर प्रति माह
		एसिटिलीन	5000 क्यू. मीट र/माह
87.	" हिन्दुस्तान जिंक लि., देवारी	जस्ता पिंड	49000 टन/वर्ष
		चांदी	6.8 टन/वर्ष
		सल्फूरिक अम्ल	87000 टन/वर्ष
		केडनियम	250 टन/वर्ष
		फास्फोरिक अम्ल	26000 टन/वर्ष
88,	" अर्नेस्ट इण्डस्ट्रीयल गैसेज प्रा. लि., उदयपुर	आक्सीजन	45000 क्यू. मीटर/माह
89.	" हिन्दुस्तान एग्रो केमीकल्स, बीछड़ी, उदयपुर।	सल्फूरिक अम्ल	33000 टन/वर्ष
		सिंगल सुपर फास्फेट	66000 टन/वर्ष
90.	" आरती केमीकल, उदयपुर, उदयपुर	ब्लीचिंग पाउडर	30 टन/माह
91.	" अर्नेस्ट गैसेज प्रा. लि., उदयपुर	आक्सीजन गैस	73 क्यू. मीटर/घण्टा
		एसिटीलीन	300 क्यू. मी./दिन
92.	" सांघी आॅक्सीजन, जयपुर	आॅक्सीजन	2500 क्यू. मी./दिन
93.	" ज्लावा मैटल, ब्रह्मपुरी, जयपुर	लैड	15000 किलो/वर्ष
94.	" सरावगी केमीकल, जयपुर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	5 टन प्रति/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	10 टन प्रति/दिन

1	2	3	4
95.	मैसर्स ईगल केमीकल, जयपुर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	2.5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	5 टन/दिन
96.	” केमीकल्स एण्ड क्लोराईड, जयपुर	क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स	2.5 टन/दिन
		हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	4.20 टन/दिन
97.	” राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर	लेड, टिन, ऐन्टीमनी	300 किलो/वर्ष
98.	” कमला केमीकल, मोगरा, जोधपुर	एक्वस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	15 टन/माह
99.	” जोधपुर गेसेज, जोधपुर	आक्सीजन	40000 क्यू. मीटर/माह

255

परिशिष्ट—20

नियम 295 के तहत् विशेष उल्लेख

नीम का थाना उपखण्ड अदालत के पत्रावलियों के फर्जी निर्णयों व डिक्रियों की जांच

[श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर)]

नीमकाथाना उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक श्री विष्णु दत्त शर्मा द्वारा उपखण्ड अधिकारी की अदालत के 100 से भी अधिक दावों में फर्जी निर्णय व फर्जी डिक्रियां बनाकर फर्जी नकलें देकर लोगों से लाखों रुपये वसूल कर लेने सम्बन्ध एक गम्भीर मामला सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं :—

(1) श्री विष्णुदत्त शर्मा कनिष्ठ लिपिक एक लम्बे समय तक उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना के कार्यालय में कार्यरत रहे और इस दौरान उपखण्ड अधिकारी की आंखों में धूल झोंक कर बड़े पैमाने पर अदालत की पत्रावलियों में फर्जी निर्णय व फर्जी डिक्रियां बनाने का धन्धा करते रहे।

(2) श्री विष्णुदत्त शर्मा ने प्रत्येक फाइल को अधर में रखने के लिए कभी कोई आर्डर सीट नहीं लिखी और सर्वरक पर केवल तारीख पेशी का अंकन करते रहे, ताकि पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अपनी इच्छा व सहूलियत के हिसाब से गायब अथवा शामिल कर सकें। श्री शर्मा की इस कारगुजारी की परिणिति फर्जी निर्णय व फर्जी डिक्री बनाने में होती रही। उसने इन फर्जी डिक्रियों की फर्जी नकलें देने में सदैव ही मामले को उपखण्ड अधिकारी के ध्यान से बचाने के लिए नकलें देते समय उनसे प्रमाणित न करवाकर तहसीलदार से ही प्रमाणित करवाने का सिलसिला जारी रखा। उपरोक्त फर्जकारी के मामलों में उदाहरण के तौर पर पत्रावली संख्या 176/86 अनवानी हीरा बनाम बशी वगैरह व पत्रावली उनवानी चिरंजीलाल बनाम दुर्गा सिंह प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना के दावों में ऐसी फर्जी डिक्रियों की प्रमाणित प्रतिलिपियां भारी रकम लेकर जारी की गयी है।

(3) श्री विष्णुदत्त द्वारा डीस्प्रपोर्सनेट सम्पत्ति अर्जित करने की भी समय-समय पर उच्च अधिकारियों को शिकायत होती रही और कहा गया कि उसने नीमकाथाना में सन्तोषी माता के मन्दिर के सामने एक आलीशान भवन बना लिया है जिसमें संगमरमर व ग्रेनाइट आदि कीमती पत्थरों का भारी मात्रा में उपयोग किया गया है और भवन को गलिचों, वी. सी. आर., रंगीन टी. वी. तथा सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर रखा है। शिकायत में यह भी कहा गया हैं कि उसने अपने स्वयं के नाम से तथा अपने परिवार के लोगों के नाम से नीमकाथाना में एक ईंट भट्टा, ट्रेक्टर तथा एक ईंट भट्टा कांवट खण्डेला रोड़ पर खण्डेला मोड़ के पास भी चालू कर रखा है।

256

(4) श्री विष्णुदत्त के विरुद्ध इन सभी मामलों को राजस्व मंत्री, राजस्व सचिव, अध्यक्ष, राजस्व मंडल एवं जिला कलक्टर, सीकर को शिकायतें होने पर जिला कलक्टर सीकर ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर को अचानक नीमकाथाना भेजकर फर्जीकारी की पत्रावलियों को छापा मरवाकर जब्त करवाया और मामले की जांच अतिरिक्त कलक्टर सीकर एवं सहायक कलक्टर श्री माधोपुर को सुपुर्द कर दी। जांच के दौरान हीरा वगैरह ने अपने बयानों में विष्णुदत्त को तीन हजार रुपये देना कहा है तथा भूमि रूपान्तरण में भी गम्भीर, अनियमितताएं कर लाखों रुपये की सरकार को राजस्व हानि पहुंचाकर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के सबूत सरपंच चौकड़ी द्वारा पेश किये गये। उदाहरण के तौर पर दौलत राम पुत्र नेतराम व नेतराम पुत्र रामनिवासी निवासी नीमकाथाना से चरागाह भूमि के मात्र चार रुपये प्रति वर्गगज के लेकर विक्रय कर दिया जबकि उक्त चरागाह भूमि से लगी खातेदारी की भूमि को उक्त श्री दौलत राम पुत्र नेतराम व नेतराम पुत्र रामनिवास ने 174/- रुपये प्रति वर्ग से खरीद की थी। सारे मामले में जांच कर सहायक कलक्टर, श्री माधोपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट भी कलक्टर, सीकर को बहुत समय पहले भेज दी गयी बतायी है।

(5) राज्य सेवा में रहते हुए अदालत की पत्रावलियों में फर्जी निर्णय व डिक्रियां तैयार करना निश्चित ही एक जुर्म है और इसकी पुलिस द्वारा जांच करवाकर दोषी को सज़ा दिलवाना सरकार का आवश्यक कर्तव्य है। मगर अफसोस है कि इतना स्वयंसिद्ध मामला होते हुए भी और उसे निलम्बित कर देने के बाद भी अभी तक उसके खिलाफ फर्जीकारी की पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं भेजी गयी है।

अतः इस फर्जकारी के गम्भीर मामले को सदन के ध्यान में लाकर राजस्व मंत्री जी से अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र मामले की पुलिस जांच व सेवा नियमों के अन्तर्गत विभागीय जांच शुरु करवाने की कृपा करें।

माण्डलगढ़ की खराब व अधूरी सड़कों की मरम्मत

[श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़)]

मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में आज कई सड़कें टूटी-फूटी हालत में हैं, जगह-जगह खड्डे पड़े हुए हैं। मेरे क्षेत्र में 7 किलोमीटर की सड़क, महुआ से धामानियां है जिस पर जगह-जगह खड्डे पड़े हुए हैं। इसे अविलम्ब ठीक कराई जाना चाहिए इसी प्रकार सलावटिया से गुढ़ा सड़क पर भी जगह-जगह खड्डे पड़े हुए हैं चम्पापुर के पास एक पुलिया हर वर्ष बह जाती है, इसे ऊंची, लम्बी बनाने की आवश्यकता है। पत्थर के काफी ट्रक इस रोड से भर कर निकलते हैं, काफी परेशानी रहती है कोटा तक यह सड़क है बरसात में बंद हो जाती है अतः इस सड़क को ठीक कराते हुए इस पुलिया का निर्माण कराया जाए। इसी प्रकार कांस्या से सिंगोली (म. प्र.) की ओर जाने वाली सड़क राजस्थान की सीमा तक काफी टूट-फूट गई है,

खड्डे ही खड्डे पड़े हुए हैं इसे राजस्थान की सीमा तक ठीक कराई जाए। साथ ही इस सड़क पर मध्य प्रदेश की सीमा के अन्दर सिंगोली का घाटा पडता है यह अगर पक्की सडक द्वारा निर्मित हो जाए तो बून्दी से नीमच (मध्य प्रदेश) व आगे सीधा बिजोलिया हो जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार से भी बात कर इसे बनाने की पहल करायें।

इसी प्रकार बिजोलिया से शक्करगढ़ सड़क जो केन्द्रीय सरकार की सहायता से बनाई गई वह मेरे क्षेत्र में सीता का कुंड के महा घाटे पर 2 कि. मी. कच्ची है जिससे परेशानी रहती है, इसे अविलम्ब पूरी कराई जाए। इसके अलावा इसी सड़क पर बिजोलिया के पास सात सोस के तालाब पर व एक नाले पर पुलिया बाकी रह गई है सातसोस के तालाब पर पुलिया थोड़ी ऊंची बनानी होगी इनको अविलम्ब बनायें।

मेरे क्षेत्र के बाद जहाजपुर क्षेत्र में यह सड़क 15 कि. मी. तक कच्ची है। इस बिजोलिया शक्करगढ़ सड़क के पूरा होने से बिजोलिया से जयपुर 50 कि. मी. की दूरी कम हो जायेगी, साथ ही पत्थर के ट्रकों वालों को व अन्य ग्राम जनता को काफी राहत मिल जायेगी और बून्दी के घाटे पर व लोडदा को चढ़ाई ज्यादा होने से भी बिजोलिया से बून्दी का मार्ग काफी चढ़ाई वाला है इससे भी राहत मिलेगी। व लोडदा की पुलिया को भी ऊंचा करा दिया जाए अभी ट्रक वाले सीधे न चढ़ाई चढ़कर बाईपास बना रखा है कच्चा पहाड़ी पर रास्ते को लम्बा करके चढ़ाई कम की है इसे जिधर से अभी ट्रकें निकलती हैं पक्का करा दिया जाए तो काफी राहत मिलेगी इसी प्रकार बिजोलिया से गुढा सड़क भी अभी पूर्ण नहीं हुई है कई जगह तो कार्य ही शुरु नहीं हुआ है। इसे भी अविलम्ब पूरा कराने की आवश्यकता है।

सबसे बड़ी समस्या एक ओर आज क्षेत्र में पैदा हो रही है। मेनाल से लेकर सलावटिया गुढा तक व बिजोलिया से बुधपुरा तक वैध व अवैध खनन करने वालों ने सड़क के दोनों ओर अवैध रूप से मलवा डाल कर सड़कों को बहुत ही सकड़ा कर दिया है। जिससे आये दिन एक्सीडेंट होते ही रहते हैं लोग मर ही रहे हैं ट्रेफिक भी अवरुद्ध हो रहा है।

अतः बुलडोजर या सावल मशीन द्वारा एक बार इन मलवों को हटाकर सड़कों को चौड़ी कराएं व कानून मे कमी हो तो ओर सख्त कानून बनाकर लोगों को सड़क सीमा पर मलवा डालने से रोकें व लोगों को अकाल मृत्यु में जाने से बचायें।

इसके अलावा अभी विभाग द्वारा जे. आर. वाई. व अकाल राहत में ग्रेवल सड़कों का कार्य चल रहा है इन पर छोटे-छोटे नाले हैं इन पर पुलिया बनाना अविलम्ब शुरु कराएं, पाइप की व्यवस्था करायें। साथ ही मेरे क्षेत्र में खाचरोल से गालडिया, सुरडिया, सरदारजी का खेड़ा, दौलपुरा, हाडी का खेड़ा, महुआ सड़क का

ग्रेवल कार्य चल रहा है इस हाड़ी का खेड़ा व महुग्रा के बीच ग्रवली नदी पर रपटनुमा 6–7 फीट ऊंची पुलिया बन जाए तो 40 गांव के लोगों को बरसात में शेष संसार से अलग होने से बना लेंगे। व बीमारी में भी इलाज सुलभ हो जाएगा। ग्रतः यह पुलिया बनाने का कष्ट करावें।

मैंने जो समस्याएं इस उल्लेख में निवेदन की है उन्हें अविलम्ब हल कराएं।

बाईजी की कोठी, झालाना डूंगरी, जयपुर में वायु प्रदूषण से जनता को परेशानी

[श्रीमती कमला (बैराठ)]

जौहरी बाजार विधान सभा क्षेत्र में बाईजी की कोठी, झालाना डूंगरी जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1981 व 1987 के मध्य में कच्ची बस्ती के सर्वेधारियों को भूखंड ग्रावंटन कर फेज–प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ विधिवत प्लान के साथ बसाया गया था। ग्राज इस क्षेत्र की ग्राबादी लगभग 25-30 हजार है। उक्त सभी नागरिक यहां पर हो रहे वायु प्रदूषण से काफी प्रभावित हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में समय-समय पर यहां के निवासियों द्वारा राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को लिखा गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

ग्रतः निम्न बिन्दुग्रों पर ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहते हैं :–

1. **झालाना डूंगरी बाईजी की कोठी में ग्रवैध खनन कार्यः**— इस क्षेत्र में राज्य सरकार के खनिज विभाग द्वारा बाईजी की कोठी झालाना डूंगरी जयपुर में सन् 1950-60 के ग्रास पास खनन हेतु पट्टे दिये गये थे जब इस क्षेत्र में ग्राबादी नहीं थी, परन्तु ग्राज लगभग 60-70 खाने ग्रवैध रूप से इस क्षेत्र में चल रही हैं। जो बारूद के धमाकों (होल) द्वारा पत्थर तोड़ते हैं वे पत्थर यहां पर रहे निवासियों के मकानों तक आ जाते हैं जिससे यहां के निवासियों के साथ दुर्घटनाएं हो चुकी है। उक्त धमाकों के साथ उठने वाली धूल व मिट्टी से दिन में ग्रन्धकार छा जाता है जिससे बच्चों व नागरिकों के सांस के साथ मिट्टी फैफड़ों व पेट में जाती है, जिसके कारण कई भयंकर बीमारियां पैदा हो गयी हैं। इन खानों को यहां से अन्यत्र ग्रावंटन कर दिया गया है फिर भी ग्रवैध रूप से चला रखी है।

2. **रोड़ी मशीनों द्वारा वायु प्रदूषणः**—इस क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य कार्यालय है परन्तु फिर भी यहां चार-पांच रोड़ी मशीनें दिन-रात चलती रहती हैं जिनसे उड़ने वाले पत्थर के बारीक कण तथा मिट्टी से हमेशा इस ग्राबादी वाले क्षेत्र में दिन भर ग्रधकार सा रहता है। जिससे यहां निवास कर रहे नागरिकों के मकानों में मिट्टी व पत्थर के बारीक कण जमा हो जाते हैं तथा यहां के निवासियों के खाना पकाने तथा पानी के मटकों में भी उक्त धूल व पत्थर के कण मिल जाते हैं जो यहां के निवासियों के पेट में खाने-पीने के

समय चले जाते हैं जिससे गुर्दों में स्टोन, फेफड़ों में टी. बी., दमा आदि भयंकर बीमारियां पैदा हो गयी हैं। आज हालात यह हैं कि यहां के कई व्यक्तियों जैसे जगन्नाथ, नाथूराम, मोहनलाल, दूलाराम व श्रीमती सरोज देवी आदि फेफड़ों की बीमारी, गुर्दों में स्टोन की बीमारी से रोग ग्रसित हो रहे हैं जिनका मेडिकल रिपोर्ट आपके पास अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा इन मशीन वालों को अन्यत्र रोड़ी मशीन हेतु जमीन उपलब्ध करा दी गयी है परन्तु फिर भी ये मशीनें अवैध रूप से यहां चल रही है।

3. **कली के भट्टों द्वारा प्रदूषण**:—झालाना डूंगरी जयपुर में बसी आबादी के फेज प्रथम- द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के बीच-बीच में लगभग 30-40 कली के भट्टे हैं जो इन भट्टों के चारों ओर जयपुर विकास प्राधिकरण ने भूखण्ड आवंटित कर दिये हैं तथा कुछ भूखण्ड इन भट्टों की जमीन में ही हैं। इन भट्टों से उठने वाला धुआं लगभग 25-30 हजार की जनसंख्या के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, परन्तु सरकार का इस ओर ध्यान नहीं जाता है।

4. **अरावली वृक्षारोपण परियोजना एवं विश्व वानिकी** ;—इस क्षेत्र में विश्व वानिकी उद्यान विकसित किया गया है एवं केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत अरावली वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत इस पहाड़ को हराभरा बनाने के लिए इस खनन कार्य को बंद करने की स्वीकृति केन्द्रीय जांच टोली दे चुकी है परन्तु राज्य सरकार द्वारा फिर भी अवैध खनन को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या सरकार उक्त पहाड़ को विकसित करने के लिए खनन कार्य को बंद रखने का विचार रखती है यदि हां. तो कब तक बन्द कर दिया जावेगा ?

अतः प्रकरण जनहित में आपके पास प्रस्तुत कर निवेदन है कि जयपुर शहर के सबसे ज्यादा प्रदूषण से ग्रसित क्षेत्र की जनता जिसमें ज्यादातर अनु. जाति, जनजाति, अल्प आय वर्ग के परिवार निवास करते हैं, के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही करवायें।

गुडला (लालसोट) में वन बन्दोबस्ती के फर्जी आदेश

[श्री हीरालाल मीणा (बामनवास)]

दिनांक 9 मार्च, 1970 को सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी श्री हरीशचन्द्र तिवाड़ी ने अपने निर्णय में सवाई माधोपुर जिले के वन खण्ड लिवाली संख्या 9 रेन्ज लालसोट ने ग्राम गुडला के खसरा नम्बरों को भूमि (कुल 801 बीघा) को वन खण्ड लिवाली में रखने के आदेश दिये गये थे परन्तु ग्रामवासियों ने उक्त निर्णय की सही प्रतिलिपि तहसीलदार बामनवास को पेश नहीं करके फर्जी निर्णय की नकल बनाकर

वन विभाग की भूमि का गलत नामान्तरकरण दर्ज करवा कर खातेदारी अधिकार, प्राप्त कर लिये गये हैं। वन विभाग की भूमि को चरागाह दिखवाकर ना. सं. 44/30/8/88 के द्वारा सिवाय चक भूमि दर्ज करवा ली गयी। बामनवास तहसील के ग्राम कडला भू-अभिलेख निरीक्षक हल्का खेडली के ना. सं. 74, दिनांक 11/12/89 एवं ना. सं. 73 दिनांक 11/12/89 के द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये गये हैं। सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी के फैसलों की फर्जी नकल की प्रतियां पेश कर तहसीलदार बामनवास से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया गया है। सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 9 मार्च, 1970 की सही प्रतियां मंगवाकर उक्त मामले की जांच की जाये। उक्त ना. सं. 73,74 में जिनके नाम प्रविष्टियां दर्ज की है उनका जन्म 9 मार्च, 1970 के बाद हुआ है। तो इनके नाम फैसले किस आधार पर किए गए थे।

अतः सम्पूर्ण मामले की जांच करवाकर गलत तरीके से खातेदारी प्राप्त करवाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें।

कृषि व अन्य विद्युत कनेक्शन

[श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)]

कृषि तथा अन्य मामलों में भी जब विद्युत कनेक्शन दिया जाना स्वीकृत किया जाता है तो एस्टीमेट बनाया जाकर कन्जूमर से रकम जमा की जाती है उसमें अन्य सामान के अलावा केबल जो लगती है उसकी रकम भी सम्मिलित होती हैं और उपभोक्ता के मीटर तक लाइन लगाने की जुम्मेवारी राजस्थान विद्युत मण्डल की होती है। झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति में स्थित सहायक अभियन्ता उदयपुरवाटी तथा सहायक अभियन्ता गुढ़ा के यहां से जो कनेक्शन दिये जा रहे हैं उनमें केबल तथा अन्य सामान उपभोक्ताओं को अपने पैसे से खरीदकर लाना पड़ता है। जबकि उस सामान की कुल कीमत पहले ही उससे वसूल की जा चुकी होती है। जानकारी करने पर बतलाया गया कि विद्युत मण्डल से केबल नहीं प्राप्त होने के कारण उपभोक्ता से मंगवाया जाता है। यह सरासर अन्याय है। सम्बन्धित अधिकारियों को केबल मण्डल द्वारा उपलब्ध करवायी जावे और जिन उपभोक्ताओं से केबल आदि अपने खर्चे से मंगवायी गयी हैं, उन्हें रकम वापस दी जावें और नियमानुसार जो सामान बोर्ड द्वारा लगाया जाना निर्धारित है वह बोर्ड ही उपलब्ध करवाये। एक पोल एवं सर्विस लाइन कनेक्शन के लिए साढ़े सात हजार रुपये की राशि वसूल की जाती है वह बहुत ज्यादा है। इस प्रकार के कनेक्शन के लिए भी वही नीति अपनायी जानी चाहिए जो जनरल कैटेगरी के कनेक्शन के मामलों में अपनायी जाती है।

(261)

महुआ तथा टोडाभीम के गांवों में विद्युत कनेक्शन

[श्री हरीसिंह (महुआ)]

विधान सभा क्षेत्र महुआ में सम्मलित टोडाभीम पचायत समिति की 11 ग्राम पंचायतों के सभी गांवों को सन् 1988 में विद्युतीकृत घोषित कर दिया है, परन्तु वास्तव में उक्त गांवों को विद्युतीकृत नहीं किया गया है । इन गांवों में मुख्यतया (1) कटारा अजीत (2) सालिमपुरा (3) मादोली (4) नन्दपुरा (5) मोसलपुर (6) लालराम का पुरा (7) कंवरपुरा (8) चक कंकरपुरा (9) रतनमल पाडा (10) नया गांव (11) देवलेन (12) महमदपुरा (13) पाट कटारा (14) जयसिंहपुरा (15) मंजीपुर (16) ससेपुरा (17) पाटरा (18) बरेडी (19) पंचला (20) जगदीशपुरा ।

श्रीमान् उक्त बीस गाँव से घाटरा बरेडी, कटारा, अजीत एवं सालिमपुर को तो बिना 11 के. वी. की लाइन खींचें विद्युतीकृत घोषित कर दिया है । पिछले चार वर्ष के सतत् प्रयास के बावजूद मात्र दो गांव को, कुढावला एवं मोहनपुर में एक-एक कृषि कनेक्शन देकर विद्युतीकृत किया है । और वह भी तब, जबकि बुढावल के धर्म एवं उसके चचेरे भाईयों मदन वगैरा से पांच हजार रिश्वत के ले लिये हैं तथा श्री चेतराम पुत्र श्री हरसहाय मीणा निवासी मोहनपुरा से पाँच हजार रुपये रिश्वत के रूप में लिये हैं । मैं, स्वयं पिछले तीस वर्ष से विद्युत कनेक्शन दिलवाने के लिये प्रयत्नशील रहा परन्तु बिना रिश्वत लिये विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ।

श्रीमान् गांव नयागांव के करीब 80 विद्युत उपभोक्ताओं के घरों के लिए विद्युत कनेक्शन देने के प्रार्थना पत्र कई वर्षों से लम्बित है । जे. ईएन. टोडाभीम को घर-घर से कन्ट्रीब्यूशन करके चार हजार रुपये रिश्वत के दिये तभी डिमाण्ड नोटिस जारी किये । इसके बाद मुझे मालूम पड़ने पर मैंने शेष रहे दो हजार रुपये रिश्वत के रुकवा दिये तो डिमाण्ड नोटिस निकलने के बाद में कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं, लेन-देन में घरों के कनेक्शन लेने वाले दो सौ उपभोक्ताओं से रिश्वत के पैसे मांगे जा रहे हैं । बिना रिश्वत दिये उनके घरों के विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं । श्रीमान्जी मैं, आपसे अनुरोध करता हूं कि सन् 1988 से विद्युतीकृत घोषित उक्त सभी 20 गांवों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकृत करवाने की कृपा करें, ताकि लम्बे समय से चली आ रही विद्युत की मांग की पूर्ति की जा सके । रिश्वत लेने की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों को सजा दी जावे ।

सिकराय तहसील के भूतपूर्व तहसीलदार की हत्या की जाँच

[श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय)]

मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय में 6-9-93 को दौसा से उक्त तहसीलदार अपने ग्राम घुमना मोटर साईकिल से जा रहा था तो रास्ते में उसे घर के पास नहर पर घेर

लिया और तहसीलदार एवं उसके लड़के अनील को चाकुओं से गोद दिया। तहसीलदार की मौके पर ही मृत्यु हो गयी एवं उनका लड़का भी गम्भीर रूप से घायल हो गया। जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना मानपुर में उसके परिवार के सदस्यों द्वारा करायी गयी। अभियुक्तों को तहसीलदार के लड़के ने जो जीवित रह गया, पहचान लिया और अभियुक्तों का नाम लखन पुत्र श्री रामकरण व बलराम पुत्र श्री घनपाल निवासी हुल्डा पहचान लिया एवं तफतीश अधिकारी को बतला दिया। पर इसके बारे में पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की और हत्यारे खुले आम घुम रहे है एवं उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे है।

अतः मांग करता हूं कि हत्यारों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जावे।

निवाई में माधोलाव व जयसिंह पुरा बाँध का निर्माण

[श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई)]

निवाई तहसील में सिंचाई के लिए कोई बड़ी योजना उपलब्ध नहीं होने के कारण काश्तकारों को बहुत परेशानी हो रही है व सूखे का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए क्षेत्रीय काश्तकारों की मांग पर निवाई में माधोलाव बांध तथा चैनपुर पंचायत में जयसिंह पुरा बांध की मध्यम सिंचाई योजनाएं तैयार की गयी। यह जानकारी मिली है कि माधोलाव बांध व जयसिंह पुरा बांध की योजना मुख्य अभियन्ता स्तर से मंजूर हो गयी है किन्तु राजस्थान के योजना मन्त्रालय के किसी अधिकारी ने अकारण रोड़े अटका कर उपरोक्त दोनों बांधों के निर्माण के कार्य को जबरदस्ती से रोक कर निवाई क्षेत्र के गरीब काश्तकारों को परेशानी में डाल रखा है।

अतः सिंचाई मन्त्री जी, अकारण खड़ी की हुई बाधाओं को दूर कर निर्माण कार्य चालू करावें।

बिलाड़ा में डाक बंगले का निर्माण

[श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)]

जोधपुर जिले में बिलाड़ा एक महत्वपूर्ण कस्बा है। यहां पर कई सरकारी विभागों के कार्यालय, जैसे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, ए. सी. एम., तहसीलदार, डीवाई. एस. पी., पुलिस थाना, अधिशासी अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, सहायक अभियन्ता,सा. निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, संरक्षण अधिकारी, मार्केटिंग कापरेटिव सोसायटी, रेफरल हास्पिटल, पशु चिकित्सालय आदि विभिन्न कार्यालय हैं।

बिलाड़ा का धार्मिक महत्व बहुत है। यहां आई माताजी का मन्दिर, बाणगंगा कल्प वृक्ष, वंगड़तों का मन्दिर भी बिलाड़ा में स्थित है जिस कारण सरकारी व

गैर सरकारी विशिष्ट व्यक्तियों जन प्रतिनिधियों, एवं जनसाधारण का निरन्तर आना रहता है।

अतः यहां पर हो रही जन असुविधा को देखते हुए डाक बंगले के निर्माण की जनहित में सरकार स्वीकृति जारी करे। वर्तमान में यहां पर केवल एक गेस्ट का ही निर्माण किया हुआ है जो उपरोक्त स्थिति को देखते हुए अपर्याप्त है।

धन्यवाद।

नरपतियावास (जमवा रामगढ़)में अग्निकांड में पड़ितों को सहायता

[श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)]

मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण की तहसील जमवा रामगढ़ के गांव नरपतियावास में इसी माह भयंकर आग लगी। थाना जमवा रामगढ़ में जब ग्रामीण जन रिपोर्ट लिखवाने गये तो उन्होंने लिखने में आनाकानी की और उसकी जांच में देर लगायी तथा जिलाधीश कार्यालय से आज तक कोई सहायता नहीं मिली जबकि आग लगने से तात्कालिक रूप से सहायता मिलनी चाहिए थी।

ग्राम पापड़ में अग्निकांड हुआ, फायर की रिपोर्ट साथ संलग्न करके थाने में रिपोर्ट के लिए गये। थाना जमवा रामगढ़ में कोई सहृदता नहीं दिखाई बल्कि ग्रामीणों को परेशान किया। जिलाधीश कार्यालय से उक्त स्थान पर कोई मदद नहीं मिली। ग्राम सायपुरा में आग लगी, थाना आमेर में केस दर्ज कराया गया तात्कालिक सहायता के अभाव ग्रामीण जन परेशान हैं।

पंचायत सुमेल में कुछ घर जले निवासी बस्सी थाने में रिपोर्ट दर्ज करने गये, थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की और डांट कर भगा दिया, ग्रामीण एस. पी. के कहने के बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

जयसिंहपुरा खोर में भी अभी पिछले दिनों आग लगी, फायर की गाड़ी भी गयी लेकिन ब्रह्मपुरी थाने ने अपना रवैया वही रखा और डांट कर भगा दिया। होना तो चाहिए कि इस आकस्मिक आपदा में, जिसमें सभी कुछ अग्नि को भेंट हो जाता है तत्काल खाना, भोजन, कपड़ा, रुपया आदि से सहायता हो। लेकिन जहां पुलिस में रिपोर्ट करने की अनिवार्यता हो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखे, किसी प्रकार फायर की गाड़ी चली जाए और पटवारी नहीं जाए पटवारी चला जाए और सब रिपोर्ट भी हो जाए तो महीनों जिलाधीश कार्यालय से सहायता नहीं दी जाए कितनी अजीब बात है। झोपड़ी बीमा के माध्यम से भी डेढ़ हजार रुपये तक की मदद हो सकती है पर उसमें पटवारी की रिपोर्ट और तहसीलदार की सम्मति आवश्यक है। खेद है इस सब पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के उक्त जिन गावों में आग लगी है वहां इस सब में प्रशासन की अकर्मण्यता मानी जा रही है।

अब हड़ताल के दिनों में पटवारी के अभाव में आप लोग, सरकार क्या व्यवस्था करायेगी, विचार करें। किस प्रकार. इन सब को सहायता मिल सकेगी। मदद होनी चाहिए चाहे वहां अधिकारी भेज कर मदद हो, मानवीय दृष्टिकोण से मुख्यमन्त्रीजी बतावें कि उक्त क्षेत्रों में तथा कभी भी होने वाली अग्निकांड पर किस प्रकार से तात्कालिक रूप से सहायता करेंगे।

नीमकाथाना के स्नातक महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं

[श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)]

नीमकाथाना सीकर तथा झुन्झुनू जिले के गांवों के मध्य स्थित है। यहां पर बहुत वर्षों से डिग्री कालेज सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। नीमकाथाना के आस पास में कोई पी. जी. कालेज नहीं है। खेतड़ी, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर और खण्डेला विधान सभा क्षेत्रों के छात्रों को पी. जी. शिक्षा नहीं मिल रही है। यह क्षेत्र पिछड़ी जातियों अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल इलाका है। काश्तकारों तथा उपरोक्त वर्ग के लोगों को जयपुर के अलावा कहीं शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं है और जयपुर बहुत दूरी पर स्थिति है। जयपुर 125 कि. मी. पर स्थित है तथा जयपुर में भी बाहर के लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता है। यहां पर लड़कों की बहुत भीड़ रहती है।

इस क्षेत्र के छात्रों को शिक्षा का लाभ पहुंचाने के लिए राजकीय नन्दलाल पटवारी स्नातक महाविद्यालय को स्नातकोत्तर (पी. जी.) कक्षाओं को खोलने की स्वीकृति जुलाई, 1994 से दिलवाने की कृपा करें तभी हमें लाभ मिलेगा। मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करें।

कनकपुरा (नैनवां) में निर्माणाधीन एनीकट को पूरा कराने बाबत

[श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)]

बून्दी जिले में ग्राम कनकपुरा (तहसील नैनवां) के पास जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बून्दी द्वारा ग्राम पंचायत माणी के माध्यम से स्वीकृत एनीकट का निर्माण दिनांक 15-2-90 को प्रारम्भ किया गया जिस पर 0-876 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। उक्त स्थान पर करीब 10 किलोमीटर दायरे के पानी की आवक होने से कम से कम 1500 बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती हैं निर्माणधीन एनीकट के स्थान पर लघु सिंचाई योजना स्वीकृत की जाने पर ग्राम कनकपुरा, कल्याणी खेड़ा, एवं बुढ़ कखर के लघु सीमान्त कृषकों को अपनी कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। तथा भूमिगत सतह में बढ़ोतरी होने से इस क्षेत्र के कुओं का जल स्तर बढ़ जाने से अतिरिक्त भूमि सिंचित होने का भी लाभ मिल सकेगा। उक्त स्थान पर निर्माणाधीन एनीकट को वर्ष 1992-93 में पूर्ण किये जाने बाबत आश्वासन नवीं

268

विधास सभा में अन्तः सत्र अतारांकित प्रश्न संख्या 11/पंचायत मं. के जरिये दिये जाने के उपरान्त भी निर्माण कार्य अधूरा है।

अतः गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों को गरीबी की रेखा के उपर उठाने के उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए कल्याणकारी राज्य की भावना अनुरूप कनकपुरा के पास लघु सिंचाई योजना का विस्तृत सर्वे करवाया जाकर सर्वे रिपोर्ट ग्रामीणों के अवलोकनार्थ मुझे भी उपलब्ध करवायी जाने की कृपा करें। यदि उक्त स्थान पर छोटे बांध की भराव क्षमता के मुताबिक पानी की आवक नहीं हो तो दिनांक 12-2-90 को प्रारम्भ किये गये एनीकट के स्वरूप एवं उंचाई को अधिक करके अधिक पानी भराव क्षमता के एनीकट का निर्माण करवाये जाने की कृपा करें। इस बाबत सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बाबत क्षेत्र के किसानों की भावना के मुताबिक उन्हें समय-समय पर सूचित किया जावे।

भरतपुर में सड़क निर्माण हेतु कृषकों का अवाप्त भूमि का मुआवजा

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर)]

भरतपुर जिले के कुम्हेर से सालपरा होते हुए सोख रोड तथा भरतपुर से सोगर उवार होते हुए सुनसारा रोड़ का निर्माण हुए एक अरसा हो चुका है। किन्तु जिन गरीब किसानों की काश्त की भूमि इन सड़कों के निर्माण में आ गयी है उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है।

कई गरीब लोगों के पास काश्त को और भूमि नहीं है तथा रोजगार के साधन भी कम है। सोगर गांव के खसरा नं 1840 व 1843 तथा दीगर भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। सोगर, उवार, पेंगोर इत्यादि गांव के कृषकों ने अनेकों बार सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग से मुआवजा देने के मांग की है। सरकार का यह दायित्व है कि शीघ्र ही उन सभी व्यक्तियों को जिनकी खातेदारी की भूमि सड़क निर्माण में आ गयी है, उसका मुआवजा दे।

लाडनूं में पेयजल समस्या

[श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)]

निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं जिला नागौर में पीने के पानी भंयकर तकलीफ है। जो गांव पूर्व में लाभान्वित किये जा चुके है परन्तु उन गांवों में पानी नहीं पहुंचता है और कागजों में लाभाविन्त किया हुआ है, उदाहरण के तौर पर ग्राम रोडू, ढोगया, घोतोया, आसकी ढाणी, सादड़ी, चोरडोदा खारा, इन्द्रपुरा आदि कई गांव लाडनूं उपखण्ड के है इसी प्रकार से डीडवाना उपखण्ड के गांव पालोट, चौमू, गरदेजावासनी, दूदू बासड़ी मामासी, जाजवा आदि अनेक गांव है। वह सारे गांव पाइप लाइन से जुडे हुये है परन्तु पानी नहीं पहुंच रहा है।

जहां लाडनूं से सुजानगढ़ शहर तथा अन्य शहरों कस्बों और गांव को पानी दिया जा रहा है परन्तु लाडनूं क्षेत्र के गांव पानी के बिना प्यासे रह रहे है। इसका मुख्य कारण यह है जब बिजली जाती है तब पम्प चलाने वाले नहीं होते और जब पम्प चलाने वाले होते हैं तब बिजली नहीं होती। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं होती है जिसके फलस्वरुप सारी योजनाएं ठप्प हो रही है। इसलिए यह जरूरी है कि विभागीय अधिकारियों को चाहिए कि हर स्तर पर इस सम्बन्ध में सख्त कार्यवाही करें।

अतः सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो जल योजना में लाभाविन्त गांव हैं उनमें पानी पहुंचाने की व्यवस्था करावें।

मकराना औद्योगिक क्षेत्र में मारबल के पांडू से बीमारियां

[श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)]

मकराना औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद अब राजस्थान का सबसे सर्वोच्च औद्योगिक क्षेत्र है जहां से सरकार को सैल्स टैक्स रायल्टी व एक्सा इज के करोड़ों रुपया वार्षिक आमदनी है। परन्तु यहां पर आवागमन की सडकों की बड़ी दुर्दशा है इस सड़क व आवागमन के बारे में इस सदन को हर समय बार-बार अवगत कराया था और मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमन्त्री महोदय को, जिन्होंने नागौर जिले पर गौर करना प्रारम्भ किया है। लेकिन मैं मुख्यमन्त्री महोदय व राजस्थान सरकार का ध्यान मकराना, ममलाना, बोराबड परबतसर व औद्योगिक क्षेत्र बिदीयाद में हो रहे मारबल को पांडू से अनेक बीमारियों से आम जनता को भयंकर परेशानी का सामना करना पड रहा है। आज यहां पर बीच सड़क पर रात को पांडू से भरा हुआ ट्रेक्टर खाली कर चले जाते हैं और सडक के जहां पर खड्डे होते हैं खड्डे में पांडू का भरा ट्रेक्टर खाली कर देते हैं। रोजना सैकड़ों टैक्टर पांडू के डायमण्डों पर इकट्ठे होते हैं और डायमण्ड मालिक टैक्टर वालों को पांडू का ठेका दे देते हैं लेकिन पांडू डालने को जगह नहीं देते हैं। पांडू डालने को जगह नहीं देने पर टैक्टर वालों को अच्छी रकम मिलती है जो रकम कमाने के लिए रातों रात इस पांडू को जहां खड्डा मिला, डाल देते हैं।

मकराना, ममलाना, परबतसर, बीदीयाद, बोराबड की जनता में ले रहे प्रदूषण से टी. बी. दमा, खुजली, चर्मरोग, कैंसर व अन्य बीमारियों से इस क्षेत्र की जनता में अनेक असुविधा व दुर्घटना होती है। इस क्षेत्र में देश के कौने-कौने से मारबल खरीदने के लिए बड़े-बड़े उद्योगपति व अधिकारी और आम जनता का दिमाग इस पोंडस पाउडर के स्थान पर मारबल पाउडर पर चला है। अगर गाडी के पीछे गाड़ी चलती है सारी सड़क सफेद हो जाती है और गाड़ी के पीछे कोई पैदल जा रहा आठ साल का वह पाउडर को उड़ाने में साठ साल का सा हो जाता है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इससे हो रही असुविधा को दूर करने की सरकार आवश्यक कार्यवाही करें और पुलिस विभाग को भी निर्देश दे कि सरकार

पांडू डालने की जगह दे रखी है उसी स्थान पर डाले व किसी भी टैक्टर को शाम के बाद में पांडू डालने का काम नहीं करे। अगर रात को कोई भी टैक्टर पांडू डालते हुए पकड़ा जाए व रोड पर डालते हुए पकड़ा जाए उसको आवश्यक नियमों के तहत दंड/जुर्माना किया जाए और सूचना सरकार ग्राम जनता को देवें।

चेचीपुरा (कोटपूतली) का विद्युतीकरण

[श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली)]

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में ग्राम चेचीपुरा एक ऐसा गांव है जहां पर आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है जबकि इसके आस पास के गांवों में यह सुविधा मिल चुकी है। न तो गांव में आज तक कोई बिजली के खम्बे गाडकर लाइन पहुंचायी गयी है और न ही वहां पर कोई ट्रान्सफार्मर लगाया गया जिसकी वजह से वहां के किसानों को सिचाई से वंचित रहना पड़ा है। जबकि राजस्थान सरकार ने यह वचन लिया कि प्रत्येक ग्राम व ढाणी को विद्युतीकरण से जोड़ दिया गया है। कुछ को जोड़ा जा रहा है लेकिन इस ग्राम को सिंचाई के ट्यूबवैल लगाने तो दूर वहां घरों में भी बिजली उपलब्ध नहीं करवायी गयी। जबकि इस ग्राम के निवासियों ने 150 के लगभग बिजली के कनेक्शन कुओं व घरों को लगवाने हेतु अपने आवेदन पत्र व शुल्क भी जमा करवा रखें है जो काफी लम्बे अर्से से लम्बित है। ऐसे में सरकार का क्या दायित्व नहीं बनता ? इस संकट से यहां के निवासियों को उबारने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक लागू कर ग्राम को विद्युतीकरण से जोड़ा जा रहा है। आज तक बिजली विभाग ने खाली इसी गांव चेचीपुरा के साथ ऐसा सौतला व्यवहार क्यों कर रखा है जबकि इस ग्राम के चारों ओर के गांव विद्युतीकरण से लाभान्वित है और बीच में यही अकेला एक ऐसा गांव है जो इस विद्युतीकरण सुविधा से वंचित है।

सरकार से इस सन्दर्भ में मेरी यह मांग है कि इस गांव में विद्युत की सुविधा तुरन्त बिना किसी विलम्ब के कार्यवाही कर वहां के किसानों व घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली, उनके मांग पत्र अनुसार शीघ्र उपलब्ध करवायी जाए।

होजा एवं मोताली नदी पर पुल निर्माण

[श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)]

डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र के होजा एवं मोताली में पुल निर्माण नहीं होने से चौमासे के चार माह तक जाने वाले लोगों एवं पशुओं को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इन दोनों पुलों के नहीं होने से पढ़ने वाले बच्चों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ती है। क्योंकि मोताली व होजा नदी इस प्रकार से है कि छठी से आठवीं के बच्चे पढ़ने जाने से अवरूद्ध होते हैं। ये बच्चे चौमासे के चार माह तक स्कूल में नहीं जा पाते हैं।

श्रीमान, कई बार अनजान व्यक्ति व बच्चे तथा असहाय व्यक्ति भी पानी के प्रवाह में बह जाते हैं। इन नदियों का जल प्रवाह तेज है। थोड़ा पानी हो तब इन नदियों में पानी का प्रवाह बहुत जोरों का होने से साधारण व्यक्ति तो जा ही न सकता है। इन पुलों को बंधवाने हेतु पिछली बार भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था लेकिन आज तक ये दोनों पुल नहीं बन पाये हैं।

श्रीमान, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि अगर अर्थाभाव के कारण स्थानों पर पुलों की स्वीकृति न हो सके तो मोताली, (दोनडी) एवं डोजार (मोरन) रपटे बना दिये जाएं। तो कम खर्च में इन नदियों पर रपटे तैयार हो सकते है। दोनों पुलों के नहीं बनने से बरसात के चार माह तक जो प्राइवेट गाडिया चलती वे भी बन्द हो जाती हैं।

अतः मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री महोदय व सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये दोनों पुल या रपट इसी वर्ष स्वीकृत किये जाएं ताकि लोगों को आने जाने से असुविधा का सामना न हो।